Presented in the H.P. Vidhan Sabha on 14-12-2019

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का प्रतिवेदन

सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों

(गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए

हिमाचल प्रदेश सरकार

वर्ष 2019 का प्रतिवेदन संख्या - 4

अनुक्रमणिका

विवरण	संदर्भ	
	परिच्छेद	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना		v
विहंगावलोकन		vii
अध्याय-I: परिचय		
बजट रूपरेखा	1.1	1
राज्य सरकार के संसाधनों का अनुप्रयोग	1.2	1
राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्षत: हस्तांतरित निधियां	1.3	2
भारत सरकार से सहायता अनुदान	1.4	2
लेखापरीक्षा की योजना व संचालन	1.5	2
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया	1.6	2
लेखापरीक्षा के आग्रह पर वसूलियां	1.7	3
लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की जवाबदेही में कमी	1.8	3
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	1.9	4
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकाशित निष्पादन लेखापरीक्षा और परिच्छेदों का वर्षवार विवरण	1.10	5
अध्याय-II: निष्पादन लेखापरीक्षा		
लोक निर्माण विभाग		
नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित ग्रामीण सड़कों का निर्माण	2.1	7
शहरी विकास तथा सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग		
शहरी क्षेत्रों में सीवेज प्रबंधन	2.2	32
अध्याय-III: अनुपालना लेखापरीक्षा		
पशुपालन विभाग		
दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र पर अनुत्पादक व्यय	3.1	59
पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग		
पर्यावरण संरक्षण एवं कार्बन तटस्थता के लिए कार्यक्रम पर निष्फल व्यय	3.2	60
ग्रामीण निर्धनों के उत्थान के लिए औषधीय तथा सुगन्धित पौधों के लिए परियोजना का धीमा कार्यान्वयन	3.3	63
मत्स्य पालन विभाग		
मत्स्य पिंजरा संवर्धन परियोजना के कार्यान्वयन पर अनुत्पादक निवेश	3.4	66
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग		
अनुवर्ती लेखापरीक्षा: सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निष्पादन लेखापरीक्षा	3.5	67
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
निदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएं के अधीन स्वास्थ्य संस्थानों में औषधियों एवं उपभोज्यों तथा मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद, आपूर्ति तथा प्रयुक्ति	3.6	78

उद्योग विभाग		
निक्षेप कार्यों पर एजेंसी शुल्क का अधिक भुगतान	3.7	94
बैंक गारंटी का नवीनीकरण न होने के कारण हानि	3.8	95
सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग		
वर्षा जल संग्रहण संरचनाओं के माध्यम से सिंचाई परियोजना पर व्यर्थ निवेश	3.9	96
जलापूर्ति स्कीमों के आवर्धन पर निष्फल व्यय	3.10	98
उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम के आवर्धन पर निष्फल व्यय एवं हानि	3.11	101
अक्रियाशील उठाऊ सिंचाई स्कीम पर अनुत्पादक व्यय	3.12	102
योजना विभाग		
क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत योजना निधियों का दुरूपयोग	3.13	104
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना तथा विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अंतर्गत अस्वीकार्य कार्यों के लिए निधियों की संस्वीकृति	3.14	105
लोक निर्माण विभाग		
ऑप्टिकल फाईबर केबल को बिछाने के लिए देय राशि की कम वसूली	3.15	106
सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण निष्फल व्यय	3.16	107
राजस्व विभाग		
अस्वीकार्य कार्यों के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से धन का परावर्तन तथा दुरूपयोग	3.17	110
स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के प्रति अंशदान की अल्प वसूली तथा स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का दुरूपयोग	3.18	111
पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग		
ब्याज का परिहार्य भुगतान	3.19	113
परिवहन विभाग		
असुरक्षित स्थल पर बस स्टैंड के निर्माण पर परिहार्य हानि	3.20	114
बस अड्डे हेतु अनुपयुक्त स्थल के चयन के कारण निरर्थक व्यय	3.21	116

परिशिष्ट			
परिशिष्ट संख्या	विवरण	संदर्भ	
		परिच्छेद	पृष्ठ संख्या
1.1	31 मार्च 2018 तक चयनित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों/ परिच्छेदों का वर्ष-वार विवरण	1.8	119
1.2	31 मार्च 2018 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं परिच्छेदों पर टिप्पणित अनियमितताएं दर्शाती विवरणी	1.8	119
2.1	सीवेज प्रबंधन प्रक्रिया तथा उत्तरदायित्व संरचना को प्रदर्शित करता फ्लो चार्ट	2.2.1	120
2.2	सीवेज प्रशोधन संयंत्र में सीवेज प्रशोधन एवं निपटान की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता फ्लो-चार्ट	2.2.9	121
3.1	"समुदाय आधारित मूल्यांकन, जागरूकता, पक्षपोषण एवं कार्रवाई कार्यक्रम" के प्रदेयों में कमी	3.2	122
3.2	2016-18 के दौरान जांच किए गए स्वास्थ्य संस्थानों में कम/ गैर-आपूर्ति/ अधिक आपूर्ति/ मांग के बिना दवाइयों की आपूर्ति से सम्बन्धित विवरण	3.6.3.4	123
3.3	नमूना-जांचित क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा इंडेंटस के प्रति जिला स्टोर से दवाइयों की कम/ गैर आपूर्ति से सम्बन्धित विवरण	3.6.3.4	129
3.4	नमूना जांचित चार जिलों में बेकार मशीनरी एवं उपकरणों से सम्बन्धित विवरण	3.6.3.15	131
3.5	ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने के लिए दूर-संचार कम्पनियों से देय राशि की कम प्राप्ति का विवरण	3.15	133
3.6	12 जल विद्युत शक्ति परियोजना विकासकर्ताओं से देय वसूली की राशि से सम्बन्धित विवरण	3.18	134
3.7	भूमि स्वामियों को दिए गए ब्याज के परिहार्य भुगतान को दर्शाने वाली विवरणी	3.19	135

प्रस्तावना

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार के विभागों/ स्वायत्त निकायों से सम्बन्धित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के अनुसार संचालित की गई निष्पादन लेखापरीक्षा तथा अनुपालना लेखापरीक्षा के महत्त्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित मामले वे हैं जो 2017-18 के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए तथा साथ-साथ वे मामले भी हैं जो कि विगत वर्षों में ध्यान में आए थे, किन्तु उन्हें विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका था। जहां भी आवश्यक है, 2017-18 से अनुवर्ती अवधि से सम्बन्धित मामलों को सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी (मार्च 2002) किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में दो निष्पादन लेखापरीक्षाएं (i) नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित ग्रामीण सड़कों का निर्माण तथा (ii) शहरी क्षेत्रों में सीवेज प्रबंधन और एक विषयक परिच्छेद तथा एक अनुवर्ती लेखापरीक्षा सहित 21 अनुपालना लेखापरीक्षा परिच्छेद सम्मिलित हैं। कुछ मुख्य लेखापरीक्षा परिणाम नीचे उल्लिखित है:

निष्पादन लेखापरीक्षा

नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित ग्रामीण सड़कों का निर्माण

"नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित ग्रामीण सड़कों के निर्माण" पर निष्पादन लेखापरीक्षा में योजना, वित्त, निष्पादन एवं गुणवत्ता नियंत्रण/ निगरानी के मामलों को समाविष्ट किया गया है। लेखापरीक्षा में आयोजना, निधि प्रबन्धन तथा संविदा प्रबन्धन सहित परियोजना के निष्पादन में कमियां ध्यान में आईं। परियोजनाओं का गुणवत्ता नियंत्रण एवं अनुश्रवण भी निष्प्रभावी था। कुछ मुख्य लेखापरीक्षा परिणामों को नीचे दिया गया है:

- नाबार्ड के अर्न्तगत परियोजनाओं की प्राथमिकता हेतु लोक निर्माण एवं योजना विभाग ने विधायकों को जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई तथा परियोजनाओं का चयन अपेक्षित अड़चनों, समन्वित दृष्टिकोण और परियोजनाओं के व्यापक विश्लेषण किए बिना किया गया।

  (परिच्छेद 2.1.6.1)

- 2013-18 के दौरान संस्वीकृत 106 परियोजनाओं में, विधायकों द्वारा विपदग्रस्त क्षेत्रों के लिए संस्तुत 65 परियोजनाओं के प्रति किसी भी परियोजना को संस्वीकृत नहीं किया गया था, तथापि पहले ही सड़कों से जुड़े गांवों के लिए सड़कों की मंजूरी दी गई थी।

  (परिच्छेद 2.1.6.1)

- तीन नमूना जांचित मण्डलों ने ₹ 7.76 करोड़ की लागत से पांच परियोजनाओं को ब्लैक टॉप प्रावधान के बिना निष्पादित किया गया जैसा कि नाबार्ड के दिशा-निर्देशों में अपेक्षित था, जिससे जनता सर्व मौसम सड़क सम्पर्क से वंचित रही।

  (परिच्छेद 2.1.6.5)

- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में प्रतिफल की आंतरिक दर/ प्रतिफल की आर्थिक दर की गणना तथा लाभ लागत अनुपात विश्वसनीय डाटा पर आधारित नहीं थी।

  (परिच्छेद 2.1.6.7)

- नमूना-जांचित नौ मण्डलों में नाबार्ड परियोजनाओं के प्रति समेकित निधि से ₹ 10.71 करोड़ अनियमित रूप से आहरित किए गए जो कि निक्षेप शीर्ष में 10 से 82 माह तक अव्ययित पड़े रहे। संस्वीकृत परियोजनाओं हेतु ऋण के रूप में व्यय की प्रतिपूर्ति के प्रति 2013-18 के दौरान नाबार्ड से ₹ 57.73 करोड़ का कम दावा किया गया।

  (परिच्छेद 2.1.7.1 एवं 2.1.10.1)

- निष्पादन प्रतिभूति को प्राप्त न करने, विलम्ब हेतु प्रतिपूर्ति का अनुद्ग्रहण/ वसूली न करना संविदा अनुबन्ध में निष्पादन प्रतिभूति का प्रावधान न करना तथा रॉयल्टी एवं उपयोगी पत्थरों की वसूली न करने के परिणामस्वरूप 119 अनुबंधों में ठेकेदारों को ₹ 10.94 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ/ पक्षपात किया गया।

  (परिच्छेद 2.1.8.1 से 2.1.8.5)

- ₹ 859.26 करोड़ की संस्वीकृत 269 परियोजनाओं में से ₹ 393.79 करोड़ की संस्वीकृत लागत में 132 परियोजनाओं को एक वर्ष के भीतर निष्पादनार्थ लिया गया था। ₹ 135.07 करोड़ का व्यय करने के पश्चात् चार वर्ष की नियत अवधि के भीतर केवल 65 परियोजनाओं को पूर्ण किया गया था।

  (परिच्छेद 2.1.9.1)

- नमूना-जांचित 17 मण्डलों में, ₹ 414.67 करोड़ की संस्वीकृत 123 परियोजनाओं (269 में से) का कार्य ठेकेदारों को एक से 111 महीनों के विलम्ब के पश्चात् प्रदान किया गया जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं के निष्पादन में और अधिक विलम्ब हुआ।

  (परिच्छेद 2.1.9.3)

- नमूना-जांचित आठ मण्डलों में ₹ 49.00 करोड़ की लागत से निर्मित 33 सड़कों को सड़क फिटनैस समिति द्वारा वाहन यातायात हेतु पास नहीं किया गया जिससे इन सड़कों पर किया गया अधिकतर व्यय निष्फल रहा।
(परिच्छेद 2.1.9.8)
- गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र अप्रभावी था क्योंकि नमूना-जांचित मण्डल के अधिशाषी अभियंताओं ने 2013-18 के दौरान राज्य गुणवत्ता नियंत्रण विंग (32) एवं राज्य गुणवत्ता मोनिटर (102) द्वारा 28 परियोजनाओं में 134 निरीक्षणों में चिह्नित कमियों को सुधारने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की थी।
(परिच्छेद 2.1.10.3)

शहरी क्षेत्रों में सीवेज प्रबंधन

शहरी क्षेत्रों में सीवेज प्रबंधन की निष्पादन लेखापरीक्षा, आयोजना व निर्देशन, निधि-उपयोग, संग्रहण, उपचार और सीवेज का सीवरेज और सैप्टिक टैंक प्रणाली से निपटान और निगरानी के पहलूओं के मूल्यांकन के लिए संचालित की गई। कुछ मुख्य परिणाम निम्नलिखित हैं:

- आयोजना व निर्देशन की कमियों के अंतर्गत सीवरेज योजनाओं हेतु रणनीति तैयार न करना, सीवरेज योजनाओं हेतु बाधारहित भूमि सुनिश्चित न करना, अति दबावग्रस्त सीवेज प्रशोधन संयंत्रों के उन्नयन के सम्बंध में सक्रिय कार्रवाई का अभाव, सीवेज प्रशोधन संयंत्रों/ सैप्टिक टैंकों के अभिकल्प में कमियां तथा मल के निपटान पर नियंत्रण में अभाव सम्मिलित था।
(परिच्छेद 2.2.5)
- वित्तीय प्रबंधन की कमियों के अंतर्गत सीवरेज योजनाओं हेतु अपर्याप्त निधियन, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मण्डलों को निधियों का 30 प्रतिशत जारी न करना तथा 43 प्रतिशत विलम्ब से जारी करना, नमूना-जांचित 16 मण्डलों में से 11 में 58 प्रतिशत निधियों की अप्रयुक्ति, नमूना-जांचित 15 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वित्त आयोग से प्राप्त निधियों की अप्रयुक्ति तथा उपयोगकर्ता शुल्क के संग्रह से सम्बंधित कमियां सम्मिलित थीं।
(परिच्छेद 2.2.6)
- नमूना-जांचित 25 सीवरेज योजनाओं में से 205 माह के विलम्ब के पश्चात् मात्र एक योजना पूर्ण हुई; 13 योजनाएं अपूर्ण रहीं (18 से 230 माह का विलम्ब) तथा 11 योजनाएं भू-अर्जन/ हस्तांतरण हेतु आयोजना के अभाव, सीवरेज नेटवर्क बिछाने के लिए बाधारहित भूमि सुनिश्चित न करने; विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में विलम्ब; तथा निधियों के अभाव के कारण प्रारम्भ नहीं की गई थीं।
(परिच्छेद 2.2.7)
- घर/ प्रतिष्ठान सीवरेज नेटवर्क से नहीं जुड़े थे जिसके परिणामस्वरूप सीवेज प्रशोधन संयंत्रों का कम उपयोग हुआ। तीन सीवेज प्रशोधन संयंत्रों के अधिक दबावग्रस्त होने के कारण प्रशोधन प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा तथा खराब गुणवत्ता की गंदे पानी की धारा में परिणत हुआ।
(परिच्छेद 2.2.8 से 2.2.9.1)
- सीवेज प्रशोधन संयंत्रों के निष्क्रिय घटकों तथा अभिकल्प की कमियां गंदे पानी की धारा की खराब गुणवत्ता में परिणत हुई जो सतही जल-निकायों में छोड़ी जा रही थी। सीवेज प्रशोधन संयंत्रों की बड़ी संख्या प्रशोधित गंदे पानी की धारा की गुणवत्ता हेतु मानदण्डों के अनुरूप नहीं थी। मल प्रशोधन अपर्याप्त था।
(परिच्छेद 2.2.9.2 से 2.2.9.4)
- सामुदायिक एवं घरेलू स्तर की सैप्टिक टैंक प्रणाली में गंदे पानी की धारा के प्रशोधन की सुविधा नहीं थी तथा गंदे पानी की धारा जल-निकायों में बिना समुचित प्रशोधन के छोड़ी जा रही थी। निर्दिष्ट अवधि में टैंकों को मल रहित करने हेतु अथवा निपटान पूर्व मल-प्रशोधन हेतु कोई तंत्र नहीं था। समुचित प्रशोधन के बिना मल तथा गंदे पानी की धारा का निपटान करने का परिणाम जल-निकायों के दूषित होने एवं जल-जनित रोग फैलने के जोखिम के रूप में हुआ।
(परिच्छेद 2.2.10.1 एवं 2.2.10.2)
- विभाग, शहरी स्थानीय निकाय तथा सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मण्डल स्तर पर निगरानी तंत्र कमजोर था।
(परिच्छेद 2.2.11)

अनुपालना लेखापरीक्षा

दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र पर अनुत्पादक व्यय

हिमाचल प्रदेश मिल्कफैड (पशुपालन विभाग) द्वारा उपलब्ध दूध का वास्तविक निर्धारण न करने एवं परिकल्पित ग्राम डेयरी सहकारी समितियों का गठन/ कार्य न करने में विफलता के परिणामस्वरूप दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का न्यून उपयोग हुआ, जिससे ₹ 63.35 लाख का निवेश अधिकांशत: अनुत्पादक रहा तथा ₹ 1.40 करोड़ का परिचालन नुकसान हुआ।

(परिच्छेद 3.1)

पर्यावरण संरक्षण एवं कार्बन तटस्थता के लिए कार्यक्रम पर निरर्थक व्यय

कार्यक्रम प्रबंधन अभिकरण के साथ हस्ताक्षरित समझौते में कमियां, कार्यक्रम प्रबंधन अभिकरण के साथ हुए समझौते के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने में पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की विफलता, तथा विभाग द्वारा निगरानी में कमी के परिणामस्वरूप पर्यावरण आकलन, संरक्षण और कार्बन तटस्थता के लिए समुदायों को जुटाने के अभिप्रेत कार्यक्रम उद्देश्यों की उपलब्धि नहीं हुई तथा ₹ 1.96 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(परिच्छेद 3.2)

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं के अधीन स्वास्थ्य संस्थानों में औषधियों एवं उपभोज्यों तथा मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद, आपूर्ति तथा प्रयुक्ति

औषधियों एवं उपभोज्यों के खरीद हेतु मांग निर्धारण एवं इनका वितरण न तो वैज्ञानिक था और न ही व्यवस्थित था जिससे खरीद न करने, खरीद में विलम्ब तथा औषधियां उपलब्ध न होने के दृष्टान्त स्वास्थ्य संस्थानों में देखे गए तथा स्वास्थ्य संस्थानों को औषधियां जारी नहीं की गई, कम जारी की गईं, अधिक जारी की गई। औषधियों की अनियमित एवं बिना आवश्यकता खरीद के परिणामस्वरूप इनकी उपयोग की तिथि समाप्त हो गई। अप्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण के परिणामस्वरूप रोगियों को घटिया औषधियां वितरित की गईं। सूची प्रबंधन प्रणाली के अभाव में मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद व्यवस्थित नहीं थी जिससे खरीद न करने तथा बिना आवश्यकता के खरीद के मामले देखे गए जिसके परिणामस्वरूप मदें अप्रयुक्त/ बेकार तथा अक्रियाशील रहीं। मदें तकनीकी स्टाफ की तैनाती न होने के कारण भी अप्रयुक्त पड़ी रहीं।

(परिच्छेद 3.6)

निक्षेप कार्यों पर एजेंसी शुल्क का अधिक भुगतान

एजेंसी शुल्क के भुगतान को स्वीकृत दरों पर प्रतिबंधित करने में उद्योग विभाग की विफलता के कारण 2015-18 के दौरान ₹ 89.37 करोड़ के कुल निक्षेप कार्यों पर निगम को ₹ 2.13 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

(परिच्छेद 3.7)

वर्षा जल संग्रहण संरचनाओं के माध्यम से सिंचाई परियोजना पर व्यर्थ निवेश

ठेकेदारों को कार्य आवंटित करने से पहले पूर्व वन मंजूरी प्राप्त करने में सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग की विफलता के कारण आठ साल से अधिक समय तक परियोजना पूर्ण नहीं होने से लाभार्थियों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने का उद्देश्य विफल हुआ तथा परिणामस्वरूप ₹ 17.48 करोड़ का निवेश व्यर्थ हुआ।

(परिच्छेद 3.9)

उठाऊ जलापूर्ति स्कीम के आवर्धन पर निष्फल व्यय एवं हानि

दोषपूर्ण योजना एवं उठाऊ जलापूर्ति स्कीम के सुरक्षित संरेखण अभिकल्प में सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग की विफलता के कारण अचानक आई बाढ़ में मेन बूस्टर और प्रथम स्तर की राइजिंग मेन के क्षतिग्रस्त होने के कारण ₹ 0.60 करोड़ की हानि के अतिरिक्त ₹ 1.45 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(परिच्छेद 3.11)

क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत योजना निधियों का दुरूपयोग

योजना विभाग द्वारा क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत निधियों के अंतर्गत विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु आवंटित निधियों में से ₹ 2.93 करोड़ की निधियां स्कीम दिशा-निदेशों का उल्लंघन करके सरकारी आवासों एवं कार्यालय भवनों तथा धार्मिक स्थलों के निर्माण कार्य एवं मरम्मत कार्यों पर दुरूपयोग की गईं।

(परिच्छेद 3.13)

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एवं विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अंतर्गत अस्वीकार्य कार्यों के लिए निधियों की संस्वीकृति (योजना विभाग)

लेखापरीक्षा द्वारा पूर्व में उल्लंघन के मामले को उजागर करने के बावजूद पांच जिलों के उपायुक्तों द्वारा ₹ 1.93 करोड़ की राशि की निधियां स्कीम के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए धार्मिक पूजा स्थलों के 170 कार्यों के निष्पादन हेतु जारी की गईं।

(परिच्छेद 3.14)

आप्टिकल फाईबर केबल बिछाने के लिए देय राशि की कम वसूली

सड़क के साथ आप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु दूर-संचार कम्पनियों से देय राशि हेतु उचित दरें लागू करने में लोक निर्माण विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹1.66 करोड़ की कम वसूली हुई।

(परिच्छेद 3.15)

सड़क निर्माण को पूर्ण न करने के कारण निष्फल व्यय

अनुपयुक्त योजना एवं भौगोलिक/ स्थल हालातों के अनुसार प्राक्कलनों को तैयार करने में लोक निर्माण विभाग की बारम्बार विफलता के कारण 14 वर्षों से अधिक समय तक सड़क को पूर्ण नहीं किया जा सका जिससे अभिप्रेत सड़क कनैक्टिविटी से सम्बद्ध लाभार्थी वंचित रहे तथा ₹ 17.98 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

(परिच्छेद 3.16)

अस्वीकार्य कार्यों हेतु राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से धन का परावर्तन तथा दुरूपयोग (राजस्व विभाग)

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से आहरित धन का उचित रूप से उपयोग सुनिश्चित करने में राज्य कार्यकारी समिति अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रही थी जिसके परिणामस्वरूप उपायुक्तों द्वारा आपदा/ संकट से क्षतिग्रस्त नहीं हुए सरकारी कार्यालय एवं आवासीय इमारतों की मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए ₹ 2.19 करोड़ का राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से परावर्तन तथा दुरूपयोग किया गया जबकि प्राकृतिक आपदा से पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए ₹ 3.19 करोड़ के दावे लम्बित थे, जिससे राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का उद्देश्य विफल रहा।

(परिच्छेद 3.17)

स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के प्रति अंशदान की अल्प वसूली तथा स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का दुरूपयोग (राजस्व विभाग)

जल विद्युत शक्ति परियोजनाओं के विकासकर्ताओं से ₹ 6.14 करोड़ की स्थानीय क्षेत्र विकास निधि तथा उस पर ₹ 2.72 करोड़ के ब्याज की कम वसूली की गई थी जबकि अंतिम किश्त की देय तिथि से चार माह तथा 10 वर्षों के बीच की अवधि बीत चुकी थी। स्थानीय क्षेत्र विकास से गैर-सम्बंधित मदों पर ₹ 2.05 करोड़ राशि की निधि का दुरूपयोग हुआ।

(परिच्छेद 3.18)

ब्याज का परिहार्य भुगतान

सात भूमि मालिकों को ₹ 2.02 करोड़ का मुआवजा जारी करने में आठ वर्षों से पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.76 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।

(परिच्छेद 3.19)

असुरक्षित स्थल पर बस स्टैंड के निर्माण पर परिहार्य हानि (परिवहन विभाग)

बाढ़ संभावित क्षेत्र में बस अड्डे के निर्माण के लिए प्राधिकरण के अनुचित निर्णय तथा बाढ़ के प्रभावों को समाप्त/ कम करने के लिए बाढ़ सुरक्षा उपायों को अपनाने में प्राधिकरण की विफलता के कारण ₹ 5.25 करोड़ की परिहार्य हानि हुई तथा क्षतियों की बहाली पर ₹ 1.01 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(परिच्छेद 3.20)

बस अड्डे हेतु अनुपयुक्त स्थल के चयन के कारण निरर्थक व्यय (परिवहन विभाग)

प्रस्तावित बस अड्डे की आवश्यकता का आकलन तथा अभिकल्प को अंतिम रूप देने के साथ उपयुक्त स्थल के चयन में हिमाचल प्रदेश नगर परिवहन तथा बस अड्डा प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण की आयोजना में कमी के कारण प्रारंभिक कार्यों पर किया गया ₹ 93.61 लाख का व्यय निरर्थक रहा।

(परिच्छेद 3.21)

अध्याय-I

परिचय

अध्याय-I
परिचय

1.1 बजट रूपरेखा

राज्य में 53 विभाग तथा 67 स्वायत्त निकाय हैं। 2017-18 के दौरान ₹ 41,244 करोड़ के समग्र बजट प्राक्कलनों के प्रति ₹ 47,855 करोड़ का व्यय था। 2013-18 के दौरान राज्य सरकार द्वारा बजट आकलनों तथा व्यय की स्थिति **तालिका-1.1** में दर्शाई गई है:

तालिका-1.1: 2013-18 के दौरान राज्य सरकार का बजट तथा व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18	
	बजट प्राक्कलन	व्यय	बजट प्राक्कलन	व्यय	बजट प्राक्कलन	व्यय	बजट प्राक्कलन	व्यय	बजट प्राक्कलन	व्यय
राजस्व व्यय										
सामान्य सेवाएं	7,196	7,047	8,344	7,604	9,207	8,788	10,135	9,728	11,230	11,009
सामाजिक सेवाएं	7,117	6,706	7,913	7,451	9,676	7,980	11,388	9,610	11,884	10,337
आर्थिक सेवाएं	4,873	3,590	5,413	4,723	6,407	5,525	7,314	5,996[1]	7,734	5,697
सहायता अनुदान तथा अंशदान	3	9	3	9	5	10	5	10	9	10
योग (1)	**19,189**	**17,352**	**21,673**	**19,787**	**25,295**	**22,303**	**28,842**	**25,344**	**30,857**	**27,053**
पूंजीगत व्यय										
पूंजीगत परिव्यय	**2,104**	**1,856**	**1,993**	**2,473**	**2,991**	**2,864**	**3,241**	**3,499**	**3,531**	**3,756**
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	**342**	**531**	**367**	**474**	**397**	**463**	**428**	**3,290**	**448**	**503**
लोक ऋण का पुनर्भुगतान	**1,714**	**1,704**	**1,511**	**8,260**	**1,503**	**3,948**	**2,229**	**3,943**	**3,105**	**3,500**
आकस्मिक निधि	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
लोक लेखा संवितरण	**2,828**	**9,227**	**2,978**	**8,844**	**2,978**	**10,577**	**3,103**	**12,351**	**3,303**	**13,043**
अंत रोकड़ शेष	--	**(-)887**	--	**(-)739**	--	**216**	--	**316**	--	**183**
योग (2)	**6,988**	**12,431**	**6,849**	**19,312**	**7,869**	**18,068**	**9,001**	**23,399**	**10,387**	**20,985**
सकल योग (1+2)	**26,177**	**29,783**	**28,522**	**39,099**	**33,164**	**40,371**	**37,843**	**48,743**	**41,244**	**48,038**

स्रोत: राज्य सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण तथा वित्त लेखे।

1.2 राज्य सरकार के संसाधनों का अनुप्रयोग

2013-18 के दौरान राज्य का कुल व्यय[2] ₹ 19,739 करोड़ से बढ़कर ₹ 31,312 करोड़ हो गया जबकि राजस्व व्यय 2013-14 में ₹ 17,352 करोड़ से 56 *प्रतिशत* बढ़कर 2017-18 में ₹ 27,053 करोड़ हो गया। 2013-18 के दौरान आयोजनेत्तर राजस्व व्यय ₹ 14,965 करोड़ से 56 *प्रतिशत* बढ़कर ₹ 23,281 करोड़ हो गया और पूंजीगत व्यय ₹ 1,856 करोड़ से 102 *प्रतिशत* बढ़कर ₹ 3,756 करोड़ हो गया।

वर्ष 2013-18 के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का 79 से 88 *प्रतिशत* और पूंजीगत व्यय नौ से 12 *प्रतिशत* था। इस अवधि के दौरान कुल व्यय में 11 *प्रतिशत* की वार्षिक औसत दर से वृद्धि हुई जबकि राजस्व प्राप्तियों में 12 *प्रतिशत* की वार्षिक औसत दर से वृद्धि हुई।

---

1 इसमें रेणुकाजी बांध के विस्थापित लोगों को दिया गया मुआवजा ₹ 446.96 करोड़ शामिल है।

2 कुल व्यय में राजस्व व्यय, पूंजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिम शामिल है।

1.3 राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्षत: हस्तांतरित निधियां

2014-15 से राशि को राज्य बजट के माध्यम से हस्तांतरित करने के केन्द्र सरकार के निर्णय के बावजूद 2017-18 के दौरान भारत सरकार ने विभिन्न राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को ₹ 901.83 करोड़ प्रत्यक्षत: हस्तांतरित किये थे। फलत: ये राशियां वार्षिक लेखाओं (वित्त लेखे एवं विनियोजन लेखे) के दायरे से बाहर रही।

1.4 भारत सरकार से सहायता अनुदान

2013-18 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान का ब्यौरा **तालिका-1.2** में दर्शाया गया है:

तालिका-1.2: भारत सरकार से सहायता अनुदान विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
आयोजनेत्तर अनुदान	2,025	1,199	8,524	8,877	--
राज्य योजना स्कीमों हेतु अनुदान	3,765	4,333	756	1,188	--
केन्द्रीय योजना स्कीमों हेतु अनुदान	17	31	38	44	--
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों हेतु अनुदान	507	1,615	1,978	3,055	3,590
वित्त आयोग के अनुदान	--	--	--	--	8,889
अन्य अन्तरण/राज्य को अनुदान/विधायिका के साथ केन्द्र शासित प्रदेश	--	--	--	--	615
योग	**6,314**	**7,178**	**11,296**	**13,164**	**13,094**
विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी की प्रतिशतता	(-) 13.66	13.68	57.37	16.54	(-) 0.53
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता	40	40	48	50	48

भारत सरकार से कुल सहायता अनुदान वर्ष 2013-14 में ₹ 6,314 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2017-18 में ₹ 13,094 करोड़ हो गया। 2013-18 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के प्रति इसकी प्रतिशतता 40 से 50 के मध्य रही।

1.5 लेखापरीक्षा की आयोजना व संचालन

लेखापरीक्षा प्रकिया विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, योजनाओं/ परियोजनाओं के जोखिम निर्धारण के साथ आरंभ होती है जिसमें गतिविधियों की गंभीरता/ जटिलता का निर्धारण, अधिकृत वित्तीय शक्तियों का स्तर, आंतरिक नियंत्रण, हित-धारकों के सरोकार तथा पूर्व लेखापरीक्षा परिणाम सम्मिलित होते हैं। इस जोखिम निर्धारण के आधार पर लेखापरीक्षा की आवृत्ति तथा सीमा निश्चित की जाती है और वार्षिक लेखापरीक्षा आयोजना निरूपित की जाती है।

लेखापरीक्षा की पूर्णता के पश्चात लेखापरीक्षा परिणामों से युक्त निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालयाध्यक्षों को एक माह के अंदर उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ जारी किए जाते हैं। जब भी उत्तर प्राप्त होते हैं, लेखापरीक्षा परिणामों को या तो समायोजित किया जाता है अथवा अनुपालना हेतु आगामी कार्रवाई की सलाह दी जाती है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित करने के लिए कार्रवाई की जाती है, तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाते हैं।

2017-18 के दौरान कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश द्वारा राज्य के 1,203 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों और 67 स्वायत्त निकायों की अनुपालना लेखापरीक्षा संचालित की गई। इसके अतिरिक्त चार निष्पादन लेखापरीक्षाएं भी संचालित की गई।

1.6 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया

विगत कुछ वर्षों में लेखापरीक्षा ने विभिन्न कार्यक्रमों/ गतिविधियों के कार्यान्वयन के साथ-साथ चयनित विभागों में आंतरिक नियंत्रणों की गुणवत्ता पर बहुत सी महत्त्वपूर्ण कमियां जिनका कार्यक्रमों की सफलता और विभागों की

कार्य प्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, प्रतिवेदित की हैं। ध्यान विशिष्ट कार्यक्रमों/ स्कीमों की लेखापरीक्षा करने और सुधारात्मक कार्रवाई करने तथा नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करने हेतु कार्यकारणी को उपयुक्त सिफारिशों की पेशकश करने पर था।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम, 2007 के अनुसार विभागों से लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षाओं/ प्रारूप परिच्छेदों के प्रति छ: सप्ताह के भीतर अपने उत्तर भेजने अपेक्षित हैं। प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप प्रतिवेदन तथा परिच्छेद सम्बंधित अतिरिक्त मुख्य सचिवों/ प्रधान सचिवों/ सचिवों को भी उनके उत्तर प्राप्त करने हेतु अग्रेषित किए जाते हैं। वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हेतु चार निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा 26 परिच्छेदों पर प्रारूप प्रतिवेदन सम्बंधित प्रशासनिक सचिवों को अग्रेषित किए गए थे। मामला दिसम्बर 2018 में राज्य मुख्य सचिव के ध्यान में भी लाया गया था। चार निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं 22 प्रारूप परिच्छेदों के मामले में उत्तर प्राप्त हुए थे।

1.7 लेखापरीक्षा के आग्रह पर वसूलियां

राज्य सरकार के विभागों के लेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आई वसूलियों से युक्त, लेखापरीक्षा परिणाम विभिन्न विभागीय आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को पुष्टि तथा लेखापरीक्षा के सूचनाधीन आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु संदर्भित किए गए थे।

5,607 मामलों में इंगित की गई ₹ 172.54 करोड़ की वसूली के प्रति, सम्बंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने 5,554 मामलों में ₹ 167.29 करोड़ की वसूली को स्वीकार किया तथापि, वर्ष 2017-18 के दौरान केवल 2,332 मामलों में ₹ 5.99 करोड़ की वसूली की गई जैसा कि नीचे **तालिका-1.3** में दर्शाया गया है:

तालिका-1.3: 2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा इंगित तथा विभाग द्वारा स्वीकृत/ की गई वसूलियां

(₹ करोड़ में)

विभाग	ध्यान में आई वसूलियों के विवरण	2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित वसूलियां		2017-18 के दौरान स्वीकृत वसूलियां		2017-18 के दौरान की गई वसूलियां	
		मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि	मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि	मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि
विविध विभाग	अधिक भुगतान, बकाया अग्रिम, इत्यादि	5,607	172.54	5,554	167.29	2,332	5.99

1.8 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की जवाबदेही में कमी

कार्यालयाध्यक्षों एवं अगले उच्च प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर अपनी अनुपालना प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को रिपोर्ट करना अपेक्षित होता है। नमूना लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित 31 मार्च 2018 को बकाया 8,745 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित 36,647 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां नीचे **तालिका 1.4** में दर्शाई गई है:

तालिका-1.4: बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन/ परिच्छेद

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	क्षेत्र का नाम	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	अंतर्ग्रस्त राशि
1.	सामाजिक क्षेत्र	6,159	27,142	17,060
2.	सामान्य क्षेत्र	1,324	5,850	1,841
3.	आर्थिक क्षेत्र (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)	1,262	3,655	7,243
	योग	**8,745**	**36,647**	**26,144**

सितम्बर 2017 तक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बंधित 73 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को जारी किए गए 138 निरीक्षण प्रतिवेदनों की विस्तृत समीक्षा में पाया गया कि 31 मार्च 2018 के अंत तक 285

अध्याय-II

निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय-II
निष्पादन लेखापरीक्षा

लोक निर्माण विभाग

2.1 नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित ग्रामीण सड़कों का निर्माण

'नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित ग्रामीण सड़कों के निर्माण' पर निष्पादन लेखापरीक्षा में आयोजना, वित्त, निष्पादन एवं गुणवत्ता नियंत्रण/ निगरानी के मामलों को शामिल किया गया है। लेखापरीक्षा में आयोजना, निधि प्रबन्धन, परियोजनाओं के निष्पादन, संविदा प्रबन्धन, गुणवत्ता नियंत्रण एवं अनुश्रवण में कमियां ध्यान में आई। कुछ मुख्य परिणाम निम्न प्रकार से है:-

मुख्य बातें

- *नाबार्ड के अन्तर्गत परियोजनाओं की प्राथमिकता हेतु लोक निर्माण एवं योजना विभाग ने विधायकों को जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई तथा परियोजनाओं का चयन अपेक्षित अड़चनों, समन्वित दृष्टिकोण और परियोजनाओं के व्यापक विश्लेषण किए बिना किया गया।*

  (परिच्छेद 2.1.6.1)

- *2013-18 के दौरान संस्वीकृत 106 परियोजनाओं में, विधायकों द्वारा विपदग्रस्त क्षेत्रों के लिए संस्तुत 65 परियोजनाओं के प्रति किसी भी परियोजना को संस्वीकृत नहीं किया गया था, तथापि पहले ही सड़कों से जुड़े गांवों के लिए सड़कों की मंजूरी दी गई थी।*

  (परिच्छेद 2.1.6.1)

- *तीन नमूना जांचित मण्डलों ने ₹ 7.76 करोड़ की लागत से पांच परियोजनाओं को ब्लैक टॉप प्रावधान के बिना निष्पादित किया गया जैसा कि नाबार्ड के दिशा-निर्देशों में अपेक्षित था, जिससे जनता सर्व मौसम सड़क सम्पर्क से वंचित रही।*

  (परिच्छेद 2.1.6.5)

- *विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में प्रतिफल की आंतरिक दर/प्रतिफल की आर्थिक दर की गणना तथा लाभ लागत अनुपात विश्वसनीय डाटा पर आधारित नहीं थी।*

  (परिच्छेद 2.1.6.7)

- *नमूना-जांचित नौ मण्डलों में नाबार्ड परियोजनाओं के प्रति समेकित निधि से ₹ 10.71 करोड़ अनियमित रूप से आहरित किए गए जो कि निक्षेप शीर्ष में 10 से 82 माह तक अव्ययित पड़े रहे। संस्वीकृत परियोजनाओं हेतु ऋण के रूप में व्यय की प्रतिपूर्ति के प्रति 2013-18 के दौरान नाबार्ड से ₹ 57.73 करोड़ का कम दावा किया गया।*

  (परिच्छेद 2.1.7.1 एवं 2.1.10.1)

- *निष्पादन प्रतिभूति को प्राप्त न करने, विलम्ब हेतु प्रतिपूर्ति का अनुद्ग्रहण/वसूली न करना संविदा अनुबन्ध में निष्पादन प्रतिभूति का प्रावधान न करना तथा रॉयल्टी एवं उपयोगी पत्थरों की वसूली न करने के परिणामस्वरूप 119 अनुबंधों में ठेकेदारों को ₹ 10.94 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ/पक्षपात किया गया।*

  (परिच्छेद 2.1.8.1 से 2.1.8.5)

- *₹ 859.26 करोड़ की संस्वीकृत 269 परियोजनाओं में से ₹ 393.79 करोड़ की संस्वीकृत लागत में 132 परियोजनाओं को एक वर्ष के भीतर निष्पादनार्थ लिया गया था। ₹ 135.07 करोड़ का व्यय करने के पश्चात् चार वर्ष की नियत अवधि के भीतर केवल 65 परियोजनाओं को पूर्ण किया गया था।*

  (परिच्छेद 2.1.9.1)

- *नमूना-जांचित 17 मण्डलों में, ₹ 414.67 करोड़ की संस्वीकृत 123 परियोजनाओं (269 में से) का कार्य ठेकेदारों को एक से 111 महीनों के विलम्ब के पश्चात् प्रदान किया गया जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं के निष्पादन में और अधिक विलम्ब हुआ।*

  (परिच्छेद 2.1.9.3)

- *नमूना-जांचित आठ मण्डलों में ₹ 49.00 करोड़ की लागत से निर्मित 33 सड़कों को सड़क फिटनैस समिति द्वारा वाहन यातायात हेतु पास नहीं किया गया जिससे इन सड़कों पर किया गया अधिकतर व्यय निष्फल रहा।*

(परिच्छेद 2.1.9.8)

- *गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र अप्रभावी था क्योंकि नमूना-जांचित मण्डल के अधिशाषी अभियंताओं ने 2013-18 के दौरान राज्य गुणवत्ता नियंत्रण विंग (32) एवं राज्य गुणवत्ता मोनिटर (102) द्वारा 28 परियोजनाओं में 134 निरीक्षणों में चिह्नित कमियों को सुधारने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की थी।*

(परिच्छेद 2.1.10.3)

2.1.1 परिचय

ग्रामीण सड़क सम्पर्क, आर्थिक एवं सामाजिक सेवाओं की वितरण को सुविधाजनक बनाकर ग्रामीण विकास हेतु मुख्य घटक है, जो कृषि उत्पादकता, गैर कृषि उत्पादकता एवं रोजगार में वृद्धि करता है तथा बदले में ग्रामीण विकास के अवसरों एवं आय में विस्तार करता है।

भारत सरकार ने वर्ष 1995-96 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ परिसम्पत्तियां सृजित करने हेतु राज्य सरकार को ऋण सहायता प्रदान करने हेतु ग्रामीण अवसरंचना विकास निधि का सृजन किया। उच्च मार्गों एवं बाजार केन्द्रों से गांव को बेहतर सड़क सम्पर्क प्रदान करने हेतु ग्रामीण सड़कों[1] एवं पुलों के निर्माण तथा उन्नयन हेतु सड़क एवं पुल क्षेत्र को वर्ष 1996-97 से नाबार्ड के अंतर्गत निधियन हेतु शामिल किया गया। नाबार्ड राज्य को ग्रामीण सड़कों एवं पुलों के निर्माण के लिए परियोजनाओं की कुल लागत का 90 *प्रतिशत* तक ऋण सहायता के रूप में प्रदान करता है। नाबार्ड राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों के आधार पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य की वार्षिक नाबार्ड उधार सीमा[2] के संदर्भ में परियोजनाएं स्वीकृत करता है। नाबार्ड के अंतर्गत वित्तपोषण परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा व्यय का विवरण प्रस्तुत करने के आधार पर व्यय की मासिक प्रतिपूर्ति द्वारा किया जाता है। दो वर्ष की मियाद अवधि सहित सात वर्षों की पुनर्भुगतान अवधि हेतु अप्रैल 2012 से ऋण सहायता पर देय ब्याज दर को प्रतिपूर्ति के समय प्रचलित बैंक दर से 1.5 *प्रतिशत* कम रखा गया है।

राज्य में कुल 35,545 किलोमीटर सड़क लम्बाई में, 28,836 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें हैं जिसमें से नाबार्ड सड़कें 6,627.64 किलोमीटर (23 *प्रतिशत*) हैं। 2013-18 के दौरान ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा संस्वीकृत ₹ 2,282.97 करोड़ की कुल निधियों के प्रति नाबार्ड ऋण के माध्यम से ₹ 1,463.09 करोड़ (64 *प्रतिशत*) संस्वीकृत किए गए थे।

राज्य में नाबार्ड के अन्तर्गत 1996 से 2018 तक निर्मित सड़क परियोजनाओं की स्थिति को निम्नवत् **तालिका-2.1.1** में दर्शाया गया है:-

तालिका-2.1.1: 1996-2018 के दौरान नाबार्ड के अन्तर्गत सड़क परियोजनाओं की स्थिति

(₹ करोड़ में)

संस्वीकृत परियोजनाएं	लागत	पूर्ण परियोजनाएं	व्यय	छोड़ी गई परियोजनाएं	प्रगतिशील परियोजनाएं	व्यय
1,609	3,857.62	1,252	2,260.04	28	329	454.25

1 ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी बाजार केन्द्रों, उच्च मार्गों, रेल मार्गों, इत्यादि से जोड़ने वाली सड़क अथवा दो ग्रामीण स्थानों के मध्य सम्पर्क, अन्य जिला सड़कें तथा विकास केन्द्रों से गांवों को जोड़ने वाली सड़कें।

2 2013-14: ₹ 350 करोड़; 2014-15: ₹ 400 करोड़; 2015-16 से 2017-18: ₹ 500 करोड़ प्रतिवर्ष।

2.1.2 संगठनात्मक ढांचा

अतिरिक्त मुख्य सचिव (लोक निर्माण) की लोक निर्माण विभाग के प्रशासनिक अध्यक्ष के रूप में नाबार्ड के अन्तर्गत ग्रामीण सड़क परियोजनाओं के क्रियान्वयन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी है। लोक निर्माण विभाग, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, क्रियान्वयन, गुणवत्ता नियंत्रण तथा परियोजनाओं की निगरानी करने के लिए उत्तरदायी है। प्रमुख अभियन्ता विभाग का अध्यक्ष है, जिन्हें प्रमुख अभियंता, (गुणवत्ता नियंत्रण एवं अभिकल्प), आंचलिक मुख्य अभियंताओं, वृत्त अधीक्षक अभियंताओं तथा अधिशाषी अभियंताओं द्वारा सहयोग दिया जाता है। योजना विभाग की विधायकों द्वारा प्राथमिकता दी गई परियोजनाओं को वार्षिक योजना में शामिल करने तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट नाबार्ड को संस्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने की जिम्मेवारी होती है। सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर परियोजनाओं की प्रगति के अनुश्रवण के लिए उच्च अधिकार समिति (फरवरी 1996) का गठन किया है। उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित (दिसम्बर 1999) जिला स्तरीय अनुश्रवण टीम द्वारा जिला स्तर पर अनुश्रवण करना होता है। वित्त विभाग नाबार्ड से वित्तपोषित ऋणों एवं उनकी चुकौती हेतु नोडल विभाग है।

2.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह अभिनिश्चित करना था कि:-

- वित्त प्रबन्धन सहित परियोजनाओं की चयन, प्राथमिकता और पहचान करने की योजना प्रक्रिया के लिए नीतिगत ढांचा मौजूद था;
- निविदा प्रक्रिया तथा संविदा प्रबन्धन द्वारा निर्धारित समयावधि के अनुसार परियोजनाओं का निष्पादन और पूर्णता को सुनिश्चित किया गया;
- परियोजनाओं का निष्पादन मितव्ययी, कार्यकुशल तथा प्रभावी था; तथा
- गुणवत्ता नियंत्रण एवं निगरानी तंत्र पर्याप्त एवं प्रभावी था एवं लक्षित लाभों को समग्र रूप से प्राप्त किया गया।

2.1.4 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं पद्धति

निष्पादन लेखापरीक्षा में 2013-14 से 2017-18 तक की अवधि को आवृत किया गया था। फरवरी 2018 से जून 2018 तक लेखापरीक्षा सलाहकार योजना, प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग तथा संस्वीकृत परियोजना परिव्यय के आधार पर स्तरित नमूना जांच हेतु 17 अधिशाषी अभियंता मण्डल[3] (54 में से) शामिल कार्यालयों की लेखापरीक्षा संचालित की गई। 905 परियोजनाओं (2013-18 के दौरान 576 पूर्ण तथा मार्च 2018 तक 329 प्रगति पर) में से 269 परियोजनाओं (30 *प्रतिशत*) को नमूना-जांच हेतु चयनित किया गया। इसमें 129 पूर्ण परियोजनाएं (22 *प्रतिशत*) तथा 140 चालू परियोजनाएं (43 *प्रतिशत*) शामिल थी। लेखापरीक्षा कार्य पद्धति में उपर्युक्त कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना-जांच तथा कार्यों का संयुक्त भौतिक सत्यापन शामिल था। फरवरी 2018 में अतिरिक्त मुख्य सचिव, लोक निर्माण के साथ आयोजित आरम्भिक सम्मेलन में लेखापरीक्षा उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र, पद्धति तथा मापदण्डों की चर्चा की गई। लेखापरीक्षा परिणामों को अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ जनवरी 2019 में आयोजित समापन सम्मेलन में विवेचित किया गया। उत्तर एवं सम्बद्ध प्राधिकारियों के विचारों प्रतिवेदनों में उचित स्थानों पर सम्मिलित किया गया है। लेखापरीक्षा परिणामों के सम्बद्ध में नवीनतम स्थिति सितम्बर 2019 तक प्रतीक्षित थी।

2.1.5 लेखापरीक्षा मापदण्ड

कार्यक्रम के क्रियान्वयन निर्धारण करने हेतु प्रयुक्त लेखापरीक्षा मापदण्ड निम्नवत् स्रोतों से लिए गए थे:-

- वार्षिक आयोजना, विनियम, भारत सरकार/ राज्य सरकार के आदेश/ निर्देश;

3 बिलासपुर, डलहौजी, धामी, देहरा, घुमारवीं, हमीरपुर, जयसिंहपुर, जुब्बल, कुल्लू-II, मण्डी-I, नूरपुर, पांवटा साहिब, सलूणी, संगडाह, ठियोग, ऊना तथा उद्‌यपुर।

- नाबार्ड के दिशा-निर्देश एवं परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु मानक;
- केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता, लोक निर्माण नियमावली एवं राज्य अनुसूची दर 2009;
- नाबार्ड ऋण अनुबंधों की सेवा-शर्तें; एवं
- हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.1.6 आयोजना

राज्य सरकार ने 2003-04 में नाबार्ड वित्तपोषित परियोजनाओं हेतु विधायकों द्वारा स्कीमों को प्राथमिकता देने की नीति को शुरू किया था। प्रत्येक वर्ष राज्य बजट को अंतिम रूप देने से पूर्व, प्रत्येक विधायक नाबार्ड के माध्यम से वित्तपोषण हेतु सड़क/ पुल की दो स्कीमों का प्रस्ताव कर सकता है संस्तुति से पूर्व, भविष्य की अनुमानित बाधाओं एवं सुधारात्मक उपायों पर विचार करके परियोजनाओं की तकनीकी व्यवहार्यता के बारे में लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं द्वारा विधायकों को जानकारी देनी चाहिए। विधायकों द्वारा परियोजनाएं संस्तुत किए जाने के पश्चात् इन पर वार्षिक योजना बैठक में चर्चा की जाती है, जिन पर लोक निर्माण विभाग द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाती है तथा नाबार्ड से संस्वीकृति लेने से पूर्व योजना विभाग द्वारा संवीक्षा की जाती है। लोक निर्माण विभाग को परियोजना का क्रियान्वयन तथा इसकी पूर्णता को समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करना चाहिए।

परियोजना की संस्तुति के लिए विधायकों को जानकारी प्रदान करने, प्राथमिकताएं और परियोजना की मंजूरी, विस्तृत परियोजना रिर्पोट को तैयार करने, इत्यादि में आई कमियों को आगामी परिच्छेदों में विवेचित किया गया है। परिणाम परियोजनाओं के नमूना-जांच पर आधारित है; राज्य सरकार ऐसी कमियों का पता लगाने एवं समाधान हेतु सभी परियोजनाओं की समीक्षा कर सकती है।

2.1.6.1 परियोजना प्राथमिकता एवं संस्वीकृति

राज्य सरकार के अनुदेशानुसार (दिसम्बर 2010) वार्षिक योजना में शामिल करने के लिए परियोजनाओं की सिफारिश से पहले विधायकों को स्थानीय लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंताओं के साथ पूर्व परामर्श करना चाहिए। नाबार्ड के दिशा-निर्देशानुसार, नई परियोजनाओं तथा विपदग्रस्त क्षेत्रों[4] में परियोजनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। लोक निर्माण विभाग को सभी निर्वाचन क्षेत्रों में परियोजनाओं की संस्वीकृति सुनिश्चित करनी होती है।

(i) ***पूर्व परामर्श का अभाव***

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 2013-18 के दौरान विधायकों द्वारा संस्तुत परियोजनाओं के लिए लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंताओं से पूर्व परामर्श करने के अभिलेख नहीं थे; अत: परियोजनाएं संस्तुत करने से पूर्व तकनीकी जानकारी नहीं ली गई थी। योजना विभाग ने वार्षिक योजना में परियोजनाओं को शामिल करने से पहले स्थानीय अधिशाषी अभियंताओं के साथ विधायकों द्वारा पूर्व परामर्श की अपेक्षित अनुपालना की भी जांच नहीं की थी। इस पहलू को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई उच्च अधिकार समिति की बैठकों में भी विवेचित नहीं किया गया था।

(ii) ***संस्वीकृत परियोजनाओं का असमान भौगोलिक फैलाव***

2013-18 के दौरान विधायकों द्वारा अनुमोदित तथा नाबार्ड द्वारा संस्वीकृत परियोजनाओं का विवरण नीचे **तालिका-2.1.2** में दिया गया है:-

---

4 पृथकता सूचकांक के अनुसार घोषित पिछड़ा क्षेत्र/प्रदेश: पहुंच (25 *प्रतिशत*), जन-सांख्यिकी (35 *प्रतिशत*), अवसंरचना (36 *प्रतिशत*) तथा कृषि (4 *प्रतिशत*)।

तालिका-2.1.2: 2013-18 के दौरान विधायकों द्वारा संस्तुत तथा नाबार्ड द्वारा संस्वीकृत परियोजनाओं का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	विधायकों द्वारा संस्तुत परियोजनाएं	नाबार्ड द्वारा संस्वीकृत परियोजनाएं					
		2013-18 के दौरान संस्तुत में से		2013-14 से पूर्व संस्तुत में से		संस्वीकृत कुल परियोजनाएं	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2013-14	162	53	225.53	22	19.30	75	244.83
2014-15	165	34	145.17	46	110.83	80	256.00
2015-16	154	18	64.44	89	321.17	107	385.61
2016-17	168	1	4.12	52	246.31	53	250.43
2017-18	175	0	0	84	326.22	84	326.22
जोड़	**824**	**106**	**439.26**	**293**	**1,023.83**	**399**	**1,463.09**

स्रोत: विभागीय आंकड़े।

2013-18 से पूर्व संस्तुत संस्वीकृत 293 परियोजनाओं में से, ₹ 158.45 करोड़ की 34 परियोजनाएं 16 निर्वाचन क्षेत्रों की विपदग्रस्त पंचायतों के लिए संस्वीकृत की गई थी। तथापि, 2013-18 के दौरान विधायकों द्वारा संस्तुत संस्वीकृत 106 परियोजनाओं में से विपदग्रस्त क्षेत्रों हेतु विधायकों द्वारा संस्तुत 65 परियोजनाओं के प्रति इन क्षेत्रों हेतु कोई परियोजना संस्वीकृत नहीं की गई थी।

(iii) पहले से ही सड़क से जुड़े गांवों हेतु परियोजनाओं की संस्वीकृति

लेखापरीक्षा द्वारा किए गए संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान (मई तथा जून 2018) यह देखा गया कि तीन (17 में से) नमूना-जांचित मण्डलों[5] में, ₹ 9.78 करोड़ की तीन परियोजनाएं तीन गांवों[6] को जोड़ने हेतु संस्वीकृत (अक्तूबर 2009 तथा जून 2016 के मध्य) की गई थीं, जोकि पहले से ही सड़क (प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत) द्वारा जुड़े हुए थे। पहले से ही जुड़ी हुई इन सड़कों की स्थिति का विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में खुलासा नहीं किया गया था। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर ₹ 4.66 करोड़ का व्यय (फार्मेशन कटिंग, रिटेनिंग तथा ब्रेस्ट वॉल, मैटलिंग/ टायरिंग, इत्यादि) किया गया।

अत:, जो गांव पहले से ही सड़क से जुड़े हुए थे उन पर निधियों का व्यय किया गया था जिसका उपयोग राज्य के कुल 17,882 गावों में से सड़क से न जुड़े हुए 7,628 गांवों को जोड़ने के लिए सड़क निमार्ण पर किया जा सकता था।

पूर्व परामर्श के अभाव के संदर्भ में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने समापन सम्मेलन में बताया कि यद्यपि संस्तुतियों से पूर्व विधायक एवं अधिशाषी अभियंताओं के मध्य प्राय: अनौपचारिक परामर्श किए गए थे, औपचारिक संस्तुतियों हेतु कोई प्रणाली व्युत्पन्न करने का मामला विधायकों की बैठक में उठाया जाएगा। संस्वीकृत परियोजनाओं में असमान भौगोलिक फैलाव के सम्बंध में, सलाहकार, योजना ने बताया (मई 2018) कि नाबार्ड के अंतर्गत परियोजनाएं विधायकों की संस्तुतियों के आधार पर संस्वीकृत की गई थी तथा संस्वीकृति लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की गति पर निर्भर थी। पहले से सड़क से जुड़े गांवों के लिए परियोजनाओं की संस्वीकृति के सम्बंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया (दिसम्बर 2018) कि परियोजनाएं विधायकों की प्राथमिकता के अनुसार संस्वीकृत की गई थीं। तथापि, राज्य सरकार ने परियोजनाओं की संस्तुति से पूर्व विधायकों को परामर्श देने की जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया तथा वह प्राथमिकता एवं संस्वीकृति में उपर्युक्त उजागर कमियों हेतु जिम्मेदार थी।

अत: परियोजनाएं बाधाओं को चिह्नित किए बिना तथा समाधान किये बिना संस्वीकृत की गई; विपदग्रस्त क्षेत्रों की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया तथा पहले से ही सड़क से जुड़े गांवों पर व्यय की गई निधियों को विपदग्रस्त क्षेत्रों तथा अन्य उच्च प्राथमिकता वाली सड़कों के निर्माण पर उपयोग किया जा सकता था: 7,628 गांव (कुल 17,882 में से) राज्य में जनवरी 2019 तक सड़क से नहीं जुड़े थे।

5 डलहौजी, धामी तथा नूरपुर।

6 डूंगरू (डलहौजी), कोट (धामी), तथा घेटा (नूरपुर)।

सिफारिश: *सरकार लोक निर्माण विभाग तथा योजना विभाग के दस्तावेजी जानकारी के अनुसार विधायकों द्वारा परियोजनाओं की प्राथमिकता हेतु उपयुक्त प्रणाली के व्युत्पन्न पर विचार करें तथा संतुलित विकास की सुविधा की दृष्टि से विपदग्रस्त क्षेत्रों के लिए परियोजनाएं प्राथमिकता पर प्रदान करे।*

2.1.6.2 भूमि उपलब्धता के गलत प्रमाणपत्र सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार करना

नाबार्ड के अन्तर्गत परियोजनाओं हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए अधिशाषी अभियंताओं को बाधा रहित भूमि सुनिश्चित करने एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में इसका प्रमाणपत्र प्रदान करना अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि आठ (17 में से) नमूना-जांचित मण्डलों[7] में अधिशाषी अभियंताओं ने 13 परियोजनाओं (17 नमूना-जांचित मण्डलों में 269 परियोजनाओं से) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को जिसे नाबार्ड द्वारा ₹ 26.44 करोड़ में संस्वीकृत (सितम्बर 2007 एवं अक्तूबर 2014 के मध्य) किया गया में निजी भूमि की उपलब्धता तथा वन मंजूरी हेतु अनुचित प्रमाणपत्र दिया। इसके फलस्वरूप, भूमि विवाद (पांच परियोजनाएं) तथा वन मंजूरी की अनुपलब्धता (आठ परियोजनाएं) के मामले थे जिसकी वजह से ये परियोजनाएं मार्च 2018 तक निष्पादित/ पूर्ण नहीं की जा सकी जैसाकि परिच्छेद 2.1.9.6 के अंतर्गत चर्चा की गई है। 10 परियोजनाओं पर ₹ 12.48 करोड़ का व्यय किया गया था जबकि शेष तीन परियोजनाओं पर कोई व्यय नहीं था।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया (दिसम्बर 2018) कि निजी भूमि के मामले में, विभाग निजी भूमि मालिकों से शपथ पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को बंद कर रहा है तथा नाबार्ड को परियोजनाएं प्रस्तावित करने से पूर्व विभाग के नाम पर निजी भूमि का स्पष्ट शीर्षक सुनिश्चित किया जा रहा है। वन भूमि के मामले में यह बताया कि निर्देश जारी (अक्तूबर 2015) कर दिए गए थे कि कार्यों की निविदा से पूर्व वन मंजूरी ली जाए। तथापि, विभाग को निष्पादन स्तर पर निजी भू-स्वामियों तथा वन विभाग के साथ भूमि विवाद से बचने हेतु अपेक्षित बाधा रहित भूमि की सुनिश्चितता का कड़ाई से अनुपालन करना चाहिए।

भूमि की उपलब्धता का गलत प्रमाण प्रस्तुत करने का अर्थ है कि सड़कें भूमि विवाद (पांच परियोजनाएं) तथा वन मंजूरी (आठ परियोजनाएं) की अनुपलब्धता के अनुवर्ती मामलों के कारण निर्मित/ पूर्ण नहीं की गई तथा जनता को अभिप्रेत लाभ से वंचित होना पड़ा। 10 परियोजनाओं पर किया गया ₹ 12.48 करोड़ का व्यय बेकार रहा जबकि तीन परियोजनाओं को हाथ में नहीं लिया जा सका।

2.1.6.3 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में विलम्ब

अनुदेशों (दिसम्बर 2010) में अपेक्षित है कि अधिशाषी अभियंताओं को प्रत्येक तिमाही में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की समीक्षा करनी चाहिए तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की परियोजना-वार स्थिति सम्बद्ध विधायकों एवं प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग को प्रस्तुत करनी चाहिए।

तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि संस्तुत परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु कोई नियत समय-सीमा उपर्युक्त अनुदेशों में नहीं थी। इसके अतिरिक्त, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने की स्थिति की तिमाही समीक्षा अथवा अधिशाषी अभियंताओं द्वारा सम्बद्ध विधायकों अथवा प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग को इसकी रिपोर्टिंग करने के कोई अभिलेख नहीं थे। विभाग ने 2013-18 के दौरान विधायकों द्वारा संस्तुत 718 असंस्वीकृत परियोजनाओं (824-106) हेतु विस्तृत परियोजना को तैयार करने की स्थिति का कोई डाटा अनुरक्षित नहीं किया था। 128 परियोजनाओं (विधायक प्राथमिकता: 2006-17) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की नमूना-जांच से देखा गया कि विभाग ने विस्तृत परियोजना को अंतिम रूप देने हेतु छ: महीने तथा 107 महीने के मध्य का समय लिया। उपर्युक्त के अतिरिक्त यह भी देखा गया कि नाबार्ड को संस्वीकृति हेतु प्रस्तुत परियोजनाओं का कोई परियोजना-वार अथवा वर्ष-वार डाटा विभाग द्वारा अनुरक्षित नहीं किया गया था। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि इस सम्बंध में दिशा-निर्देश बनाए जा रहे हैं।

---

7 डलहौजी, देहरा, धामी, घुमारवीं, हमीरपुर, ठियोग, उदयपुर तथा ऊना।

अत:, 128 नमूना-जांचित परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में छ: महीने तथा 107 महीनों के मध्य का समय लगा जिससे परियोजना की संस्वीकृति पर व्यापक प्रभाव पड़ा 2013-18 के दौरान 824 परियोजनाओं में से केवल 106 परियोजनाएं (13 *प्रतिशत*) संस्वीकृत की जा सकी। सलाहकार, योजना सहमत था (मई 2018) कि परियोजनाओं की संस्वीकृति लोक निर्माण विभाग द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने की गति पर निर्भर थी।

सिफारिश: *राज्य सरकार परियोजना की पूर्णता तथा समय पर लक्षित लाभ प्राप्त करवाने में सुविधा की दृष्टि से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने के लिए समय-सीमा नियत करने हेतु दिशा-निर्देश बनाने पर विचार कर सकती है।*

2.1.6.4 रख-रखाव लागत का प्रावधान न करना

नाबार्ड दिशा-निर्देशों में परियोजना लागत के 10 *प्रतिशत* तक की निधियों को उनकी पूर्णता के पश्चात् सड़कों के रख-रखाव हेतु पूंजीगत रूप में रखने का प्रावधान है तथा अनुबंध के खण्ड में दो से तीन वर्षों की दोष दायित्व अवधि को शामिल किया जाना था।

नाबार्ड को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को पुनरीक्षण करने की जिम्मेदारी निहित की गई थी तथा यह सुनिश्चित करना था कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में रख-रखाव लागत का प्रावधान किया गया था। तथापि, लेखापरीक्षा ने 17 नमूना-जांचित मण्डलों में सभी 269 विस्तृत परियोजना रिपोर्टों में पाया कि रख-रखाव लागत का प्रावधान नहीं किया गया था। जबकि रख-रखाव लागत का प्रावधान दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना था, ऋण प्रस्तावों की जांच करते समय नाबार्ड द्वारा इस पहलू को सुनिश्चित किया जाना चाहिए तथा रख-रखाव लागत प्रावधान किए बिना नाबार्ड द्वारा परियोजनाएं संस्वीकृत नहीं की जानी थी।

नाबार्ड दिशा-निर्देशों में प्रावधान है कि ठेकेदार/ फर्म विशेषत: तीन साल तथा किसी भी हाल में दो साल से कम नहीं, की दोष दायित्व अवधि के लिए जिम्मेदार होंगे। उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के विपरीत, 17 नमूना-जांचित मण्डलों में 2013-18 के दौरान प्रदान की गई 269 में से 252 परियोजनाओं के सम्बंध में ₹ 583.62 करोड़ के 374 में से 357 अनुबंधों में दोष दायित्व अवधि के खण्ड को सम्मिलित नहीं किया गया था। सड़क निर्माण कार्य के अनुबंध में दोष दायित्व अवधि को सम्मिलित करना सुनिश्चित करने में राज्य सरकार के साथ-साथ नाबार्ड की विफलता के परिणामस्वरूप ठेकेदारों द्वारा सड़क परियोजनाओं का रख-रखाव सुनिश्चित नहीं हो सका जबकि उनका रख-रखाव राज्य बजट के द्वारा किए जाने हेतु छोड़ दिया गया।

वास्तव में 17 में से चार नमूना-जांचित किए गए मण्डलों में सड़कों के पूरा होने के दो से तीन साल के भीतर अधिशाषी अभियंताओं द्वारा मरम्मत एवं रख-रखाव पर ₹ 10.53 लाख का व्यय किया गया था।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया (दिसम्बर 2018) कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में रख-रखाव लागत हेतु प्रावधान सम्मिलित करने के अनुदेश जारी (सितम्बर 2018) कर दिए थे तथा पांच वर्ष की दोष दायित्व अवधि का प्रावधान नए मानक बोली दस्तावेजों में किया जा रहा था।

दोष दायित्व अवधि के अभाव में रख-रखाव लागत का प्रावधान न करने के कारण विभाग को पूर्ण परियोजनाओं हेतु मरम्मत एवं रख-रखाव लागत का वहन करना पड़ा जिसे ठेकेदारों को वहन करना चाहिए था।

2.1.6.5 सड़क निर्माण हेतु ब्लैक-टॉप का प्रावधान न करना

नाबार्ड के अन्तर्गत परियोजनाओं हेतु दिशा-निर्देशानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में सभी मौसम में खुली सड़कों एवं ब्लैक टॉप (पक्का करना) सड़कों का प्रस्ताव होना चाहिए।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि तीन नमूना-जांचित मण्डलों[8] में, पांच (129 में से) परियोजनाओं को बिना ब्लैक टॉप के ₹ 7.76 करोड़ में पूर्ण (सितम्बर 2014 एवं दिसम्बर 2016 के मध्य) किया गया था क्योंकि विस्तृत परियोजना

8 डलहौजी, धामी तथा ठियोग।

प्रतिवेदनों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। पूर्णता की तिथि के दो से चार वर्षो के पश्चात् भी निर्मित सड़कों को न तो पक्की सड़कों में स्तरोन्नत किया गया और न ही इसके लिए ऐसी कोई योजना बनाई गई थी, अत: सभी मौसम में खुली सड़कों के लाभ से जनता को वंचित रहना पड़ा।

नाबार्ड ने बताया (जुलाई 2018) जैसा कि सरकार द्वारा प्रस्तावित था परियोजनाएं संस्वीकृत की गई थी। समापन सम्मेलन में, अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया (दिसम्बर 2018) कि विभाग इलाके के भू-भाग को ध्यान में रखते हुए प्रथम चरण में कच्ची सड़कों के निर्माण तथा दूसरे चरण में ब्लैक टॉपिंग की रीति का अनुसरण कर रहा था। तथापि, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं राज्य वित्तपोषित सड़कों हेतु दो चरणों में निर्माण की रीति अनुमत्य थी, और नाबार्ड के अन्तर्गत दिशा-निर्देशों में ऐसा प्रावधान अनुमत्य नहीं था, जिनमें स्पष्ट था कि सड़कें सभी मौसम में खुली एवं पक्की होनी चाहियें (ब्लैक-टॉप)। इसके अतिरिक्त, विभाग ने उपर्युक्त पांच सड़कों के सम्बन्ध में उनके पूर्ण होने के दो से चार वर्ष बीत जाने के बाद भी पक्का करने के द्वितीय चरण को शुरू नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप सड़क सतह का क्षतिग्रस्त होना, उच्च सड़क रख-रखाव लागत, घटिया सवारी की गुणवत्ता एवं उच्चतर वाहन परिचालन लागत आई।

ब्लैक टॉप का प्रावधान न तो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में किया गया था और न ही विभाग ने पांच नमूना जांचित सड़कों की मेटलिंग हेतु उनकी पूर्णता से दो से चार वर्षों के पश्चात् कोई कार्रवाई की थी जिससे सड़क सतह सवारी गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ा तथा उच्च सड़क रख-रखाव लागत तथा वाहन परिचालन लागत में परिणत हुआ।

2.1.6.6 पुल निर्माण में योजना एवं समन्वय का अभाव

जयसिंहपुर मण्डल में गांव धंधोली एवं लड़भड़ोल के मध्य दूरी कम करने हेतु बल्ह बजौरी (धंधोली) से जमथाला, लड़भड़ोल सड़क पर बिनवा खड्ड के ऊपर नाबार्ड (ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि-XV) के अन्तर्गत 60 मीटर स्पैन प्री-स्ट्रेस्ड बॉक्स कैंटीलीवर पुल के निर्माण हेतु ₹ 3.80 करोड़ की एक परियोजना संस्वीकृत (अगस्त 2009) की गई थी । तथापि, पुल कार्य के निष्पादन में योजना एवं समन्वय का अभाव था तथा निम्नवत् कमियां ध्यान में आईं:-

(i) संस्वीकृति में दर्शाए 60 मीटर स्पैन प्री-स्ट्रेस्ड बॉक्स केन्टीलीवर पुल के बदले, पुल के स्पैन एवं अभिकल्प को बदलने हेतु बिना किसी औचित्य एवं अनुमोदन के मण्डल ने यांत्रिक मण्डल, कुल्लू को 68 मीटर स्पैन स्ट्रील ट्रस्स पुल के निर्माण हेतु ₹ 1.05 करोड़ जारी (जून-अगस्त 2011) किए। यांत्रिक मण्डल, कुल्लू ने मार्च 2019 तक ₹ 1.05 करोड़ का व्यय करके 80 *प्रतिशत* पुल का कार्य कर दिया था। स्टील ट्रस्स पुल के चल रहे निर्माण के बावजूद, मण्डल ने पुन: पुल के अभिकल्प एवं स्पैन को संशोधित किया तथा ₹ 6.25 करोड़ में 71 मीटर स्पैन प्री स्ट्रेस्ड बॉक्स कैन्टीलीवर पुल का निर्माण कार्य ठेकेदार-सी को सौंप (जून 2016) दिया। ठेकेदार ने ₹ 2.83 करोड़ की लागत के कार्य का निष्पादन कर दिया था एवं शेष कार्य प्रगति पर था।

(ii) पुल के दोनों तरफ की सड़क को जोड़ने का निर्माण कार्य ठेकेदार-ए को ₹ 0.68 करोड़ में सौंपा (सितम्बर 2011) गया तथा जो जुलाई 2012 तक पूर्ण करना नियत था, को रोक दिया (अक्तूबर 2012) गया तथा मण्डल ने ठेकेदार को ₹ 0.62 करोड़ का भुगतान करने के पश्चात अनुबन्ध को बंद कर दिया (अप्रैल 2015)।

(iii) पुल की उपसंरचना का निर्माण कार्य ठेकेदार-बी को ₹ 0.89 करोड़ में सौंपा (मई 2013) गया था, को अंत्याधार निर्माण के दौरान 4.5 मीटर की दूर की हद[9] को पूरा न करने के कारण हटा दिया गया क्योंकि यह अनुभव किया कि पुल की आयोजित लम्बाई को बढ़ाने की आवश्यकता थी। यह दर्शाता है कि मण्डल ने पुल तथा इसकी उप-संरचना की तकनीकी आवश्यकताओं का सही रूप से आकलन नहीं किया था। विभाग ने ठेकेदार को ₹ 0.04 करोड़ मध्यस्थ निर्णय के भुगतान सहित ₹ 0.08 करोड़ के भुगतान के पश्चात् अनुबंध को बंद कर दिया (सितम्बर 2015)।

अत: मण्डल ने पुल का अभिकल्प एवं स्पैन बार-बार परिवर्तित किया तथा पुल के समस्त कार्य के बदले, इसके कार्यों को खण्डों में सौंपा। यह घटिया योजना तथा कार्य निष्पादन में समन्वय के अभाव को प्रदर्शित करता है। इसके फलस्वरूप, ₹ 4.58 करोड़ (नाबार्ड ₹ 3.80 करोड़ तथा राज्य निधियां: ₹ 0.78 करोड़) का व्यय करने के

---

9 पुल के स्लैब का एक प्रोजेक्टिंग रिज/भाग जो पुल की सीमा पर रहता है।

पश्चात् भी पुल का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ तथा परियोजना को संस्वीकृति से नौ वर्ष का समय व्यतीत हो गया। यांत्रिक मण्डल, कुल्लू द्वारा स्टील ट्रस्स पुल के निर्माण पर ₹ 1.05 करोड़ का व्यय भी अनावश्यक हुआ।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया (दिसम्बर 2018) कि कार्य में विलम्ब समय-समय पुल का स्पैन को बदलने के कारण हुआ तथा ₹ 7.22 करोड़ की संशोधित प्रशासनिक संस्वीकृति तथा व्यय संस्वीकृति (अप्रैल 2018) को मंजूरी दे दी गई थी। तथापि, समन्वय के अभाव तथा अभिकल्पना एवं नक्शों को अंतिम रूप देने में विभाग की बार-बार विफलता के परिणामस्वरूप नौ वर्षों से अधिक समय के बाद भी पुल का निर्माण पूरा नहीं हो सका, ₹ 1.05 करोड़ का निरर्थक व्यय हुआ तथा ₹ 3.42 करोड़ (90 *प्रतिशत*) की संभावित लागत वृद्धि हुई जिसकी नाबार्ड द्वारा प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

पुल के अभिकल्प तथा स्पैन में बार-बार परिवर्तन खराब योजना एवं समन्वय की कमी में प्रतिबिम्बित हुआ जिसके कारण पुल का कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका परिणामत: न केवल ₹ 3.53 करोड़ का बेकार व्यय तथा ₹ 1.05 करोड़ का व्यर्थ व्यय हुआ बल्कि सड़क कनेक्टिविटी से भी लाभार्थी वंचित रहे।

2.1.6.7 प्रतिफल की आंतरिक दर/प्रतिफल की आर्थिक दर पर गणना एवं लाभ लागत अनुपात

अधिशाषी अभियंताओं द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में उपलब्ध करवाई गई आर्थिक विवरण/ पैरामीटरों[10] के अनुसार, प्रतिफल की आंतरिक दर[11]/ प्रतिफल की आर्थिक दर एवं लाभ लागत अनुपात के आधार पर ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए नाबार्ड ऋण संस्वीकृत करता है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 17 नमूना-जांचित मण्डलों में 269 परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में प्रतिफल की आंतरिक दर/प्रतिफल की आर्थिक दर एवं लाभ लागत अनुपात की गणना विश्वसनीय डाटा[12] पर आधारित नहीं थी। सम्बद्ध विभागों से विश्वसनीय/ सरकारी डाटा प्राप्त करने की बजाय, लोक निर्माण मण्डल द्वारा अनुमानित/ स्व-आकलित आंकड़े प्रयुक्त किए जा रहे थे जिनका कोई विश्वसनीय आधार नहीं था। जैसाकि विस्तृत परियोजना रिपोर्टों में आर्थिक विवरण से सत्यापित करने पर पांच (17 में से) नमूना-जांचित मण्डलों[13] की 39 (269 में से) विस्तृत परियोजना रिपोर्टों में उपलब्ध आर्थिक विवरण अवास्तविक[14] था। पांच नमूना-जांचित मण्डलों[15] में 32 (269 में से) परियोजनाओं की गणना का विवरण गलत[16] था। तीन सड़कों के सम्बन्ध में सम्बद्ध ग्राम पंचायतों के अभिलेखों से देखा गया कि गांवों की वास्तविक जनसंख्या विस्तृत परियोजना रिपोर्ट[17] में दर्शायी गई जनसंख्या के साथ मेल नहीं खाती।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में बताई गलत प्रतिफल की आंतरिक दर से इंगित हुआ कि प्रतिफल की आंतरिक दर गणना सिर्फ नाबार्ड की आवश्यकताओं को पूरा करके संस्वीकृति प्राप्त करने हेतु की गई थी तथा सड़क पूर्णता के पश्चात व्युत्पन्न लाभ का आकलन नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, विभाग/नाबार्ड ने 2013-18 के दौरान नाबार्ड परियोजनाओं से प्राप्त हुए लाभों का आकलन करने के लिए कोई पूर्णता मूल्यांकन अध्ययन नहीं करवाया था।

---

10 सड़क से जुड़े गांवों की संख्या, प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े गांवों की जनसंख्या, फसल खेती, प्रति हेक्टेयर कृषि निवल आय, गैर कृषि आय में मुनाफा, दूरी कम करना तथा परिवहन लागत में बचत, इत्यादि।

11 प्रतिफल की आंतरिक दर, प्रतिफल के निवेश दर का एक पैमाना है।

12 राजस्व विभाग, कृषि विभाग तथा ग्राम पंचायतों से लिया डाटा।

13 डलहौजी: छ:, धामी: 17, हमीरपुर: दो, ठियोग: 12 तथा नूरपुर: दो।

14 कुल कृषि क्षेत्र कुल प्रभावित क्षेत्र से अधिक था, कुल जोड़ने वाले गांवों, कृषि क्रियाकलाप, गैर-कृषि क्रियाकलाप, गैर आवर्ती रोजगार सृजन, आदि से सम्बंधित कॉलम खाली छोड़ना, प्रति गांव गैर कृषि आय में वार्षिक मुनाफा तथा आवृत्त किए जाने वाले कुल गांवों हेतु गैर कृषि आय का कुल वार्षिक मुनाफा एक जैसा ही दर्शाया गया था, आदि।

15 डलहौजी: चार, धामी: 11, नूरपुर: सात, सलूणी: तीन तथा ठियोग: सात।

16 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन हेतु चैक लिस्ट में कॉलम के गलत जोड़ और, प्रति हेक्टेयर वार्षिक औसत कुल आय तथा प्रति हेक्टेयर वार्षिक औसत कृषि लागत के संदर्भ में प्रति हेक्टेयर वार्षिक औसत निवल आय की गणना गलत थी।

17 गलोग नेहरा ओखरू सड़क परियोजना: पंचायत अभिलेखों के अनुसार 987 तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार 3,660; घणाहट्टी भजोल बगाहर सड़क परियोजना: पंचायत अभिलेखों के अनुसार 1,033 तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार 658; तथा धामी बैंश सड़क परियोजना: पंचायत अभिलेखों के अनुसार 968 तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार 465 ।

समापन सम्मेलन में, अतिरिक्त मुख्य सचिव ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि मामले की जांच की जाएगी। तथापि, मण्डलों द्वारा प्रस्तुत गलत/ अवास्तविक डाटा को प्रमुख अभियंता के स्तर पर, नाबार्ड को प्रस्तुत करने हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप देते समय अनदेखा किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए मामले नमूना-जांच पर आधारित हैं। विभाग ऐसे सभी मामलों की जांच तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु कदम उठा सकता है।

2.1.7 वित्तीय प्रबन्धन

ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के हिस्सों के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा अनुमोदित ग्रामीण सड़क परियोजनाओं के निष्पादन के लिए राज्य सरकार द्वारा बजट प्रावधान किया जाता है। अधिशाषी अभियंताओं द्वारा नाबार्ड से अनुमोदित परियोजनाओं के लिए बजट के प्रावधानानुसार व्यय किया जाता है। अनुमोदित परियोजना लागत का 90 *प्रतिशत* तक का व्यय अधिशाषी अभियंताओं द्वारा प्रस्तुत मासिक व्यय विवरण के आधार पर नाबार्ड द्वारा प्रतिपूरित किया जाता है।

2013–18 के दौरान ₹ 1,330.22 करोड़ के बजट आवंटन के प्रति, विभाग ने ₹ 1,321.27 करोड़ के व्यय को बुक किया। लेखापरीक्षा परिणामों का विवरण निम्न परिच्छेदों में दिया गया है। परिणाम परियोजनाओं की नमूना-जांच पर आधारित हैं; राज्य सरकार ऐसी कमियों का पता लगाने एवं समाधान हेतु सभी परियोजनाओं की समीक्षा कर सकती है।

2.1.7.1 निक्षेप शीर्ष के अन्तर्गत अव्ययित निधियां

2011–18 के दौरान समेकित निधि से नौ (17 में से) नमूना-जांचित मण्डलों में अधिशाषी अभियंताओं ने ₹ 18.38 करोड़[18] आहरित किए तथा इसे अंतिम व्यय दिखाकर जबकि वास्तव में भूमि पर निर्माण कार्य निष्पादित नहीं किए गए थे, निक्षेप शीर्ष के अंतर्गत राशि को रखा। इस राशि में से निर्माण कार्यों पर अनुवर्ती वर्षों में ₹ 7.67 करोड़ व्यय किए गये तथा शेष ₹ 10.71 करोड़[19] निक्षेप शीर्ष के अन्तर्गत 10 से 82 महीनों से अधिक समय तक अव्ययित पड़े रहे।

बजट को व्यपगत होने से बचाने के लिए, भौतिक उपलब्धि के बिना निधियों का आहरण अनियमित था एवं जो वित्तीय नियंत्रण के अभाव को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, निक्षेप शीर्ष (बजटीय प्रक्रिया के बाहर) के अन्तर्गत उधार ली गई निधियों को लम्बी अवधि तक अप्रयुक्त रखने के परिणामस्वरूप इनका अनावश्यक अवरोधन हुआ क्योंकि इन्हें अन्य जरूरतमंद कार्यों पर उपयोग किया जा सकता था एवं जनता समय पर मिलने वाले लाभ से वंचित रही।

समापन सम्मेलन में, अतिरिक्त मुख्य सचिव ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि निक्षेप शीर्ष के अन्तर्गत निधियां रखना आम बात है एवं इन्हें बाद में स्कीम पर प्रयुक्त किया जाता है। तथापि, मार्च 2012 से निक्षेप शीर्ष के अन्तर्गत निधियां अप्रयुक्त पड़ी रहीं।

2.1.7.2 सामग्री को अनियमित बुक करना

केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता के साथ पठित राज्य वित्तीय नियम में फर्जी बुक समायोजन जैसे कि बजट को व्यपगत होने से बचाने के लिए अनावश्यक सामग्री की लागत अथवा वास्तविक आवश्यकता से अधिक सामग्री का क्रय, कार्य को डेबिट करने की सख्त मनाही है। लेखापरीक्षा में देखा गया कि:–

---

18 डलहौजी: ₹ 0.81 करोड़, घुमारवीं: ₹ 5.14 करोड़, सलूणी: ₹ 1.11 करोड़, ठियोग: ₹ 2.15 करोड़, कुल्लू-II: ₹ 0.69 करोड़, उदयपुर: ₹ 1.95 करोड़, बिलासपुर-I: ₹ 0.40 करोड़, देहरा: ₹ 3.13 करोड़ तथा जैसिंहपुर: ₹ 3.00 करोड़।

19 मार्च 2012: ₹ 1.12 करोड़, मार्च 2015: ₹ 3.28 करोड़, मार्च 2016: ₹ 0.84 करोड़, अगस्त 2016: ₹ 0.35 करोड़, मार्च 2017: ₹ 2.12 करोड़ तथा मार्च 2018: ₹ 3.00 करोड़।

(i) 11 (17 में से) नमूना-जांचित मण्डलों[20] में, अधिशाषी अभियंताओं ने 2013-18 के वित्तीय वर्षों के अंत में निर्माण कार्य पर वास्तव में प्रयुक्त किए बिना नाबार्ड के कार्यों पर ₹ 10.94 करोड़ लागत की सामग्री (टॉर स्टील, तारकोल, इंटर लिंक चेन एवं सीमेंट) को प्रभारित करके बुक किया। इसमें से, अनुवर्ती वित्तीय वर्षो में ₹ 9.12 करोड़ की सामग्री को स्टॉक में वापस ले लिया तथा शेष ₹ 1.82 करोड़ की सामग्री मण्डलों के स्थल लेखों में अप्रयुक्त पड़ी रही। अधिशाषी अभियंताओं ने बताया (मार्च से जुलाई 2018) कि बजट को व्यपगत होने से बचने हेतु सामग्री को निर्माण कार्यो में डेबिट किया गया था।

(ii) छः नमूना-जांचित मण्डलों में, अधिशाषी अभियंताओं ने नाबार्ड कार्यों को व्यय प्रभारित करके अन्य कार्यों के लिए सामग्री की बुकिंग हेतु कोषागार से ₹ 2.45 करोड़[21] आहरित किए (मार्च 2015 तथा मई 2017 के मध्य) जिसके परिणामस्वरूप निधियों का अनियमित अपवर्तन हुआ तथा नाबार्ड ऋण की अनाधिकृत प्रतिपूर्ति हुई। अधिशाषी अभियंताओं ने बताया (मई से जुलाई 2018) कि कार्यों की आवश्यकता को देखते हुए अन्य सड़कों पर व्यय किया गया था।

निर्माण कार्यों पर वास्तविक उपयोग के बिना अधिशाषी अभियंताओं द्वारा सामग्री बुक करने तथा सामग्री का समायोजन करने (बजट को व्यपगत होने से बचने के लिए) से कार्यों के प्रति प्रयुक्त सामग्री की मात्रा का गलत प्रस्तुतीकरण हुआ। इसके अतिरिक्त, कार्यों पर सामग्री के वास्तविक उपयोग के बिना नाबार्ड को प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत करना अनियमित था।

सिफारिश:- *सरकार लम्बी अवधि के लिए धन के अवरोधन से बचने के लिए बेहतर एवं प्रभावी ढ़ंग से निधियों की प्रयुक्ति हेतु कड़ाई से अनुश्रवण करना सुनिश्चित कर सकती है।*

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए मामले नमूना-जांच पर आधारित है। विभाग ऐसे सभी मामलों की जांच तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु कदम उठा सकता है।

2.1.8 संविदा प्रबन्धन

संविदा एक स्वैच्छिक, विचार किया हुआ तथा कानूनी रूप से बाध्य समझौता है जो संविदा पक्षों के अनुशासन तथा रक्षा हित के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। यदि निश्चित खण्ड प्रदान नहीं किया हो/ अनुपालन नहीं किया हो तो इससे ठेकेदार को अनुचित लाभ होगा। संविदा प्रबंधन में पाई गई कमियों को नीचे विवेचित किया गया है।

2.1.8.1 संविदा अनुबंध में निष्पादन प्रतिभूति का प्रावधान न करना

उपार्जित विभागों के हित की रक्षा की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009 में संविदा लागत का पांच एवं 10 *प्रतिशत* के मध्य की राशि को सफल ठेकेदार को प्रदान किए गए संविदा से निष्पादन प्रतिभूति में प्राप्त करने का प्रावधान है। लेखापरीक्षा में देखा गया कि:-

- चार (17 में से) नमूना-जांचित मण्डलों[22] में 57 संविदाओं में से ₹ 53.91 करोड़ की 35 संविदाओं में ठेकेदार से निष्पादन प्रतिभूति के ₹ 2.70 करोड़ प्राप्त न करने के परिणामस्वरूप ठेकेदारों को अनुचित लाभ प्रदान किया गया, इसके अतिरिक्त, सरकारी धन को हानि के प्रति जोखिम में डाला गया। यह पाया गया कि निष्पादन प्रतिभूति के अभाव में, ₹ 2.02 करोड़ की दो संविदाओं (धामी एवं डलहौजी मण्डल) में ठेकेदारों ने कार्य को पूर्ण किए बिना छोड़ दिया परन्तु निष्पादन प्रतिभूति की अनुपस्थिति में मण्डल कोई कार्रवाई नहीं कर सके।
- ठेकेदारों के अनुरोध पर, अतिरिक्त मुख्य सचिव ने उपर्युक्त नियमों का उल्लंघन करके निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त करने की शर्त को हटा (मार्च 2016) दिया जिससे ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाने के अतिरिक्त

---

20 बिलासपुर-I, डलहौजी, धामी, देहरा, घुमारवीं, हमीरपुर, जैसिंहपुर, नूरपुर, सलूणी, संगड़ाह तथा ऊना।

21 धामी: ₹ 0.50 करोड़, घुमारवीं: ₹ 0.29 करोड़, कुल्लू-II: ₹ 0.15 करोड़, नूरपुर: ₹ 0.22 करोड़, पांवटा साहिब: ₹ 0.14 करोड़ तथा उदयपुर: ₹ 1.15 करोड़।

22 डलहौजी, धामी, हमीरपुर तथा ठियोग।

जनता के हितों को जोखिम में डाला गया। इस निर्णय के कारण 2016-18 के दौरान चार नमूना-जांचित मण्डलों[23] द्वारा 11 अनुबंधों से निष्पादित करवाए गए ₹ 12.62 करोड़ के कार्यों में निष्पादित प्रतिभूति के ₹ 0.63 करोड़ प्राप्त नहीं किए गये।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया (दिसम्बर 2018) कि निष्पादन प्रतिभूति खण्ड को कार्यों के सफल समापन हेतु ठेकेदारों की बोली क्षमता को बढ़ाने की दृष्टि से हटाया गया था। तथापि, निष्पादन प्रतिभूति खण्ड के अभाव का अर्थ है कि क्षति/हानि के प्रति जनता के हित सुरक्षित नहीं थे।

विभाग के पास अनुबंध के उल्लंघन के लिए दोषी ठेकेदारों की निष्पादन प्रतिभूति को जब्त करने का विकल्प नहीं था क्योंकि संविदा समझौते में निष्पादन प्रतिभूति का खण्ड शामिल नहीं था। अतिरिक्त मुख्य सचिव का ठेकेदारों के अनुरोध पर निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त करने की शर्त को हटाने के निर्णय से ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचा, इसके अतिरिक्त जनता के हितों को जोखिम में डाला गया।

सिफारिश: *सरकार हानियों के प्रति जनता के हित को सुरक्षित करने के लिए सभी संविदाओं में समान निष्पादन प्रतिभूति एवं दोष दायित्व अवधि के खण्ड का प्रावधान करने पर विचार कर सकती है।*

2.1.8.2 विलम्ब हेतु क्षतिपूर्ति का उद्ग्रहण न करना

संविदा के खण्ड(2) के अनुसार, ठेकेदार को नियत समय पर कार्य को पूर्ण करना चाहिए, तथा जहां संविदा में समय महत्त्वपूर्ण है, ठेकेदार को निर्धारित समय सारणी का पालन करना आवश्यक है। संविदा के उल्लंघन के लिए अनुबंध मूल्य के अधिकतम 10 *प्रतिशत* की प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि आठ मण्डलों[24] में, 25 ठेकेदारों को ₹ 62.10 करोड़ में 30 (84 में से) प्रदान किए (2013-18), गए कार्य अनुबंधों को छः से 24 महीने की नियत अवधि में पूर्ण नहीं किया गया था। तथापि, विभाग ने एक तथा 31 महीने के मध्य के विलम्ब हेतु संविदा के खण्ड-2 के अन्तर्गत ₹ 6.21 करोड़ की क्षतिपूर्ति के उद्ग्रहण हेतु कोई कार्रवाई नहीं की थी। संविदात्मक प्रावधानों के उल्लंघन हेतु क्षतिपूर्ति का अनुद्ग्रहण ठेकेदार को अनुचित लाभ प्रदान करता है। समापन सम्मेलन में, अतिरिक्त मुख्य सचिव ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि सभी मण्डलों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

2.1.8.3 मूल्य वृद्धि का अस्वीकार्य भुगतान

प्रमुख अभियंता के अनुदेश (अक्तूबर 2012) के अनुसार, संविदा के खण्ड-10 (सी सी) के अंतर्गत मूल्य वृद्धि का भुगतान ठेकेदार को किया जाना था, यदि कार्य पूर्ण करने में विलम्ब अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण (ठेकेदार के नियंत्रण से बाहर) होता है तथा ठेकेदार द्वारा अपेक्षित विस्तार के लिए आवेदन अड़चन उत्पन्न होने की तिथि से 30 दिन के भीतर किया जाता है।

दो नमूना-जांच मण्डलों[25] मे, उपर्युक्त खण्ड-10 (सी सी) के अन्तर्गत ₹ 48.42 लाख की मूल्य वृद्धि लागत (जुलाई 2013 तथा सितम्बर 2017 के मध्य) का भुगतान चार ठेकेदारों को अड़चन आने के 30 दिन की नियत अवधि में समय विस्तार हेतु अनुरोध प्राप्त किए बिना किया गया। ठेकेदार ने पूर्णता की नियत तिथि के 14 से 40 महीने के पश्चात विस्तार हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। मण्डलों ने अड़चन आने के अभिलेख अनुरक्षित नहीं रखे थे जिसके बावजूद विस्तार आवेदनों पर दर्शाई गई अड़चनों के आधार पर विस्तार प्रदान किया था। अभिलेखों के अभाव में, अड़चन की वास्तविकता को सत्यापित नहीं किया जा सका। संविदात्मक प्रावधानों का पालन न करने के परिणामस्वरूप ₹ 48.42 लाख की मूल्य वृद्धि का अनियमित व्यय हुआ एवं ठेकेदारों को अनुचित लाभ प्रदान किया गया।

समापन सम्मेलन में, अतिरिक्त मुख्य सचिव ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि ठेकेदारों से वसूली कर ली जाएगी।

---

23 डलहौजी, धामी, हमीरपुर तथा सलूणी।

24 डलहौजी, धामी, घुमारवीं, हमीरपुर, नूरपुर, सलूणी, संगड़ाह तथा ठियोग।

25 हमीरपुर: ₹ 18.56 लाख तथा ठियोग: ₹ 29.86 लाख।

2.1.8.4 रॉयल्टी की वसूली न करना

संविदा की सेवा-शर्तों के अनुसार, सामग्री (पत्थर, रेत, बजरी) हेतु रॉयल्टी प्रभार[26] की कटौती खनन विभाग द्वारा अनुमोदित दरों पर ठेकेदारों के प्रत्येक रनिंग बिल से की जानी चाहिए। खनन विभाग द्वारा क्रशर मालिक/ खदान मालिक को एम-फार्म जारी किया जाता है, जो ठेकेदार द्वारा कार्य पर प्रयोग किए जानी वाली सामग्री पर भुगतान की गई रॉयल्टी का प्रमाण है। लेखापरीक्षा में देखा गया कि:-

- पांच (17 में से) नमूना-जांचित मण्डलों में, अधिशाषी अभियंताओं ने नौ (129 परियोजनाओं में से) पूर्ण परियोजनाओं (₹ 27.59 लाख) एवं छः (102 में से) चल रहे कार्यों (₹ 19.90 लाख) में ठेकेदारों के रनिंग लेखा बिलों से न तो रॉयल्टी भुगतान के प्रमाण के रूप में ठेकेदारों से एम-फार्म प्राप्त किये थे और न ही रॉयल्टी (अप्रैल 2013 एवं मार्च 2018 के मध्य) के ₹ 47.49 लाख[27] की कटौती की थी ।
- चार (17 में से) नमूना-जांचित मण्डलों में, 16 परियोजनाओं में ठेकेदारों से देय ₹ 53.06 लाख रॉयल्टी के प्रति, ठेकेदारों से ₹ 26.26 लाख की रॉयल्टी की वसूली (अप्रैल 2013 और मार्च 2018 के मध्य) की गई जिसके परिणामस्वरूप ₹ 26.80 लाख[28] की कम वसूली की गई ।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया (दिसम्बर 2018) कि सत्यापन के पश्चात वसूली कर ली जाएगी।

2.1.8.5 उपयोगी पत्थरों की अल्प वसूली

संविदा की अनुसूची दर के अनुसार, पहाड़ी क्षेत्रों में खुदाई से प्राप्त उपयोगी पत्थरों[29] की वसूली ठेकेदारों से @ ₹ 170 तथा ₹ 300 प्रति घनमीटर (भूमि सतह के आधार पर) संविदा में निर्धारित दर पर करनी चाहिए।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि चार नमूना-जांचित मण्डलों की आठ परियोजनाओं (2009-17) में ठेकेदारों से प्राप्य ₹ 59.85 लाख के उपयोगी पत्थरों की वसूली के प्रति उनके रनिंग बिलों से ₹ 42.18 लाख की कटौती करने के परिणामस्वरूप ₹ 17.67 लाख[30] (दो पूर्ण परियोजनाएं: ₹ 3.50 लाख एवं छः चल रही परियोजनाएं: ₹ 14.17 लाख) की अल्प वसूली हुई। उपयोगी पत्थरों की वसूली न करने के परिणामस्वरूप सरकार को राजस्व की हानि हुई एवं ठेकेदारों को अनुचित लाभ प्रदान किया गया। सम्बद्ध अधिशाषी अभियंताओं ने बताया (मार्च से जून 2018) कि उपयोगी पत्थरों की वसूली ठेकेदारों से कर ली जाएगी।

संविदा अनुबंध में निष्पादन प्रतिभूति का प्रावधान न करने, विलम्ब हेतु क्षतिपूर्ति उदग्रहण न करने, निर्धारित समयावधि के भीतर समय-विस्तार के लिए अनुरोध किए बिना लागत में वृद्धि प्रदान करने, रॉयल्टी की वसूली न करने तथा उपयोगी पत्थरों की अल्प वसूली के कारण विभाग ने ठेकेदारों को अनुचित लाभ दिया तथा सरकारी खजाने को वित्तीय हानि हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए मामले नमूना-जांच पर आधारित है। विभाग ऐसे सभी मामलों की जांच तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु कदम उठा सकता है।

2.1.9 निष्पादन मामले

अधिशाषी अभियंता कार्य की वांछित गति को सुनिश्चित करने एवं नियत समय और लागत में परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु जिम्मेदार थे। कार्यों/ परियोजनाओं के निष्पादन में कमियां जैसे कि परियोजनाओं को आरम्भ करने में विलम्ब, बाधामुक्त भूमि के अभाव में रूकी पड़ी परियोजनाएं, वाहन यातायात हेतु सड़कें पास न करना, परियोजना

---

26 रॉयल्टी प्रभारों की दर: प्रति मीट्रिक टन मार्च 2015 तक @ ₹ 40 तथा ₹ 60 उसके पश्चात्।

27 देहरा: ₹ 14.32 लाख, घुमारवीं: ₹ 1.71 लाख, जैसिंहपुर: ₹ 2.17 लाख, जुब्बल: ₹ 14.67 लाख तथा मण्डी-I: ₹ 14.62 लाख।

28 धामी: ₹ 9.64 लाख, नूरपुर: ₹ 13.64 लाख, ठियोग: ₹ 1.06 लाख एवं उदयपुर: ₹ 2.46 लाख।

29 खुदाई के दौरान सड़क संरेखण से निकाले गए पत्थर जो निर्माण कार्य में प्रयोग किए जा सकते हैं।

30 घुमारवीं: ₹ 1.50 लाख, जुब्बल: ₹ 7.44 लाख, नूरपुर: ₹ 3.58 लाख एवं संगडाह: ₹ 5.15 लाख।

को पूर्ण करने में विलम्ब के कारण लागत वृद्धि, इत्यादि मामलों को नीचे विवेचित किया गया है। परिणाम परियोजनाओं की नमूना-जांच पर आधारित है राज्य सरकार ऐसी कमियों का पता लगाने एवं समाधान हेतु सभी परियोजनाओं की समीक्षा कर सकती है।

2.1.9.1 परियोजना निष्पादन की स्थिति

नाबार्ड परियोजनाओं को संस्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के भीतर शुरू करना तथा संस्वीकृति की तिथि से चार वर्षों के भीतर पूर्ण करना अपेक्षित है।

1996-2018 के दौरान नाबार्ड द्वारा राज्य में ₹ 3,857.62 करोड़ की कुल 1,609 सड़क एवं पुल सेक्टर परियोजनाएं संस्वीकृत की गई थी। उसमें से, 2013-18 के दौरान 399 परियोजनाएं ₹ 1,463.09 करोड़ में संस्वीकृत की गई थी। 1996-97 से 2017-18 के दौरान कुल 1,252 परियोजनाएं ₹ 2,260.04 करोड़ में पूर्ण की गई थी जिसमें 2013-18 के दौरान 576 पूर्ण की गई परियोजनाएं शामिल हैं। अठाईस परियोजनाएं छोड़ दी गई थी तथा ₹ 1,347 करोड़ की 329 संस्वीकृत परियोजनाएं प्रगति पर थी जिन पर मार्च 2018 तक ₹ 454.25 करोड़ का व्यय किया जा चुका था।

2013-18 के दौरान 17 नमूना-जांचित मण्डलों में नाबार्ड परियोजनाओं के निष्पादन की स्थिति को नीचे **तालिका-2.1.3** में दर्शाया गया है:

तालिका-2.1.3: 2013-18 के दौरान नमूना जांचित मण्डलों में नाबार्ड परियोजनाओं की स्थिति

(₹ करोड़ में)

अवधि	संस्वीकृत		पूर्ण		बाधित		आरम्भ नहीं किए गए		मार्च 2018 तक अपूर्ण कार्य	
	संख्या	संस्वीकृत लागत	संख्या	व्यय	संख्या	व्यय	संख्या	संस्वीकृत लागत	संख्या	व्यय
अप्रैल 2013 से पूर्व	117	380.05	87	213.27	5	8.50	4	11.55	21	62.15
2013-18	152	479.21	42	84.24	4	2.91	25	95.11	81	120.41
योग	**269**	**859.26**	**129**	**297.51**	**9**	**11.41**	**29**	**106.66**	**102**	**182.56**

जनवरी 2019 तक नमूना-जांचित मण्डलों द्वारा निष्पादित परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति उनके आगामी निष्पादन को प्रदर्शित करती है। स्थिति को नीचे **तालिका-2.1.4** में दर्शाया गया है:

तालिका-2.1.4: जनवरी 2019 तक नमूना जांचित मण्डलों में संस्वीकृत नाबार्ड परियोजनाएं एक वर्ष के भीतर आरम्भ की गई तथा चार वर्ष के भीतर पूर्ण की गई नाबार्ड परियोजनाओं का विवरण

(₹ करोड़ में)

अवधि	संस्वीकृत		एक वर्ष के भीतर आरम्भ की गई परियोजनाएं		चार वर्ष के भीतर पूर्ण की गई परियोजनाएं	
	संख्या	संस्वीकृत लागत	संख्या	संस्वीकृत लागत	संख्या	व्यय
अप्रैल 2013 से पूर्व	117	380.05	44	116.55	26	53.57
2013-14	16	66.68	14	39.11	06	10.79
2014-15	53	132.45	24	63.57	19	41.30
2015-16	38	119.24	24	86.63	09	21.13
2016-17	15	50.15	19	71.24	04	7.48
2017-18	30	110.69	07	16.69	01	0.80
योग	**269**	**859.26**	**132**	**393.79**	**65**	**135.07**

स्रोत: विभाग द्वारा दी गई सूचना।

उपर्युक्त **तालिका-2.1.4** से यह देखा गया कि:

(*i*) ₹ 859.26 करोड़ में संस्वीकृत 269 परियोजनाओं में से ₹ 393.79 करोड़ की केवल 132 परियोजनाओं का कार्य एक वर्ष के भीतर शुरू किया गया था।

(*ii*) ₹ 135.07 करोड़ का व्यय करने के उपरांत चार वर्ष की नियत अवधि के भीतर केवल 65 परियोजनाओं को पूर्ण किया गया था।

परियोजनाओं के निर्धारित अवधि में शुरू न होने तथा पूर्ण न होने का कारण वन मंजूरी उपलब्ध न होने, भूमि विवाद, कोडल औपचारिकताओं तथा निविदा प्रक्रिया को पूर्ण करने में समय लगना है।

समापन सम्मेलन में, अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि कार्यों की गति को बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाऐंगे।

सिफारिश: *सरकार परियोजनाओं के अनुमोदन से पूर्व भूमि उपलब्धता/वन मंजूरी हेतु विभागीय प्राधिकारियों द्वारा कोडल औपचारिकताओं को पूर्ण करना सुनिश्चित कर सकती है।*

2.1.9.2 तकनीकी संस्वीकृति देने में विलम्ब

नाबार्ड दिशा-निर्देशों में प्रावधान है कि तकनीकी संस्वीकृति नाबार्ड द्वारा संस्वीकृति की तिथि से तीन महीने के भीतर प्रदान की जानी चाहिए। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियां पाई गई:

- सितम्बर 2008 से अक्तूबर 2017 के दौरान 13 नमूना-जांचित मण्डलों[31] में ₹ 305.26 करोड़ की संस्वीकृत 82 परियोजनाओं में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा तकनीकी संस्वीकृति देने में एक से 60 महीने का विलम्ब (सात परियोजनाओं में एक वर्ष से अधिक) हुआ।
- अगस्त 2008 एवं मार्च 2017 के मध्य नौ नमूना-जांचित मण्डलों[32] की 29 संस्वीकृत परियोजनाओं का कार्य तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त किए बिना निष्पादित किया गया था।

सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी संस्वीकृति लेने में विलम्ब के परिणामस्वरूप 31 परियोजनाओं को पूर्ण करने में दो से 56 महीनों का विलम्ब हुआ। विलम्ब के लिए घटकवार तकनीकी अनुमानों को तैयार करने में लिए गए समय को जिम्मेदार ठहराया गया। तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त किए बिना परियोजना का निष्पादन दर्शाता है कि विभाग ने निष्पादन से पूर्व उचित प्रक्रिया को नहीं अपनाया। इसके अतिरिक्त, तकनीकी संस्वीकृति के अभाव में, अपेक्षित विनिर्देशाओं का पालन न करने तथा काम के दायरे में परिवर्तन की सम्भावना हो सकती है।

2.1.9.3 कार्य प्रदान करने में विलम्ब

नाबार्ड दिशा-निर्देशानुसार, निविदा प्रक्रिया के साथ-साथ परियोजनाओं के कार्यों को प्रदान करने की प्रक्रिया को संस्वीकृति की तिथि से नौ महीने के भीतर पूर्ण किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 17 नमूना-जांचित मण्डलों में ₹ 414.67 करोड़ की संस्वीकृत 269 में से 123 परियोजनाओं का कार्य एक से 111 महीने के विलम्ब[33] के पश्चात प्रदान किया गया। इन परियोजनाओं में से, 23 परियोजनाओं का कार्य एक से चार वर्ष के विलम्ब से पश्चात प्रदान किया तथा पांच परियोजनाओं का कार्य पांच वर्ष से अधिक के विलम्ब के पश्चात प्रदान किया गया। कार्य को विलम्ब से प्रदान करने के परिणामस्वरूप कार्यों के निष्पादन एवं पूर्ण करने में और विलम्ब हुआ जिससे जनता समय के भीतर अभिप्रेत लाभ से वंचित रही। परियोजनाओं को विलम्ब से शुरू करने के परिणामस्वरूप 24 परियोजनाओं को पूर्ण करने में 21 से 52 मास का विलम्ब हुआ। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया (दिसम्बर 2018) कि निविदा प्रक्रिया में विलम्ब भूमि विवाद (परिच्छेद 2.1.6.2 तथा 2.1.9.6), न्यायिक मामले तथा बोली मानदण्ड में अर्हताप्राप्त ठेकेदारों की

---

31 बिलासपुर, डलहौजी, देहरा, घुमारवीं, हमीरपुर, जैसिंहपुर, जुब्बल, कुल्लू-II, मण्डी-I, नूरपुर, पांवटा साहिब, संगडाह तथा ऊना।

32 डलहौजी, धामी, घुमारवीं, हमीरपुर, जुब्बल, नूरपुर, पांवटा साहिब, ठियोग तथा ऊना।

33 संस्वीकृति की तिथि से नौ मास पश्चात गणना करके।

अनुपलब्धता के कारण हुआ। समापन सम्मेलन में, अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि अनुश्रवण वृत्त एवं अंचल स्तरों पर किया जाएगा।

2.1.9.4 व्यपगत परियोजनाएं

नाबार्ड दिशा-निर्देशानुसार, यदि राज्य सरकार संस्वीकृति की तिथि से दो वर्ष के भीतर परियोजना शुरू करने में विफल रहती है तो परियोजनाओं को व्यपगत माना जाएगा।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 11 (17 में से) नमूना-जांचित मण्डलों[34] में ₹ 67.02 करोड़ की संस्वीकृत 25 परियोजनाओं को संस्वीकृति की तिथि से दो वर्ष के भीतर शुरू नहीं किया गया जिन्हें व्यपगत माना जाना चाहिए था। यद्यपि इन परियोजनाओं में से 24 (25 में से) का बाद में क्रियान्वयन कर लिया गया लेकिन विभाग ने इसके लिए नाबार्ड से पुनर्निर्माण संस्वीकृति प्राप्त नहीं की। मार्च 2018 तक इन परियोजनाओं पर किए गए ₹ 46.82 करोड़ के व्यय के प्रति नाबार्ड ऋण का उस सीमा तक प्रतिपूर्ति करना अनियमित था। शेष एक परियोजना जो अगस्त 2015 में ₹ 2.19 करोड़ की स्वीकृत हुई थी, को वन मंजूरी प्राप्त न करने के कारण निष्पादन हेतु नहीं लिया गया था।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया (दिसम्बर 2018) कि कार्य को बाधा रहित भूमि उपलब्ध न होने, स्थानीय विवाद, पात्र ठेकेदार न होने, सीमित कार्य मौसम, कठिन भौगोलिक स्थितियों के कारण आरम्भ नहीं किया जा सका। तथापि, यह सभी पहलू विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करते समय ध्यान में रखने चाहिए थे। इसके अतिरिक्त एक मामले को शुरू नहीं किया गया था जिसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में झूठा भूमि उपलब्धता प्रमाण पत्र दिया गया था।

2.1.9.5 परियोजनाओं में लागत वृद्धि

नाबार्ड दिशा-निर्देशानुसार, राज्य सरकार को मूल्य वृद्धि को अपने स्वयं के संसाधनों से पूरा करना अपेक्षित है। आगे, केन्द्रीय लोक निर्माण नियमावली में प्रावधान है कि यदि व्यय मूल अनुमोदन से 10 *प्रतिशत* अधिक होता है तो संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 11 (17 में से) नमूना-जांचित मण्डलों[35] की ₹ 54.15 करोड़ की 25 (269 में से) अनुमोदित (दिसम्बर 2006 एवं अक्तूबर 2014 के मध्य) परियोजनाओं को ₹ 63.32 करोड़ के व्यय में पूर्ण करने के परिणामतः ₹ 9.17 करोड़ (17 *प्रतिशत*) का अधिक व्यय हुआ।

परियोजना के निष्पादन में विलम्ब के कारण मूल्य वृद्धि के परिणामस्वरूप सरकारी खजाने में अधिक बोझ पड़ा जिसकी नाबार्ड द्वारा प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। इसके अतिरिक्त, सक्षम प्राधिकारी से संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन लिए बिना किया गया व्यय अनियमित था।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया (दिसम्बर 2018) कि निष्पादन में विलम्ब, कार्यक्षेत्र में परिवर्तन, मूल्य वृद्धि, इत्यादि के कारण हुई लागत वृद्धि को शीघ्र ही नियमित करवा लिया जाएगा।

2.1.9.6 वन मंजूरी/ भूमि विवाद के अभाव में परियोजनाओं का निष्पादन न करना/ पूर्ण न करना

वन संरक्षण अधिनियम, वन भूमि का प्रयोग गैर-वानिकी उद्देश्य हेतु भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रतिबंधित करता है। निजी भूमि के मामलें में, विभाग को निर्माण कार्य के निष्पादन से पूर्व बाधा रहित भूमि को सुनिश्चित करना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि **तालिका-2.1.5** में दी गई ब्यौरेवार परियोजनाएं वन मंजूरी/ भूमि विवाद के अभाव में पूर्ण नहीं की गई थी यद्यपि, सम्बद्ध मण्डलों ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में वन मंजूरी/ बाधा मुक्त भूमि की उपलब्धता की गलत सूचना प्रस्तुत की थी जैसाकि परिच्छेद 2.1.6.2 में इंगित है।

---

34 बिलासपुर-1, डलहौजी, धामी, देहरा, घुमारवीं, हमीरपुर, जयसिंहपुर, मण्डी-1, सलूणी, संगडाह तथा उदयपुर।

35 बिलासपुर-I, धामी, देहरा, घुमारवीं, हमीरपुर, जुब्बल, कुल्लू-II, मण्डी-I, ठियोग, उदयपुर तथा ऊना।

तालिका-2.1.5: वन मंजूरी/ भूमि विवाद के अभाव में अपूर्ण परियोजना का विवरण

क्रमांक	संस्वीकृत परियोजना का विवरण	लेखापरीक्षा परिणाम
1.	उदयपुर मण्डल में यांगले स्थित चन्द्रा नदी के ऊपर 72.00 मीटर स्पैन पुल (डेक टाईप) का निर्माण (संस्वीकृत माह: जनवरी 2010 एवं संस्वीकृत लागत: ₹ 3.19 करोड़)	डेक टाईप पुल का कार्य ₹ 2.82 करोड़ में एक ठेकेदार को प्रदान (अक्तूबर 2010) किया गया था। कार्य ₹ 0.32 करोड़ का व्यय करने के पश्चात वन मंजूरी के अभाव में दिसम्बर 2013 से रूका पड़ा (छायाचित्र) था जैसाकि लेखापरीक्षा टीम द्वारा की गई परियोजना की भौतिक जांच में देखा गया (मई 2018)। एक तरफ आंशिक निर्माण किया गया पुल का आधार डेक टाईप पुल को परिवर्तित करके, मण्डल ने नदी के नीचे की तरफ (नई जगह) पर 103.7 मीटर स्पैन सस्पेंशन वेली पुल के निर्माणार्थ यांत्रिक मण्डल, शमशी को ₹ 1.80 करोड़ जारी किए (मार्च 2018), परन्तु दिसम्बर 2018 तक उस कार्य के निर्माण के लिए प्रदान नहीं किया गया था।
2.	देहरा मण्डल में दरकाटा त्रिपाल सड़क से संडलर वाया विलपर सम्पर्क सड़क (किलोमीटर 0.0 से 1.600 किलोमीटर) का निर्माण (संस्वीकृत मास: अक्तूबर 2014 एवं संस्वीकृत लागत: ₹ 1.24 करोड़)	कार्य ₹ 0.78 करोड़ में प्रदान (अगस्त 2015) किया गया था जो कि वन मंजूरी के अभाव में अक्तूबर 2016 से स्थगित पड़ा था यद्यपि इसके निष्पादन पर ₹ 0.11 करोड़ का व्यय किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा की गई (13 जून 2018) भौतिक जांच के दौरान, यह पाया गया कि किलोमीटर 1.090 पर आंशिक निर्मित जल निकासी नाली अक्तूबर 2016 से अपूर्ण पड़ी थी तथा यातायात हेतु सड़क को अस्थाई तौर पर परिवर्तित कर दिया था। इसी तरह, किलोमीटर 1.280 पर जल निकासी नाली को स्थानीय लोगों द्वारा यातायात को चलाने हेतु रेत तथा मलबे से भर दिया था (छायाचित्र)। किलोमीटर 1.090 पर आंशिक निर्मित सड़क एवं जल निकासी नाली किलोमीटर 1.280 पर रेत/ मलबे से भरी जल निकासी नाली
3.	घुमारवीं मण्डल में बरड़ से डुहक वाया मुरथल सम्पर्क सड़क का निर्माण (संस्वीकृत माह: अक्तूबर 2009 तथा संस्वीकृत लागत: ₹ 2.11 करोड़)	जून 2011 में मण्डल द्वारा वन मंजूरी का मामला भेजा गया था तथा मार्च 2015 में भारत सरकार ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया था परन्तु दिसम्बर 2018 तक अंतिम अनुमोदन प्रतीक्षित था। इसी बीच में कार्य को ₹ 1.42 करोड़ में प्रदान (अगस्त 2016) किया गया परन्तु सड़क संरेखण से वृक्षों को न काटने के कारण जून 2017 से कार्य रूका हुआ था। कार्य पर ₹ 0.27 करोड़ का व्यय किया गया था। मण्डल ने वृक्ष काटने का मामला वन विभाग के साथ उठाया (जून 2016 तथा नवम्बर 2017 के मध्य) था परन्तु दिसम्बर 2018 तक वृक्ष नहीं काटे गए थे।
4.	हमीरपुर मण्डल में, बनाल से चमियाना तक सम्पर्क सड़क (किलोमीटर 0.0 से 7.185 किलोमीटर) का निर्माण (संस्वीकृत माह: जून 2013 एवं संस्वीकृत लागत: ₹ 1.80 करोड़)	कार्य को ₹ 1.52 करोड़ में प्रदान किया गया (मार्च 2014) था जो किलोमीटर 0.0 से 1.0 पर भूमि विवाद के कारण तथा दूसरी तरफ से सड़क पहुंच की अनुपलब्धता थी जिसके लिए किलोमीटर 4.405 पर पुल आवश्यक था जिसका विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में प्रावधान नहीं किया गया था, के कारण मार्च 2016 से कार्य रूका हुआ था। कार्य पर मार्च 2016 तक ₹ 1.19 करोड़ का व्यय किया जा चुका था।

अत:, विभाग वन मंजूरी को पहले प्राप्त करने एवं कार्य स्थल की व्यवहार्यता का आकलन करने में विफल होने से सड़कों एवं पुलों को पूर्ण नहीं कर पाया तथा सम्बंधित लाभार्थी अभिप्रेत सड़क कनेक्टेविटी से वंचित रहे, इसके अतिरिक्त, **₹** 1.89 करोड़ का व्यर्थ/ निष्फल व्यय हुआ।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने तथ्यों को स्वीकार किया (दिसम्बर 2018)।

2.1.9.7 कार्यों का घटिया निष्पादन

भौतिक निरीक्षण की गई तीन (24 में से) परियोजनाओं तथा अभिलेखों की नमूना-जांच में लेखापरीक्षा द्वारा कार्यों का घटिया निष्पादन पाया गया जैसाकि निम्न **तालिका-2.1.6** में विवरणित है:

तालिका-2.1.6: कार्य के घटिया निष्पादन का विवरण

क्रमांक	संस्वीकृत परियोजनाओं का विवरण	लेखापरीक्षा परिणाम
1.	घटिया सामग्री के प्रयोग के कारण पुल का क्षतिग्रस्त होना	अगस्त 2005 में नाबार्ड के अंतर्गत (आरआईडीएफ-X) मण्डी-I मण्डल में लूणी *खड्ड* के ऊपर 40 मीटर स्पैन प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट/ रीनइफोर्स सीमेंट कंक्रीट बाक्स गरडर पुल के निर्माण को संस्वीकृत किया गया था। ₹ 53.51 लाख में प्रदान किए (सितम्बर 2008) कार्य को ठेकेदार ने मार्च 2011 में बिना कोई कारण बताए छोड़ दिया गया था। ठेकेदार को प्री-स्ट्रेसिंग केबल के ₹ 8.34 लाख के प्रतिभूति अग्रिम सहित जून 2011 तक ₹ 26.08 लाख का भुगतान कर दिया था। ठेके को अन्य ठेकेदार को ₹ 48.43 लाख में सितम्बर 2015 में इस शर्त के साथ पुन: प्रदान किया गया कि पिछले ठेकेदार द्वारा क्रय की गई प्री-स्ट्रेसिंग केबल को पुल पर प्रयोग किया जाएगा। ठेकेदार ने सूचित किया (फरवरी 2016) कि जून 2011 से खुले में पड़ी रहने के कारण प्री-स्ट्रेसिंग केबल को बुरी तरह से जंग लग गया है परंतु विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और उसे कार्य के निष्पादन के लिए जोर दिया। तथापि, इस प्री-स्ट्रेसिंग केबल को जांच किए बिना पुल के निर्माण में प्रयोग कर दिया गया। जंग लगी प्री-स्ट्रेसिंग केबल के प्रयोग के कारण जून 2016 में पुल का डेक स्लैब 10 से 15 सैंटीमीटर तक विचलित हो गया जैसा कि ठेकेदार ने बताया है (अगस्त एवं सितम्बर 2016)। ठेकेदार को ₹ 47.84 लाख का भुगतान कर दिया था तथा जनवरी 2019 तक कार्य अपूर्ण पड़ा था। अभिलेखों में देखा गया कि प्रमुख अभियंता ने पुल को यातायात के लिए खोलने से पूर्व इसकी सुरक्षा के लिए मरम्मत तथा जांच के निर्देश (अगस्त 2016) दिए थे परंतु विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। विभाग द्वारा पुल पर ₹ 76.10 लाख का व्यय किया गया जो निष्फल रहा। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया (दिसम्बर 2018) कि क्षतिग्रस्त पुल पर प्रयोग की गई सामग्री घटिया स्तर की नहीं थी। तथापि, यह तर्क इस तथ्य के संदर्भ में सही नहीं दिखाई देता है कि ठेकेदार द्वारा बार-बार इंगित किए जाने पर (अगस्त तथा सितम्बर 2016) जंग लगे केबल के उपयोग के कारण पुल निष्पादन के चरण के दौरान विचलित हो गया था।
2.	घटिया स्तर के कार्य निष्पादन के कारण पुल का ढह जाना	उदयपुर मण्डल में मूलिंग, बेरगुल तथा शिफ्टिंग गांवों को सड़क कनैक्टिविटी उपलब्ध करवाने हेतु चन्द्रा नदी के ऊपर 68.00 मीटर स्पैन स्टील ट्रस पुल को ₹ 2.97 करोड़ की लागत में अक्तूबर 2014 में पूर्ण किया गया था। अधिशाषी अभियंता (गुणवत्ता आश्वासन) मण्डी द्वारा किए गए पुल के निरीक्षण (जून एवं जुलाई 2014) के अभिलेखों में कार्य की गुणवत्ता को बहुत घटिया दिखाया गया तथा कार्य को "असंतोषजनक" ग्रेड दिया गया था। तथापि, मण्डल ने इंगित कमियों[36] के सुधार हेतु कोई कार्रवाई नहीं की थी। मार्च 2015 में पुल ढह गया। उसी स्थल पर अन्य ठेकेदार को

36 गुणवत्ता नियंत्रण जांच नहीं की गई थी; प्रभारी अभियंता द्वारा मिक्स डिजाईन का अनुमोदन किए बिना कंकरीट बिछाने का कार्य किया गया था; कंकरीट पर पानी का छिडकाव न करने से मजबूती में कमी आई तथा रेत, कंकरीट तथा बजरी के परीक्षण के परिणाम संस्तुत स्तर के अनुसार नहीं थे।

		₹ 2.83 करोड़ में (राज्य शीर्ष के अंतर्गत अनुमोदित) 12 महीने में पूर्ण करने की नियतावधि सहित एक नए पुल का कार्य प्रदान किया (अप्रैल 2016)। ठेकेदार ने ₹ 2.17 करोड़ की लागत का कार्य निष्पादित किया एवं दिसम्बर 2018 तक कार्य प्रगति पर था। घटिया स्तर का कार्य करने तथा मण्डल सुधारात्मक कार्रवाई करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप पुल के गिरने से सरकारी खजाने को ₹ 2.97 करोड़ की हानि हुई तथा नये पुल के निर्माण से ₹ 2.83 करोड़ का संभावित बोझ पड़ा जबकि लाभार्थी भी अभिप्रेत लाभ से वंचित रहे। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया (दिसम्बर 2018) कि पुल ढह जाने का कारण जानने हेतु मुख्य अभियंता, मण्डी अंचल की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट प्रतीक्षित थी। तथापि, पुल का निर्माण घटिया किस्म का था तथा विभाग घटिया स्तर के निष्पादन करने के लिए कार्रवाई करने में विफल रहा।
3.	डल्यानू-पुलीलानी-नैनीधार सड़क (सिरमौर) के उन्नयन का घटिया कार्य	संगड़ाह मण्डल में डल्यानू-पुलीलानी-नैनीधार सड़क (किलोमीटर 0.0 से 12.0) के उन्नयन की परियोजना[37] को ₹ 4.08 करोड़ की लागत में पूर्ण किया (जून 2018)। तथापि, मण्डल के तकनीकी स्टाफ सहित लेखापरीक्षा द्वारा किए गये संयुक्त निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि नवम्बर 2017 के दौरान की गई मैटलिंग किलोमीटर 6.0 से 8.0 (2.00 किलोमीटर) विभिन्न जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गई थी। तथापि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में 3.66 मीटर ऊंची दीवार का प्रावधान किया गया था जिसके प्रति वास्तविक निष्पादन 3.16 मीटर का किया गया था जिसके कारण रिटेनिंग दीवार का स्तर सड़क की सतह से नीचे था। रिटेनिंग दीवारें दोनों तरफ से खुली छोड़ी गई थी तथा सड़क के किनारों से नहीं जोड़ी गई थी जिसके कारण दुर्घटना होने का जोखिम था। डल्यानू-पुलीलानी-नैनीधार सड़क की क्षतिग्रस्त मेटलिंग। डल्यानू-पुलीलानी-नैनीधार सड़क पर सड़क सतह से नीचे रिटेनिंग दीवार। इसके अतिरिक्त, नाबार्ड प्राधिकारी/ राज्य गुणवत्ता अनुश्रवण/ विभाग के राज्य गुणवत्ता नियंत्रण विंग द्वारा कार्य का निरीक्षण एवं निगरानी नहीं की गई थी। मण्डल के अधिशाषी अभियंता ने बताया (अक्तूबर 2019) कि अनुबंध को बंद कर दिया गया है तथा ठेकेदार की प्रतिभूति जमा राशि मण्डल के पास पड़ी है जिसे सुधार हेतु उपयोग किया जाएगा। अक्तूबर 2019 तक सुधार नहीं किया गया था।

अत: मण्डी-I मण्डल में लूणी खड्ड के ऊपर का पुल घटिया सामग्री प्रयोग करने के कारण क्षतिग्रस्त हुआ, परिणामस्वरूप ₹ 76.10 लाख का निष्फल व्यय हुआ, जबकि चन्द्रा नदी के ऊपर का पुल घटिया निष्पादन के कारण ढह गया तथा मण्डल द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई करने के अभाव में ₹ 2.97 करोड़ की हानि हुई। संगड़ाह मण्डल में डल्यानू-पुलीलानी-नैनीधार सड़क की मेंटलिंग इसकी पूर्णता से पहले ही विभिन्न किलोमीटरों पर क्षतिग्रस्त हो गई थी तथा खुली छोड़ी गई रिटेनिंग दीवार से दुर्घटना बढ़ने का जोखिम था, जबकि परियोजना की गुणवत्ता जांच नहीं की गई थी। कार्यों का घटिया निष्पादन गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण की कमियों को दर्शाता है।

2.1.9.8 पूर्ण की गई सड़कों से लाभ प्राप्त न होना

अभिलेखों की छानबीन के साथ-साथ लेखापरीक्षा द्वारा की गई 24 परियोजनाओं के भौतिक निरीक्षणों के दौरान यह पाया गया कि ऐसे दृष्टांत थे जिनमें सड़कें पूर्ण कर दी गई थी परंतु उनका लाभ विभिन्न कारणों से नहीं लिया गया था, जैसा कि निम्न **तालिका-2.1.7** में विवरणित है:

37 किलोमीटर 0.0 से 12.0 में रेखागणित एवं परिमाण में सुधार जल निकासी करना, किलोमीटर 6.0 से 12.0 में उप-आधार मार्ग दिशा ग्रेड-I, उप आधार मार्ग दिशा ग्रेड-II एंव III, किलोमीटर 4.0 से 12.0 में मेटलिंग एवं टारिंग तथा डम्पिंग संरचना के निर्माण सहित किलोमीटर 0.0 से 12.0 आवश्यक किनारे की नालियां एवं पैरापिटस।

तालिका-2.1.7: पूर्ण की गई सड़कों का विवरण परंतु लाभ प्राप्त नहीं हुआ

क्रमांक	संस्वीकृत परियोजनाओं का विवरण	लेखापरीक्षा परिणाम
1.	यातायात हेतु पूर्ण की गई सड़कों को पास न करना	प्रमुख अभियंता के निर्देशों (जून 2008), के अनुसार सड़क को पूर्ण होने के एक महीने के भीतर सभी अधिशाषी अभियंताओं को सड़क फिटनैस समिति[38] से पूर्ण सड़कों को पास करवाने हेतु कार्रवाई करनी होती है। लेखापरीक्षा में देखा गया कि आठ (17 में से) नमूना जांचित मण्डलों[39] में ₹ 49.00 करोड़ की लागत में पूर्ण (2013-18) की गई 129 में से 33 (23 *प्रतिशत*) सड़कों (लम्बाई: 153.94 किलोमीटर) को विभिन्न किलोमीटर में अपेक्षित चौड़ाई (पांच मीटर) की उपलब्धता (दो मामले) एवं सड़क बनाने के पश्चात भूमि विवाद (एक मामला) के कारण वाहन यातायात को चलाने हेतु पास नहीं किया गया था। 30 सड़क परियोजनाओं में मण्डल द्वारा सड़क फिटनैस समिति से वाहन यातायात हेतु सड़क को पास करवाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा द्वारा सम्बद्ध मण्डल के स्टाफ के साथ किया गया भौतिक निरीक्षण (फरवरी से जून 2018) के दौरान अपेक्षित पांच मीटर की चौड़ाई से कम सड़क देखी गई जिसका छायाचित्र नीचे दर्शाया गया है: पांच मीटर से कम चौड़ाई सहित ऊना टक्का रोड से कोटला खुर्द मोहल्ला तक सम्पर्क सड़क अतिरिक्त मुख्य सचिव (दिसम्बर 2018) ने बताया कि अधिशाषी अभियंताओं को कमियां पूरी करने के पश्चात तुरन्त सड़कों को यातायात हेतु पास करवाने के आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए थे। तथापि, विभाग ने न तो अपेक्षित चौड़ाई सहित सड़कों का निर्माण किया और न ही भू-स्वामियों से सड़क निर्मित करने से पहले लिखित सहमति प्राप्त की थी।
2.	पुल निर्मित न होने के कारण सड़क का प्रयोग न करना	हमीरपुर मण्डल में सम्पर्क सड़क खियाह से भटेड़ा वाया भरनोट एवं थालाकना (किलोमीटर 0.0 से 4.855) के साथ-साथ पुंग खड्ड पर किलोमीटर 1.555 पर पुल सहित परियोजना के निर्माण को विधायक द्वारा संस्तुत किया (जनवरी 2011)गया। तथापि, परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को मण्डल द्वारा बिना पुल प्रावधान के ₹ 2.86 करोड़ में तैयार किया था तथा परियोजना ₹ 2.78 करोड़ में स्वीकृत (दिसम्बर 2011) हुई थी। सड़क कार्य[40] एक ठेकेदार को ₹ 2.32 करोड़ में प्रदान (अगस्त 2012) किया जिसे अगस्त 2013 तक पूर्ण करना निर्धारित था, को ठेकेदार ने ₹ 2.66 करोड़ में पूर्ण (जून 2017) किया था । तथापि, पुंग *खड्ड* पर 1.555 किलोमीटर पर अपेक्षित पुल को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में शामिल नहीं किया था जिसे निर्मित नहीं किया था तथा विभाग ने जून 2018 तक पुल के निर्माणार्थ कोई कार्रवाई नहीं की थी। पुल निर्माण न करने के कारण, निर्मित सड़क के दोनों किनारों को जोड़ा नहीं जा सका जिससे व्यय काफी हद तक निष्फल रहा जैसा कि मण्डल के तकनीकी स्टाफ सहित लेखापरीक्षा द्वारा किया गया (मई 2018) भौतिक निरीक्षण में भी पाया गया (छायाचित्र)। खियाह से भटेरा वाया भरनोट एवं थालाकना की पूर्ण की गई सड़क (किलोमीटर 0.0 से 4.855) किलोमीटर 1.555 पर पुंग खड्ड पर पुल के बिना खियाह से भटेरा वाया भरनोट एवं थालाकना सड़क अधिशाषी अभियंता ने बताया (जून 2018) कि पुल को अन्य विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के माध्यम से निर्मित किया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पुल के निर्माण का कार्य सड़क निर्माण के साथ-साथ होना चाहिए था ताकि सभी मौसमों में इसकी कनेक्टिविटी सुनिश्चित होती।

38 समिति में उप-मण्डलीय मेजिस्ट्रेट (अध्यक्ष) तथा तीन सदस्य अर्थात् अधिशाषी अभियंता हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, उप-अधीक्षक पुलिस तथा हिमाचल पथ परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक शामिल होते हैं।

39 बिलासपुर-I, डलहौजी, धामी, देहरा, हमीरपुर, जैसिंहपुर, कुल्लू-II तथा ऊना।

40 किलोमीटर 0.0 से 4.855 में फारमेशन कटिंग, जल निकासी पार, सोलिंग, वियरिंग, तथा टारिंग, पैरापिट्स तथा वी-आकार नाली बनाना।

3.	भू-स्वामियों द्वारा सड़क बंद करने के कारण सड़क को प्रयोग न करना	डलहौजी मण्डल में किलोमीटर 0.0 से 4.280 टहकोली से डुगरू वाया खेड़ा मंडराला सड़क को ₹ 2.06 करोड़ में संस्वीकृत (अक्तूबर 2009) किया गया जिसे ₹ 1.45 करोड़ व्यय करने के पश्चात् पूर्ण (नवम्बर 2016) किया गया था। तथापि, सड़क को यातायात हेतु नहीं खोला गया था क्योंकि भू-स्वामी द्वारा भवन सामग्री को किलोमीटर 2.020 से 2.130 तक ढेर लगाया गया था एवं किलोमीटर 4.190 से 4.280 तक सड़क पर वेरिकेड् खड़े किए गए थे तथा कूड़ा कर्कट फैंका हुआ था जैसा कि मण्डल के स्टाफ के साथ लेखापरीक्षा द्वारा स्थल निरीक्षण (मई 2018) के दौरान देखा गया (छायाचित्र)। डलहौजी मण्डल में टहकोली से डुगंरू वाया खेड़ा मंडराला बन्द पड़ी सड़क विभाग ने न तो सड़क निर्माण से पूर्व भूमि का स्पष्ट अधिकार सुनिश्चित किया था और न ही भू-मालिकों के साथ मामले को हल करने हेतु कार्रवाई की गई थी यद्यपि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में भूमि उपलब्धता का झूठा प्रमाण पत्र दिया गया था जैसाकि परिच्छेद 2.1.6.2 में दर्शाया है। पूर्ण सड़क का उपयोग न करने से जनता अभिप्रेत लाभ से वंचित रही तथा ₹ 1.45 करोड़ का किया गया व्यय निष्फल रहा। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया (दिसम्बर 2018) कि सड़क को किसी भी भूमि मालिकों द्वारा बंद नहीं किया गया है। विभाग के स्टाफ सहित लेखापरीक्षा द्वारा किए भौतिक सत्यापन में पाई गई स्थिति के अनुसार उत्तर परस्पर विरोधी था क्योंकि एक भूमि मालिक द्वारा सड़क को बंद किया गया था।

सड़को को पास न करने (33 मामले), पुल का निर्माण न करने (एक मामला) तथा भूमि विवाद (एक सड़क) के कारण इन सड़कों तथा पुलों पर किया गया ₹ 53.11 करोड़ का व्यय अधिकतर निष्फल रहा क्योंकि परिकल्पित लाभों को प्राप्त नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए मामले नमूना-जांच पर आधारित है। विभाग/ सरकार ऐसे सभी मामलों की जांच तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु कदम उठा सकता है।

2.1.10 आंतरिक नियंत्रण

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एक प्रबन्धन उपकरण है जो कि नियमों एवं प्रकियाओं के उल्लंघन का पता लगाता है, निहितार्थ सहित कारणों का आंकलन करता है तथा सुधारात्मक कार्रवाई पर सुझाव देता है। इसके द्वारा, संगठन कार्यकुशल एवं प्रभावी परिचालन, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता, यथा-प्रयोज्य नियमों, विनियमों एवं सांविधिक कर्तव्यों की अनुपालना हेतु उचित आश्वासन देता है। आंतरिक नियंत्रण की कमियों को आगामी परिच्छेदों में विवेचित किया गया है। परिणाम, परियोजनाओं की नमूना-जांच पर आधारित है; राज्य सरकार ऐसी कमियों का पता लगाने एवं समाधान हेतु सभी परियोजनाओं की समीक्षा कर सकती है।

2.1.10.1 वित्तीय नियंत्रण - नाबार्ड द्वारा ऋण की प्रतिपूर्ति

राज्य सरकार द्वारा परियोजनाओं की व्यय विवरणी प्रस्तुत करने के आधार पर व्यय की प्रतिपूर्ति नाबार्ड निधियन से की जाती है। अधिशाषी अभियंता मासिक आधार पर सड़कों पर किए व्यय विवरण प्रमुख अभियंता को प्रस्तुत करते हैं तथा दावों को आगे नाबार्ड से प्रतिपूर्ति हेतु वित्त विभाग के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है।

2013-18 के दौरान (निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि) संस्वीकृत परियोजनाओं की स्थिति, किया गया व्यय, देय प्रतिपूर्ति तथा नाबार्ड द्वारा वास्तव में की गई प्रतिपूर्ति को नीचे **तालिका-2.1.8** में दर्शाया गया है।

तालिका-2.1.8: 2013-18 के दौरान संस्वीकृत परियोजनाओं की स्थिति, किया गया व्यय, देय प्रतिपूर्ति तथा नाबार्ड द्वारा वास्तव में की गई प्रतिपूर्ति की स्थिति

(₹ करोड़ में)

ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि/ वर्ष	संस्वीकृत परियोजना		व्यय	प्रतिपूर्ति दावे				
	संख्या	राशि		देय	किया गया दावा	कम किया गया दावा	प्राप्त	कम प्राप्ति (6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2013-14	75	244.83	181.46	163.31	155.47	7.84	154.72	0.75
2014-15	80	256.00	152.25	137.03	122.28	14.75	119.64	2.64
2015-16	107	385.61	165.54	148.99	126.88	22.11	118.71	8.17
2016-17	53	250.43	38.32	34.49	22.74	11.75	18.55	4.19
2017-18	84	326.22	3.09	2.78	1.50	1.28	1.41	0.09
योग	**399**	**1,463.09**	**540.66**	**486.60**	**428.87**	**57.73**	**413.03**	**15.84**

स्रोतः विभाग द्वारा आपूरित आंकड़े।

2013-18 के दौरान नाबार्ड से ग्रामीण अवंसरचना विकास निधि-XIX से XXIII तक देय ₹ 486.60 करोड़ (किये गये व्यय का 90 *प्रतिशत*) की प्रतिपूर्ति के प्रति विभाग ने ₹ 428.87 करोड़ के ऋण की प्रतिपूर्ति का दावा किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 57.73 करोड़ कम का दावा किया गया। उपर्युक्त अवधि के दौरान विभाग द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु किए गये दावे ₹ 428.87 करोड़ के प्रति भी, ₹ 15.84 करोड़ मार्च 2018 तक प्राप्त नहीं किए गये थे। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया (दिसम्बर 2018) कि प्रतिपूर्ति दावों को प्रस्तुत करना लगातार प्रक्रिया है एवं परियोजनाओं पर किए गए वास्तविक व्यय के आधार पर नाबार्ड को प्रस्तुत किए जाते है। तथापि, विभाग ने न तो वास्तविक व्यय को देखते हुए प्रतिपूर्ति दावे प्रस्तुत किए और न ही वास्तव में किए गये दावे प्राप्त किये।

2.1.10.2 प्रशासनिक नियंत्रण

(i) कार्यों का बंटवारा करना

जारी अनुदेशों (अप्रैल 2012) के साथ पठित लोक निर्माण विभाग की नियमावली के परिच्छेद 6.44 में प्रावधान है कि ई-टैडरिंग अथवा प्रैस के माध्यम से प्रचार से बचने हेतु, उच्चतर प्राधिकारी के अनुमोदन से बचने के लिए कार्य/परियोजना का बटवारा नहीं करना चाहिए।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि नौ (17 में से) नमूना-जांचित मण्डलों[41] में ₹ 104.74 करोड़ में नाबार्ड के अन्तर्गत संस्वीकृत की गई 23 सड़क परियोजनाएं (दिसम्बर 2008 से अक्तूबर 2014 के बीच), का कार्य 124 ठेकेदारों को ₹ 89.36 करोड़ में प्रत्येक कार्य को दो से 44 कार्यों में बांटकर प्रदान किया (अक्तूबर 2009 से सितम्बर 2017)। परियोजनाओं को व्यापक प्रचार एवं निम्न स्तर पर निविदाओं को अन्तिम रूप देने के लिये उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृति से बचने हेतु विभाजित किया गया। स्पष्टतया, परियोजनाओं का बंटवारा करने से निविदा प्रक्रिया में अधिकतम प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता तथा निष्पक्षता की सुनिश्चितता को समाप्त किया गया। इसके अतिरिक्त, ठेकेदार को अनुचित लाभ दिया गया। कुछ दृष्टांत नीचे **तालिका-2.1.9** में दिए गए हैं:-

तालिका-2.1.9: कार्यों के बांटने के दृष्टातों का विवरण

(₹ करोड़ में)

मण्डल का नाम	परियोजनाओं की संख्या	संस्वीकृत वर्ष	संस्वीकृत राशि	प्रदान किए अनुबंधों की संख्या	प्रदान की गई राशि	कार्य पूर्ण करने में विलम्ब (महीनों में)
मण्डी-I	1	2008	3.48	44	5.45	41
संगड़ाह	1	2013	16.84	5	15.96	14
ऊना	5	2009 से 2011	16.25	2 से 4	11.48	18 से 22
उदयपुर	1	2012	0.11	11	0.20	कोई विलम्ब नहीं

41 डलहौजी, घुमारवीं, जुब्बल, मण्डी-I, नूरपुर, संगड़ाह, ठियोग, उदयपुर तथ ऊना।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया (दिसम्बर 2018) कि मण्डलों द्वारा कार्यों का बंटवारा निविदा प्रक्रिया में गति बढ़ाने हेतु किया था जहां पर ठेकेदार के पास आवश्यक क्षमता उपलब्ध नहीं थी तथा दुर्गम स्थल हालातों के कारण किया था। तथापि, कार्यों का बंटवारा करने के बावजूद, तालिका 2.1.9 में दर्शाए गये आठ में से सात सड़क परियोजनाओं को पूर्ण करने मे 14 से 41 महीने का विलम्ब हुआ तथा प्रतिस्पर्धात्मक दरों को प्राप्त करने का उद्देश्य भी प्राप्त नहीं हुआ।

(ii) कार्य पर प्रदान राशि से अधिक व्यय

लेखापरीक्षा में देखा गया कि नमूना-जांचित मण्डलों में (डलहौजी को छोड़कर) ₹ 147.23 करोड़ की लागत में सौंपे गए 82 कार्यों के प्रति इन कार्यों के निष्पादानार्थ ठेकेदारों को ₹ 173.47 करोड़ का भुगतान किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 26.24 करोड़ (18 *प्रतिशत*) की भुगतान राशि का विचलन हुआ। तथापि, विचलन भुगतान सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना किया गया। कुछ मुख्य विचलन मामले नीचे **तालिका-2.1.10** में दर्शाए गए है:

तालिका-2.1.10: मुख्य विचलन के दृष्टांतों का विवरण

(₹ करोड़ में)

मण्डल का नाम	परियोजना का नाम	प्रदान की गई राशि	व्यय	अधिक व्यय
ठियोग	क्वांति पुल का निर्माण	3.02	5.76	2.74
हमीरपुर	राष्ट्रीय राजमार्ग-17 कल्लूर से कोहला नादौन अमतर सम्पर्क सड़क का निर्माण	3.75	4.58	0.83
ऊना	(i) वाया पटवार खाना ईसपुर गगरेट सड़क से लोअर पंजावर सम्पर्क सड़क का निर्माण	2.90	3.70	0.80
	(ii) गगरेट ओइल ईसपुर सड़क से मोहल्ला टिपरीन से स्वां नदी तक निर्माण तथा मेंटलिंग/टायरिंग	2.25	3.10	0.85

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया (दिसम्बर 2018) कि अप्रत्याशित परिस्थितियों एवं स्थल हालातों के अनुसार अतिरिक्त कार्य का निष्पादन करने के कारण अधिक व्यय किया गया। तथापि, मण्डल ने विचलन हेतु सक्षम प्राधिकारी से पूर्वानुमोदन प्राप्त नहीं किया था।

2.1.10.3 गुणवत्ता नियंत्रण एवं निगरानी

(i) गुणवत्ता नियंत्रण

गुणवत्ता नियंत्रण परियोजनाओं का निष्पादन वांछित गुणवत्ता/ स्तर पर सुनिश्चित करने हेतु महत्त्वपूर्ण है। परियोजनाओं/ कार्यों के निष्पादन की गुणवत्ता की जांच राज्य गुणवत्ता नियंत्रण विंग एवं राज्य नियंत्रण मोनिटरों के माध्यम से विभाग द्वारा की जानी थी।

- **गुणवत्ता नियंत्रण विंग एवं राज्य गुणवत्ता मोनिटर द्वारा गुणवत्ता जांच**

मुख्य अभियंता (गुणवत्ता नियंत्रण एवं अभिकल्प) के निर्देशानुसार, (सितम्बर 2011) ₹ 0.30 करोड़ से ऊपर के सभी कार्यों का निरीक्षण राज्य गुणवत्ता मोनिटरों के साथ-साथ अधिशाषी अभियंताओं (गुणवत्ता नियंत्रण) द्वारा नियमित अंतरालों पर किया जाना था। तथापि, निरीक्षण की अवधि निर्धारित नहीं की गई थी। 2013-18 के दौरान, राज्य गुणवत्ता मोनिटरों ने 14 नमूना-जांचित मण्डलों की 43 परियोजनाओं में 102 निरीक्षण संचालित किए जबकि शेष तीन मण्डलों[42] में कोई निरीक्षण नहीं किया गया था। 43 परियोजनाओं में से 28 परियोजनाओं में 59 दोषों[43] को इंगित किया गया था परंतु राज्य गुणवत्ता मोनिटरों द्वारा इंगित किए गए दोषों का सुधार मण्डल द्वारा प्रस्तुत नहीं

---

42 बिलासपुर, घुमारवीं तथा जयसिंहपुर।

43 *पक्का/ब्लॉक्ड* नालियों का निर्माण न करना, बर्म में सुधार, गुणवत्ता जांच का संचालन न करना तथा मलवा/ भू-स्खलन को हटाना।

किया गया था। इसके अतिरिक्त, अधिशाषी अभियंताओं (गुणवत्ता नियंत्रण) द्वारा 29 परियोजनाओं में 32 निरीक्षण संचालित किए गये थे परंतु कोई विशिष्ट कमियां इंगित नहीं की गई तथा केवल सुधार हेतु परामर्श दिया गया। लेखापरीक्षा द्वारा किए गए भौतिक निरीक्षण के दौरान ध्यान में आए निर्माण कार्य के घटिया स्तर के कुछेक दृष्टांतों को परिच्छेद 2.1.9.7 में दर्शाया गया है। समापन सम्मेलन में, अतिरिक्त मुख्य सचिव ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि नये राज्य गुणवत्ता मोनिटरों को नियुक्त किया गया है तथा प्रत्येक सड़क का निरीक्षण नियमित रूप से किया जाएगा।

- **पूर्णता के समीप परियोजनाओं की गुणवत्ता जांच**

मुख्य अभियंता (गुणवत्ता नियंत्रण एवं अभिकल्प) शिमला, द्वारा जारी निर्देशानुसार (जून 2011) पूर्ण परियोजना के अंतिम बिल को परियोजना के अंतिम निरीक्षण के आधार पर अधीक्षण अभियंता की सिफारिश पर अधिशाषी अभियंता द्वारा स्वीकार किया जाता है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 2013-18 के दौरान नमूना जांचित मण्डलों में ₹ 297.51 करोड़ में 129 परियोजनाएं पूर्ण की गई थी, परन्तु जैसा कि अपेक्षित था अधीक्षण अभियंताओं द्वारा परियोजनाओं का अंतिम निरीक्षण नहीं किया गया था। 129 पूर्ण परियोजनाओं में से 101 परियोजनाओं के अंतिम बिलों को (कुल व्यय: ₹ 239.13 करोड़) मण्डल द्वारा अधीक्षण अभियन्ता के निरीक्षण किए बिना पास किया गया था तथा शेष 28 परियोजनाओं के अंतिम बिल मार्च 2018 तक पास नहीं किए थे। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया (दिसम्बर 2018) कि सम्बद्ध अधीक्षण अभियंताओं के अंतिम निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर पूर्ण परियोजनाओं के अंतिम बिलों को पास करने हेतु सभी क्षेत्रीय अभिकरणों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए थे।

(ii) निगरानी एवं निरीक्षण

सम्बद्ध प्राधिकारियों द्वारा परियोजनाओं का निगरानी एवं आवधिक निरीक्षण परियोजनाओं के प्रभावी निष्पादन हेतु एक कुंजी है। कमियों को नीचे विवेचित किया गया है:

- **उच्च अधिकार समिति द्वारा निगरानी**

2013-18 के दौरान, उच्च अधिकार समिति[44] की अपेक्षित 20 बैठकों के प्रति 15 बैठकों[45] का आयोजन किया गया जिसके परिणामस्वरूप पांच बैठकों का कम आयोजन हुआ। चर्चा मुख्य रूप से वित्तीय प्रबन्धन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों/ परियोजना पूर्णता प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण तथा नाबार्ड के अंतर्गत वित्तपोषण हेतु नये प्रस्तावों पर केन्द्रित थी। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया (दिसम्बर 2018) कि उच्च अधिकार समिति की बैठक का आयोजन ऋण संस्वीकृति, प्रतिपूर्ति अंतर स्थिति, धीमी गति से चल रही परियोजनाएं, इत्यादि के मामलों पर चर्चा हेतु की गई थी। तथापि, उपर्युक्त मामलों पर केवल सामान्य चर्चा की गई थी तथा तकनीकी कमियों के विशिष्ट मामले तथा प्राप्त हुए लाभों पर चर्चा नहीं की गई थी, जैसाकि परिच्छेद 2.1.6.6, 2.1.6.7, 2.1.9.7 तथा 2.1.9.8 में दर्शाया गया है।

- **जिला स्तरीय अनुश्रवण टीम द्वारा निगरानी**

राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में उपायुक्त की अध्यक्षता में दो सदस्यों (अधीक्षण अभियंता एवं जिला प्रबन्धक, नाबार्ड) तथा सदस्य सचिव के रूप में जिला योजना अधिकारी सहित जिला स्तर पर अनुश्रवण टीम का गठन किया था (दिसम्बर 1999)। समिति को मासिक आधार पर कार्यक्रम के भौतिक/वित्तीय पहलुओं की समीक्षा तथा यादृच्छिक निरीक्षण करना था। सदस्य सचिव को बैठक से एक सप्ताह के भीतर योजना विभाग को समेकित रूप से समीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक था।

---

44 त्रैमासिक आधार पर नाबार्ड परियोजनाओं की प्रगति पर समीक्षा एवं अनुश्रवण हेतु राज्य मुख्य सचिव, अध्यक्ष के रूप में, छः सदस्यों तथा सलाहकार (योजना), सदस्य सचिव के रूप में राज्य सरकार द्वारा गठित (फरवरी 1996)।

45 2013-14: चार, 2014-15: तीन, 2015-16: दो, 2016-17: तीन एवं 2017-18: तीन।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 2013-18 के दौरान जिला स्तरीय अनुश्रवण टीम ने नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के अनुश्रवण के लिए किसी भी बैठक का आयोजन नहीं किया था। सड़कों की पूर्णता हेतु, निधि प्रयुक्ति तथा समयबद्ध तरीके से नाबार्ड से ऋण की प्रतिपूर्ति के लिए भी कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त टीम ने नमूना निरीक्षण भी नहीं किया था जिसके कारण कार्यों की प्रगति की भौतिक जांच नहीं की गई। अधिशाषी अभियंताओं ने तथ्यों को स्वीकार किया।

- **नाबार्ड तथा विभागीय प्राधिकारियों द्वारा परियोजनाओं का निरीक्षण**

नाबार्ड दिशा-निर्देशों में नाबार्ड एवं विभागीय प्राधिकारियों द्वारा आवधिक क्षेत्र दौरा के माध्यम से परियोजनाओं के अनुश्रवण का प्रावधान है। तथापि, क्षेत्र दौरों की आवधिकता न तो नाबार्ड दिशा-निर्देशों में विनिर्दिष्ट है और न ही अलग से विभागीय प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित की गई थी। नमूना-जांचित मण्डलों में 2013-18 के दौरान निष्पादित 240 परियोजनाओं (269 में से) के सम्बन्ध में विभागीय प्राधिकारियों (अधिशाषी अभियंता, अधीक्षण अभियंता, तथा मुख्य अभियंता) द्वारा किए गए निरीक्षणों के समर्थन में निरीक्षण टिप्पणी/स्थल आदेश पुस्तिका को तैयार नहीं किया गया था। यह दर्शाता है, कि यदि निरीक्षण किए गए है, तो उनके कोई दस्तावेज नहीं थे। इसके अतिरिक्त उक्त अवधि में नाबार्ड द्वारा भी कोई निरीक्षण नहीं किया गया था।

नाबार्ड प्राधिकारियों ने बताया (जुलाई 2018) कि निरीक्षण हेतु राज्य सरकार जिम्मेदार है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया (दिसम्बर 2018) कि विभागीय प्राधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण किया जा रहा था। तथापि, 17 नमूना-जांचित मण्डलों में निरीक्षण टिप्पणी/ स्थल आदेश पुस्तिका नहीं थी जिससे ऐसे किए गए निरीक्षणों, यदि किए गये हों, की प्रमाणिकता को सुनिश्चित किया जा सके।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए मामले नमूना-जांच पर आधारित है। विभाग/सरकार ऐसे सभी मामलों की जांच तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु कदम उठा सकता है।

सिफारिश: *सरकार समय पर पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर गुणवत्ता जांच, इंगित किए गये दोषों का तुरंत सुधार तथा परियोजनाओं के निष्पादन का नियमित अनुश्रवण करने के सम्बंध में कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित करने पर विचार कर सकती है।*

निष्कर्ष

इस तथ्य की दृष्टि से कि इन परियोजनाओं को नाबार्ड ऋण के माध्यम से वित्तपोषित किया जा रहा था, यह अनिवार्य था कि परियोजना का चयन न्यायिक तथा निष्पादन समयबद्ध एवं संस्वीकृत लागत के भीतर हो क्योंकि नाबार्ड द्वारा लागत वृद्धि को वित्तपोषित नहीं किया जाता। इस संदर्भ में, पूर्ववर्ती परिच्छेदों में विस्तृत कमियों का अधिक महत्त्व हो जाता है। संस्वीकृत परियोजनाओं का भौगोलिक वितरण समान नहीं था जो दोषपूर्ण प्राथमिकता को दर्शाता है: विपदग्रस्त क्षेत्रों की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया, जबकि उसी समय पर, ऐसे मामले थे जहां पहले ही सड़कों से जुड़े गांवों के लिए सड़के संस्वीकृत की गईं। परियोजना स्तर पर योजना में कमी थी क्योंकि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने में काफी समय लिया गया, परियोजनाएं बाधा रहित भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना स्वीकृत की गईं तथा गलत/ अनुपयुक्त स्थल के चयन एवं अभिकल्प के मामले थे। स्कीम निष्पादन में विलम्ब एवं लागत वृद्धि चिह्नित की गई। निर्माण गुणवत्ता के संबंध में, गैर-पक्की सड़कों के निर्माण की प्रथा का अर्थ था कि सड़क की सतह की टूट-फूट/ क्षति तेजी से होगी। गुणवत्ता के प्रति कम ध्यान इन तथ्यों से उजागर होता था कि गुणवत्ता नियंत्रण जांच में उठाई गई टिप्पणियों का समाधान नहीं किया गया। अन्त में, आयोजना एवं निष्पादन में कमी का अर्थ है कि परिकल्पित लाभ, समय एवं संस्वीकृत लागत में नहीं मिले तथा गुणवत्ता निर्माण चिंता का विषय रहा। परियोजना विलम्ब के कारण लागत वृद्धि तथा दोषपूर्ण अभिकल्प एवं निम्न स्तर/ घटिया गुणवत्ता कार्य के कारण अतिरिक्त लागत भविष्य में बजटीय परिव्यय के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

2.2 शहरी क्षेत्रों में सीवेज प्रबंधन

शहरी क्षेत्रों में सीवेज प्रबंधन की निष्पादन लेखापरीक्षा में आयोजना व निर्देशन, वित्तीय प्रबंधन, सीवरेज योजनाओं के कार्यान्वयन, सीवरेज एवं सैप्टिक टैंक प्रणाली के द्वारा सीवेज के प्रशोधन एवं निपटान तथा निगरानी से सम्बंधित पहलुओं का मूल्यांकन किया गया। कुछ मुख्य परिणाम निम्नवत् हैं:

मुख्य बातें:

- *आयोजना व निर्देशन की कमियों के अंतर्गत सीवरेज योजनाओं हेतु रणनीति तैयार न करना, सीवरेज योजनाओं हेतु बाधारहित भूमि सुनिश्चित न करना, अति दबावग्रस्त सीवेज प्रशोधन संयंत्रों के उन्नयन के सम्बंध में सक्रिय कार्रवाई का अभाव, सीवेज प्रशोधन संयंत्रों/ सैप्टिक टैंकों के अभिकल्प में कमियां तथा मल के निपटान पर नियंत्रण में अभाव सम्मिलित था।*

  (परिच्छेद 2.2.5)

- *वित्तीय प्रबंधन की कमियों के अंतर्गत सीवरेज योजनाओं हेतु अपर्याप्त निधियन, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मण्डलों को निधियों का 30 प्रतिशत जारी न करना तथा 43 प्रतिशत विलम्ब से जारी करना, नमूना-जांचित 16 मण्डलों में से 11 में 58 प्रतिशत निधियों की अप्रयुक्ति, नमूना-जांचित 15 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वित्त आयोग से प्राप्त निधियों की अप्रयुक्ति तथा उपयोगकर्ता शुल्क के संग्रह से सम्बंधित कमियां सम्मिलित थीं।*

  (परिच्छेद 2.2.6)

- *नमूना-जांचित 25 सीवरेज योजनाओं में से 205 माह के विलम्ब के पश्चात् मात्र एक योजना पूर्ण हुई; 13 योजनाएं अपूर्ण रहीं (18 से 230 माह का विलम्ब) तथा 11 योजनाएं भू-अर्जन/ हस्तांतरण हेतु आयोजना के अभाव, सीवरेज नेटवर्क बिछाने के लिए बाधारहित भूमि सुनिश्चित न करने; विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में विलम्ब; तथा निधियों के अभाव के कारण प्रारम्भ नहीं की गई थीं।*

  (परिच्छेद 2.2.7)

- *घर/ प्रतिष्ठान सीवरेज नेटवर्क से नहीं जुड़े थे जिसके परिणामस्वरूप सीवेज प्रशोधन संयंत्रों का कम उपयोग हुआ। तीन सीवेज प्रशोधन संयंत्रों के अधिक दबावग्रस्त होने के कारण प्रशोधन प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा तथा खराब गुणवत्ता की गंदे पानी की धारा में परिणत हुआ।*

  (परिच्छेद 2.2.8 से 2.2.9.1)

- *सीवेज प्रशोधन संयंत्रों के निष्क्रिय घटकों तथा अभिकल्प की कमियां गंदे पानी की धारा की खराब गुणवत्ता में परिणत हुई जो सतही जल-निकायों में छोड़ी जा रही थी। सीवेज प्रशोधन संयंत्रों की बड़ी संख्या प्रशोधित गंदे पानी की धारा की गुणवत्ता हेतु मानदण्डों के अनुरूप नहीं थी। मल प्रशोधन अपर्याप्त था।*

  (परिच्छेद 2.2.9.2 से 2.2.9.4)

- *सामुदायिक एवं घरेलू स्तर की सैप्टिक टैंक प्रणाली में गंदे पानी की धारा के प्रशोधन की सुविधा नहीं थी तथा गंदे पानी की धारा जल-निकायों में बिना समुचित प्रशोधन के छोड़ी जा रही थी। निर्दिष्ट अवधि में टैंकों को मल रहित करने हेतु अथवा निपटान पूर्व मल-प्रशोधन हेतु कोई तंत्र नहीं था। समुचित प्रशोधन के बिना मल तथा गंदे पानी की धारा का निपटान करने का परिणाम जल-निकायों के दूषित होने एवं जल-जनित रोग फैलने के जोखिम के रूप में हुआ।*

  (परिच्छेद 2.2.10.1 एवं 2.2.10.2)

- *विभाग, शहरी स्थानीय निकाय तथा सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मण्डल स्तर पर निगरानी तंत्र कमजोर था।*

  (परिच्छेद 2.2.11)

2.2.1 परिचय

सीवेज का तात्पर्य आवासीय, संस्थागत, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों से उत्पन्न अपशिष्ट जल से है। इसे दो संघटकों में वर्गीकृत किया जा सकता है: ब्लैक वाटर (शौचालयों से मानव उत्सर्जित अपशिष्ट से समाविष्ट

जल) तथा ग्रे-वाटर (बाथरूमों तथा रसोई से उत्सर्जित जल)। सीवेज प्रबंधन प्रणाली का लक्ष्य विभिन्न प्रतिष्ठानों से उत्सर्जित व निर्मित सीवेज का उचित संग्रहण, परिवहन, प्रशोधन एवं निपटान अथवा स्वास्थ्य या पर्यावरणीय समस्या[46] तथा वैक्टर जनित रोगों के फैलने का कारण बने बिना पुनः उपयोग सुनिश्चित करना है। सीवेज के अनुचित प्रबंधन से अस्वास्थ्यकर परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जिससे भूमि-संदूषण/ विषाक्तता तथा जल के माध्यम से पर्यावरणीय प्रदूषण तथा वेक्टर-जनित रोग फैल सकता है।

सीवेज प्रबंधन प्रक्रिया

सीवेज के प्रशोधन एवं निपटान हेतु दो प्रणालियां हैं: सीवरेज प्रणाली तथा सैप्टिक टैंक प्रणाली। सीवेज प्रबंधन प्रक्रिया **परिशिष्ट-2.1** में दर्शाई गई है।

सीवरेज प्रणाली में सीवेज को इसके उत्पादन स्रोत से संग्रहित किया जाता है तथा सीवर पाईपों के नेटवर्क (सीवरेज) के माध्यम से सीवेज प्रशोधन संयंत्र तक पहुंचाया जाता है। सीवेज प्रशोधन संयंत्र में ठोस पदार्थों को हटाने के लिए प्राथमिक उपचार, घुलित एवं निलम्बित कार्बनिक पदार्थों को गलाने के लिए द्वितीयक उपचार, रोगजनकों व पोषकों (जैसे फास्फोरस एवं नाइट्रोजन) को हटाने हेतु अपशिष्ट जल (गंदे पानी की धारा) के उन्नत शुद्धिकरण के लिए कीटाणु-शोधन एवं तृतीयक उपचार तथा मल या अर्ध-ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण एवं जल निष्कासन हेतु मल प्रशोधन शामिल है। प्रशोधित गंदे पानी की धारा एवं मल का पुनः उपयोग किया जा सकता है।

सेप्टिक टैंक प्रणाली में सोखने वाले गड्ढे तथा सैप्टिक टैंक के माध्यम से सीवेज उत्पादन के स्रोत पर या उसके निकट सीवेज को एकत्रित, संग्रहित तथा प्रशोधित किया जाता है। भौतिक, रासायनिक तथा जैविक प्रक्रियाएं संदूषकों को हटाती हैं तथा प्रशोधित गंदे पानी की धारा सोखने वाले गड्ढों के माध्यम से जमीन में रिसती है। बड़े समुदायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सैप्टिक टैंकों के लिए गंदे पानी की धारा के अतिरिक्त प्रशोधन की आवश्यकता होती है। मल को समय-समय पर हटाना (मल रहित करना) पड़ता है तथा पुनः उपयोग योग्य बनाने या निपटान के पहले विशेष मल प्रशोधन सुविधा या सीवेज प्रशोधन संयंत्र में प्रशोधित करना होता है। पृथक आवासों (घरेलू स्तर पर) एवं छोटे समुदायों (सामुदायिक स्तर पर) जिनकी जनसंख्या भागीदारी 300 से अधिक न हो, के लिए सैप्टिक टैंक प्रणाली की अनुशंसा की जाती है।

उत्तरदायित्व संरचना

शहरी विकास विभाग राज्य स्तर पर सीवेज प्रबंधन हेतु रणनीति एवं योजना के निरूपण, सीवेज प्रबंधन हेतु परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराने तथा ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए उत्तरदायी था। विभाग पूंजीगत कार्यों के लिए शहरी स्थानीय निकायों को तथा संचालन एवं अनुरक्षण के लिए प्रमुख अभियंता, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग को निधियां जारी कर रहा था। शहरी स्थानीय निकाय स्थानीय स्तर की योजनाओं, घरेलू स्तर की सैप्टिक टैंक प्रणालियों के पर्यवेक्षण, निधि प्रबंधन तथा निगरानी हेतु उत्तरदायी थे। सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग नई परियोजनाओं की कार्य-योजना एवं कार्यान्वयन तथा मौजूदा योजनाओं[47] का संचालन एवं अनुरक्षण कर रहा था। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मानकों के अनुपालन की निगरानी, सीवेज प्रशोधन संयंत्रों हेतु प्राधिकार देने तथा रिपोर्टिंग करने के लिए जिम्मेदार था। उत्तरदायित्व संरचना चार्ट **परिशिष्ट-2.1** में दर्शाया गया है।

46 सीवरेज एवं सीवेज प्रशोधन (इंजीनियरिंग) पर केन्द्रीय सार्वजनिक -स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन नियमावली का अध्याय-2 (योजना)।

47 सीवरेज प्रणाली तथा सामुदायिक-स्तर पर सैप्टिक टैंक प्रणाली।

राज्य में 54 शहरी स्थानीय निकाय, दो नगर निगम, 30 नगर परिषद तथा 22 नगर पंचायतें हैं। मार्च 2018 तक 20 शहरी स्थानीय निकायों[48] में सीवेरेज प्रणालियां कार्यशील थीं तथा चार शहरी स्थानीय निकायों[49] में आंशिक रूप से कार्य कर रही थीं जबकि 21 शहरी स्थानीय निकायों[50] में कार्य प्रगति पर था। नौ शहरी स्थानीय निकायों[51] में कोई सीवरेज प्रणाली नहीं थी। 24 शहरी स्थानीय निकायों, जिनमें सीवरेज प्रणालियां थीं में 41 कार्यशील सीवेज प्रशोधन संयंत्र थे। विभाग के पास राज्य के सामुदायिक स्तर की सेप्टिक टैंक प्रणालियों हेतु आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। पारिवारिक स्तर की सैप्टिक टैंक प्रणालियां सभी शहरी स्थानीय निकायों में अस्तित्व में थीं।

2.2.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य निम्न पहलुओं के संदर्भ में निष्पादन को मूल्यांकित करने के थे:-

- सीवेज प्रबंधन की आयोजना;
- पर्याप्त निधियन तथा निधियों का कुशल उपयोग;
- सीवेरेज योजनाओं का कार्यान्वयन;
- सीवरेज एवं सैप्टिक टैंक प्रणालियों के माध्यम से सीवेज का प्रशोधन एवं निपटान; तथा
- निगरानी तंत्रों की प्रभावशीलता।

2.2.3 लेखापरीक्षा मापदण्ड

लेखापरीक्षा मापदण्ड प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित स्त्रोतों को संदर्भित किया गया:-

- केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन द्वारा जारी सीवरेज तथा सीवेज प्रशोधन (इंजीनियरिंग) पर नियमावली, 2012;
- सीवरेज तथा सीवेज प्रशोधन (अनुरक्षण एवं परिचालन) पर केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन द्वारा जारी नियमावली, 2012;
- सीवरेज तथा सीवेज प्रशोधन (प्रबंधन) पर केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन द्वारा जारी नियमावली, 2013;
- सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा जारी परिपत्र/ आदेश; तथा
- विभिन्न एजेन्सियों के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध।

2.2.4 लेखापरीक्षा क्षेत्र तथा पद्धति

निष्पादन लेखापरीक्षा में 2013-18 की अवधि को शामिल किया गया है। लेखापरीक्षा क्षेत्र में शहरी विकास विभाग, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग तथा हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शामिल थे। इसके अतिरिक्त राज्य के 54 में से 16[52] शहरी स्थानीय निकायों के साथ सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग के सम्बंधित 15 मण्डल[53] एवं नगर निगम मण्डल शिमला सीवेज प्रबंधन प्रक्रियाओं की विस्तृत जांच के लिए चुने (घटते हुए क्रम में अधिकतम

48 अर्की, भुंतर, चंबा, धर्मशाला, घुमारवीं, हमीरपुर, ज्वालामुखी, जोगिन्द्रनगर, जुब्बल, कुल्लू, मनाली, मण्डी, नैना देवी जी, पालमपुर, रामपुर, रोहड़ू, शिमला, सुजानपुर, सुन्दरनगर तथा ऊना।

49 कांगडा, नगरोटा बगवां, पांवटा साहिब तथा सोलन।

50 बद्दी, बंजार, भोटा, चुवाड़ी, डलहौजी, देहरा, गगरेट, करसोग, कोटखाई, मैहतपुर, नादौन, नालागढ़, नारकंड़ा नूरपुर, रिवालसर, संतोषगढ़, सरकाघाट, सुजानपुर, सुन्नी, तलाई तथा ठियोग।

51 बैजनाथ-पपरोला, बिलासपुर, चौपाल, दौलतपुर, ज्वाली, नाहन, नेर चौक, राजगढ़ तथा टाहलीवाल।

52 राज्य के दोनों नगर निगम, अर्थात् शिमला तथा धर्मशाला; राज्य की 30 नगर परिषदों में से 12 (बद्दी, बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कुल्लू, मण्डी, नाहन, नेरचौक, पांवटा साहिब, सोलन, सुन्दर नगर तथा ऊना); 22 नगर पंचायतों में से दो (बैजनाथ पपरोला तथा ज्वाली)।

53 बग्गी, बिलासपुर, चंबा, धर्मशाला, हमीरपुर, ज्वाली, कुल्लू, नाहन, नालागढ़, मण्डी, पालमपुर, पावंटा साहिब, सोलन, सुन्दरनगर तथा ऊना-1

जनसंख्या के आधार पर) गए। राज्य में सीवेज प्रबंधन हेतु उपलब्ध ₹ 319.16 करोड़[54] की कुल निधियों में से इन नमूना-जांचित इकाइयों में ₹ 108.37 करोड़[55] (34 *प्रतिशत*) का व्यय किया गया। लेखापरीक्षा कार्यपद्धति में संयुक्त भौतिक निरीक्षण तथा अभिलेखों की संवीक्षा निहित थी।

नमूना-जांचित 16 शहरी स्थानीय निकायों में से आठ[56] में पूर्ण रूप से कार्यशील सीवरेज प्रणालियां थी; दो शहरी स्थानीय निकायों (पांवटा साहिब व सोलन) में आंशिक रूप से कार्यशील सीवरेज प्रणालियां थी; एक शहरी स्थानीय निकाय (बद्दी) में सीवरेज परियोजना पर कार्य चल रहा था; तथा एक शहरी स्थानीय निकाय (बिलासपुर) में सीवरेज योजना संस्वीकृत थी परंतु कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था। शेष चार[57] शहरी स्थानीय निकायों में कोई सीवरेज योजना संस्वीकृत नहीं हुई थी। शहरी स्थानीय निकाय जहां पहले से सीवरेज प्रणालियां थीं, वहां मौजूदा योजनाओं के जीर्णोद्धार, छूटे हुए क्षेत्रों हेतु योजनाएं तथा घरों को जोड़ने हेतु भी योजनाएं संस्वीकृत की गई थीं। 25 सीवरेज योजनाएं (पूर्ण: एक, अपूर्ण: 13 एवं प्रारम्भ नहीं: 11) जोकि 2013-18 के दौरान या तो चालू थी या संस्वीकृत थीं, की नमूना-जांच की गई जैसाकि परिच्छेद 2.2.7 में चर्चा की गई है।

दस नमूना-जांचित शहरी स्थानीय निकायों, जिनमें सीवरेज प्रणालियां थीं, में 24 कार्यशील सीवेज प्रशोधन संयंत्र[58] थे। 16 नमूना-जांचित शहरी स्थानीय निकायों में से पांच[59] शहरी स्थानीय निकायों में 29 सामुदायिक स्तरीय सैप्टिक टैंक प्रणालियां विद्यमान थीं जबकि घरेलू स्तरीय सैप्टिक टैंक प्रणालियां सभी शहरी स्थानीय निकायों में विद्यमान थीं।

23 मार्च 2018 को अतिरिक्त मुख्य सचिव, शहरी विकास के साथ प्रारम्भिक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्य, मापदण्ड, क्षेत्र तथा पद्धति पर चर्चा की गई। मार्च तथा जुलाई 2018 के बीच लेखापरीक्षा संचालित की गई। 31 जनवरी 2019 को सचिव, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य के साथ समापन सम्मेलन में लेखापरीक्षा परिणामों पर चर्चा की गई। सम्बन्धित प्राधिकारियों के विचारों तथा उत्तरों को प्रतिवेदन में उचित स्थानों पर सम्मिलित किया गया है। लेखापरीक्षा परिणामों के सम्बंध में नवीनतम प्रास्थिति सितम्बर 2019 तक प्रतीक्षित थी।

लेखापरीक्षा परिणाम

लेखापरीक्षा परिणामों को सात भागों में व्यवस्थित किया गया है: आयोजना एवं निर्देशन, वित्तीय प्रबंधन, सीवरेज परियोजनाओं का क्रियान्वयन, सीवरेज नेटवर्क कनेक्टिविटी, सीवेज प्रशोधन एवं निपटान-सीवेज प्रशोधन संयंत्र, सैप्टिक टैंक प्रणालियां तथा निगरानी।

2.2.5 आयोजना एवं निर्देशन

2.2.5.1 राज्य स्तरीय एवं शहरी स्थानीय निकाय स्तरीय आयोजना में कमियां

सीवरेज एवं सीवेज प्रबंधन (इंजीनियरिंग) पर केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीरियरिंग संगठन द्वारा जारी नियमावली के अनुसार, राज्य, क्षेत्र व समुदाय स्तर पर सीवेज प्रबंधन एवं सीवरेज परियोजना हेतु कार्य-योजना अपेक्षित है। यह अपेक्षित था कि राज्य में शामिल अभिकरणों अर्थात् शहरी विकास तथा सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभागों ने चिह्नित रणनीतियों तथा कार्रवाई बिन्दुओं सहित सीवेज प्रबंधन के सम्बंध में अपनाई जाने वाली परिकल्पना एवं दृष्टिकोण की रूपरेखा हेतु रणनीतिक दस्तावेज तथा कार्ययोजना का निरूपण कर लिया हो। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सीवेज के एकत्रीकरण, प्रशोधन तथा निपटान हेतु सीवरेज प्रणालियों

---

54 राज्य बजट: ₹ 172.87 करोड़ (पूंजीगत कार्य: ₹ 125.42 करोड़ एवं परिचालन व अनुरक्षण: ₹ 47.45 करोड़, 13वां वित्त आयोग: ₹ 4.41 करोड़, जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय नवीकरण योजना/ छोटे एवं मध्यम शहरों हेतु शहरी अवसंरचना विकास योजना: ₹ 35.21 करोड़, अमृत योजना: ₹ 103.16 करोड़ तथा स्मार्ट सिटी: ₹ 3.51 करोड़।

55 मण्डलों द्वारा किया गया व्यय: ₹ 50.41 करोड़, शहरी स्थानीय निकाय: ₹ 4.56 करोड़, अमृत: ₹ 17.95 करोड़ तथा परिचालन एवं अनुरक्षण: ₹ 35.45 करोड़।

56 चम्बा, धर्मशाला, हमीरपुर, कुल्लू, मण्डी, शिमला, सुन्दरनगर तथा ऊना।

57 बैजनाथ पपरोला, ज्वाली, नाहन तथा नेरचौक।

58 चम्बा: 3, धर्मशाला: 1, हमीरपुर: 3, कुल्लू: 3, मण्डी: 2, पांवटा साहिब: 2, शिमला: 6, सोलन: 1, सुन्दरनगर: 1 तथा ऊना: 2

59 बिलासपुर (12), चंबा (1), धर्मशाला (2), मण्डी (13) तथा ऊना (1)।

की स्थापना के लिए कार्य-योजना प्रस्तुत करने हेतु शहरी स्थानीय निकायों को निर्देश दिए थे (जून 2015)। निम्न कमियां पाई गईं:

(i) शहरी क्षेत्रों में निर्धारित समयावधि में सीवरेज प्रणालियों की स्थापना हेतु कोई भी वृहद स्तरीय योजना या रणनीति योजना दस्तावेज नहीं था। वृहद स्तरीय योजना के अभाव में शहरी स्थानीय निकायों के अनुरोध पर ही योजनाएं संस्वीकृत की जा रही थीं। शहरी विकास विभाग द्वारा निधियों की उपलब्धता एवं प्राथमिकता नीति[60] के आधार पर योजनाओं को मंजूर/ संस्वीकृत किया जा सकता था।

(ii) बिना किसी रणनीति अथवा आयोजना के योजनाओं की तदर्थ मंजूरी के प्रचलन के परिणामस्वरूप नौ शहरी स्थानीय निकायों में (जिला मुख्यालयों[61] बिलासपुर एवं नाहन सहित) कोई सीवरेज प्रणालियां स्थापित नहीं हो पाई।

(iii) नमूना-जांचित शहरी स्थानीय निकायों में कुछ सीवरेज नेटवर्कों एवं सीवेज प्रशोधन संयंत्रों के अति-दबावग्रस्त होने पर भी न तो शहरी स्थानीय निकायों ने और न ही सम्बंधित सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मण्डलों ने इन नेटवर्कों/ सीवेज प्रशोधन संयंत्रों की क्षमता बढ़ाए जाने हेतु समय पर कार्रवाई की (परिच्छेद 2.2.9.1)। इसके अतिरिक्त, नमूना-जांचित शहरी स्थानीय निकायों के सीवेज प्रशोधन संयंत्रों में निष्क्रिय घटक तथा डिजाईन में कमियां थीं (परिच्छेद 2.2.9.2 व 2.2.9.3) जो खराब गुणवत्ता की गंदे पानी की धारा में परिणत हुई जिसे सतही जल में छोड़ा गया।

(iv) संस्वीकृत योजनाओं की पूर्णता में भू-विवादों के कारण लम्बा विलम्ब हुआ जिसमें से अधिकांश योजना संस्वीकृति अथवा कार्यों को प्रारम्भ करने के पूर्व बाधारहित भूमि सुनिश्चित करने में तंत्र की कमी के कारण था (परिच्छेद 2.2.7)।

(v) नमूना-जांचित 16 शहरी स्थानीय निकायों तथा सम्बंधित सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मण्डलों ने मानदण्डों के अनुसार सैप्टिक टैंकों के माध्यम से सीवेज के प्रशोधन व निपटान को सुनिश्चित करने हेतु कोई आयोजना तैयार नहीं की थी: सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मण्डलों द्वारा निर्मित सामुदायिक स्तरीय सैप्टिक टैंकों में डिजाईन की कमियां थीं तथा गंदे पानी की धारा का प्रशोधन एवं मल का निपटान मानदण्डों के अनुसार सुनिश्चित नहीं किया गया था (परिच्छेद 2.2.10.1); शहरी स्थानीय निकाय घरेलू स्तरीय सैप्टिक टैंकों व सोखने वाले गड्ढों के निर्माण का पर्यवेक्षण नहीं कर रहे थे जिसका परिणाम मल के अवैज्ञानिक निपटान के रूप में हुआ (परिच्छेद 2.2.10.2)।

समापन सम्मेलन में सचिव, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य ने तथ्यों को स्वीकार किया।

सिफारिश: *राज्य सरकार, सीवरेज प्रणालियों हेतु रणनीति के निरूपण, सीवरेज नेटवर्क तथा सीवेज प्रशोधन संयंत्र क्षमता के मुद्दों हेतु समयबद्ध कार्रवाई करने की परियोजना की संस्वीकृति/ कार्यान्वियन के पूर्व बाधारहित भूमि सुनिश्चित करने हेतु तंत्र बनाने तथा सैप्टिक टैंक प्रणालियों से मल के निपटान पर कठोर नियंत्रण सुनिश्चित करने के माध्यम से समग्र आयोजना सुनिश्चित कर सकती है।*

2.2.6 वित्तीय प्रबंधन

2.2.6.1 अपर्याप्त निधियन

शहरी क्षेत्रों में सीवेज प्रबंधन से सम्बन्धित गतिविधियां शहरी विकास विभाग की बजटीय निधियों, केन्द्रीय वित्त आयोगों से प्राप्त अनुदानों तथा भारत सरकार की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों (जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी

60 जिला मुख्यालयों के लिए योजनाओं की पहली प्राथमिकता ततपश्चात् तीर्थ स्थल तथा पर्यटन केन्द्र के बाद शेष शहर।

61 बिलासपुर की जनसंख्या: 13,654 (जनगणना 2011) तथा अनुमानित जनसंख्या: 64,176 (2040 तक); नाहन की जनसंख्या: 28,899 (जनगणना 2011) तथा अनुमानित जनसंख्या: 58,000 (2052 तक)।

नवीकरण योजना/ छोटे एवं मध्यम नगरों हेतु शहरी अवसंरचना विकास[62] एवं अमृत योजना[63]) से वित्तपोषित की जा रही थीं। 2013-18 के दौरान राज्य में सीवेज प्रबंधन हेतु प्राप्त निधियों का विवरण नीचे **तालिका-2.2.1** में दिया गया है:-

तालिका-2.2.1: राज्य में सीवेज प्रबंधन हेतु प्राप्त निधियों का विवरण (2013-18)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य बजट	वित्त आयोग के अनुदान[64]	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें			कुल निधियां[65]
			जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना/ छोटे एवं मध्यम शहरों हेतु शहरी अवसंरचना विकास	अमृत	स्मार्ट सिटी	
2013-14	23.00	4.41	22.37	0	0	49.78
2014-15	23.00	लागू नहीं	0	0	0	23.00
2015-16	24.00	लागू नहीं	0	24.30	0	48.30
2016-17	32.50	लागू नहीं	12.84	24.02	0	69.36
2017-18	22.92	लागू नहीं	0	54.84	3.51	81.27
योग	**125.42**	**4.41**	**35.21**	**103.16**	**3.51**	**271.71**

स्रोत: निदेशक, शहरी विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े।

2013-18 के दौरान सीवेज प्रबंधन से सम्बंधित परियोजनाओं हेतु कुल ₹ 271.71 करोड़ अनुमोदित थे। नमूना-जांचित 16 में से तीन शहरी स्थानीय निकायों (बद्दी, चम्बा तथा सुन्दरनगर) में तीन सीवरेज योजनाएं निधियों की कमी के कारण पूर्ण नहीं की जा सकीं/विलम्बित हुई जैसाकि परिच्छेद 2.2.7 में चर्चा की गई है।

समापन सम्मेलन में सचिव, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य ने बताया कि सीवरेज परियोजनाओं के कार्यान्वयन में निधियन एक बड़ा अवरोध था तथा भारत सरकार से निधियों की व्यवस्था करने के प्रयास किए जा रहे थे। यद्यपि, निधियन निश्चित रूप से चिंता का विषय था, यह भी देखा गया कि शहरी स्थानीय निकाय एवं सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मण्डल उपलब्ध निधियों के एक बड़े *प्रतिशत* का उपयोग करने में असमर्थ रहे (परिच्छेद 2.2.6.2 से 2.2.6.4)।

2.2.6.2 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा निधियां जारी करने में विलम्ब/निधियां जारी न करना

शहरी विकास विभाग पूंजीगत कार्यों हेतु शहरी स्थानीय निकायों को आगे सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग को निधियां तत्काल निस्तारित करने हेतु जारी कर रहा था।

वर्ष 2013-18 के दौरान नमूना-जांचित 16 शहरी स्थानीय निकायों ने शहरी विकास विभाग से ₹ 62.89 करोड़ (अप्रैल 2013 तक ₹ 1.21 करोड़ के अथशेष सहित) प्राप्त किए। तथापि, मात्र ₹ 12.49 करोड़ (20 *प्रतिशत*) तत्काल अवमुक्त किए गए थे, ₹ 26.83 करोड़ (43 *प्रतिशत*) तीन से 43 महीनों के विलम्ब से अवमुक्त किए गए थे, ₹ 4.56 करोड़ (सात *प्रतिशत*) स्वयं शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सीवेज प्रबंधन से सम्बन्धित कार्यों पर प्रयुक्त किए गए थे तथा ₹ 19.01 करोड़ (30 *प्रतिशत*) मार्च-मई 2018 तक दो से 62 महीनों की अवधि से 13 शहरी स्थानीय निकायों[66] में अवरूद्ध पड़े थे।

---

62 जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन तथा छोटे एवं मध्यम शहरों हेतु शहरी अवसंरचना विकास स्कीम (जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना का एक घटक)।

63 पुनर्जीवन एवं शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन।

64 2013-14 हेतु आंकड़े सीवेज प्रबंधन के लिए 13वें वित्त आयेाग के तहत् प्राप्त राशि को प्रतिविम्बित करते हैं। 2014-18 की अवधि हेतु 14वें वित्त आयोग के तहत् सीवेज प्रबंधन सहित विभिन्न गतिविधियों के लिए एकमुश्त राशि प्राप्त की गई थी, अत: सीवेज प्रबंधन हेतु अलग-अलग आंकड़ों की गणना नहीं की जा सकी।

65 इन निधियों के अतिरिक्त, ₹ 47.45 करोड़ शहरी विकास विभाग द्वारा सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग को परिचालन व अनुरक्षण हेतु अवमुक्त किए गए थे।

66 बैजनाथ, बिलासपुर, चंबा, धर्मशाला, हमीरपुर, ज्वाली, कुल्लू, मण्डी, नैरचौक, पांवटा साहिब, शिमला, सोलन तथा सुन्दरनगर।

बद्दी एवं चम्बा में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा निधियां अवमुक्त न करना तथा विलम्ब से अवमुक्त करना, योजना के कार्यान्वयन की प्रगति में कमी का एक कारण रहा। तीन शहरी स्थानीय निकायों (बद्दी, चम्बा और सुन्दरनगर) में सम्बंधित सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मण्डलों को 2015-18 के दौरान इन योजनाओं के कार्यों को गतिशील बनाए रखने के लिए अन्य लेखा शीर्षों से ₹ 2.79 करोड़ की निधियों को खर्च करना पड़ा (परिच्छेद 2.2.7)।

समापन सम्मेलन में सचिव, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य ने कहा कि शहरी विकास विभाग को पूंजीगत कार्यों के लिए निधियां शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से भेजने के बजाय सीधे सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग को भेजने को कहा गया था।

2.2.6.3 मण्डलों द्वारा निधियों की अप्रयुक्ति

नमूना-जांचित 16 में से 11[67] मण्डलों में 2013-18 के दौरान प्राप्त ₹ 52.55 करोड़ में से ₹ 30.23 करोड़ (58 *प्रतिशत*) दो से 62 महीनों की अवधि से अप्रयुक्त पड़े थे। समापन सम्मेलन में सचिव, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी।

2.2.6.4 वित्त आयोग अनुदानों के अंतर्गत सीवेज प्रबंधन घटकों हेतु प्राप्त निधियों की अप्रयुक्ति

वर्ष 2013-18 के दौरान नमूना-जांचित 16 शहरी स्थानीय निकायों ने केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदानों के अन्तर्गत ₹ 82.99 करोड़ की निधियां प्राप्त की जिन्हें सीवेज प्रबंधन सहित बुनियादी सेवाएं उपलब्ध करवाने पर खर्च किया जाना था। तथापि नमूना-जांचित 16 शहरी स्थानीय निकायों में से एक[68] को छोड़कर अन्य 15 शहरी स्थानीय निकायों ने प्राप्त निधियों से सीवेज प्रबंधन पर कोई व्यय नहीं किया था।

सीवेज प्रबंधन से सम्बन्धित गतिविधियों पर केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदानों के अंतर्गत प्राप्त निधियां उपयोग न करने के फलस्वरूप सीवेज के संग्रहण तथा निपटान में कमियां रहीं, विशेषत: घरेलू स्तरीय सैप्टिक टैंक प्रणालियों के मामले में, जोकि शहरी स्थानीय निकायों का पूर्ण उत्तरदायित्व था।

2.2.6.5 वित्तीय नियमों/ निर्देशों का उल्लंघन

(i) प्राक्कलन से अधिक व्यय

लोक निर्माण विभाग संहिता के अनुसार यदि संस्वीकृत प्राक्कलन पांच *प्रतिशत* से अधिक बढ़ने की संभावना हो तो संशोधित प्राक्कलन प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

नमूना-जांचित चार मण्डलों[69] में चार योजनाओं हेतु संस्वीकृत प्राक्कलन से ₹ 44.57 करोड़ का व्यय आधिक्य हुआ, परंतु जनवरी 2019 तक इन कार्यों का संशोधित प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। दो योजनाओं: सोलन (467 *प्रतिशत*) तथा सुन्दरनगर (167 *प्रतिशत*) के मामले में व्यय आधिक्य 100 *प्रतिशत* से अधिक था।

प्रधान सचिव, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य ने बताया (मार्च 2019) कि प्राक्कलन लागत से व्यय में वृद्धि मजदूरी एवं सामग्री की लागत में वृद्धि के कारण हुई थी। संशोधित प्राक्कलन संस्वीकृत न करने के सम्बंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।

(ii) कार्यों का अप्राधिकृत विभाजन

नमूना-जांचित तीन मण्डलों (धर्मशाला, हमीरपुर एवं सुन्दरनगर) में अधिशाषी अभियंताओं ने प्राक्कलित लागत को अपनी शक्तियों के अंदर रखते हुए, कार्यों को विभाजित करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति लेने सम्बंधी शर्तों की अवहेलना करते हुए चार कार्यों[70] (अनुमानित लागत: ₹ 3.65 करोड़) को 170 न्यूनतम लागत की

67 बग्गी, बिलासपुर, धर्मशाला, हमीरपुर, ज्वाली, कुल्लू, नाहन, पालमपुर, पांवटा साहिब, शिमला तथा सोलन।

68 चम्बा जिसमें प्राप्त निधियों (₹ 3.37 करोड़) में से ₹ 0.16 करोड़ (पांच *प्रतिशत*) का खर्च हुआ।

69 चम्बा, पांवटा साहिब, सोलन तथा सुन्दरनगर।

70 धर्मशाला शहर में सीवरेज योजना के अंतर्गत घर-घर को जोड़ना, हमीरपुर में सीवरेज योजना के अंतर्गत जोन -I तथा जोन -II एवं जोन -III के अंतर्गत घर-घर को जोड़ना तथा सुन्दरनगर में सीवरेज योजना के अंतर्गत घर-घर को जोड़ना।

निविदाओं में जारी किया। इस प्रकार प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त न किए जा सकने के परिणामस्वरूप इन घटकों को अनुमानित लागत से ₹ 0.90 करोड़ की अधिक लागत (₹ 4.55 करोड़) पर सौंपा गया।

प्रधान सचिव, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य ने बताया (मार्च 2019) कि विभाजन कार्यों के समयबद्ध निष्पादन हेतु किया गया था। यद्यपि, यह देखा गया कि ये सभी कार्य जनवरी 2019 तक अपूर्ण थे: 57,940 रनिंग मीटर में से मात्र 37,113 रनिंग मीटर (64 *प्रतिशत*) सीवर लाईन ही बिछाई गई जिसके कारण कुल 13,037 नियोजित कनेक्शनों में से मात्र 5,934 (46 *प्रतिशत*) कनैक्शन ही जारी किए गए।

2.2.6.6 उपभोक्ता शुल्कों का संग्रहण

हिमाचल प्रदेश जलापूर्ति अधिनियम, 1968 की धारा-5 के तहत राज्य सरकार ने अधिसूचित किया (जून 2005) कि सीवरेज कनेक्शन वाले घरेलू एवं व्यवसायिक उपभोक्ताओं से जल के मासिक बिल के 50 *प्रतिशत* की दर पर उपभोक्ता शुल्क वसूली योग्य है। सीवरेज प्रणालियों वाले नमूना-जांचित 11 शहरी स्थानीय निकायों[71] के सम्बंध में लेखापरीक्षा टिप्पणियां निम्नवत है:

- आठ शहरी स्थानीय निकायों[72] में ऐसे सभी घर/ प्रतिष्ठान जो सीवरेज प्रणालियों का उपयोग कर रहे थे उनसे सेवाओं हेतु प्रभार नहीं लिए जा रहे थे: कुछ परिवार जो बहुमंजिला भवनों में रह रहे थे, के पास अलग-अलग पानी के कनेक्शन थे लेकिन भवन में पानी के सभी कनेक्शनों पर सीवरेज प्रभार उद्ग्रहित करने के स्थान पर केवल सीवरेज कनेक्शन हेतु सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मण्डल द्वारा पंजीकृत एक या कुछ पानी के कनेक्शनों पर ही उद्ग्रहित किए जा रहे थे।

  नमूना-जांच किए गए आठ मण्डलों के 211 घरों में लेखापरीक्षा ने संयुक्त भौतिक निरीक्षण व सर्वे संचालित किया (अक्तूबर 2018) तथा पाया कि इन घरों के 484 जल कनेक्शनों में से 246 (51 प्रतिशत) जल कनैक्शनों पर सीवरेज शुल्क नहीं लगाया गया था।

- दो शहरी स्थानीय निकायों (बिलासपुर व शिमला) में लेखांकन उचित रूप से न होने के कारण बकाया तथा संग्रहित उपभोक्ता शुल्कों की वास्तविक राशि प्रमाणित नहीं की जा सकी। नगर निगम शिमला केवल संग्रहित कुल उपभोक्ता शुल्कों के लेखाओं का अनुरक्षण कर रहा था, जबकि विशेष वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बकाया व वसूली योग्य उपभोक्ता शुल्कों का कोई रिकार्ड अनुरक्षित नहीं किया गया था। सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मण्डल बिलासपुर में सीवरेज शुल्कों को जल-शुल्क शीर्ष में जमा किया जा रहा था तथा सीवरेज शुल्कों के लिए कोई पृथक लेखांकन नहीं किया गया था।

- एक शहरी स्थानीय निकाय (सोलन) में योजना प्रांरभ होने के बाद से (दिसम्बर 2009) कोई उपभोक्ता शुल्क नहीं लगाया गया, अत: शहरी स्थानीय निकाय/ सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मण्डल राजस्व के महत्त्वपूर्ण स्रोत से वंचित रहा। कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद सोलन ने कहा कि जनता को सीवरेज व्यवस्था से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उपभोक्ता शुल्क नहीं लगाया गया था। तथापि, अभिलेख दर्शाते हैं कि 2,500 कनेक्शन क्षमता के प्रति मात्र 415 कनेक्शन (17 *प्रतिशत*) जारी किए गए तथा सोलन में सीवेज प्रशोधन संयंत्र की उपयोगिता मात्र 17 *प्रतिशत* थी जो इंगित करता है कि उपभोक्ता प्रभारों का उद्ग्रहण न करने की नीति कथित प्रयोजन पर खरी नहीं उतरी। इसके अतिरिक्त, नगर परिषद सोलन के सदन द्वारा उपभोक्ता शुल्क नहीं लगाए जाने का कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था।

इस प्रकार शहरी स्थानीय निकायों/ सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मण्डलों द्वारा उपभोक्ता शुल्क के रूप में राजस्व के महत्त्वपूर्ण स्रोत का समुचित रूप से दोहन नहीं किया जा रहा था।

---

71 इसमें बिलासपुर शामिल है, जहां सीवेज प्रबंधन की पुरानी सामुदायिक स्तर सैप्टिक टैंक प्रणाली विद्यमान थी जिसके लिए सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मण्डल, बिलासपुर द्वारा उपभोक्ता शुल्क उद्ग्रहित तथा संग्रहीत किया जा रहा था।

72 चम्बा, धर्मशाला, हमीरपुर, कुल्लू, मण्डी, पांवटा साहिब, सुन्दरनगर तथा ऊना।

प्रधान सचिव, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा कहा (मार्च 2019) कि मामलों की समीक्षा की जा रही है तथा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

इंगित किए गए मामले लेखापरीक्षा द्वारा संचालित नमूना-जांच पर आधारित हैं। विभाग ऐसे अन्य मामलों की जांच हेतु कार्रवाई तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है।

सिफारिश: *राज्य सरकार निधि निस्तारण तंत्र को आसान बनाने, कार्यान्वयन अभिकरणों को समय पर निधियां जारी करना सुनिश्चित करने तथा सीवरेज सुविधाओं का लाभ उठाने वाले प्रत्येक घर/ प्रतिष्ठान से सीवरेज प्रभारों के उद्ग्रहण एवं संग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए किसी प्रणाली का विकास करने के बारे में विचार कर सकती है।*

सीवरेज प्रणालियां

यह भाग, सीवरेज योजनाओं के कार्यान्वयन, सीवरेज नेटवर्क की उपयोगिता एवं कनैक्टिविटी तथा सीवेज प्रशोधन संयंत्रों की कार्य पद्धति से सम्बंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियों के विषय में है।

2.2.7 सीवरेज योजनाओं का कार्यान्वयन

सीवरेज योजनाओं में: शहरों में सीवरेज प्रणालियां उपलब्ध कराने हेतु (सीवरेज नेटवर्क को बिछाना तथा सीवेज प्रशोधन संयंत्रों का निर्माण) योजनाएं, शहरों के छूटे हुए क्षेत्रों में सीवरेज प्रणालियां उपलब्ध करवाने हेतु परियोजनाएं, पुनर्जीवन योजनाएं (टूटी हुई सीवर लाईनों को बदलना, खोए हुए सम्पर्कों को जोड़ना, तथा सीवेज प्रशोधन संयंत्र क्षमता का आवर्धन) तथा घरों की कनैक्टिविटी हेतु योजनाएं (घरों से छ: मीटर के दायरे में सीवर लाईनें बिछाना) सम्मिलित है। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा परियोजनाएं प्रस्तावित की जाती हैं तथा सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार/ अंतिम रूप प्रदत्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के आधार पर शहरी विकास विभाग द्वारा अनुमोदित की जाती हैं। परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निधियां शहरी विकास विभाग द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को तुरंत आगे सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग को जारी करने के लिए अवमुक्त की जाती हैं।

लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र में 25 सीवरेज योजनाओं (अर्थात 2013-18 की अवधि के लिए 16 नमूना-जांचित शहरी स्थानीय निकायों में) का विस्तृत विश्लेषण (जनवरी 2019 तक) **तालिका-2.2.2** में नीचे दर्शाया गया है:

तालिका-2.2.2: नमूना-जांचित 16 शहरी स्थानीय निकायों में लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में सीवरेज योजनाओं का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	शहरी स्थानीय निकाय	संस्वीकृति तिथि/पूर्णता अवधि	संस्वीकृत/ जारी/ व्यय राशि	योजना की प्रास्थिति	प्रमुख मुद्दे
	शहर में सीवरेज प्रणालियां उपलब्ध कराने हेतु योजनाएं				
1.	बैजनाथ	*प्रारम्भ नहीं की गई* - नवम्बर 2016 में सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मण्डल ने ₹ 58.48 करोड़ की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाई परंतु अनुमोदित होना शेष है।			विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार होने के 26 माह बाद भी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का अनुमोदन न होना।
2.	ज्वाली	*प्रारम्भ नहीं की गई* - अगस्त 2017 में प्रस्ताव भेजा गया परंतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं की गई है।			प्रस्तावित होने के 17 माह बाद भी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार नहीं की गई।
3.	नाहन	*प्रारम्भ नहीं की गई* - 2007-08 में प्रस्ताव भेजा गया, फरवरी 2018 में ₹ 100.22 करोड़ में सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग का सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त हुआ परंतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुमोदित होना शेष है।			विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में विलम्ब (10 वर्षों का); विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार होने के 11 माह बाद भी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुमोदित न होना।
4.	नेर चौक	*प्रारम्भ नहीं की गई* – नवम्बर 2015 में प्रस्ताव भेजा गया परंतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं की गई है।			प्रस्तावित होने के 38 माह बाद भी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार नहीं की गई।
5.	सुन्दरनगर	03/1992 5 वर्ष	5.67 / 15.15 / 15.15	***पूर्ण*** - मई 2014 (205 माह का विलम्ब)।	सीवरेज नेटवर्क बिछाने में भू-विवाद।

6.	बद्दी	07/2014 2 वर्ष	33.34 / 20.58 / 20.33	*अपूर्ण* (चलित विलम्ब: 30 माह) – नेटवर्क बिछाने का कार्य पूर्ण (₹ 19.17 करोड़); सीवेज प्रशोधन संयंत्र का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया।	सीवेज प्रशोधन संयंत्र कार्य हेतु कार्यकारी अभिकरण के साथ अनुबंध हस्ताक्षरित होने में विलम्ब; निधियों का अभाव; राज्यांश का अल्प निस्तारण, शहरी स्थानीय निकायों का अंश जारी न होना, निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण न होने के कारण भारत सरकार का शेष अंश जारी न होना।
7.	बिलासपुर	02/2012 3 वर्ष	21.56 / 3.29 / 0.03	*प्रारम्भ नहीं की गई* (चलित विलम्ब: 48 माह)	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने व मंजूर होने में विलम्ब[73] (45 माह); 83 माह पश्चात भी अनुचित भूमि की पहचान तथा भू-हस्तांतरण में विलम्ब के कारण सीवेज प्रशोधन संयंत्र हेतु कार्य-स्थल पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया।
8.	पांवटा साहिब	10/1995, 07/2009 में संशोधित जोन – III अनुमोदित (12/2018) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन[74] के अंतर्गत 5 वर्ष (10/1995 से)	2.62, 11.43 व 11.57 / 20.76 / 15.03	जोन I: पूर्ण – दिसम्बर 2010 जोन II: पूर्ण – मार्च 2016 जोन III: *अपूर्ण* – सीवरेज नेटवर्क बिछाने का कार्य प्रगति पर; सीवेज प्रशोधन संयंत्र का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया (चलित विलम्ब: 220 माह)।	जोन I एवं II: सीवरेज नेटवर्क बिछाने में भू-विवाद तथा सड़क के आर-पार नेटवर्क बिछाने हेतु मंजूरी प्राप्त करने के कारण विलम्ब। जोन III: सीवेज प्रशोधन संयंत्र व सीवरेज नेटवर्क बिछाने में भू-विवाद; शहरी स्थानीय निकाय द्वारा सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग को निधियां जारी करने में विलम्ब; संशोधित मानदण्डों (जून 2015) के अनुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में विलम्ब (43 माह)।
9.	सोलन	11/1995 4 वर्ष	4.55 / 33.71 / 25.82	*अपूर्ण* (चलित विलम्ब: 230 माह)	सीवेज प्रशोधन संयंत्रों हेतु अधिक भू-अर्जन (46 *प्रतिशत*); सीवरेज नेटवर्क बिछाने में तथा सीवेज प्रशोधन संयंत्र के कार्य-स्थल में भू-विवाद; भू-क्षतिपूर्ति को बढ़ाने हेतु न्यायालय के आदेश के कारण लागत वृद्धि।
	शहरों के छूटे हुए क्षेत्रों में सीवरेज प्रणालियां उपलब्ध करवाने हेतु योजनाएं				
10.	चम्बा	i) 07/2009 3 वर्ष	6.74 / 6.94 / 8.15	*अपूर्ण* (चलित विलम्ब: 78 माह)	भू-हस्तांतरण में विलम्ब (35 माह); सीवरेज नेटवर्क बिछाने में भू-विवाद।
11.		ii)[75] *प्रारम्भ नहीं की गई* – विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 2017 में तैयार की गई एवं अक्तूबर 2018 में अनुमोदित की गई।			निधियों का अभाव। तैयार होने के पश्चात विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुमोदन में विलम्ब (18 माह)।
12.	हमीरपुर	i) 06/2009 4 वर्ष	6.09 / 4.77 / 4.77	*अपूर्ण* (चलित विलम्ब: 67 माह)	सीवरेज नेटवर्क तथा मुख्य ट्रंक सीवर लाईन बिछाने में भू-विवाद।
13.		ii) *प्रारम्भ नहीं की गई* – विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 2016 में तैयार की गई परंतु अभी तक अनुमोदित नहीं हुई।			तैयार होने के 25 माह के उपरांत भी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुमोदित नहीं की गई।
14.	धर्मशाला	*प्रारम्भ नहीं की गई* – विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 2016 में तैयार की गई परंतु अभी तक प्रशासनिक अनुमोदन/व्यय संस्वीकृति प्रतीक्षित है।			विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुमोदित होने के 25 माह बाद भी प्रशासनिक अनुमोदन/ व्यय संस्वीकृति प्राप्त न करना।
15.	शिमला	10/2015 3 वर्ष	26.00 / 19.42 / 0.00	*प्रारम्भ नहीं की गई* (चलित विलम्ब: 3 माह)	बोली न लगने के कारण कार्य सौंपने में विलम्ब (38 माह)।

73 हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गठित एक पर्यावरण कार्यान्वयन समिति ने गोविंद सागर झील में पुराने समुदाय आधारित सेप्टिक टैंक सिस्टम से अप्रशोधित अपशिष्ट के निपटान के लिए गंभीर टिप्पणी की तथा एक महीने में समाधान करने के प्रस्ताव का निर्देश दिया (मई 2008)।

74 स्वच्छ गंगा हेतु राष्ट्रीय मिशन।

75 ओबरी, माई-का-बाग तथा सुल्तान मोहल्ला हेतु परियोजना।

	पुनर्जीवन योजनाएं				
16.	कुल्लू	2016-18 (अमृत के अंतर्गत) 2019-20	17.86 / 4.00 / 0.40	*अपूर्ण*	सीवेज प्रशोधन संयंत्रों के उन्नयन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुमोदन में विलम्ब (20 माह); सीवर लाइनों को बिछाने हेतु निविदा-प्रक्रिया पर अंतिम निर्णय न होना (9 माह); आधुनिक प्रयोगशाला स्थापित करने हेतु निविदाओं में विलम्ब (9 माह)।
17.	मण्डी	*प्रारम्भ नहीं की गई* – मौजूदा प्रणाली की क्षमता 07/2009 में पार हो गई; विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की प्रक्रिया 03/2016 में शुरू की गई परंतु ₹ 51.45 करोड़ हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अभी तक अनुमोदित नहीं हुई है।			सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना प्रारम्भ करने में विलम्ब (क्षमता पार होने के बाद 80 माह); 33 माह के उपरांत भी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप न देना/ अनुमोदन न होना।
18.	शिमला	i) 02/2009 (जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना के अंतर्गत) 3 वर्ष	54.74 / 12.33 / 0.00	*प्रारम्भ नहीं की गई* तथा अंततः बंद कर दी गई।	बोली न लगने के कारण निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप न दे पाना; भारत सरकार का शेष अंश जारी न होना; अनुदेशों की अवहेलना करते हुए भारत सरकार की निधियों (₹ 9.70 करोड़) को वापस न करना।
19.		ii) 2015-18 (अमृत के अंतर्गत) 2019- 20	85.30 / 56.30 / 18.86	*अपूर्ण*	सीवेज प्रशोधन संयंत्र के उन्नयन से सम्बंधित कार्य 10 माह के उपरांत भी शुरू नहीं किए गए थे तथा अन्य घटक प्रगति पर थे।
	घरों की कनेक्टिविटी हेतु योजनाएं				
20.	धर्मशाला	07/2016 एक वर्ष	9.97 / 12.33 / 9.12	*अपूर्ण* (चलित विलम्ब: 18 माह)	सीवर लाईनें बिछाने में भू-विवाद।
21.	हमीरपुर	02/2010 एक वर्ष	4.16 / 6.12 / 2.82	*अपूर्ण* (चलित विलम्ब: 95 माह)	सीवर लाईनें बिछाने में भू-विवाद।
22. 23. 24.	कुल्लू जोन-I, जोन -II, जोन -III	12/2011 07/2012 11/2015 प्रत्यके एक वर्ष	1.88 3.05 2.25 / 5.93 / 5.25	*अपूर्ण* (चलित विलम्ब: क्रमशः 73 माह, 66 माह एवं 26 माह)	जोन I, II एवं II; में सीवर लाईने बिछाने में भू-विवाद।
25.	सुन्दरनगर	07/2013 6 माह	5.13 / 4.59 / 4.25	*अपूर्ण* (चलित विलम्ब: 60 माह)	सीवर लाईने बिछाने में भू-विवाद; निधियों का अभाव।

उपर्युक्त तालिका में यह देखा जा सकता है कि कुल 25 योजनाओं में से मात्र एक योजना (सुन्दरनगर-क्रमांक-5) पूर्ण की गई (विलम्ब: 205 माह) जबकि 13 योजनाएं[76] अपूर्ण थी (चलित विलम्ब: 18 से 230 माह) तथा 11 योजनाएं[77] प्रारम्भ नहीं की गई थीं। योजनाएं प्रारम्भ न होने/ विलम्बित होने के मुख्य कारण निम्न है:

- ***भू-अर्जन/ भू-हस्तांतरण हेतु आयोजना का अभाव***

भूमि अर्जन/ हस्तांतरित करने की आवश्यकता सीवेज प्रशोधन संयंत्र के निर्माण, मुख्य ट्रंक लाईन बिछाने इत्यादि के लिए हो सकती है। तथापि यह पाया गया कि योजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में अधिग्रहण की जाने वाली/हस्तांतरित की जाने वाली भूमि के स्थान तथा कुल क्षेत्रफल का कोई-विवरण निर्दिष्ट नहीं किया गया था। केवल भू-अर्जन/ भू-हस्तांतरण हेतु आवश्यक निधि के एकमुश्त प्रावधान को किया गया था, जोकि

76 क्रमांक संख्या 6, 8, 9, 10, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तथा 25.

77 क्रमांक संख्या 1, 2, 3, 4, 7, 11, 13, 14, 15, 17, तथा 18.

किसी प्रकार के विस्तृत आकलन/ सर्वे के अभाव में अवास्तविक था। परिणामस्वरूप भू-विवाद, अनुपयुक्त स्थल चयन, अधिक भूमि का अधिग्रहण तथा मुकदमेबाजी के मामले हुए जिससे तीन परियोजनाओं में चलित विलम्ब हुआ जैसाकि नीचे वर्णित है:

- ***बिलासपुर*** (क्रमांक 7) - विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में सीवेज प्रशोधन संयंत्र के निर्माण हेतु चिह्नित भूमि का विवरण निर्दिष्ट नहीं था; बाद में भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड[78] की भूमि चिह्नित और हस्तांतरित की गई परंतु स्थल निरीक्षण के दौरान जलमग्न पाई गई; एक अन्य स्थल चिह्नित किया गया तथा भूमि हस्तांतरण का मामला भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के साथ लम्बित था; योजना पहले ही 48 माह के विलम्ब से चल रही थी परंतु कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था; तथा अप्रशोधित सीवेज गोविंद सागर झील में सतत् बह रहा था।
- ***हमीरपुर*** (क्रमांक 12) - विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में भू-अर्जन हेतु ₹ 60 लाख का प्रावधान अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के आकलन/ विवरण को निर्दिष्ट किए बिना किया गया; भू-अर्जन के बिना ही निष्पादन प्रारंभ कर दिया गया; मुख्य ट्रंक लाईन बिछाने के दौरान भू-विवाद उत्पन्न हुए; बाद में अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू की गई परंतु परियोजना में 67 माह का विलम्ब हो चुका था।
- ***सोलन*** *(क्रमांक 9)*- सीवेज प्रशोधन संयंत्र के लिए भूमि के अर्जन हेतु ₹ 10 लाख का अवास्तविक एकमुश्त प्रावधान किया गया; ₹ 82 लाख में भूमि अधिग्रहण किया गया; अधिक भूमि का अधिग्रहण (46 *प्रतिशत*); योजना के कार्यान्वयन के दौरान क्षतिपूर्ति बढ़ाने हेतु भू-विवाद उत्पन्न हुआ; क्षतिपूर्ति बढ़ाने के न्यायालय के आदेशों से अब तक ₹ 17.82 करोड़ का भुगतान करना पड़ा।

- ***सीवरेज नेटवर्क बिछाने के लिए बाधारहित मार्ग हेतु आयोजना का अभाव***

सीवरेज नेटवर्क को बिछाने हेतु बाधारहित मार्ग की आवश्यकता होती है क्योंकि सीवर लाईनें सघन रूप से निर्मित क्षेत्रों में बिछानी होती है जिसमें निजी भूमि शामिल होती है। यद्यपि भवन निर्माण के दौरान भूमि पर सेटबैक[79] छोड़ना अनिवार्य है, भवन-स्वामियों द्वारा इसकी अवहेलना करने तथा शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कोई कार्रवाई न करने के परिणामस्वरूप सीवर लाईन बिछाने जैसी सेवाओं हेतु जगह उपलब्ध नहीं हुई। तथापि, ये मुद्दे विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाते समय ध्यान में नहीं रखे गए तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में ऐसी बाधाओं की पहचान तथा समाधान हेतु सर्वे/ व्यवहार्यता अध्ययन का कोई विवरण नहीं था। सीवर लाईनें बिछाने के लिए निजी भूमि में बाधारहित मार्ग सुनिश्चित करने हेतु भू-स्वामियों से शपथ-पत्र/ अनापत्ति प्रमाण-पत्र[80] प्राप्त करने जैसा कोई तंत्र परिकल्पित नहीं था। उपर्युक्त समस्याओं का परिणाम बड़ी संख्या में भू-विवाद के रूप में सामने आया जो 11 योजनाओं[81] के विलम्ब में परिणत हुआ।

- ***विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को तैयार करने एवं अनुमोदित करने में विलम्ब***

शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग, शहरी विकास विभाग को नई सीवरेज योजनाओं के अनुमोदन हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार तथा प्रस्तुत करता है। पुनर्जीवन योजनाओं हेतु सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग स्वयं योजना प्रारंभ करता है तथा शहरी विकास विभाग के माध्यम से निधियन हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करता है। यह पाया गया कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने तथा अनुमोदन की प्रक्रिया अत्यधिक लम्बा समय ले रही थी:

78 भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड।

79 एक भवन तथा प्लॉट जिस पर भवन को निर्मित करना है की बाऊण्डरी के मध्य न्यूनतम जगह/ अपेक्षित दूरी रखना (नगर निगम के कानून के अनुसार) 'सैटबैक' है जिससे भवन तक सहज पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

80 राज्य सरकार ने सड़क निर्माण हेतु इस तंत्र को अपनाया है जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना।

81 क्रम संख्या 5, 8, 9, 10, 12, 20, 21, 22, 23, 24, तथा 25.

- दो योजनाओं (क्रम संख्या 2 व 4) हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्ताव की तिथि से 17 एवं 38 महीनों के उपरांत भी तैयार नहीं की गई थी।
- तीन सीवरेज योजनाओं (क्रम संख्या 7, 11 व 16) हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार होने के 18 से 45 महीनों के उपरांत अनुमोदित की गई।
- चार सीवरेज योजनाओं (क्रम संख्या 1, 3, 13, व 14) हेतु नवम्बर 2016 एवं फरवरी 2018 के मध्य तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्टें 11 से 25 महीनों के उपरांत भी अनुमोदन हेतु लम्बित थीं (जनवरी 2019 तक)।
- मण्डी (क्रम संख्या 17) के मामले में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग द्वारा कनैक्शन क्षमता पार होने के 80 महीनों के उपरांत प्रारम्भ की गई।

इस संदर्भ में यह पाया गया कि विभाग ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने/ अनुमोदन हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की थी जिसके कारण विलम्ब हुआ।

- ***निधियों का अभाव***

  मार्च 1992 व जुलाई 2014 के मध्य संस्वीकृत तीन योजनाएं (क्रम संख्या 5, 6, व 10) निधियों के अभाव के कारण अपूर्ण/ लम्बित रही। बद्दी में राज्य सरकार एवं शहरी स्थानीय निकायों ने अपना अंश अवमुक्त नहीं किया था जबकि भारत सरकार ने निर्धारित अवधि में योजना पूर्ण न होने के कारण शेष निधियां अवमुक्त नहीं की थीं। सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मण्डल नालागढ़ को अन्य लेखा शीर्षों से ₹ 1.17 करोड़ का व्यय करना पड़ा। चम्बा में सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मण्डल ने अन्य शीर्षों से ₹ 1.46 करोड़ का व्यय आधिक्य किया जबकि शहरी स्थानीय निकाय में ₹ 0.25 करोड़ अप्रयुक्त पड़े रहे। सुन्दरनगर में सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मण्डल ने अन्य शीर्षों से ₹ 0.16 करोड़ का व्यय आधिक्य किया जबकि शहरी स्थानीय निकाय में ₹ 0.50 करोड़ अप्रयुक्त पड़े रहे (परिच्छेद 2.2.6.1)।

इंगित किए गए मामले लेखापरीक्षा द्वारा संचालित नमूना-जांच पर आधारित हैं। विभाग ऐसे अन्य मामलों की जांच तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है।

सिफारिश: *राज्य सरकार नियोजन स्तर पर भू-अर्जन/ हस्तांतरण एवं बाधारहित भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने एवं अनुमोदन हेतु समय-सीमा निर्धारित तथा योजनाओं हेतु पर्याप्त निधियां उपलब्ध करवा सकती है।*

2.2.8 सीवरेज नेटवर्क कनैक्टिविटी

2.2.8.1 सीवरेज नेटवर्क से घरों की कम कनेक्टिविटी

प्रत्येक घर सीवरेज नेटवर्क से जुड़ा होना चाहिए ताकि सीवेज को सुरक्षित रूप से संग्रहित और प्रशोधित किया जा सके तथा सीवेज प्रशोधन संयंत्र क्षमता अल्प-प्रयुक्त न रह जाए। हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 में प्रावधान है कि प्रत्येक घर सीवरेज कनेक्शन जरूर ले तथा शहरी स्थानीय निकायों को सीवरेज कनैक्शन न लेने वाले दोषी घरों को पानी तथा बिजली जैसी सुविधाओं से वंचित करने का अधिकार है। यह माननीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश द्वारा भी बार-बार दोहराया[82] गया था।

82 सीडब्ल्यूपीआईएल 28/2011 अभिषेक राय बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य तथा अन्य के मामले में (जैसा कि नवम्बर 2012 में निदेशक, शहरी विकास विभाग द्वारा सभी शहरी स्थानीय निकायों को परिचालित)। "सभी नगर पंचायतों/ नगर परिषदों/ नगरपालिकाओं में प्रत्येक परिवार को सीवरेज कनैक्शन लेना आवश्यक है तथा यदि उन्होनें सीवरेज कनैक्शन नहीं लिया है तो वे अन्य सुविधाओं जैसे कि जल एवं विद्युत सुविधाओं से वंचित कर दिए जाएंगे"।

पूर्ण रूप से/ आंशिक रूप से कार्यशील सीवरेज योजनाओं वाले नमूना-जांचित 10 शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेखों की संवीक्षा दर्शाती है कि पांच[83] शहरी स्थानीय निकायों में जारी किए गए कनैक्शनों की संख्या 71 से 115 *प्रतिशत* के मध्य थी (योजनाएं दिसम्बर 1997 व मार्च 2009 के मध्य पूर्ण की गईं)। तथापि, शेष पांच[84] शहरी स्थानीय निकायों में जारी कनैक्शनों की संख्या मात्र आठ तथा 40 प्रतिशत के मध्य थी जबकि ये योजनाएं फरवरी 2009 व मार्च 2016 के मध्य पूर्ण हो चुकी थीं। जारी कनैक्शनों का कम *प्रतिशत* निम्नलिखित के कारण था:

- राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदेशों (सितम्बर 2000) के अनुसार सीवर लाईनें प्रत्येक घरों से छ: मीटर के दायरे में बिछाई जानी है। तथापि, यह पाया गया कि बहुत सारे मामलों में सीवर लाईनें घरों से छ: मीटर के दायरे में नहीं बिछाई गई थीं।

  लेखापरीक्षा ने 10 शहरी स्थानीय निकायों के 596 परिवारों का सर्वे संचालित किया (अप्रैल-जून 2018) जिसमें से 183 परिवारों (31 प्रतिशत) ने सूचना दी कि वे सीवरेज नेटवर्क से नहीं जुड़े थे, जिसमें से 108 परिवारों[85] (59 प्रतिशत) ने इसका कारण उनके घरों से समीपतम सीवर लाईन की दूरी छ: मीटर से अधिक (आठ से 205 मीटर) होना बताया।

  यह नियोजन स्तर पर कमी थी क्योंकि इन परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में घरों से छ: मीटर के भीतर सीवर लाईनें बिछाने हेतु कोई प्रावधान नहीं था।

- उन क्षेत्रों में जहां सीवरेज प्रणाली मौजूद नहीं था, उन परिवारों ने पहले से ही घरेलू स्तर के सैप्टिक टैंक सिस्टम का निर्माण कर लिया था। ऐसे परिवार सीवरेज नेटवर्क से जुड़ने की एक बार की अतिरिक्त लागत तथा आवर्ती लागत/ उपभोक्ता शुल्क को वहन करने के इच्छुक नहीं होंगे: सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मण्डलों के अधिशाषी अभियंताओं (पांवटा साहिब एवं ऊना) ने बताया कि लाभार्थियों के पास उनका स्वयं का सैप्टिक टैंक था तथा वे अपने तैयार फर्श को ध्वस्त करने अथवा अतिरिक्त लागत को वहन करने के लिए राजी नहीं थे।

- शहरी स्थानीय निकायों ने घरों का सीवरेज नेटवर्क से जुड़ना सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्रवाई नहींकी (जैसे शास्ति लगाना या दोषी घरों को अन्य सुविधाओं से वंचित करना)। नगर निगम कुल्लू (1,980 नोटिस) एवं ऊना (आठ नोटिस) तथा सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मण्डल पांवटा साहिब (574 नोटिस) एवं सोलन (238 नोटिस) को छोड़कर किसी भी शहरी स्थानीय निकाय/ मण्डल ने नोटिस जारी नहीं किए। इन शहरी स्थानीय निकायों/ मण्डलों ने भी दोषी घरों के विरूद्ध आगामी कार्रवाई सहित नोटिसों की कोई अनुवर्ती जांच नहीं की।

इस प्रकार, सीवरेज नेटवर्क से कम कनैक्टिविटी, परिवारों से अपेक्षित छ: मीटर की दूरी तक सीवर लाईने उपलब्ध न करवाने, परिवारों को अतिरिक्त लागत तथा सम्बंधित शहरी स्थानीय निकायों/ मण्डलों द्वारा दण्डात्मक कार्रवाई न करने के कारण हुई। जारी कनेक्शनों के कम *प्रतिशत* से सीवेज प्रशोधन संयंत्रों का कम उपयोग हुआ जिसने सीवेज प्रशोधन की प्रभावशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला (परिच्छेद 2.2.9.1)।

प्रधान सचिव, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य ने टिप्पणियां स्वीकार कीं (मार्च 2019) और बताया कि घरों से छ: मीटर के दायरे में सीवर लाईनें बिछाने की निर्धारित शर्त को नई योजनाओं में अपनाया जा रहा था। जबकि उत्तर यह दर्शाता है कि सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की शुरूआत की जा चुकी थी, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा भी यहां दोषी परिवारों के विरूद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी।

---

83 चम्बा: 99 *प्रतिशत*, धर्मशाला: 86 *प्रतिशत*, कुल्लू: 71 *प्रतिशत*, मण्डी: 115 *प्रतिशत* तथा शिमला: 92 *प्रतिशत* ।

84 हमीरपुर: 40 *प्रतिशत*, पांवटा साहिब: 37 *प्रतिशत*, सोलन: 17 *प्रतिशत*, सुन्दरनगर: 38 *प्रतिशत* तथा ऊना: 8 *प्रतिशत* ।

85 चम्बा: 28 में से 23 घर; धर्मशाला: 20 में से 8 घर; हमीरपुर: 24 में से 16 घर; कुल्लू: 4 में से 1 घर; मण्डी: 19 में से 17 घर; पांवटा साहिब: 29 में से 2 घर; शिमला: 4 में से 3 घर; सोलन: 6 में से 2 घर; सुन्दरनगर: 16 में से 16 घर तथा ऊना: 33 में से 20 घर सीवरेज नेटवर्क से नहीं जुड़े थे।

2.2.8.2 सीवरेज नेटवर्क से ग्रे-वाटर पाइपों को जोड़ना

केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन नियमावली के अनुसार सीवरेज नेटवर्क से ग्रे-वाटर पाइपों को जोड़ना अनिवार्य है। सीवरेज परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों में सीवरेज नेटवर्क को ग्रे-वाटर पाइपों से जोड़ने के लिए प्रावधान है।

सीवरेज प्रणालियों वाले नमूना-जांचित 10 शहरी स्थानीय निकायों में लेखापरीक्षा द्वारा संचालित सर्वे में 413 परिवारों[86] में से 227 (55 *प्रतिशत*) ने सूचना दी कि उन्होंने सीवरेज नेटवर्क के साथ ग्रे-वाटर पाइपों को नहीं जोड़ा था। यह प्रतिशतता छः शहरी स्थानीय निकायों[87] में विशेष रूप से अधिक (80 *प्रतिशत* से अधिक) थी। नगर निगम कुल्लू (1,980 नोटिस) तथा शिमला (11,403 नोटिस) को छोड़कर अन्य किसी शहरी स्थानीय निकाय ने दोषी परिवारों के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की थी।

सीवरेज नेटवर्क से नहीं जोड़े गए ग्रे-वाटर पाइप या तो बरसाती पानी की नालियों में या खुले में प्रवाहित हो रहे थे। इसका तात्पर्य यह भी था कि सीवेज की अपेक्षित मात्रा सीवरेज नेटवर्क में प्रवाहित नहीं हो रही थी जिसके परिणामस्वरूप सीवेज प्रशोधन संयंत्रों का कम उपयोग हुआ जिससे सीवेज प्रशोधन की प्रभावशीलता पर दुष्प्रभाव पड़ा।

सुन्दर नगर में घरों से बरसाती पानी की नालियों में छोड़ी जा रही ग्रे-वाटर पाईप (14.05.2018)

चम्बा में घरों से बरसाती पानी की नालियों में छोड़ी जा रही ग्रे-वाटर पाईप (06.04.2018)

समापन सम्मेलन में सचिव, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य ने विभाग को सीवरेज नेटवर्क से ग्रे-वाटर पाइपों की कनेक्टिविटी को सुधारने हेतु निर्देश दिए।

इंगित किए गए मामले लेखापरीक्षा द्वारा संचालित नमूना-जांच पर आधारित है। विभाग ऐसे अन्य मामलों की जांच तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है।

सिफारिश: *राज्य सरकार घरों से अपेक्षित दूरी तक सीवर लाईन बिछाने तथा सीवरेज कनैक्टिविटी सुधारने हेतु सीवरेज नेटवर्क से नहीं जुड़ने वाले दोषी परिवारों के विरूद्ध कार्रवाई करना सुनिश्चित कर सकती है।*

2.2.9 सीवेज प्रशोधन तथा निपटान: सीवेज प्रशोधन संयंत्र

सीवेज प्रणालियों में सीवेज, सीवेज प्रशोधन संयंत्र में उपचारित (प्रशोधित) होता है। सीवेज प्रशोधन संयंत्र में ठोस पदार्थों को हटाने के लिए प्राथमिक प्रशोधन, घुलित तथा निलम्बित कार्बनिक पदार्थों के विघटन के लिए द्वितीयक प्रशोधन तथा अपशिष्ट जल (गन्दे पानी की धारा) से पोषक तत्वों तथा निलम्बित ठोस पदार्थों को हटाने हेतु उन्नत शुद्धिकरण के लिए तृतीयक प्रशोधन शामिल है। सीवेज प्रशोधन संयंत्र में सीवेज प्रशोधन की प्रक्रिया एवं निपटान **परिशिष्ट-2.2** में दर्शाया गया है। अपरिष्कृत सीवेज को बहते हुए पदार्थों एवं ग्रिट (रेत, राख, धातु की तलछट इत्यादि) को हटाने के लिए छाना जाता है। गन्दे पानी की धारा संतुलित करने वाला टैंक आगामी घटकों/ इकाइयों में गन्दे पानी की धारा को नियमित करता है। प्राथमिक अवसादन टैंक/ विशुद्धक में निलम्बित ठोस, कार्बनिक व अकार्बनिक अवशिष्ट ठोस, मुक्त तेल, चिकनाई, अन्य बहते पदार्थ तथा रासायनिक फ्लोक (गुफ्फा)[88] समायोजित

---

86 चम्बा: 24 में से 21; धर्मशाला: 45 में से 40; हमीरपुर: 34 में से 13; कुल्लू: 50 में से 18; मण्डी: 29 में से 24; पावंटा साहिब: 33 में से 31; शिमला: 121 में से 29; सोलन: 26 में से 7; सुन्दरनगर: 36 में से 29 तथा ऊना: 15 में से 15.

87 चम्बा: 88 *प्रतिशत*; धर्मशाला: 89 *प्रतिशत*; मण्डी: 83 *प्रतिशत*; पावंटा साहिब: 94 *प्रतिशत*; सुन्दरनगर: 81 *प्रतिशत* तथा ऊना: 100 *प्रतिशत*।

88 फ्लोक तरल से निलम्बित या अवक्षपित गुफ्फेदार सामग्री का एक छोटा, ढीला एकत्र द्रव्यमान है।

होते हैं तथा हटाए जाते हैं। वातन टैंक में घुलित एवं निलम्बित कार्बनिक पदार्थ वायवीय सूक्ष्मजीवों (बैक्टेरिया) द्वारा हटाए जाते हैं जिससे जैव रासायनिक आक्सीजन मांग[89] के स्तर एवं निलम्बित ठोस को कम किया जा सके। द्वितीयक अवसादन टैंक/ विशुद्धक जैव गुफ्फेदार ठोस को स्थिर करता है। प्राथमिक एवं द्वितीयक विशुद्धकों से स्थिर पदार्थ (मल), मल विघटन टैंक में पहुंचाया जाता है जहां इसे वायवीय सूक्ष्मजीवों द्वारा विघटित किया जाता है। तत्पश्चात ठोस/ अर्धठोस मल को जलरहित एवं खाद इत्यादि के रूप में पुन: उपयोग हेतु सूखी मल टिकियाओं में परिवर्तित करने के लिए मल निपटान सुविधा में भेजा जाता है। सतही जल में छोडे जाने के पूर्व प्रशोधित गन्दे पानी की धारा को पोषकों (फास्फोरस व नाइट्रोजन) तथा जल जनित रोगजनकों के निवारण हेतु कीटाणु रहित करने के लिए तृतीयक प्रशोधन में भेजा जाता है। प्रशोधित गन्दे पानी की धारा, कृषि, कृषि-वानिकी, औद्योगिक शीतलन जैसे विभिन्न प्रयोजनों हेतु पुन: प्रयोग में लाई जा सकती है।

सीवेज प्रशोधन एवं निपटान प्रक्रिया से सम्बंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियों की निम्नवत् परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

2.2.9.1 सीवेज प्रशोधन संयंत्रों की उपयोगिता क्षमता

विभाग[90] के एक आंतरिक प्रतिवेदन के अनुसार, सीवेज प्रशोधन संयंत्रों की उपयोगिता अभिकल्पित क्षमता की कम से कम 80 *प्रतिशत* होनी चाहिए तथा सीवेज प्रवाह की कम प्रतिशतता परिकल्पित अभिकल्प पर बुरा प्रभाव डाल सकती है एवं प्रशोधन प्रक्रिया को अपर्याप्त बना सकती है।

यह देखा गया कि 10 शहरी स्थानीय निकायों के नमूना-जांचित 24 सीवेज प्रशोधन संयंत्रों में से छ: शहरी स्थानीय निकायों के 11 सीवेज प्रशोधन संयंत्र बहुत ही कम उपयोगिता क्षमता (50 *प्रतिशत* से नीचे) पर कार्य कर रहे थे तथा दो शहरी स्थानीय निकायों में तीन सीवेज प्रशोधन संयंत्र अति दबावग्रस्त थे, जैसाकि नीचे **तालिका-2.2.3** में वर्णित है:

तालिका-2.2.3: कम उपयोग किए गए/ अति दबाव नमूना-जांचित 14 सीवेज प्रशोधन संयंत्रों का विवरण

(मिलियन लीटर प्रतिदिन में अथवा एमएलडी)

शहरी स्थानीय निकाय	सीवेज प्रशोधन संयंत्र	प्रतिस्थापित क्षमता	प्राप्त सीवेज (क्षमता प्रतिशतता)
कम उपयोग किए गए सीवेज प्रशोधन संयंत्र			
धर्मशाला	चिलियां	5.15	2.45 (48)
हमीरपुर	हटली	3.13	1.08 (35)
मण्डी	रघुनाथ का पद्धर	3.83	1.05 (27)
	खलियार	0.47	0.09 (19)
शिमला	लालपानी	19.35	6.18 (32)
	स्नोडन	1.35	0.30 (22)
	नॉर्थ डिस्पोजल	5.80	1.73 (30)
	समरहिल	3.93	0.18 (05)
सोलन	शामती	2.90	0.50 (17)
ऊना	चंद्रलोक	0.65	0.03 (05)
	रामपुर	2.53	0.17 (07)
अति दबावग्रस्त सीवेज प्रशोधन संयंत्र			
शिमला	ढली	0.76	1.30 (171)
	मल्याणा	2.20	3.40 (155)
हमीरपुर	बजूरी	0.68	1.02 (150)

स्रोत: विभागीय आंकड़े।

समरहिल (शिमला) चंद्रलोक एवं रामपुर (ऊना) में स्थापित सीवेज प्रशोधन संयंत्रों की उपयोगिता क्षमता 10 *प्रतिशत* से कम थी। सीवेज प्रशोधन संयंत्रों का क्षमता से कम उपयोग होने के प्राथमिक कारणों में: जारी न किए गए कनैक्शनों की बड़ी प्रतिशतता, सीवरेज नेटवर्क से ग्रे-वाटर पाईपों का कनैक्शन न होना तथा सीवरेज नेटवर्क में रिसाव की समस्या के समाधान की धीमी प्रगति शामिल थे।

89 जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग एक निश्चित समयावधि में निश्चित समय पर पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए एरोबिक जैविक जीवों द्वारा आवश्यक घुलित आक्सीजन की मात्रा है।

90 सीवेज प्रशोधन संयंत्रों की डिजाइन एवं प्रक्रिया की पर्याप्तता पर रिपोर्ट (सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग, दिसम्बर 2017)।

दो शहरी स्थानीय निकायों के तीन सीवेज प्रशोधन संयंत्रों में स्थापित क्षमता से 50 से 71 *प्रतिशत* अधिक सीवेज प्राप्त किया गया जिसने इन सीवेज प्रशोधन संयंत्रों की क्षमता को बुरी तरह से प्रभावित किया। 2013-18 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड द्वारा इन सीवेज प्रशोधन संयंत्रों से ली गई प्रशोधित गन्दे पानी की धारा के एकत्रित नमूनों की उच्च विफलता दर[91] रही। इन सीवेज प्रशोधन संयंत्रों को क्षमता के त्वरित उन्नयन की आवश्यकता थी जिसे सीवेज प्रशोधन संयंत्र के पूर्ण क्षमता तक पहुंचने से काफी पहले ही योजनाबद्ध किया जाना चाहिए था। तथापि हमीरपुर में सीवेज प्रशोधन संयंत्र के उन्नयन हेतु जनवरी 2019 तक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया गया था जबकि 2017-18 में जाकर अमृत योजना के अंतर्गत शिमला में सीवेज प्रशोधन संयंत्रों के उन्नयन के लिए परियोजना प्रस्तावित तथा अनुमोदित की गई (जनवरी 2019 तक निविदा प्रक्रियाधीन थी)।

सम्बंधित मण्डलों ने अति दबावग्रस्त तथा कम उपयोग किए गए सीवेज प्रशोधन संयंत्रों की समस्या के समाधान के लिए अत्यावश्यकता नहीं दिखाई जिसने सीवेज प्रशोधन प्रक्रिया को बुरी तरह प्रभावित किया परिणामस्वरूप प्रशोधित गन्दे पानी की धारा के गुणवत्ता मापदण्ड निर्धारित मानकों से नीचे रहे।

समापन सम्मेलन में प्रमुख अभियंता, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि अति दबावग्रस्त सीवेज प्रशोधन संयंत्रों के उन्नयन में भूमि उपलब्धता का अभाव बाधा बना।

2.2.9.2 सीवेज प्रशोधन संयंत्र संघटकों की कार्यपद्धति

नमूना-जांचित 24 सीवेज प्रशोधन संयंत्रों के अभिलेखों की संवीक्षा तथा संयुक्त भौतिक निरीक्षण से उजागर हुआ कि कई सीवेज-प्रशोधन संयंत्रों के संघटक कार्यशील नहीं थे, जैसा कि नीचे **तालिका-2.2.4** में वर्णित है:

तालिका -2.2.4: सीवेज प्रशोधन संयंत्रों के निष्क्रिय संघटकों से सम्बन्धित विवरण

संघटक	सीवरेज प्रशोधन संयंत्र	कार्य	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
प्रवाहमान अवायवीय मल आवरण रिएक्टर	लाल पानी, शिमला	प्रवाह मान सीवेज से गुफ्फेदार/ दानेदार मल का अवसादन करना, तथा कार्बनिक घटकों का अवायवीय अपचयन करके मीथेन-युक्त बायोगैस उत्पन्न करना। सीवेज में जैव रासायनिक आक्सीजन मांग गर्मियों में 50-60 *प्रतिशत* तथा सर्दियों में 10-20 *प्रतिशत* तक घटाना।	दो प्रवाहमान अवायवीय मल आवरण रिएक्टर (लागत : ₹ 3.10 करोड़) फरवरी 2016 से निष्क्रिय थे जिसका परिणाम अभिकल्पित मानदण्डों से 20 से 50 प्रतिशत अधिक कार्बनिक भार तथा खराब गुणवत्ता की गन्दे पानी की धारा के रूप में हुआ जैसा कि गन्दे पानी की नमूना-धारा की उच्च विफलता दर (52 प्रतिशत) से प्रमाणित होता है। प्रमुख अभियंता सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि रिएक्टर कम तापमान के कारण मल से भर गए थे। हालांकि, विभाग को इस हेतु उचित तकनीक अपनानी चाहिए थी जैसा कि एक विशेषज्ञ द्वारा भी अनुशंसा की गई (नवम्बर 1998) थी (तापमान बनाए रखने के लिए प्रवाहमान अवायवीय मल आवरण रिएक्टर में उत्पन्न गैस का उपयोग करके भरे हुए पदार्थ को गर्म करना अथवा ताप अवरोधन हेतु मोटी दीवार की सम्भावना)।
फिल्टर दाब	सात सीवेज प्रशोधन संयंत्र- कुल्लू में (एक) व शिमला में (छः)	निपटान पूर्व मल का निर्जलीकरण	फिल्टर दाब (लागत: ₹ 59.26 लाख) स्थापना के बाद से ही निष्क्रिय थे। मल को निपटान के पूर्व पर्याप्त रूप से जल रहित नहीं किया जा रहा था। मल को सुखाने वाले संस्तर या अपकेन्द्रित यंत्र लगाने की विशेषज्ञ की अनुशंसा को अभिकल्प में नहीं अपनाया गया। तत्पश्चात् सितम्बर 2016 में मल सुखाने वाले संस्तरों का निर्माण शुरू हुआ परन्तु जनवरी 2019 तक पूर्ण नहीं किया गया था। समापन

91 2013-18 के दौरान इन सीवेज प्रशोधन संयंत्रों से हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लिए गए नमूनों की कुल संख्या (299) में से असफल नमूनों (165) के प्रतिशत के रूप में गणना की गई (ढली में 53 प्रतिशत, मल्याणा में 78 प्रतिशत तथा बजूरी में 31 प्रतिशत)।

			सम्मेलन में प्रमुख अभियंता, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य ने बताया कि मल सुखाने वाले संस्तरों हेतु प्रावधान सीवेज प्रशोधन संयंत्र के उन्नयन की योजनाओं में लिया जा रहा था।
मल सुखाने वाले संस्तर	10 शहरी स्थानीय निकायों[92] में 21 सीवेज प्रशोधन संयंत्र (अनावृत); चम्बा व हमीरपुर (निष्क्रिय)	मल का निर्जलीकरण ताकि मल टिकियाओं का खाद के रूप में उपयोग हो सके	21 सीवेज प्रशोधन संयंत्रों में मल सुखाने वाले संस्तर आवृत नहीं किए गए थे; बारिश के सम्पर्क के कारण मल को जल रहित करने की प्रक्रिया बाधित रही तथा जल जनित रोगों का खतरा बना रहा। संस्तरों को आवृत करने का कार्य केवल कुल्लू में प्रारम्भ किया गया था। समुचित रूप से सुखाई नहीं गईं मल टिकियाएं बोरियों में/ खुले में सीवेज प्रशोधन संयंत्र परिसर में पुनः उपयोग हेतु किसी तंत्र के बिना रखी गई थीं। चम्बा व हमीरपुर में दो सीवेज प्रशोधन संयंत्रों में मल सुखाने वाले संस्तर क्षतिग्रस्त तथा निष्क्रिय थे। प्रधान सचिव, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य ने तथ्यों को स्वीकार किया।

बजूरी, हमीरपुर में सीवेज प्रशोधन संयंत्र में क्षतिग्रस्त निष्क्रिय मल सुखाने वाले संस्तर (08 जून 2018)

देवीनगर, पांवटा साहिब सीवेज प्रशोधन संयंत्र परिसर में रखा हुआ सूखे मल का ढेर (21 मई 2018)

शामती, सोलन सीवेज प्रशोधन संयंत्र में जल से पटा हुआ/ बहते हुए जल में अनावृत मल सुखाने वाले संस्तर (05 जून 2018)

सीवेज प्रशोधन संयंत्र संघटकों के निष्क्रिय बने रहने का अर्थ है कि लगभग ₹ 3.69 करोड़ का व्यय निष्फल रहा, सीवेज प्रशोधन प्रक्रिया बुरी तरह से प्रभावित हुई जिससे प्रशोधित धारा की गुणवत्ता खराब रही, तथा मल समुचित रूप नहीं सुखाया गया जो पुन: उपयोग योग्य नहीं रहा।

2.2.9.3 सीवेज प्रशोधन संयंत्र अभिकल्प में कमियां

नमूना-जांचित 24 सीवेज प्रशोधन संयंत्रों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की संवीक्षा से उजागर सीवेज प्रशोधन संयंत्र अभिकल्प की कमियां नीचे **तालिका-2.2.5** में वर्णित हैं:

तालिका-2.2.5: सीवेज प्रशोधन संयंत्र अभिकल्प की कमियों से सम्बन्धित विवरण

अभिकल्प के घटक	कार्य	लेखापरीक्षा परिणाम
प्रवाह समकरण टैंक	जब सीवेज का अधिकतम प्रवाह औसत प्रवाह से काफी पार हो जाता है तो सीवेज प्रशोधन संयंत्र की अन्य इकाइयों में भरने से पूर्व सीवेज के प्रवाह को समान करने के लिए प्रवाह समकरण टैंक का उपयोग करने की सलाह दी जाती है (केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन नियमावली)। शिमला में सीवेज प्रशोधन संयंत्रों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की समीक्षा हेतु नियुक्त किए	नमूना-जांचित 24 सीवेज प्रशोधन संयंत्रों में से 21[93] में प्रवाह समकरण टैंको का कोई प्रावधान नहीं था। विस्तृत परियोजना रिपोर्टों में अधिकतम तथा औसत प्रवाह के बीच की भिन्नता का कोई विश्लेषण नहीं था जिससे पता चले कि प्रवाह समकरण टैंकों की आवश्यकता है या नहीं। विभाग ने स्वयं ही आकलन बनाया (नवम्बर 2017) कि प्रवाह समकरण टैंकों से प्रशोधन दक्षता में सुधार होगा। समापन सम्मेलन में प्रमुख अभियंता, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य ने बताया कि इसकी स्थापना अनिवार्य नहीं थी। हालांकि,

92 चम्बा, धर्मशाला, हमीरपुर, कुल्लू, मण्डी, पांवटा साहिब, शिमला, सोलन, सुन्दर नगर तथा ऊना।

93 ऊना (चंद्रलोक एवं रामपुर) में दो सीवेज प्रशोधन संयंत्रों तथा पांवटा साहिब (देवीनगर) में एक सीवेज प्रशोधन में प्रवाह समकरण टैंक प्रदान का प्रावधान था।

	गए एक विशेषज्ञ ने भी प्रवाह समकरण टैंक की अनुसंशा की थी (नवम्बर 1998)।	विभाग ने ऐसे टैंकों की आवश्यकता का पता लगाने के लिए कोई आकलन नहीं किया।
प्राथमिक विशुद्धक	टैंक में भरे सीवेज से गुरूत्व के कारण तल में स्थिर हुए निलम्बित ठोस को अलग करके द्वितीयक प्रशोधन इकाइयों से कार्बनिक भार कम करना। यह, अकार्बनिक बालू, कंकर (यदि हो), कार्बनिक व अन्य अकार्बनिक ठोस, मुक्त तेल, चिकनाई व अन्य तैरते पदार्थ तथा रासायनिक गुफ्फा जो कि पदार्थों के रासायनिक रूप से इकट्ठा होने तथा गुफ्फा बनने के दौरान उत्पन्न होते है, उन्हें हटाता है।	नमूना-जांचित 24 सीवेज प्रशोधन संयंत्रों में से किसी में भी प्राथमिक विशुद्धक का प्रावधान नहीं था। विभागीय प्रतिवेदन में यह आकलन किया गया (नवम्बर 2017) कि प्राथमिक विशुद्धक की अनुपस्थिति के कारण बहते एवं स्थिर हो सकने योग्य ठोसों का प्रवाह जैविक ऑक्सीकरण रिएक्टर में होने लगा तथा जिसके फलस्वरूप जैविक आक्सीकरण प्रक्रिया पर कार्बनिक भार बहुत अधिक बढ़ गया जो अंततः गन्दे पानी की धारा की खराब गुणवत्ता में परिणत हुआ। यह प्राथमिक विशुद्धक का प्रावधान न होने के परिणामस्वरूप सीवेज प्रशोधन की घटी हुई दक्षता का परिचायक था।
तृतीयक प्रशोधक/ कीटाणु शोधन प्रणाली	प्राप्त हो रहे जल से सुपोषण (यूट्रोफिकेशन[94]) को नियंत्रित करना तथा जल जनित रोगजनकों का उन्मूलन करना। गन्दे पानी का कीटाणुशोधन आवश्यक है क्योंकि इसमें मल आधारित रोगजनक सूक्ष्मजीव उपस्थित हो सकते हैं जो जल-जनित रोगों का कारण बन सकते हैं। तृतीयक प्रशोधन/ कीटाणु शोधन, रासायनिक अवक्षेपण (फास्फोरस हटाने व प्राप्त हो रहे जल से सुपोषण यानि यूट्रोफिकेशन को नियंत्रित करने के लिए) तथा क्लोरीनीकरण के माध्यम से किया जा सकता है।	नमूना-जांचित 24 में से 22[95] सीवेज प्रशोधन संयंत्रों में तृतीयक प्रशोधन/ कीटाणुशोधन का प्रावधान नहीं था। क्योंकि ये 22 सीवेज प्रशोधन संयंत्र प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सतही जल निकायों में गन्दे पानी की धारा को डाल रहे थे इसलिए तृतीयक प्रशोधन/ गन्दा पानी की धारा का कीटाणुशोधन दृढ़ता से सलाह योग्य था। विभाग के आंतरिक प्रतिवेदन में इसकी पुष्टि की गई थी (नवम्बर 2017) जिसमें स्वीकार किया गया था कि तृतीयक प्रशोधन का अभाव एक भारी कमी थी तथा यह प्रावधान प्रशोधित गन्दे पानी की धारा के पुनः उपयोग के जोखिम को कम करने के लिए अपेक्षित था।

समापन सम्मेलन में प्रमुख अभियंता, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य ने टिप्पणियां स्वीकार की तथा बताया कि सीवेज प्रशोधन की दक्षता में सुधार लाने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

सीवेज प्रशोधन संयंत्रों के अभिकल्प की उपर्युक्त कमियों के फलस्वरूप सीवेज प्रशोधन प्रक्रिया की दक्षता में गिरावट हुई तथा प्रशोधित गन्दे पानी की धारा मुक्त किए जाने वाले निचले तटीय क्षेत्रों में रोगजनकों से जुड़े जोखिम बढ़ गए (परिच्छेद 2.2.9.4)।

2.2.9.4 गन्दे पानी की प्रशोधित धारा के मानकों की अनुपालना

सीवेज प्रशोधन का लक्ष्य पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय द्वारा निर्धारित मानकों अनुसार प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थों को हटाना है। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, निलम्बित ठोसों, रासायनिक ऑक्सीजन मांग, तेल व चिकनाई तथा पी0एच0 पर सीवेज प्रशोधन संयंत्रों से प्रशोधित गन्दे पानी की धारा/ सीवेज के लिए मानक निर्धारित किये थे। केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन नियमावली कृषि, कृषि-वानिकी, औद्योगिक शीतलन इत्यादि हेतु प्रशोधित गन्दे पानी की धारा का कम से कम 20 *प्रतिशत* पुनः उपयोग किए जाने की अनुशंसा करती है। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्नलिखित पाया गया:

(i) नमूना-जांच किए गए 24 सीवेज प्रशोधन संयंत्रों में किसी में भी प्रशोधित गन्दे पानी की धारा का पुनः उपयोग नहीं किया जा रहा था तथा इसके बजाय उसे सतही जल निकायों में छोड़ा जा रहा था।

(ii) हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मल कॉलिफार्म, घुलित फास्फोरस तथा समग्र नाईट्रोजन हेतु कोई मानक निर्धारित नहीं किया था जो कि सतही जल निकायों में गन्दे पानी की धारा छोड़े जाने के मामले में केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन नियमावली द्वारा अनुशंसित था। इस प्रकार न तो मल

94 यूट्रोफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जल निकाय घुलित पोषक तत्वों से समृद्ध हो जाता है जिससे जलीय पौध जीवन विकास को तेजी मिलती है जिसके परिणामस्वरूप घुलित ऑक्सीजन का ह्रास होता है।

95 हमीरपुर में एक सीवेज प्रशोधन संयंत्र (बजूरी) तथा पांवटा साहिब में एक सीवेज प्रशोधन संयंत्र (देवीनगर) में तृतीयक प्रशोधन का प्रावधान था।

आधारित कारकों में उपस्थित रोग-जनक कीटाणु के खतरे, न ही घुलित फास्फोरस व नाईट्रोजन के कारण प्राप्त हो रहे जल में सुपोषण के खतरे का मूल्यांकन किया गया था।

(iii) हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अभिलेखों में देखा गया कि 2013-18 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नमूना-जांचित 24 सीवेज प्रशोधन संयंत्रों से संग्रहित 1,449 नमूनों में से 20 सीवेज प्रशोधन संयंत्रों[96] के 393 नमूने (27 *प्रतिशत*) निर्धारित मानकों से मेल नहीं करते थे। तीन सीवेज प्रशोधन संयंत्रों मल्याणा (78 *प्रतिशत*); ढली (53 *प्रतिशत*) तथा लालपानी (52 *प्रतिशत*) के मामले में विफलता दर 50 *प्रतिशत* से ऊपर थी। ऐसा सीवेज प्रशोधन संयंत्रों के अति-दबावग्रस्त होने (ढली व मल्याणा) तथा निष्क्रिय संघटकों (लालपानी) के कारण था, जिससे प्रशोधन प्रक्रिया पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

20 सीवेज प्रशोधन संयंत्रों में गन्दे पानी की धारा मुक्त करने के मानकों का अनुपालन न करने का अर्थ था कि इन सीवेज प्रशोधन संयंत्रों से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से छोड़ी जा रही प्रशोधित गन्दे पानी की धारा सतही जल निकायों के लिए सुरक्षित नहीं थी। यह न केवल पारिस्थितिकी तंत्र पर विपरीत प्रभाव डालेगा बल्कि निचले तटीय क्षेत्रों में ऐसा पानी प्रयुक्त कर रही जनता के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। यद्यपि हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 2013-18 के दौरान मण्डलों को सुधारात्मक उपाय करने हेतु नोटिस जारी किए थे फिर भी सम्बन्धित कानूनों के अन्तर्गत दोषी मण्डलों के विरूद्ध कार्रवाई नहीं की गई थी।

समापन सम्मेलन में सचिव, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य ने बताया कि गन्दे पानी की धारा के मानकों की साप्ताहिक समीक्षा प्रणाली को शुरू किया गया था तथा सीवेज प्रशोधन संयंत्रों से गन्दे पानी की धारा की निगरानी तथा गन्दे पानी की धारा की गुणवत्ता सुधार हेतु प्रयास किए जा रहे थे। इस संदर्भ में लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य में 41 में से 29 सीवेज प्रशोधन संयंत्रों के उन्नयन हेतु प्रस्ताव भेज दिए गये थे तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई थी।

2.2.9.5 अनुबंध के प्रावधानों को लागू न करना

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग ने ठेकेदारों को निष्पादन गारंटी, नियत सारणी के अनुसार कार्यों के निष्पादन, संचालन एवं अनुरक्षण हेतु पदांकित स्टाफ उपलब्ध करवाने, सीवेज प्रशोधन संयंत्र में धारा की गुणवत्ता के मापदंडों की जांच, इत्यादि के प्रावधानों से युक्त समझौते के अनुसार सीवरेज बिछाने के कार्यों तथा सीवेज प्रशोधन संयंत्रों के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु निविदाएं जारी की थी। संविदा/ अनुबंध के प्रावधानों को लागू न करने के निम्नवत् मामले पाए गए:

- ***निष्पादन गारंटी-***

  चार मण्डलों[97] द्वारा ठेकेदारों से पांच कार्यों की ₹ 24.54 लाख की निष्पादन गारंटी प्राप्त नहीं की गई थी। इस प्रकार, ये मण्डल ठेकेदार द्वारा अनुबंध प्रावधानों की अवहेलना करने के जोखिम के प्रति उचित सुरक्षा नहीं रख पाए। 12 से 24 महीनों के भीतर पूर्ण किए जाने हेतु निर्धारित सभी पांचों कार्य जनवरी 2019 तक अपूर्ण रहे।

  प्रधान सचिव, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य ने बताया (मार्च 2019) कि भविष्य में ठेकेदार से निष्पादन गारंटी प्राप्त की जाएगी।

- ***निर्माण-कार्यों के कार्यान्वयन में विलम्ब हेतु शास्ति-***

  नमूना-जांचित 11 शहरी स्थानीय निकायों में पांच सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मण्डलों[98] द्वारा 29 ठेकेदारों को सौंपे गए 41 कार्य ठेकेदारों द्वारा विलम्बित किए गए। तथापि सम्बन्धित सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मण्डल ने

---

96 शीतला पुल: 30 *प्रतिशत*; भागोट: 10 *प्रतिशत*; बारगा: 31 *प्रतिशत*; हथली: 1 *प्रतिशत*; काकडु: 38 *प्रतिशत*; बजूरी: 31 *प्रतिशत*; भूतनाथ: 13 *प्रतिशत*; बडाह: 5 *प्रतिशत*; लंका बेकर: 10 *प्रतिशत*; खलियार: 18 *प्रतिशत*; रघुनाथ का पधर: 27 *प्रतिशत*; देवी नगर: 3 *प्रतिशत*; मल्याणा: 78 *प्रतिशत*; ढली: 53 *प्रतिशत*; नार्थ डिस्पॉजल: 28 *प्रतिशत*; स्नोडन: 20 *प्रतिशत*; लालपानी: 52 *प्रतिशत*; समरहिल: 8 *प्रतिशत*; सामती: 23 *प्रतिशत* तथा चांदपुर स्थित भारजवाणू: 14 *प्रतिशत।*

97 धर्मशाला: ₹ 5.30 लाख, हमीरपुर: ₹ 14.83 लाख, मण्डी: ₹ 2.35 लाख तथा सुन्दरनगर: ₹ 2.06 लाख।

98 चम्बा: ₹ 29.18 लाख, मण्डी: ₹ 2.07 लाख, पांवटा साहिब: ₹ 7.80 लाख, शिमला: ₹ 30.07 लाख तथा सोलन: ₹ 3.54 लाख।

ठेकेदार को निष्पादन तेज करने हेतु न तो कोई नोटिस जारी किया और न ही ₹ 72.66 लाख की क्षतिपूर्ति का उद्ग्रहण किया।

प्रधान सचिव, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य ने बताया (मार्च 2019) कि ठेकेदारों को नोटिस जारी किए जाएगें।

- ***सीवेज प्रशोधन संयंत्र संचालकों पर शास्ति-***
  - चार मण्डलों[99] में धारा की गुणवत्ता निर्धारित मानदण्डों के अनुकूल न होने से 10 सीवेज प्रशोधन संयंत्रों को संचालित करने वाले ठेकेदारों से ₹ 3.61 लाख की वसूली योग्य शास्ति अधिरोपित/ उद्ग्रहित नहीं की गई थी।
  - तीन मण्डलों[100] में छः सीवेज प्रशोधन संयंत्रों के संचालन/ सीवरेज नेटवर्क के रख-रखाव के लिए अनुबंध में निर्धारित प्राधिकृत स्टाफ उपलब्ध करवाने में विफल होने के कारण ठेकेदारों से ₹ 2.92 लाख की शास्ति अधिरोपित/ उद्ग्रहित नहीं की गई थी। इन सीवेज प्रशोधन संयंत्रों में प्रक्रिया अभियंता व पम्प संचालक के महत्त्वपूर्ण पद रिक्त थे जिसने संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। इसके अतिरिक्त, अनुबंध में निर्धारित शास्ति राशि बहुत कम थी तथा ठेकेदार द्वारा प्राधिकृत स्टाफ की तैनाती पर इससे अधिक खर्च होता। अतः अनुबंध में निर्धारित शास्ति राशि के संशोधन पर विचार किया जा सकता है।

प्रधान सचिव, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य ने बताया (मार्च 2019) कि मामले की जांच की जाएगी तथा वसूली कर ली जाएगी।

2.2.9.6 सीवेज प्रशोधन संयंत्रों में अवसंरचना

लेखापरीक्षा द्वारा 24 नमूना-जांचित सीवेज प्रशोधन संयंत्रों में संचालित संयुक्त भौतिक निरीक्षण (मार्च से जून 2018) के दौरान अवसंरचना से सम्बंधित निम्न कमियां पाई गईं:

(i) केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन नियमावली तथा हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विनिर्देशों के अनुसार सीवेज प्रशोधन संयंत्र जेनरेटरों से युक्त होने चाहिए। तथापि आठ सीवेज प्रशोधन संयंत्रों[101] में जनरेटर स्थापित नहीं थे। इसके अतिरिक्त पांच सीवेज प्रशोधन संयंत्रों [102] में स्थापित जनरेटर निष्क्रिय थे। इस प्रकार इन सीवेज प्रशोधन संयंत्रों में बाधारहित विद्युत आपूर्ति बनाए रखने हेतु कोई प्रावधान नहीं था।

(ii) विशेष सचिव, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य ने निर्देशित (मार्च 2016) किया था कि सीवेज प्रशोधन संयंत्रों में प्रयोगशालाएं मापदण्डों के विश्लेषण (जैव ऑक्सीजन मांग, रासायनिक ऑक्सीजन मांग इत्यादि) हेतु उपकरणों से युक्त होनी चाहिए, ताकि सीवेज प्रशोधन संयंत्र संचालकों द्वारा पुनः परिसंचरण, अधिक ऑक्सीकरण इत्यादि जैसे सुधारात्मक उपाय किए जा सकें।

पांच[103] सीवेज प्रशोधन संयंत्रों में नमूनों के परीक्षण के लिए कोई प्रयोगशाला नहीं थी। इसके अतिरिक्त शेष 19 सीवेज प्रशोधन संयंत्रों में से पांच[104] में अपेक्षित उपकरणों की अनुपलब्धता के कारण प्रयोगशालाएं निष्क्रिय थीं। ऊना में दोनों सीवेज प्रशोधन संयंत्रों में से किसी में भी कार्यशील प्रयोगशाला नहीं थी तथा प्रशोधित गन्दे पानी की धारा जल संरक्षण अधिनियम (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण), 1974 में अपेक्षित परीक्षणों के बिना सतही जल निकायों में छोड़ी जा रही थी।

---

99 हमीरपुर: ₹ 1.39 लाख, कुल्लू: ₹ 0.56 लाख, शिमला: ₹ 1.24 लाख तथा सुन्दरनगर: ₹ 0.42 लाख।

100 हमीरपुर: ₹ 0.79 लाख, मण्डी: ₹ 0.22 लाख तथा सुन्दरनगर: ₹ 1.91 लाख।

101 चम्बा: बारगा, शीतला पुल तथा भागोट; धर्मशाला: चिल्लईं; हमीरपुर: हथली, काकडु एवं बजूरी तथा ऊना: चंद्रलोक।

102 कुल्लू: बड़ाह; पांवटा साहिब: देवीनगर तथा मेन बाजार; सोलन: सामती तथा ऊना: रामपुर।

103 शीतला पुल (चम्बा), काकडु एवं बजूरी (हमीरपुर), लंकाबेकर (कुल्लू) तथा चंद्रलोक (ऊना)।

104 भगोट (चम्बा), बड़ाह (कुल्लू), खलियार (मण्डी), मेन बाजार (पांवटा साहिब) तथा रामपुर (ऊना)।

प्रयोगशालाओं की अनुपलब्धता/ निष्क्रियता का अर्थ है कि सीवेज प्रशोधन संयंत्र संचालकों के पास गन्दे पानी की धारा के गुणवत्ता मापदण्डों का विश्लेषण करने तथा सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु कोई अवसंरचना नहीं थी।

इंगित मामले लेखापरीक्षा द्वारा संचालित नमूना-जांच पर आधारित हैं। विभाग ऐसे अन्य मामलों की जांच तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु कदम उठा सकता है।

सिफारिश: *राज्य सरकार अति दबावग्रस्त सीवेज प्रशोधन संयंत्रों की क्षमता का उन्नयन करके तथा कम उपयोग हो रहे सीवेज प्रशोधन संयंत्रों के मामले में सीवेज कनैक्टिविटी में सुधार करके सीवेज प्रशोधन संयंत्रों का अधिकतम उपयोग तथा सीवेज प्रशोधन की दक्षता सुधारने हेतु अभिकल्प की कमियों व निष्क्रिय संघटकों की समस्या का समाधान कर सकती है।*

2.2.10 सैप्टिक टैंक प्रणालियां

यह भाग सामुदायिक स्तरीय व घरेलू स्तरीय सैप्टिक टैंक प्रणालियों से सम्बंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियों से संबंधित है।

सामुदायिक स्तरीय सेप्टिक टैंक प्रणालियों हेतु योजना, निर्माण एवं रख-रखाव की जिम्मेदारी सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग की होती है। घरेलू स्तरीय सेप्टिक टैंक प्रणालियों के निर्माण की जिम्मेदारी व्यक्तिगत प्रतिष्ठानों की होती है तथा शहरी स्थानीय निकाय उनके निर्माण तथा सफाई के पर्यवेक्षण हेतु जिम्मेदार होते हैं।

2.2.10.1 सामुदायिक स्तरीय सैप्टिक टैंक प्रणालियां

बड़े समुदायों में कार्यशील सामुदायिक स्तरीय सैप्टिक टैंक प्रणालियों में गन्दा पानी की धारा यूं तो काफी हद तक शुद्ध कर दी जाती है, फिर भी घुलित व निलम्बित कार्बनिक ठोसों तथा रोगजनकों से युक्त होती है, जिसे अतिरिक्त प्रशोधन की आवश्यकता होती है। केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन नियमावली 2012 के अनुसार टैंक के तल में जमा संचित मल को दो या तीन वर्षों में कम से कम एक बार मल रहित करना या प्रशोधित करना आवश्यक है। मल को भूमि पर उपयोग अथवा निपटान करने से पूर्व उपयुक्त प्रकार से सीवेज प्रशोधन संयंत्र अथवा विशेष मल प्रशोधन सुविधा में फिर से प्रशोधन के लिए गुजरना चाहिए।

नमूना-जांचित 16 शहरी स्थानीय निकायों में से पांच में 300 से 2,000 तक की जनसंख्या हेतु 29 सामुदायिक स्तरीय सैप्टिक टैंक प्रणालियां कार्यशील थीं (मार्च 2018)। संयुक्त भौतिक निरीक्षण एवं अभिलेखों की संवीक्षा के उपरांत इन 29 प्रणालियों के सम्बंध में टिप्पणियों पर नीचे **तालिका-2.2.6** में चर्चा की गई है:

तालिका-2.2.6 भौतिक निरीक्षण किए गए 29 सामुदायिक स्तरीय सैप्टिक टैंकों से सम्बंधित विवरण

शहरी स्थानीय निकाय	सेप्टिक टैंकों की संख्या	निर्माण	उपभोक्ताओं की संख्या	सोखने वाले गड्ढ़े या गन्दा पानी प्रशोधन प्रणाली	मल प्रशोधन व निपटान सुविधाएं
बिलासपुर	12	1960 तथा 1996 के लगभग	907 - 1,637	सोखने वाले गड्ढ़े या गन्दा पानी प्रशोधन प्रणाली उपलब्ध नहीं थी। गन्दे पानी की धारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से गोविंद सागर झील में बहा दी गई।	किसी में नहीं थी। मल का बिना प्रशोधन के खुले में निपटान किया जा रहा था।
चम्बा	1	1998	1,050	सैप्टिक टैंक खुला था तथा मैन होल का ढक्कन नहीं था। सोखने वाले गड्ढ़े की व्यवस्था थी। गन्दे पानी की धारा हेतु अतिरिक्त प्रशोधन सुविधा उपलब्ध नहीं थी। गन्दे पानी की धारा को बिना अतिरिक्त प्रशोधन के नदी में मुक्त किया जा रहा था।	किसी में नहीं थी। सैप्टिक टैंक को चार बार मल रहित किया गया था परंतु निपटान का कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं था। सीवेज प्रशोधन संयंत्र होने के बावजूद मल का निपटान बिना प्रशोधन के खुले में किया गया।
धर्मशाला	2	2007-08	3,500 (1,500 एवं 2,000)	दोनों में सोखने वाले गड्ढ़े उपलब्ध थे। अतिरिक्त गन्दे पानी की धारा हेतु प्रशोधन प्रणाली उपलब्ध नहीं थी।	किसी में नहीं थी। सीवेज प्रधोधन संयंत्र होने के बावजूद सैप्टिक टैंकों को एक बार भी मल रहित नहीं किया गया।

मण्डी	13	1997 – 2010	3,900 (300 प्रत्येक में)	नौ सैप्टिक टैंकों में सोखने वाले गड्ढे नहीं थे। किसी भी सैप्टिक टैंक में गन्दे पानी की धारा हेतु प्रशोधन प्रणाली उपलब्ध नहीं थी। सात सैप्टिक टैंकों से गन्दे पानी की धारा सीधे ही सुकेती खड्ड में छोड़ी जा रही थी।	किसी में नहीं थी। एक सैप्टिक टैंक को मल रहित किया गया। सीवेज प्रशोधन संयंत्र होने के बावजूद मल का बिना प्रशोधन के खुले में निपटान किया गया। शेष 12 सैप्टिक टैंकों को एक बार भी मल रहित नहीं किया गया।
ऊना	1	1999	1,140	सोखने वाले गड्ढे व गन्दा पानी प्रशोधन प्रणाली उपलब्ध नहीं थी। सैप्टिक टैंक खुले, ऊपर तक भरे तथा जीर्ण थे।	किसी में नहीं थी। सीवेज प्रशोधन संयंत्र होने के बावजूद सैप्टिक टैंक को एक बार भी मल रहित नहीं किया गया।

अत: पांच में से चार शहरी स्थानीय निकायों में सीवेज प्रशोधन संयंत्रों के उपलब्ध होने के बावजूद अधिकांश मामलों में प्रशोधित किए बिना गन्दे पानी की धारा को जल निकायों में छोड़ा जा रहा था (ऊपर तालिका में संदर्भित है)। 29 में से 15 सैप्टिक टैंकों को उनके चालू होने के बाद से (आठ से 22 वर्षों की अवधि) मल रहित नहीं किया गया था, इसने प्रशोधन प्रक्रिया को बुरी तरह से प्रभावित किया जिसने जल निकायों को गंभीर रूप से प्रदूषित किया। जहां टैंकों को मल-रहित किया जा रहा था वहां बिना किसी प्रशोधन के मल का खुले में निपटान मिट्टी/ भूमि को प्रदूषित कर रहा था।

ऊना (जोन-सी) में बहता हुआ सैप्टिक टैंक (29.03.2018)

धौलरा सैप्टिक टैंक, बिलासपुर से गोबिंद सागर में बहता हुआ रिसाव (26.04. 2018)।

सुकेती खड्ड में सैप्टिक टैंक से ब्यास नदी में बहता हुआ सीवेज (03.05.2018)।

प्रधान सचिव, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य ने बताया (मार्च 2019) कि गन्दे पानी की धारा को नजदीकी सीवेज प्रशोधन संयंत्रों तक उठाने के प्रयास किए जा रहे थे।

2.2.10.2 घरेलू स्तरीय सैप्टिक टैंक प्रणालियां

शहरी स्थानीय निकाय उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर आवासों के नक्शे अनुमोदित करने एवं प्रत्येक नए निर्माण कार्य पर पूर्णता प्रमाण जारी करने के लिए जिम्मेदार है। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विनिर्देशों के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक घर/ अपशिष्ट उत्पादक सैप्टिक टैंक (उचित अभिकल्प तथा पर्याप्त क्षमता वाले) एवं सोखने वाले गड्ढे से जुड़ा हो।

नमूना-जांचित 16 शहरी स्थानीय निकायों के उन 557 घरों में लेखापरीक्षा ने संयुक्त भौतिक निरीक्षण व सर्वे संचालित किया (अप्रैल-जून 2018) जो कि किसी भी सीवरेज प्रणाली से जुड़े नहीं थे तथा जिनमें घरेलू स्तरीय सेप्टिक टैंक व सोखने वाला गड्ढा प्रणाली होने के साथ प्रति एक या दो वर्षों में सैप्टिक टैंकों की सफाई/ मल रहित किया जाना चाहिए था। निम्नवत् पाया गया:

- *97 घरों (17 प्रतिशत) ने सैप्टिक टैंकों का निर्माण नहीं किया था तथा वे सीवेज को सीधे नालों/नालियों में बहा रहे थे।*
- *सैप्टिक टैंक निर्मित कर चुके 460 घरों में से 351 घरों (76 प्रतिशत) ने पृथक सोखने वाले गड्ढों का निर्माण नहीं किया था जिससे गन्दे पानी की धारा प्रशोधन की प्रभावशीलता बुरी तरह से प्रभावित हो रही थी।*

यह पाया गया कि तीन शहरी स्थानीय निकायों के अपवाद के साथ (हमीरपुर, मण्डी व ऊना) शेष 13 शहरी स्थानीय निकाय घरों को प्रमाण पत्र जारी कर रहे थे यह प्रमाणित किए बिना कि घरों का स्थल दौरा किया जा चुका था एवं सैप्टिक टैंक अभिकल्प के अनुरूप निर्मित है, जो इस बात के परिचायक है कि ये सत्यापन संचालित ही नहीं किए गए।

- *सैप्टिक टैंकों वाले 460 परिवारों में से 259 परिवारों (56 प्रतिशत) ने सूचित किया कि उन्होंने अपने टैंकों की सफाई नहीं की। अन्य 201 परिवारों में से 191 परिवारों (95 प्रतिशत) ने सूचित किया कि वे खुले में/नालों में/खेतों इत्यादि में मल का निपटान कर रहे थे।*

  यह पाया गया कि एक शहरी स्थानीय निकाय (शिमला) के अपवाद के साथ, शेष 15 शहरी स्थानीय निकायों ने घरेलू स्तरीय सैप्टिक टैंकों की सफाई/उन्हें मल रहित करने हेतु कोई सेवा प्रदान नहीं की थी। नमूना-जांचित 16 शहरी स्थानीय निकायों में से किसी ने भी इन टैंकों से संग्रहित मल के प्रशोधन व निपटान हेतु कोई तंत्र तैयार नहीं किया था।

अतिरिक्त निदेशक, शहरी विकास विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया। प्रधान सचिव सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य ने तथ्यों को स्वीकार किया (मार्च 2019)।

सैप्टिक टैंकों व सोखने वाले गड्ढ़ों को निर्मित न करना तथा घरों द्वारा मल का खुले में निपटान घरेलू स्तरीय सैप्टिक टैंक प्रणालियों पर शहरी स्थानीय निकायों के खराब पर्यवेक्षण का परिचायक है। गन्दे पानी की धारा तथा मल का बिना प्रशोधित किए निपटान करने से भूमिगत जल/सतही जल/भूमि की गुणवत्ता का प्रभावित होना निश्चित था तथा इसने संदूषण का खतरा उत्पन्न किया। 2007-13 के दौरान शिमला में पीलिया के प्रकोप के संदर्भ में सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग की आंतरिक रिपोर्ट में यह तथ्य स्वीकार करते हुए सूचित किया गया कि "मकान मालिकों द्वारा निर्मित घरेलू स्तरीय सेप्टिक टैंकों में सीवेज के निपटान हेतु कोई वैज्ञानिक व्यवस्था मौजूद नहीं थी। परिणामस्वरूप अशोधित मैला पानी जलोत्सारण क्षेत्र (वाटर शेड एरिया) के स्रोत में प्रवेश कर रही थी तथा उस जल स्रोत से निकाले गए जल को विशेषतः भारी वर्षा के दौरान, जब लोग अपने सैप्टिक टैंकों की सफाई हेतु प्रवृत्त थे, दूषित कर रहा था"।

चम्बा में घरों द्वारा खुले में छोड़े गए सीवेज पाइप (06 अप्रैल 2018)

धर्मशाला में घरों द्वारा खुले में छोड़े गए सीवेज पाइप (24 मई 2018)

इंगित किए गए मामले लेखापरीक्षा द्वारा संचालित नमूना-जांच पर आधारित है। विभाग समान मामलों की जांच करने तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई शुरू कर सकता है।

सिफारिश: *राज्य सरकार मानदण्डों के अनुसार सैप्टिक टैंकों का निर्माण सुनिश्चित कर सकती है। इसके अतिरिक्त, शहरी स्थानीय निकाय घरेलू स्तरीय सैप्टिक टैंक प्रणालियों पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण करें तथा मुक्त किए जाने/निपटान किए जाने के पूर्व गन्दे पानी की धारा व मल को प्रशोधित करने की सुविधा या तो स्वयं अथवा बाह्य स्रोतों के माध्यम से प्रदान कर सकते हैं।*

2.2.11 निगरानी

सीवेज प्रबंधन गतिविधियों का निगरानी शहरी स्थानीय निकायों, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग तथा शहरी विकास विभाग द्वारा किया जाता है। लेखापरीक्षा द्वारा निगरानी में पाई गई कमियां नीचे वर्णित हैं:

2.2.11.1 निगरानी तंत्र

(i) राज्य सरकार द्वारा उपायुक्त की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय निगरानी समिति का गठन (अक्तूबर 2015) सीवेज प्रबंधन से संबद्ध मामलों की निगरानी हेतु किया गया था। समिति को प्रत्येक तिमाही में एक बैठक करनी थी तथा कार्रवाई (कार्रवाईयां) एवं कार्रवाई करने योग्य निर्णय (निर्णयों) की रिपोर्ट शहरी विकास विभाग को प्रेषित की जानी थी। यद्यपि नमूना-जांचित 16 शहरी स्थानीय निकायों में से मात्र चार[105] ही इन समितियों के क्रियाकलापों पर जानकारियां उपलब्ध करा सके तथा इन चार शहरी स्थानीय निकायों में अक्तूबर 2015 व मार्च 2018 के मध्य अपेक्षित कुल 40 में से मात्र सात बैठकें ही आयोजित की गईं। इस प्रकार, भू-विवाद, स्थानीय प्राधिकरणों से मंजूरी इत्यादि जैसे स्थानीय मुद्दों के समाधान के लिए बनाई गई निगरानी समिति परिकल्पित कार्य नहीं कर रही थी।

(ii) सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग चालू स्कीमों का त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार कर रहा था जिसे शहरी विकास विभाग को प्रगति की समीक्षा हेतु प्रस्तुत किया जा रहा था। तथापि, 2013-18 के दौरान दो बैठकों[106] को छोड़कर, स्कीमों की प्रगति के बारे में कोई समीक्षा एवं कार्रवाई के अभिलेख नहीं थे। निर्देश जारी करने अथवा भू-विवाद, इत्यादि जैसे मामले जो कार्यों को रोक रहे थे, के समाधान हेतु कार्रवाई की सिफारिश के कोई अभिलेख भी नहीं थे। इस प्रकार, सुधारात्मक कार्रवाई हेतु वरिष्ठ प्रबंधन से निर्देश प्राप्त करने हेतु त्रैमासिक प्रतिवेदन का तंत्र लक्षित अभिप्राय को प्राप्त नहीं कर रहा था।

2.2.11.2 कार्यों का निरीक्षण

कार्यों की गुणवत्ता एवं समय पर पूर्णता सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रमुख अभियंता, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य ने विभाग के अधिकारियों (अधिशाषी अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता) द्वारा मुख्य स्कीमों के नियत निरीक्षण हेतु अप्रैल 2000 में अनुदेशों को जारी किया था। विशेष सचिव, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य ने विभाग के अधिकारियों द्वारा (सहायक अभियंता, अधिशाषी अभियंता, अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता एवं प्रमुख अभियंता) सीवेज प्रशोधन संयंत्रों के निरीक्षण हेतु जनवरी 2016 में मानक परिचालन प्रक्रिया को जारी किया। अधिकारियों को प्रत्येक निरीक्षण हेतु निरीक्षण टिप्पणी प्रस्तुत करना अपेक्षित था। अभिलेखों की छानबीन से निम्नवत् उद्घाटित हुआ:

(i) नमूना-जांचित 12 मण्डलों में से 10 के अभिलेखों की छानबीन जहां पर सीवेज स्कीमें प्रगति पर थीं/ पूर्ण थीं, (दो मण्डलों: बिलासपुर तथा शिमला ने संचालित निरीक्षणों के अभिलेख नहीं बनाए थे) से उद्घाटित हुआ कि 2013-18 के दौरान कार्यों के निरीक्षण में क्रमश: मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता तथा अधिशाषी अभियंता के स्तर पर 66, 62 एवं 36 *प्रतिशत* की कमी थी। उपर्युक्त अवधि के दौरान इन 10 नमूना-जांचित मण्डलों में अधिकारियों द्वारा कार्यों के निरीक्षणों की निरीक्षण टिप्पणियों का रिकार्ड नहीं पाया गया। निरीक्षणों में कमी अपर्याप्त निगरानी का परिचायक था, जो कार्यों के निष्पादन में ज्यादा विलम्ब एवं समय पर कार्रवाई की कमी का कारण बना।

(ii) नमूना-जांच किए गए 10 मण्डलों जहां पर सीवेज प्रशोधन संयंत्र विद्यमान थे में से चार मण्डलों (छ:[107] मण्डलों ने संचालित निरीक्षणों के अभिलेख नहीं बनाए थे) के अभिलेखों की छानबीन से देखा गया कि 2016-18 के दौरान सीवेज प्रशोधन संयंत्रों के निरीक्षण में प्रमुख अभियंता, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता अधिशाषी अभियंता एवं सहायक अभियंता के स्तर पर कमी क्रमश: 100, 56, 76, 34 एवं 25 *प्रतिशत* थी। इसके

105 हमीरपुर, कुल्लू, पांवटा साहिब तथा ऊना।

106 फरवरी 2017 तथा अगस्त 2017.

107 हमीरपुर, कुल्लू, पांवटा साहिब, शिमला, सोलन तथा ऊना।

अतिरिक्त, कुल 475 संचालित निरीक्षणों के प्रति केवल नौ निरीक्षणों की निरीक्षण टिप्पणियां प्रस्तुत की गई। निरीक्षणों में कमी सीवेज प्रशोधन संयंत्रों की अपर्याप्त निगरानी का परिचायक थी, जिसके चलते सीवेज प्रशोधन संयंत्रों के कार्यान्वयन में समस्याओं की पहचान नहीं हुई तथा सुधारात्मक कार्रवाई में कमी रही।

अतः नियोजन स्तर पर बाधाओं को दूर करने, योजनाओं की समयबद्ध पूर्णता, और सीवेज प्रशोधन संयंत्रों की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण रखने हेतु निगरानी, रिपोर्टिंग तथा निरीक्षण तंत्र परिकल्पनानुसार कार्यशील नहीं थे, जिसके कारण पूर्ववर्ती परिच्छेदों में उजागर कमियां सामने आईं।

समापन सम्मेलन में प्रमुख अभियंता, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य ने बताया कि निगरानी हेतु मानक परिचालन प्रक्रिया का पूर्णता से अनुसरण नहीं किया जा रहा था परंतु इस सम्बध में प्रयास किए जाएंगे।

इंगित किए गए मामले लेखापरीक्षा द्वारा संचालित नमूना-जांच पर आधारित है। विभाग ऐसे समान मामलों की जांच तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है।

सिफारिश: *राज्य सरकार निगरानी तंत्र के सुदृढ़ीकरण तथा सुधारात्मक कार्रवाई जहां पर अपेक्षित हो, हेतु कदम उठा सकती है।*

निष्कर्ष

राज्य के शहरी क्षेत्रों में सीवेज प्रबंधन किसी वृहद स्तरीय रणनीति के अभाव; अपर्याप्त निधियन; उपलब्ध निधियां जारी न करने तथा प्रयुक्त न करने; बाधा रहित भूमि सुनिश्चित न होने के कारण सीवरेज योजनाओं के निष्पादन में लम्बे विलम्ब; भूमि विवाद, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों को तैयार करने में विलम्ब; योजना के कार्यान्वयन की धीमी गति; सीवेज प्रबंधन की सैप्टिक टैंक प्रणाली पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कमी तथा अपर्याप्त अनुश्रवण के रूप में चिह्नित था।

शहरी क्षेत्रों के एक बड़े हिस्से को सीवरेज प्रणाली के अंतर्गत आवृत नहीं किया गया था। जिन क्षेत्रों को सीवरेज योजना के अंतर्गत आवृत किया गया था, उनमें सीवेज प्रशोधन प्रक्रिया की दक्षता अपेक्षित मानकों के स्तर की नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप सतही जल निकायों में खराब गुणवत्ता की गन्दे पानी की धारा छोड़ी गई। सैप्टिक टैंक प्रणालियों के मामले में पर्यवेक्षण/ नियंत्रण की कमी का अर्थ था कि अपशिष्ट जल या तो नालियों/ खुले में छोड़ा जा रहा था फिर जमीन में रिसने के पहले उसे उचित रूप से प्रशोधित नहीं किया जा रहा था, जबकि मल को खुले/ नालों/ खेतों इत्यादि में बिना प्रशोधन के विसर्जित किया जा रहा था।

सतही जल निकायों अथवा भूमि पर अप्रशोधित या निम्न स्तर पर प्रशोधित गन्दे पानी की धारा/ अपशिष्ट जल बहाने तथा अप्रशोधित मल को खुले में विसर्जित करने से पर्यावरण तथा मानव स्वास्थ्य पर गम्भीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

अध्याय-III

अनुपालना लेखापरीक्षा

अध्याय-III
अनुपालना लेखापरीक्षा

पशुपालन विभाग

3.1 दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र पर अनुत्पादक व्यय

हिमाचल प्रदेश *मिल्कफैड* द्वारा उपलब्ध दूध का वास्तविक निर्धारण न करने एवं परिकल्पित ग्राम डेयरी सहकारी समितियों का गठन/कार्य न करने में विफलता के परिणामस्वरूप दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का न्यून उपयोग हुआ, जिससे ₹ 63.35 लाख का निवेश अधिकांशतः अनुत्पादक रहा तथा ₹ 1.40 करोड़ का परिचालन नुकसान हुआ।

हिमाचल प्रदेश के दो पिछड़े जिले (चम्बा तथा सिरमौर) राष्ट्रीय सम-विकास योजना के तहत समाविष्ट किए गए, जिसका उद्देश्य असंतुलन में कमी और विकास को गति देने के लिए पिछड़े क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों पर ध्यान केन्द्रित करना है। स्कीम के अंतर्गत सिरमौर जिले के दुग्ध उत्पादकों को बिक्री केन्द्र उपलब्ध कराने हेतु हिमाचल प्रदेश *मिल्कफैड*[1] ने 2006-07 के दौरान ₹ 63.35 लाख की लागत से कफोटा में एक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया। संयंत्र चलाने के लिए हिमाचल प्रदेश *मिल्कफैड* द्वारा दो खण्डों (पांवटा साहिब तथा शिलाई) के गांवों में 10 सदस्यीय 18 ग्राम डेयरी सहकारी समितियों का गठन करके प्रतिदिन औसतन 5,000 लीटर दूध की खरीद को सुनिश्चित करना था। ग्राम डेयरी सहकारी समितियों के सदस्यों को राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल में डेयरी गतिविधियों पर प्रशिक्षण दिया जाना था तथा बदले में उन्हें हिमाचल प्रदेश *मिल्कफैड* को दूध की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु डेयरी गतिविधियां अपनाने में स्थानीय किसानों को प्रोत्साहित करना था।

कफोटा दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना से पूर्व सिरमौर जिले के कफोटा क्षेत्र से 2000-06 के दौरान विद्यमान नजदीकी दुग्ध चिलिंग संयंत्र को दी जा रही दूध की औसत दैनिक आपूर्ति 453 तथा 919 लीटर प्रतिदिन के मध्य थी। हिमाचल प्रदेश *मिल्कफैड* ने मई 2005 में क्षेत्र में एक सर्वेक्षण किया जिसमें दुग्ध उत्पादकों के पास प्रतिदिन केवल 2,017 लीटर दूध आवश्यकता से अधिक पाया गया, जिसे वे खुले बाजार में बेच रहे थे। तथापि, हिमाचल प्रदेश *मिल्कफैड* ने प्रतिदिन 5,000 लीटर की क्षमता के साथ कफोटा में दुग्ध संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया जो क्षेत्र में उपलब्ध अनुमानित आवश्यकता से अधिक दूध की अपेक्षा में बहुत अधिक था।

हिमाचल प्रदेश *मिल्कफैड* के अभिलेखों की छानबीन (अगस्त 2017) से देखा गया कि इसके संचालन के सात वर्षों (अप्रैल 2007 से जून 2014) के दौरान संयंत्र में प्रसंस्करण हेतु दूध की खरीद केवल 40 तथा 403 लीटर प्रतिदिन के मध्य था। हिमाचल प्रदेश *मिल्कफैड* इस अवधि के दौरान अपेक्षित 1.32 करोड़ लीटर[2] के प्रति केवल 4.71 लाख लीटर दूध (चार *प्रतिशत*) की खरीद सुनिश्चित कर सका। लेखापरीक्षा में देखा गया कि अपेक्षित 18 ग्राम डेयरी सहकारी समितियों के गठन के प्रति केवल 14 ग्राम डेयरी सहकारी समितियां बनाई गईं, जिसमें से केवल तीन क्रियाशील थीं। हिमाचल प्रदेश *मिल्कफैड* द्वारा केवल 80 ग्राम डेयरी सहकारी समिति सदस्यों (अपेक्षित 180 के प्रति) को प्रशिक्षण प्रदान कराया गया। पड़ोसी राज्य (पंजाब) में डेयरी किसानों द्वारा अधिक कीमतों पर दूध खरीदने के कारण, दूध की कम उपलब्धता तथा स्थानीय बाजार में किसानों द्वारा दूध की सीधी बिक्री के कारण अपेक्षित संख्या में ग्राम डेयरी सहकारी समितियों का गठन नहीं किया जा सका। यह इंगित करता है कि हिमाचल प्रदेश *मिल्कफैड* पर्याप्त मात्रा में दूध की खरीद करने हेतु किसानों को डेयरी गतिविधियों में प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक संख्या में ग्राम डेयरी सहकारी समितियों को क्रियाशील बनाने में विफल रहा। हिमाचल प्रदेश *मिल्कफैड* ने दूध की खरीद के लिए प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य तय करके ग्राम डेयरी सहकारी समितियों को क्रियाशील बनाने, ग्राम डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने अथवा दूध उत्पादकों में जागरूकता लाने के लिए कोई कार्रवाई करने की पहल नहीं की।

1 हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ लिमिटेड।

2 2,648 दिन (अप्रैल 2007 से जून 2014) x 5,000 लीटर (क्षमता प्रतिदिन) = 1,32,40,000 लीटर।

हिमाचल प्रदेश *मिल्कफैड* को 2007-15 के दौरान दुग्ध संयंत्र के रख-रखाव एवं संचालन पर ₹ 1.40 करोड़[3] की परिचालन हानि हुई तथा संयंत्र को मोहाल (जिला कुल्लू) में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया (जुलाई 2014) जो एक गैर पिछड़ा जिला होने के नाते राष्ट्रीय सम-विकास योजना के अंतर्गत समाविष्ट नहीं होता था। यद्यपि, संयंत्र और मशीनरी की क्रियाशील अवधि केवल 12 वर्ष थी जो 2018-19 के दौरान समाप्त होने वाली थी, कफोटा में जुलाई 2014 में दुग्ध संयंत्र के बंद होने के बाद मोहाल में स्थानांतरित संयंत्र को फरवरी 2018 तक चालू नहीं किया गया था।

प्रत्यक्षत: हिमाचल प्रदेश *मिल्कफैड* द्वारा दूध की उपलब्ध मात्रा का वास्तविक आकलन करने में विफलता तथा परिकल्पित ग्राम डेयरी सहकारी समितियों का गठन/ कार्य न करने के परिणामस्वरूप दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का स्थापित क्षमता के प्रति न्यून उपयोग हुआ, जिससे स्कीम का उद्देश्य विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश *मिल्कफैड* को ₹ 1.40 करोड़ की परिचालन हानि हुई इसके अतिरिक्त, दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना पर ₹ 63.35 लाख का निवेश काफी हद तक अनुत्पादक रहा।

राज्य सरकार ने बताया (सितम्बर 2018) कि दूध उत्पादकों ने दूध की आपूर्ति नहीं की क्योंकि उन्हें पड़ोसी राज्य तथा स्थानीय बाजार की तुलना में खरीद दर आकर्षक नहीं लगी। प्रबंध निदेशक, हिमाचल प्रदेश *मिल्कफैड* ने बताया (अक्तूबर 2019) कि मोहाल में दूध प्रसंस्करण संयंत्र को मार्च 2018 में क्रियाशील बना दिया गया था। तथापि, राष्ट्रीय सम-विकास योजना के तहत स्वीकृत की गई स्कीम केवल पिछड़ा जिला सिरमौर तथा चम्बा के लिए थी और इसे गैर-पिछड़े जिले में स्थानांतरित करने से असंतुलन में कमी करने तथा विकास को गति देने का स्कीम का उद्देश्य विफल रहा।

राज्य सरकार योजना में परिकल्पित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दूध की वास्तविक उपलब्धता के आधार पर आवश्यक क्षमता वाले दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना पर विचार कर सकती है।

पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

3.2 पर्यावरण संरक्षण एवं कार्बन तटस्थता के लिए कार्यक्रम पर निष्फल व्यय

कार्यक्रम प्रबंधन अभिकरण के साथ हस्ताक्षरित समझौते में कमियां, कार्यक्रम प्रबंधन अभिकरण के साथ हुए समझौते के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने में विभाग की विफलता तथा विभाग द्वारा निगरानी में कमी के परिणामस्वरूप पर्यावरण आकलन, संरक्षण और कार्बन तटस्थता के लिए समुदायों को जुटाने के अभिप्रेत कार्यक्रम उद्देश्यों की उपलब्धि नहीं हुई तथा ₹ 1.96 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

राज्य सरकार ने (मई 2009) "पर्यावरण संरक्षण और कार्बन तटस्थता के लिए समुदाय आधारित मूल्यांकन, जागरूकता, पक्षपोषण एवं कार्रवाई कार्यक्रम" के कार्यान्वयन के लिए ₹ 4.00 करोड़ अनुमोदित किए। कार्यक्षेत्र में क्षेत्रीय कार्यान्वयन अभिकरणों जैसे कि इको-क्लबों, *महिला मण्डलों*, गैर-सरकारी संगठनों आदि की स्क्रीनिंग और मूल्यांकन, *पंचायतों*, शहरी स्थानीय निकायों, खण्डों एवं जिलों की मौजूदा पर्यावरण गुणवत्ता तथा कार्बन फुटप्रिंट[4] का व्यवस्थित निर्धारण एवं प्रलेखन[5]; क्षेत्रीय कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से जिला तथा राज्य स्तर पर नीतिगत परिवर्तन के लिए पर्यावरण पक्षपोषण को बढ़ावा देने के लिए समुदायों एवं *पंचायतों* को जुटाने; तथा पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर पर्यावरण सुधार कार्यों को आगे बढ़ाने तथा उनके कार्बन फुटप्रिंट को कम करना शामिल था।

राज्य सरकार ने (मई 2009) सोसाइटी फार डेवेलपमेंट अल्टरनेटिव नई दिल्ली को *पंचायतों* एवं शहरी स्थानीय निकायों के साथ क्षेत्रीय कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से जुड़ी उपर्युक्त गतिविधियों को लागू करने के लिए

---

3 वेतन: ₹ 41.33 लाख; परिवहन प्रभार: ₹ 19.30 लाख; बिजली प्रभार: ₹ 6.66 लाख; ईंधन प्रभार: ₹ 1.05 लाख तथा दूध की खरीद पर व्यय: ₹ 103.08 लाख माइनस अर्जित आय: ₹ 31.15 लाख।

4 कार्बन फुट प्रिन्ट एक विशेष व्यक्ति/ समुदाय के क्रियाकलापों के परिणामस्वरूप उत्सर्जित ग्रीन-हाऊस गैस की मात्रा है।

5 मौजूदा पर्यावरण के प्रलेखन में किसी विशेष व्यक्ति/ समुदाय के बारे में बेसलाईन डाटा की रिकॉर्डिंग शामिल है।

कार्यक्रम प्रबंधन अभिकरण के रूप में नियुक्त किया। निदेशक, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए ₹ 4.00 करोड़[6] की लागत पर कार्यक्रम प्रबंधन अभिकरण के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए (अगस्त 2009)। कार्यक्रम को तीन चरणों में लागू किया जाना था: चरण-I- प्रारंभिक चरण (छः माह), चरण-II- विकास चरण (12 माह) तथा चरण-III- समेकन और विस्तार चरण: (18 माह)।

पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निदेशालय के अभिलेखों की छानबीन से कार्यक्रम प्रबंधन अभिकरण के साथ हस्ताक्षरित समझौते में कमियां, कार्यक्रम प्रबंधन अभिकरण द्वारा अनुबंध के प्रावधानों को लागू न करना, विभाग द्वारा अनुश्रवण में कमी तथा कार्यक्रम के लक्ष्यों एवं प्रदेय की गैर-उपलब्धि उद्घाटित हुई जो निम्नानुसार है:

- अनुबंध में कार्यक्रम प्रबंधन अभिकरण द्वारा कार्यक्रम के अभिकल्प, रणनीति और कार्य-योजना को तैयार करने का प्रावधान था। निदेशक, पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी स्पष्ट समयसीमा में कार्यक्रम की गतिविधियों/प्रदेयों के कार्यक्रम प्रबंधन अभिकरण द्वारा कार्यान्वयन तथा निगरानी के लिए रणनीति या कार्य योजना तैयार करने में विफल रहे। किसी रणनीति या कार्य-योजना के अभाव में कार्यक्रम के कार्यान्वयन को निर्देशित करने और प्रदेयों तथा परिणामों की उपलब्धि को मापने के लिए कोई साधन नहीं था। कार्यक्रम प्रबंधन अभिकरण ने शिमला में नियमित रूप से पेशेवर रूप से योग्य/ अनुभवी कर्मचारियों को नियुक्त नहीं किया तथा इसकी बजाय दिल्ली से अपना काम चलाया।

- अनुबंध पूर्ण रिपोर्टों के आधार पर कार्यक्रम प्रबंधन अभिकरण को नियत समय[7] पर भुगतान करने का प्रावधान करता था, लेकिन भुगतान जारी करने से पहले प्राप्त किए जाने वाले कोई भी प्रदेय/लक्ष्य निर्दिष्ट नहीं किए गए थे। कार्यक्रम प्रबंधन अभिकरण द्वारा अनुबंध के प्रावधान के गैर-कार्यान्वयन तथा कार्यक्रम प्रदेयों की प्राप्ति न होने के बाबजूद विभाग ने 2009-13 के दौरान ₹ 2.20 करोड़ के दावे के प्रति कार्यक्रम प्रबंधन अभिकरण को कार्य निष्पादन की पुष्टि किए बिना ₹ 1.96 करोड़[8] का भुगतान किया।

- अनुबंध निर्धारित अवधि में गतिविधियों को लागू करने अथवा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम प्रबंधन अभिकरण की विफलता हेतु ₹ 0.20 करोड़ की निष्पादित बैंक गारंटी को छोड़कर कोई भी शास्ति निर्धारित नहीं करता था। कार्यक्रम प्रबंधन अभिकरण ने 31 दिसम्बर 2012 तक के विस्तार को मंजूरी देने के बाद भी निर्धारित अवधि के भीतर कार्यक्रम का पूर्ण कार्यान्वयन नहीं किया, जिसके बाद कार्यक्रम प्रबंधन अभिकरण ने आगे किसी काम को अंजाम नहीं दिया तथा विभाग द्वारा ₹ 0.20 करोड़ की बैंक गारंटी जब्त कर ली गई।

कार्यक्रम प्रदेयों की गैर-उपलब्धि/ अल्प उपलब्धि के बारे में विस्तृत स्थिति की चर्चा **परिशिष्ट-3.1** में की गई है तथा निम्नलिखित गतिविधियों को कार्यक्रम प्रबंधन अभिकरण द्वारा किया हुआ बताया गया:

(क) "मूल्यांकन" घटक के अंतर्गत, समझौते में निर्धारित किए गए 36 *जल तारा* किट, 36 *पवन तारा* किट तथा 36,000 कार्बन कैलकुलेटर के प्रति 78 *जल तारा* किट, (*जल की गुणवत्ता के परीक्षण हेतु*) 12 *पवन तारा* किट (*हवा की गुणवत्ता के परीक्षण हेतु*) तथा 500 कार्बन कैलकुलेटर[9] वितरित किए परंतु जल के परीक्षण हेतु कोलीफॉर्म शीशियों (7,200) को वितरित नहीं किया गया।

(ख) 'जागरूकता/ पक्षपोषण' घटक के अंतर्गत पर्यावरण जागरूकता हेतु 1500 अंग्रेजी संसाधन मॉड्यूल और 400 दीवार होर्डिंग्स वितरित किए गए जबकि हिन्दी संसाधन मॉड्यूल (1,500 सैट) वितरित नहीं किए गए थे।

6 कार्यक्रम प्रबंधन लागत: ₹ 1.93 करोड़ तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन लागत: ₹ 2.07 करोड़।

7 2009-10 (छः महीने): ₹ 0.80 करोड़; 2010-11 (12 महीने): ₹ 1.20 करोड़; 2011-12 (12 महीने): ₹ 1.20 करोड़ तथा 2012-13 (छः महीने): ₹ 0.80 करोड़।

8 2009-10: ₹ 0.40 करोड़; 2010-11: ₹ 0.22 करोड़; 2011-12: ₹ 0.82 करोड़ तथा 2012-13: ₹ 0.52 करोड़।

9 सॉफ्टवेयर जिसके माध्यम से ठोस लकड़ी के उपयोग, अपशिष्ट रीसाइक्लिंग, परिवहन में उपयोग किए जाने वाले ईंधन आदि, की डाटा फीडिंग द्वारा कार्बन फुटप्रिन्ट की गणना की जा सकती है।

(ग) मूल्यांकन तथा जागरूकता/ पक्षपोषण घटक के अंतर्गत *पंचायतों* एवं शहरी स्थानीय निकायों की व्याप्ति को नीचे दिखाया गया है:

तालिका-3.2.1: 'मूल्यांकन' तथा 'जागरूकता/ पक्षपोषण' गतिविधियों के अंतर्गत *पंचायतों* एवं शहरी स्थानीय निकायों की व्याप्ति में कमी का विवरण

क्रमांक	क्रियाकलाप/प्रदेय	क्षेत्र	लक्ष्य*	उपलब्धि	कमी
क. मूल्यांकन					
1.	*पंचायतों* शहरी स्थानीय निकायों के मौजूदा पर्यावरणीय गुणवत्ता का मूल्यांकन	*पंचायतें*	3,243	562	2,681 (83)
		शहरी स्थानीय निकाय	53	--	53 (100)
2.	*पंचायतों* शहरी स्थानीय निकायों के मौजूदा पर्यावरणीय गुणवत्ता तथा कार्बन फुटप्रिंट का प्रलेखन	*पंचायतें*	3,243	374	2,869 (88)
		शहरी स्थानीय निकाय	53	--	53 (100)
ख. जागरूकता/ पक्षपोषण					
1.	कम से कम 30 *प्रतिशत पंचायतों* शहरी स्थानीय निकायों में जागरूकता पैदा करना	*पंचायतें*	973	274	699 (72)
		शहरी स्थानीय निकाय	16	--	16 (100)

स्रोत: विभागीय आंकड़े। नोट: कोष्ठक में आंकड़े प्रतिशतता दर्शाते हैं। *अनुबंध के अनुसार।

कार्यक्रम के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए जनवरी 2019 में लेखापरीक्षा ने तीन जिलों (12 में से) में कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल 12 *पंचायतों*[10] का सर्वेक्षण किया जिसमें उद्घाटित हुआ कि किसी भी *पंचायत* को क्षेत्रीय कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा पर्यावरण एवं कार्बन फुटप्रिंट के लिए डाटा संग्रहण के लिए की गई कार्रवाई *जल तारा* किट, *पवन तारा* किट तथा कार्बन कैलकुलेटर, पर्यावरण जागरूकता के लिए कोई अंग्रेजी संसाधन मॉडयूल और दीवार होर्डिंग्स के वितरण के बारे में जानकारी नहीं थी।

उपर्युक्त कमी के अतिरिक्त, यह पाया गया कि पर्यावरण एवं कार्बन फुटप्रिंट के विषयगत डाटाबेस को तैयार नहीं किया गया था जोकि सभी *पंचायतों* तथा शहरी स्थानीय निकायों के सम्बंध में पूर्ण डाटा की उपलब्धता के बिना सम्भव नहीं था।

(घ) 'कार्य' घटक, जिसमें वर्षा जल संचयन, जल शोधन प्रणाली, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, कागज पुनर्चक्रण संयंत्र एवं हर्बल गार्डन जैसी गतिविधियां शामिल थी, को लागू नहीं किया गया था।

(ङ) इसलिए, अन्य परिणाम उन्मुख प्रदेय जैसे कि पर्यावरण की गुणवत्ता में सत्यापन योग्य सुधार तथा कार्बन फुटप्रिंट में कमी, कार्यक्रम के पूरा होने के पश्चात् सतत् प्रणाली की स्थापना, कार्यक्रम और प्रलेखन की निगरानी एवं मूल्यांकन रणनीति तथा हित-धारकों के साथ अनुभव को साझा नहीं किया जा सका।

उपर्युक्त परिणामों से संकेत मिलता है कि कार्यक्रम पर्यावरण गुणवत्ता के बारे में जागरूकता लाने में सक्षम नहीं रहा तथा कार्यक्रम की स्थिरता सुनिश्चित नहीं की गई।

सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2019) कि कार्यक्रम प्रबंधन अभिकरण के घटिया निष्पादन के कारण कार्यक्रम विफल रहा। तथापि, कार्यक्रम प्रबंधन अभिकरण के घटिया निष्पादन के अतिरिक्त, कार्यक्रम की विफलता के लिए निदेशक, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी द्वारा घटिया निगरानी एवं अनुबंध में कमियां भी जिम्मेदार थीं जिसके कारण विभाग कार्यक्रम प्रबंधन अभिकरण के खिलाफ अनुबंध के दौरान कार्यक्रम प्रदेय की गैर-उपलब्धि के लिए कोई भी दण्डात्मक कार्रवाई नहीं कर सका। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम प्रबंधन अभिकरण के कार्य को सत्यापित किए बिना ₹ 1.96 करोड़ जारी करना अनुचित था। तथापि, सितम्बर 2019 तक परियोजना की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था।

10 **बिलासपुर**: छकोह, नम्होल, रघुनाथपुरा, साई खारसी तथा सुईसुरहाड़; **शिमला**: घणाहट्टी और जुन्गा तथा **सोलन**: चायल, धर्मपुर, कसौली गड़खल, सतरोल तथा सिरी नगर।

सरकार लक्ष्यों, निष्पादन से जुड़े भुगतानों आदि को अनुबंध के प्रारूपण में निर्दिष्ट करने पर विचार कर सकती है ताकि सरकार के हितों की रक्षा हो सके; तथा कार्यक्रम के उद्देश्यों की समयबद्ध उपलब्धि सुनिश्चित करने की दृष्टि से निगरानी तंत्र को मजबूत किया जा सके।

3.3 ग्रामीण निर्धनों के उत्थान के लिए औषधीय तथा सुगन्धित पौधों के लिए परियोजना का धीमा कार्यान्वयन

अनुचित योजना तथा विभाग द्वारा परियोजना का शीघ्र कार्यान्वयन न करने से ग्रामीण निर्धनों की आर्थिक- सामाजिक स्थिति के उत्थान का उद्देश्य विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.00 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ और एक से 12 वर्षों से अधिक ₹ 2.64 करोड़ का अवरोधन हुआ, साथ ही राज्य ₹ 8.61 करोड़ की केन्द्रीय सहायता से वंचित रहा।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने 'स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत' "हिमाचल प्रदेश में ग्रामीणों के उत्थान के लिए औषधीय तथा सुगन्धित पौधों की खेती, मूल्य संवर्धन और विपणन" की एक परियोजना को ₹ 14.48 करोड़ की लागत में अनुमोदित (सितम्बर 2006) किया जिसे भारत सरकार (₹ 10.86 करोड़) व राज्य सरकार (₹ 3.62 करोड़) द्वारा 75:25 के अनुपात में अंशदान दिया जाना था।

परियोजना को पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत जैव-व्यवसाय एवं जैव-प्रौद्योगिकी प्रोन्नति संस्था द्वारा पांच वर्षों के भीतर कार्यान्वित किया जाना था। परियोजना के अंतर्गत मिलने वाले अपेक्षित परिणाम/लाभ में 18,750 किसानों (जिनमें से कम से कम लगभग 80 *प्रतिशत* गरीबी रेखा के नीचे परिवारों से होगें) की व्याप्ति के साथ औषधीय और सुगन्धित पौधों की खेती के माध्यम से प्रतिमाह ₹ 5,000 और ₹ 8,000 के बीच लाभार्थियों की आय के स्तर को 11 जिलों[11] के (12 में से) 24 खण्डों (78 में से) में स्वरोजगार के माध्यम से बढ़ाना शामिल था। परियोजना की निगरानी एवं मूल्यांकन राज्य और जिला स्तर पर दो समितियों[12] द्वारा समय-समय पर किया जाना था।

निदेशक, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अभिलेखों की छानबीन (सितम्बर 2015) तथा अतिरिक्त एकत्र जानकारी (जून 2018) से उद्घाटित हुआ कि परियोजना के कार्यान्वयन के लिए, भारत सरकार ने जैव-व्यवसाय एवं जैव-प्रौद्योगिकी प्रोन्नति संस्था को ₹ 2.25 करोड़ की पहली किश्त (सितम्बर 2006) जारी की तथा राज्य सरकार ने ₹ 0.75 करोड़ की अपनी हिस्सेदारी जारी की थी (दिसम्बर 2007)। 2006-11 के दौरान, जैव-व्यवसाय एवं जैव-प्रौद्योगिकी संस्था ने ₹ 1.23 करोड़ (परियोजना परिव्यय का आठ *प्रतिशत*) व्यय किए। उपर्युक्त अवधि के दौरान लक्ष्य के विरूद्ध किसानों की घटक-वार व्याप्ति निम्नवत थी:

तालिका-3.3.1: 2006-11 के दौरान लक्ष्य के विरूद्ध किसानों की घटक-वार व्याप्ति

क्रमांक	विवरण	लक्ष्य		उपलब्धि	
		गरीबी रेखा से नीचे	अन्य	गरीबी रेखा से नीचे	अन्य
1.	पंजीयन (किसानों की संख्या)	15,000	3,750	4,660 (31)	3,991 (106)
2.	अवसंरचना: पोली हाऊस (संख्या)	15,000	3,750	2,203 (15)	शून्य
3.	रोपण सामग्री (पौधों की संख्या)	45,00,000	11,25,000	8,62,000 (19)	2,20,000 (20)
4.	किसानों को सब्सिडी (संख्या)	15,000	शून्य	1,477 (10)	शून्य
5.	किसानों को प्रशिक्षण (संख्या)	15,000	3,750	660 (04)	599 (16)

स्रोत: विभागीय आंकड़े। नोट: कोष्ठक में आंकड़े प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

11 बिलासपुर: दो, चम्बा: तीन, हमीरपुर: दो, कांगड़ा: तीन, किन्नौर: दो, कुल्लू: दो, लाहौल एवं स्पिति: दो, शिमला: तीन, सिरमौर: तीन, सोलन: एक तथा ऊना: एक।

12 राज्य स्तर: सचिव (ग्रामीण विकास) की अध्यक्षता में समिति तथा जिला स्तर: परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की अध्यक्षता वाली समिति।

- प्रक्षेपण के प्रति, गरीबी रेखा के नीचे किसानों की वास्तविक व्याप्ति का *प्रतिशत* कम था: यह *प्रतिशत* अवसंरचना (पॉली/शेड्स हाऊस) के अंतर्गत 15 *प्रतिशत,* रोपण सामग्री के अंतर्गत 19 *प्रतिशत,* सब्सिडी के अंतर्गत 10 *प्रतिशत* तथा प्रशिक्षण के अंतर्गत चार *प्रतिशत* थी।

- अन्य किसानों के प्रक्षेपण व्याप्ति के प्रति, वास्तविक व्याप्ति रोपण सामग्री के अंतर्गत 20 *प्रतिशत* तथा प्रशिक्षण के अंतर्गत 16 *प्रतिशत* रहा।

- कुल किसानों के 80 *प्रतिशत* की आवश्यकता के प्रति, गरीबी रेखा के नीचे किसानों को प्रशिक्षण कार्य प्रदान करने की व्याप्ति 52 *प्रतिशत* तक थी ।

परियोजना गंभीर रूप से प्रभावित हुई तथा वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति करने में विफल रही। कम व्याप्ति के लिए पर्याप्त कर्मचारियों[13] की अनुपलब्धता, रोपण सामग्री की अपर्याप्त मात्रा तथा प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराया गया। पहली किश्त का समय पर ढंग से उपयोग न करने के परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने राज्य को ₹ 8.61 करोड़ की शेष केन्द्रीय सहायता राशि को भी जारी नहीं किया।

अंततः, भारत सरकार ने परियोजना को समय से पहले बंद करने का निर्णय (नवम्बर 2010) लेकर राज्य सरकार से परियोजना के अंतर्गत बकाया राशि वापिस करने को कहा। तथापि, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत (मार्च 2011) फिर से तैयार परियोजना की रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार ने दोबारा से परियोजना को दो चरणों में कार्यान्वित करने के लिए पुनः अनुमोदित (अगस्त 2011) किया। ₹ 9.69 करोड़[14] के परिव्यय द्वारा पहले चरण को (2010-11 में पहले से ही ₹ 1.23 करोड़ व्यय सहित) 2011-15 के दौरान क्रियान्वित किया जाना था एवं पहले चरण के सफल समापन के बाद 2015-17 के दौरान ₹ 5.25 करोड़ के दूसरे चरण को क्रियान्वित किया जाना था। परियोजना की लागत को भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में सांझा किया जाना था। मूल व पुनर्निमित परियोजनाओं के अंतर का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

तालिका-3.3.2: मूल व पुनर्निमित परियोजना में अंतर का विवरण

क्रमांक	विवरण	मूल परियोजना	पुनर्निमित परियोजना
1.	खण्डों एवं जिलों की संख्या	11 जिलो में 24 खण्ड	चार जिलों में आठ खण्ड
2.	पौधों की प्रजातियों की संख्या	औषधीय पौधे: 27 सुगन्धित पौधे: 11	औषधीय पौधे: 5-7 सुगन्धित पौधे: 4-5
3.	गरीबी रेखा के नीचे आवृत किए जाने वाले किसानों की संख्या	15,000	7,500 (1,477 पहले से मूल परियोजना के अंतर्गत आवृत)
4.	प्रति किसान को बांटे जाने वाले पौधों की संख्या	प्रति किसान 300 पौधे (प्रति पौधा ₹ 1 की दर से)	2,000 पौधे प्रति किसान
5.	अपेक्षित कर्मचारी	उप-परियोजना समन्वयक: दो, क्षेत्रीय अधिकारी: 20 तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर: एक	उप-परियोजना समन्वयक: एक, क्षेत्रीय अधिकारी: आठ, फील्ड फैसिलिटेटर्स: चार तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर: दो
6.	प्रति माह वेतन की संरचना	उप-परियोजना समन्वयक: ₹10,000, क्षेत्र अधिकारी: ₹6,000 तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर: ₹5,000	उप-परियोजना समन्वयक: ₹ 14,000, क्षेत्र अधिकारी: ₹ 8,000, फील्ड फैसिलिटेटर्स: ₹8,000 तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर: ₹ 6,000

स्रोत: विभागीय आंकड़े।

13 2008-10 के दौरान 20 क्षेत्रीय अधिकारियों के प्रति 13 से 15 लोगों को तैनात किया गया जो परियोजना में कम वेतन संरचना के कारण बीच-बीच में नौकरी छोड़ते रहे।

14 अवसंरचना (नर्सरी एवं प्रसंस्करण इकाई): ₹ 2.34 करोड़ (अनुदान: ₹ 1.83 करोड़ तथा इक्विटी ऋण: ₹ 0.51 करोड़); स्टाफ: ₹ 1.02 करोड़; कार्यकारी पूंजी (रोपण सामाग्री): ₹ 3.21 करोड़; लाभार्थियों को सब्सिड़ी: ₹ 0.15 करोड़; प्रशिक्षण: ₹ 2.37 करोड़; अन्य प्रशासनिक खर्चे: ₹ 0.19 करोड़ तथा आकस्मिक व्यय: ₹ 0.41 करोड़।

विभाग/ जैव-व्यवसाय एवं जैव-प्रौद्योगिकी प्रोन्नति संस्था द्वारा पर्याप्त रोपण सामग्री तथा पर्याप्त श्रमशक्ति[15] उपलब्ध न होने के कारण निर्धारित समय में परियोजना का कार्य दोबारा से पूर्ण नहीं कर सका। परियोजना को आयुर्वेद विभाग के अंतर्गत राज्य औषधीय-पौध बोर्ड को सौंप (जुलाई 2013) दिया गया परंतु परियोजना निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूर्ण नहीं हुई। जैव-व्यवसाय एवं जैव-प्रौद्योगिकी प्रोन्नति संस्था ने वर्ष 2011-15 के दौरान केवल ₹ 0.77 करोड़ का व्यय किया तथा इसके बाद कोई व्यय नहीं किया गया।

उपर्युक्त अवधि के दौरान आवृत किए जाने वाले 7500 गरीबी रेखा के नीचे किसानों के लक्ष्य के प्रति 4,317 को पंजीकृत किया गया तथा 1,770 गरीबी रेखा के नीचे किसानों (24 *प्रतिशत*) को प्रशिक्षण दिया गया। इसी प्रकार वितरित किए जाने वाले 1.50 करोड़ पौधों की संख्या (2000 प्रति गरीबी रेखा के नीचे किसान) के प्रति 12.41 लाख (आठ *प्रतिशत*) पौधे गरीबी रेखा के नीचे किसानों को वितरित किए गए तथा 80 इकाइयों की नर्सरी अवसंरचना के प्रति केवल पांच इकाइयों (छः *प्रतिशत*) का सृजन किया गया तथा प्रसंस्करण इकाई जैसाकि संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में परिकल्पित था, को विकसित/स्थापित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, कम वर्षा/ सिंचाई सुविधा उपलब्ध न होने तथा कभी-कभी अधिक वर्षा होने के कारण पौधों की जीवित दर 10 से 20 *प्रतिशत* थी। पौधों की सक्रिय बढ़ती अवस्था के दौरान इस तरह की जलवायु परिस्थितियों के कारण पूरी परियोजना अवधि (2006-15) के दौरान उपज की विपणन मात्रा का उत्पादन नहीं कर सकी। परिणामतः, परियोजना का कार्यान्वयन गंभीर रूप से प्रभावित हुआ तथा जैव-व्यवसाय एवं जैव-प्रौद्योगिकी प्रोन्नति संस्था के पास ₹ 2.64 करोड़[16] की निधि बिना खर्च के एक से 12 वर्षों से अधिक समय तक पड़ी रही।

आगे यह देखा गया कि विभाग ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाते समय पर्याप्त कर्मचारी की उपलब्धता, औषधीय तथा सुगन्धित पौधों की खेती के लिए प्रतिकूल जलवायु स्थिति तथा राज्य में अनुसंधान एवं विकास संस्थान में पर्याप्त रोपण सामग्री की उपलब्धता को ध्यान में नहीं रखा। इसके अतिरिक्त, रोपण सामग्री की उच्च लागत (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में परिकल्पित ₹ 1 प्रति पौधा की तुलना में ₹ 3 या इससे अधिक की दर से प्रति पौधा) पर भी गौर नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप कम पौधे वितरित हुए। परियोजना में कर्मचारियों के लिए कम वेतन संरचना के कारण बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने परियोजना को आधे में ही छोड़ दिया जिसके कारण कम प्रगति हुई। विभाग ने भी पुनर्निमित परियोजना को आयुर्वेद विभाग को सौंपने हेतु दो वर्षों से अधिक समय लिया।

निस्संदेह, अनुपयुक्त योजना एवं नियत अवधि के भीतर परियोजना के कार्यान्वयन में विभाग की विफलता के कारण स्व-रोजगार पैदा करने एवं ग्रामीण गरीबों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के उद्देश्यों की गैर-उपलब्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ दो करोड़ का निष्फल व्यय हुआ तथा एक से 12 वर्ष से अधिक के लिए ₹ 2.64 करोड़ का अवरोधन हुआ इसके अतिरिक्त राज्य को ₹ 8.61 करोड़ की बकाया केन्द्रीय सहायता से वंचित होना पड़ा। निधियों को न तो खर्च किया गया तथा न ही भारत सरकार द्वारा दी गई सलाह (नवम्बर 2010) के अनुसार वापिस किया गया। विभाग ने धन को रोके रखने के लिए एक और परियोजना को तैयार (2011) किया परंतु इसे लागू नहीं किया।

सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2019) कि यदि पर्याप्त क्षेत्रीय कर्मचारी होते तो परियोजना को निर्धारित समय में अपने सम्पूर्ण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यान्वित कर दिया होता। तथापि, विभाग को परियोजना की अवधारणा से पहले राज्य में अनुमोदित नर्सरियों एवं प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों के साथ पर्याप्त रोपण सामग्री की उपलब्धता, कर्मचारियों की पर्याप्तता को ध्यान में रखना चाहिए था। परिणामतः औषधीय सुगन्धित पौधों की खेती के माध्यम से प्रति माह ₹ 5,000 और ₹ 8,000 के बीच लाभार्थियों की आय के स्तर को बढ़ाने में अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सके। तथापि, सितम्बर 2019 तक परियोजना की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था।

15 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा क्षेत्रीय अधिकारियों एवं क्षेत्रीय फैसिलिटेटरों की भर्ती के लिए गैर-अवकाश की अनुमति (फरवरी 2012) प्रदान की गई।

16 अनुदान: ₹ 1.00 करोड़ तथा ब्याज: मार्च 2017 तक ₹ 1.64 करोड़।

सरकार परियोजना को तैयार करने से पहले उसकी व्यवहार्यता के मूल्यांकन के साथ पर्याप्त रोपण सामग्री की उपलब्धता, कर्मचारियों की पर्याप्तता और जलवायु परिस्थितियों को सुनिश्चित कर सकती है ताकि समयबद्ध तरीके से इसके कार्यान्वयन में तेजी लाई जा सके।

मत्स्य पालन विभाग

3.4 मत्स्य पिंजरा संवर्धन परियोजना के कार्यान्वयन पर अनुत्पादक निवेश

परियोजना की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने में विभाग की विफलता के कारण ₹ 3.34 करोड़ के निवेश पर ₹ 81.54 लाख की सीमा तक लक्ष्य की गैर-उपलब्धि, पायलट अध्ययन पर ₹ 26.87 लाख का अनुत्पादक व्यय तथा ₹ 50.61 लाख के ब्याज की हानि हुई।

जलाशयों में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने एवं मछुआरों में प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय संस्वीकृति समिति ने ₹ 3.34 करोड़ में राज्य के दो जलाशयों (पौंग तथा गोबिन्द सागर) में कार्यान्वयन के लिए *राष्ट्रीय कृषि विकास योजना* के अंतर्गत 'पिंजरा मत्स्य संवर्धन' परियोजना को अनुमोदित किया (जून 2013)। मत्स्य पालन विभाग ने, परियोजना[17] के कार्यान्वयन के लिए सम्पूर्ण राशि ₹ 3.34 करोड़ केन्द्रीय अंतर्स्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर (कोलकाता) को एक साल में पूर्ण करने हेतु हस्तांतरित (जनवरी 2014) किए।

अभिलेखों की छानबीन से देखा गया (मई 2017) कि निदेशक-सह-वार्डन, मत्स्य पालन ने मत्स्य संवर्धन के लिए चार पिंजरों की स्थापना हेतु यूनाइटेट मत्स्य विकास निधि से जल-विद्युत परियोजनाओं से प्राप्त ₹ 26.87 लाख आहरित किए (दिसम्बर 2014)। विभाग ने मत्स्य संवर्धन के लिए आठ पिंजरे (चार-चार प्रत्येक पौंग तथा गोबिन्द सागर जलाशयों के लिए) खरीदे तथा इन पिंजरों में विभिन्न प्रजातियों[18] के 36,695 बीजों का स्टॉक किया जिसमें से केवल 10,094 (28 *प्रतिशत*) बीज जीवित रहे। उच्च मृत्यु दर (72 *प्रतिशत*) दर्ज करने के बावजूद, विभाग ने भविष्य की परियोजनाओं में व्यवहार्यता का निर्धारण करने के लिए किसी भी अध्ययन/ जांच का संचालन नहीं किया।

विभाग ने निधियों के हस्तांतरण की तिथि से नौ महीने से अधिक अवधि के बाद परियोजना के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय अंतर्स्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान के साथ नवम्बर 2014 में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया । केन्द्रीय अंतर्स्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान ने प्रति पिंजरा दो मीट्रिक टन वार्षिक मत्स्य उत्पादन का अनुमान लगाया तथा वर्ष 2016-17 से परियोजना का क्रियान्वयन किया। जून 2017 तक दो जलाशयों में 48 पिंजरों की खरीद एवं स्थापना (₹ 74.85 लाख) और बीज, चारा, इत्यादि पर निवेश लागत (₹ 58.32 लाख) के ₹ 1.33 करोड़ का निवेश किया गया। स्टॉक एवं विपणन सुविधा (बिक्री काउंटर, आईस प्लांट, एवं कोल्ड स्ट्रक्चर) का सृजन करने के लिए केन्द्रीय अंतर्स्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान ने भी ₹ 1.00 करोड़ की निधियां (फरवरी 2016) केन्द्रीय मत्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान, कोची (₹ 60.00 लाख) तथा मत्स्य पालन विभाग (₹ 40.00 लाख) को हस्तांतरित की। परियोजना को बची हुई निधियों सहित मार्च 2018 तक आगे बढ़ाया (जनवरी 2017) गया।

यह देखा गया कि 2016-18 के दौरान केन्द्रीय अंत:स्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा दो जलाशयों में स्टॉक किए गए 6.85 लाख बीजों के प्रति केवल 1.54 लाख मत्स्यों का उत्पादन किया जा सका। उपर्युक्त अवधि के दौरान मत्स्य का उत्पादन न्यूनतम अनुमानित स्तर 192 मीट्रिक टन[19] मूल्य ₹ 1.37 करोड़ के प्रति केवल 79 मीट्रिक टन मूल्य ₹ 55.76 लाख था, जिसके परिणामस्वरूप मत्स्य उत्पादन में 113 मीट्रिक टन (59 *प्रतिशत*) लगभग मूल्य ₹ 81.54 लाख की कमी हुई। इस कमी को केन्द्रीय अंतर्स्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान ने

---

17 भंडारण शेड के साथ पिंजरों की दो बैटरी के निर्माण की लागत: ₹ 80.00 लाख, बीज, चारा आदि की निवेश लागत तथा अन्य प्रबंधन लागत: ₹ 144.00 लाख, अवस्थापना एवं विपणन सुविधाओं का सृजन (बिक्री काउंटर, आइस-प्लांट, कोल्ड स्टोर, इत्यादि): ₹ 100.00 लाख तथा परियोजना कार्यान्वयन लागत: ₹ 10.00 लाख।

18 अमुर कार्प, इंडियन मेजर कार्प तथा पंगेशियस।

19 48 पिंजरों (प्रत्येक जलाशय में 24 पिंजरे) x दो वर्ष x दो टन = 192 मीट्रिक टन।

नवम्बर से फरवरी माह में जलाशयों में अचानक मत्स्य के लिए सहनीय सीमा से नीचे तापमान की गिरावट को जिम्मेदार ठहराया जिसका निर्धारण न तो परियोजना प्रस्ताव में और न ही दिसम्बर 2014 में विभाग द्वारा किए गए पायलट अध्ययन में किया गया था।

केन्द्रीय अंत:स्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान ने मार्च 2018 में मत्स्य पालन विभाग को पूरी राशि (₹ 3.34 करोड़) का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया तथा परियोजना को 2018 से आगे बढ़ाने में असमर्थता व्यक्त की। विभाग ने स्थापित किए पिंजरों का प्रभार संभाला तथा उसके बाद राज्य सरकार द्वारा गोविन्द सागर जलाशय तथा पौंग बांध जलाशय के पिंजरों में आंगुलिक मत्स्य बीजों और मत्स्य को बढ़ाने के प्रस्ताव को सितम्बर 2018 में मंजूरी दी गई।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग दिसम्बर 2014 में पायलट अध्ययन के परिणामों का संज्ञान लेने में विफल रहा तथा परियोजना को पिंजरे में स्टॉक की गई मछलियों की उच्च मृत्यु दर के सम्बंध में कोई अध्ययन/ जांच किए बिना कार्यान्वयन करने से ₹ 81.54 लाख तक के लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हुई। इसके अतिरिक्त, विभाग ने वास्तविक आवश्यकता के अनुसार परियोजना के लिए प्राप्त कुल निधियों से भुगतान जारी करने तथा ब्याज सहित जमा में शेष राशि रखने की बजाय पूरी निधियों को केन्द्रीय अंतर्स्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान को हस्तांतरित कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप फरवरी 2014 से जून 2017 की अवधि में ₹ 50.61 लाख[20] के ब्याज की हानि[21] हुई।

सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2019) कि विभाग परियोजना की सफलता के प्रति आश्वस्त है तथा जैसाकि परिकल्पित है, मत्स्य उत्पादन को प्राप्त कर लिया जायेगा तथा बताया कि मत्स्य उत्पादन कम था क्योंकि पिंजरे में पाली जाने वाली मत्स्यों की प्रजाति 22 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान को सहन नहीं कर सकती थी। तथापि, कम तापमान के पिंजरों में मत्स्यों को पालने की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने में अध्ययन के परिणामों का निर्धारण नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप मत्स्य उत्पादन (59 *प्रतिशत*) के लक्ष्य की उपलब्धि में कमी हुई।

सरकार परिकल्पित परिणामों को प्राप्त करने की दृष्टि से नई परियोजना की संकल्पना करते समय पायलट परियोजना एवं पिछले अनुभवों के अनुप्रयोगों का निर्धारण सुनिश्चित कर सकती है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

3.5 अनुवर्ती लेखापरीक्षा: सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निष्पादन लेखापरीक्षा

राज्य सरकार ने राशन कार्ड के डिजीटलाईजेशन और उचित मूल्य की दुकानों के कम्प्यूटराईजेशन में महत्त्वपूर्ण प्रगति की थी। तथापि, कई ऐसे क्षेत्र थे जहां या तो कोई प्रगति नहीं/ नगण्य प्रगति अथवा केवल आंशिक प्रगति हुई। नये गोदामों के निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किए गए थे। परीक्षण प्रयोगशालाओं में जन-शक्ति की कमी तथा विश्लेषण रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना सामग्रियों के वितरण से गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया अप्रभावी रही, जिसके कारण घटिया सामग्रियों का वितरण किया गया। अपात्र परिवारों/ व्यक्तियों को लाभार्थियों में शामिल करने की समस्या बनी रही, जो दर्शाती है कि *ग्राम सभा* स्तर पर लाभार्थियों को पहचानने की प्रक्रिया मजबूत नहीं थी। विभाग ने गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की वास्तविक संख्या का पता लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की लोक लेखा समिति की सिफारिशों का पालन नहीं किया। निरीक्षणों में कमियां थी, सतर्कता समितियों का गठन नहीं हुआ था और सतर्कता समितियों की बैठकों में कमियां थी।

3.5.1 परिचय

सार्वजनिक वितरण प्रणाली उचित मूल्यों की दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को रियायती दरों पर खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति एवं वितरण की एक प्रणाली है। भारत सरकार ने पात्र लाभार्थियों को

---

20 ₹ 334 लाख फरवरी 2014 से अक्तूबर 2014 तक की अवधि के लिए: ₹ 334 लाख x 7.85 x 9 महीने/ 1200 = ₹ 19.66 लाख; नवम्बर 2014 से जनवरी 2016: ₹ 201 लाख x 7.85 x 15 महीने/1200 = ₹ 19.72 लाख और फरवरी 2016 से जून 2017: ₹ 101 लाख x 7.85 x 17 महीने/ 1200 = ₹ 11.23 लाख।

21 राज्य सरकार के उधार पर ब्याज की औसत दर पर गणना (7.85 *प्रतिशत*)।

संशोधित योजना उपलब्ध करवाने, खाद्यान्न अधिकार एवं दरों तथा सस्ती दरों पर गुणवत्ता भोजन की पर्याप्त मात्रा की पहुंच सुनिश्चित करने को राज्य के लिए कानूनी बाध्यता बनाने हेतु सितम्बर 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को अधिनियमित किया।

3.5.2 अनुवर्ती लेखापरीक्षा: लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और पद्धति

2005-11 की अवधि हेतु "सार्वजनिक वितरण प्रणाली" की निष्पादन लेखापरीक्षा पर एक प्रतिवेदन 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) (हिमाचल प्रदेश सरकार) में शामिल किया गया था। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में 21 स्वीकृत टिप्पणियां तथा चार सामान्य सिफारिशें थी। प्रतिवेदन 06 अप्रैल 2012 को राज्य विधानसभा के सम्मुख प्रस्तुत किया गया तथा फरवरी 2015 में लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा की गई। लोक लेखा समिति ने प्रतिवेदन में सम्मिलित लेखापरीक्षा टिप्पणियों के सम्बंध में 17 सिफारिशें की थीं।

उपर्युक्त निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अनुवर्ती लेखापरीक्षा फरवरी एवं जून 2018 के मध्य की गई। लेखापरीक्षा लोक लेखा समिति द्वारा की गई तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल लेखापरीक्षा टिप्पणियों एवं सिफारिशों के सम्बंध में राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा तक सीमित थी। लेखापरीक्षा में अप्रैल 2015 से मार्च 2018 तक की अवधि को आवृत किया गया तथा निदेशक, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले; दो जिला नियंत्रकों, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले (कांगड़ा और शिमला); तथा दो चयनित जिलों के छः खण्ड[22] स्तर के निरीक्षकों, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले; 38 उचित मूल्य की दुकानें; तथा 24 *ग्राम पंचायतों* के अभिलेखों की जांच शामिल थी।

3.5.3 लेखापरीक्षा परिणाम

सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति को तीन श्रेणियों में व्यवस्थित किया गया है: नगण्य या कोई प्रगति नहीं, आंशिक प्रगति तथा पूर्ण/ पर्याप्त प्रगति। परिणाम नीचे विस्तृत है:

क. नगण्य या कोई प्रगति नहीं

विगत प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा परिणाम	लेखापरीक्षा सिफारिशें	लोक लेखा समिति की सिफारिशें	विभाग द्वारा लोक लेखा समिति को सूचित की गई स्थिति	वर्तमान लेखापरीक्षा परिणाम/ टिप्पणियां
1. खाद्यान्नों का आवंटन, बंटवारा एवं उठाना (परिच्छेद 1.1.10) लेखापरीक्षा ने इंगित किया कि 2006-11 के दौरान भारत सरकार के आवंटन के प्रति प्रत्येक वर्ष में कुल 1.55 लाख मीट्रिक टन (कुल आवंटन का छः *प्रतिशत*) खाद्यान्न राज्य सरकार द्वारा कम उठाया गया। सरकार ने बताया कि भारतीय खाद्य निगम के पास भंडार की अनुपलब्धता के कारण कमी हुई।	कोई सिफारिश नहीं	चर्चा के समय भण्डारण की कमी की समस्या को उजागर किया गया तथा भण्डारण की क्षमता बढ़ाने की जरूरत को इंगित किया गया। लोक लेखा समिति ने निर्देश दिए कि भूमि चयन और गोदामों के निर्माण की वास्तविक स्थिति/ अवस्था प्रस्तुत की जाए।	विभाग ने गोदामों की विद्यमान क्षमता के बारे में लोक लेखा समिति को सूचित किया।	• लोक लेखा समिति की सिफारिशों के अनुपालना के सम्बंध में यह पाया गया कि यद्यपि विभाग ने गोदामों की विद्यमान भंडारण क्षमता के बारे में लोक लेखा समिति को सूचित किया लेकिन इसने नए गोदामों की स्थिति के सम्बंध में कोई भी सूचना लोक लेखा समिति को प्रस्तुत नहीं की। • राज्य में मई 2018 को गोदाम की 60,000 मीट्रिक टन अपेक्षित क्षमता के प्रति 57,567 मीट्रिक टन उपलब्ध थी। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को 6,650 मीट्रिक टन की क्षमता के 10 नए गोदामों के निर्माण के लिए ₹ 9.99 करोड़ की राशि संस्वीकृत तथा जारी की (2015-18 के दौरान) गई। इन गोदामों का कार्य नौ से 12 महीनों में पूरा होना था।

[22] **जिला कांगड़ा**: फतेहपुर, नूरपुर तथा परागपुर; **जिला शिमला**: चौपाल, नारकण्डा तथा ठियोग।

				तथापि, कार्य स्थलों की पहचान में देरी, (पांच मामले), भूमि विवाद (एक मामला) और निर्माण की धीमी गति (तीन मामले) के कारण जनवरी 2019 तक इनमें से नौ गोदामों का कार्य पूर्ण नहीं हुआ था। नेरवा में एक पूर्ण गोदाम को हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने जनवरी 2019 तक अपने कब्जे में नहीं लिया था। जनवरी 2019 तक इन गोदामों के निर्माण पर ₹ 1.70 करोड़ खर्च किए गए थे। राज्य सरकार (जनवरी 2019) ने बताया कि क्रियान्वयन अभिकरणों को कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए थे।
2. गुणवत्ता नियंत्रण-विभागीय प्रयोगशालाएं, विनिर्देशों से निम्न खाद्यान्नों/ दालों को जारी करना **(परिच्छेद 1.1.12) (उप-परिच्छेद 1.1.12.1 से 1.1.12.3))** लेखापरीक्षा ने विभागीय प्रयोगशाला में अपर्याप्त कर्मचारियों और बुनियादी ढांचे के मुद्दे पर प्रकाश डाला था। मार्च 2011 तक चार स्वीकृत तकनीकी पदों में से तीन पद खाली पड़े थे। इसके अतिरिक्त, प्रयोगशाला में आयोडीन युक्त नमक, लेवी चीनी, रिफाईंड तेल और सरसों के तेल की जांच की कोई सुविधा नहीं थी। इसके कारण नमूनों को संयुक्त जांच प्रयोगशाला कण्डाघाट भेजा जा रहा था परंतु जांच/ विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त करने में देरी हो रही थी। नमूनों के संग्रह तथा जांच के सम्बध में यह इंगित किया गया कि नमूनों के संग्रह में कमी थी (2006-11 के दौरान 46 से 78 *प्रतिशत* के बीच) तथा खाद्यान्न को उचित मूल्यों की दुकानों में जांच/ विश्लेषण रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना ही जारी कर दिया गया। परिणामत: 1,167.26 मीट्रिक टन निर्धारित विनिर्देश से निम्न खाद्यान्न (2006-11) और 2,066.47 मीट्रिक टन निर्धारित विनिर्देश से निम्न दालों (2007-11) को	अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, जांच प्रयोगशाला में पर्याप्त तकनीकी कर्मचारी उपलब्ध करवाने और समय पर नमूनों की विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए।	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों का विश्लेषण मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में किया जाना चाहिए और वितरण से पहले जांच की जानी चाहिए।	राज्य सरकार ने लोक लेखा समिति को उन प्रयोगशालाओं के बारे में सूचित किया, जिन्हें जांच के उद्देश्य से सूचीबद्ध किया गया था।	विभाग ने गुणवत्ता नियंत्रण पर लोक लेखा समिति की सिफारिशों का अनुपालन नहीं किया जैसे की नीचे चर्चा की गई है: • यद्यपि, विभागीय प्रयोगशाला सभी प्रकार के नमूनों की जांच करने के लिए पर्याप्त सुविधाओं से लैस थी, लेकिन प्रयोगशाला में कर्मचारियों की कमी की समस्या विकट थी। जनवरी 2019 तक दोनों स्वीकृत तकनीकी पद अर्थात मुख्य विश्लेषक और तकनीकी विश्लेषक खाली पड़े थे। राज्य सरकार ने बताया (जनवरी 2019) कि मुख्य विश्लेषक और तकनीकी विश्लेषक के पद पदोन्नति द्वारा भरे जाने थे। • 2016-17 में जांच के लिए नमूनों के संग्रह में 520 नमूनों (16 *प्रतिशत*) (अपेक्षित 3,312 नमूनों के प्रति 2,792 नमूने एकत्र किए गए) तथा 2017-18 में 1,490 नमूनों (45 *प्रतिशत*) (3,312 अपेक्षित नमूनों के प्रति 1,822 नमूने एकत्र किए गए) की कमी थी। • यह देखा गया कि कुछ मामलों में जांच रिपोर्ट देरी से प्राप्त हो रही थी। 1,148 नमूना जांचित नमूनों में से, विभागीय प्रयोगशाला से 81 नमूनों (सात *प्रतिशत*) की जांच/ विश्लेषण रिपोर्ट निर्धारित अवधि से एक से 48 दिनों की देरी से प्राप्त हुई। राज्य सरकार ने बताया (जनवरी 2019) कि भविष्य में विभागीय प्रयोगशाला से जांच/ विश्लेषण रिपोर्ट जारी करने में देरी की समस्या कम हो जाएगी क्योंकि कनिष्ठ विश्लेषक के दो पद भरे गए थे। • इसके अतिरिक्त, जांच/ विश्लेषण रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना खाद्यान्न जारी किया जा रहा था। परिणामत: 2,067.74 मीट्रिक टन (14,64,659 मीट्रिक टन कुल वितरित

लाभार्थियों को वितरित किया गया। आपूर्तिकर्ताओं से शास्ति के रूप में वसूले गए ₹68.78 लाख, मई 2011 तक हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा सरकारी खाते में जमा नहीं करवाए गए थे।				खाद्यान्न में से) निर्धारित विनिर्देशों से कम खाद्यान्न, 2,222.03 मीट्रिक टन (1,28,330 मीट्रिक टन कुल वितरित दालों में से) निर्धारित विनिर्देशों से कम दालें और 1.80 लाख लीटर (1,020.59 लाख लीटर कुल वितरित खाद्य तेल में से) निर्धारित विनिर्देशों से कम खाद्य तेल 2015-18 के दौरान लाभार्थियों को वितरित किया गया था। • हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने घटिया वस्तुओं की आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ताओं से वसूले गए ₹3.00 करोड़ की शास्ति की राशि को दिसम्बर 2018 तक सरकार के खाते में जमा नहीं किया था। तथापि, ₹ 68.78 लाख की पूर्व में लगाई गई और वसूली गई शास्ति राशि कोषागार में जमा कर दी गई थी। राज्य सरकार ने बताया (जनवरी 2019) कि हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को पूरी शास्ति राशि कोषगार में जमा करने के लिए निर्देशित किया गया था।
3. उचित मूल्य की दुकानों की कार्य पद्धति (परिच्छेद 1.1.14) लेखापरीक्षा ने 96 उचित मूल्य की दुकानों की नमूना-जांच की और विभिन्न कमियों को उजागर किया था। विभागीय आदेशों के उल्लंघन में 40 उचित मूल्य की दुकानों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित की जाने वाली वस्तुओं के अलावा समान वस्तुओं को भी रखा गया था। किसी भी उचित मूल्य की दुकान में खाद्यान्नों के नमूने प्रदर्शित नहीं किए गए थे। 53 उचित मूल्यों की दुकानों में मासिक भण्डार की स्थिति प्रदर्शित नहीं की गई थी। किसी भी उचित मूल्य की दुकान में नागरिक चार्टर और शिकायत निवारण तंत्र जैसी आवश्यक जानकारी प्रदर्शित नहीं की गई थी। उचित मूल्य की चार दुकानों में खुलने और बंद होने का समय प्रदर्शित नहीं किया गया था।	कोई सिफारिश नहीं	कोई सिफारिश नहीं	--	• विभाग द्वारा उचित मूल्य की दुकानों के व्यापारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, जिसमें पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में आदेशों की कमियों/ अनुपालना न करना, पर प्रकाश डाला था। • वर्तमान लेखापरीक्षा में 38 उचित मूल्य की दुकानों की नमूना जांच की गई तथा यह पाया गया कि पिछले प्रतिवेदन में उजागर की गई कमियां अभी तक जारी है: ○ 38 में से 13 नमूना जांचित उचित मूल्यों की दुकानों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नियंत्रित मूल्य पर बेची जाने वाली वस्तुओं के साथ सामान्य भण्डारण वस्तुओं जैसे आटा, चावल, चीनी तथा दालों को बाजार दरों पर बिक्री करने के लिए रखा गया था। अत: उचित मूल्य की दुकानों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के भण्डार को नियमित भण्डार के साथ बदलने/ स्थानापन्न करने का जोखिम था। ○ 38 नमूना जांचित उचित मूल्य की दुकानों में किसी ने भी उपलब्ध वस्तुओं के नमूने प्रदर्शित नहीं किए थे। ○ 38 नमूना जांचित उचित मूल्य की दुकानों में से 16 में महीने के दौरान वस्तुएं जारी करने की मात्रा को नहीं दर्शाया गया था।

				○ 38 नमूना जांचित उचित मूल्य की दुकानों में से 17 में सिटीजन चार्टर प्रदर्शित नहीं किया गया था। ○ 38 नमूना जांचित उचित मूल्यों की दुकानों में से 13 में दुकान खोलने और बंद करने का समय प्रदर्शित नहीं किया गया था। राज्य सरकार ने बताया (जनवरी 2019) कि इस सम्बंध में सम्बंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए गए थे।

ख. आंशिक प्रगति

विगत प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा परिणाम	लेखापरीक्षा सिफारिशें	लोक लेखा समिति की सिफारिशें	विभाग द्वारा लोक लेखा समिति को सूचित की गई स्थिति	वर्तमान लेखापरीक्षा परिणाम/ टिप्पणियां
1. निधियों का आवंटन तथा व्यय (परिच्छेद 1.1.7.1) लेखापरीक्षा ने शीर्ष सब्सिडी और परिवहन (₹ 7.46 करोड़), *अन्नपूर्णा योजना* (₹ 1.34 करोड़), तथा कर्मचारी लागत और अन्य प्रशासनिक व्यय (₹ 8.95 करोड़) के तहत बड़ी बचत के साथ 2006-11 के दौरान ₹ 471.05 करोड़ के कुल बजट आवंटन में से ₹ 17.80 करोड़ (चार *प्रतिशत*) के अनुपयोग के मामलों को इंगित किया था। राज्य सरकार ने बताया कि *अन्नपूर्णा स्कीम* के तहत बचत *अन्नपूर्णा स्कीम* में लाभार्थियों की वास्तविक और लक्षित संख्या के बीच भिन्नता और आपूर्ति की गई वस्तुओं में कमी के कारण हुई थी, जबकि कर्मचारी लागत और अन्य प्रशासनिक व्यय के तहत बचत रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई थी।	कोई सिफारिश नहीं	1. विभाग को *अन्नपूर्णा स्कीम* के तहत पात्र लाभार्थियों की वास्तविक संख्या के बारे में भारत सरकार को सूचित करना चाहिए। 2. रिक्त पदों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरने की स्थिति को लोक लेखा समिति के ध्यान में लाया जा सकता है।	1. राज्य सरकार ने मार्च 2018 तक *अन्नपूर्णा स्कीम* के तहत पात्र लाभार्थियों की वास्तविक संख्या (1,014 व्यक्ति) के बारे में भारत सरकार को यह बताते हुए सूचित किया कि "वृद्धावस्था पेंशन योजना" के कार्यान्वयन के कारण लाभार्थियों की संख्या में कमी आई थी। 2. यह भी सूचित किया गया (जुलाई 2017) कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से निरीक्षकों के 35 खाली पदों में से 25 पद अगस्त 2016 में भर दिए गए थे जबकि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के साथ कनिष्ठ सहायकों के 19 पदों को भरने की भर्ती	• लेखापरीक्षा में देखा गया कि शीर्ष सब्सिडी और परिवहन (₹ 54.23 करोड़), *अन्नपूर्णा* योजना (₹ 0.52 करोड़), तथा कर्मचारी लागत और अन्य प्रशासनिक व्यय (₹ 2.44 करोड़) के अंतर्गत बड़ी बचत के साथ 2015-18 के दौरान कुल आवंटन ₹ 678.95 करोड़ में से ₹ 59.07 करोड़ (नौ *प्रतिशत*) अनुपयोगी रहा। • 2017-18 की अंतिम तिमाही में शीर्ष सब्सिडी और परिवहन में राज्य सरकार की योजना रियायती दालों, तेल आदि के अंतर्गत दावे प्रस्तुत न होने के कारण बचत हुई। राज्य सरकार द्वारा आवंटित अनुमानित बजट के प्रति वास्तविक बिक्री के आधार पर हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा सब्सिडी का दावा किया जा रहा था। तथापि, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने विभाग को दावे प्रस्तुत नहीं किए थे। इसके कारण अभिलेख में नहीं थे। • *अन्नपूर्णा योजना* के सम्बंध में, देखा गया कि राज्य सरकार ने भारत सरकार को लाभार्थियों की वास्तविक संख्या के बारे में सूचित किया था, तथा तदनुसार खाद्यान्न के आवंटन के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया गया। तथापि, भारत सरकार ने 2016-17 के बाद से राज्य सरकार को इस योजना के अंतर्गत कोई खाद्यान्न आवंटित नहीं किया था जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा इस शीर्ष के अंतर्गत आवंटित बजट का उपयोग नहीं किया जा सका। भारत सरकार द्वारा खाद्यान्न का आवंटन न करने के कारण अभिलेख में नहीं थे। राज्य सरकार द्वारा *अन्नपूर्णा स्कीम* के अंतर्गत लाभार्थियों को खाद्यान्न ए0पी0एल/ टाईड

			प्रक्रिया चल रही थी।	ओवर एलोकेशन के लिए आवंटित भण्डार से वितरित किया जा रहा था, जिसे दिसम्बर 2018 तक पुनर्गठित/ समायोजित नहीं किया गया था। • शीर्ष कर्मचारी लागत तथा अन्य प्रशासनिक व्यय के अंतर्गत बचत के सम्बंध में निदेशक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले ने उत्तर दिया कि यह रिक्त पदों के कारण था और कहा कि अनुपयोगी बजट स्वचालित रूप से सरेंडर किया जा रहा था। कनिष्ठ सहायकों के संवर्ग में स्वीकृत 19 पदों में से 18 पदों को सितम्बर 2018 तक भर लिया[23] था। निरीक्षकों के संवर्ग में कुल स्वीकृत 83 पदों में से दिसम्बर 2018 तक 11 पद खाली पड़े थे। राज्य सरकार ने बताया (जनवरी 2019) की कुछ पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने थे किन्तु योग्य उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण भरे नहीं जा सके।
2. लाभार्थियों की पहचान तथा *अंत्योदय* परिवारों का अवास्तविक आकलन (परिच्छेद 1.1.8.1 तथा 1.1.8.2) लेखापरीक्षा में इंगित किया गया कि राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ 2.82 लाख गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों (भारत सरकार द्वारा संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार 2006-07 में राज्य सरकार द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार) के स्थान पर 5.14 लाख गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को दे दिया गया (मार्च 2000 में भारत सरकार द्वारा अनुमानित), जिसके परिणामस्वरूप सब्सिडी दरों पर 2.32 लाख गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को अतिरिक्त/ अधिक खाद्यान्न का वितरण किया गया। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार, जिसे *अंत्योदय अन्न* योजना के अंतर्गत 38 *प्रतिशत* गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को शामिल करने की आवश्यकता थी, ने 1.07 लाख परिवारों (2.82 लाख का 38	सार्वजनिक वितरण प्रणाली लाभार्थियों/ *अंत्योदय अन्न योजना* परिवारों की पहचान तथा सब्सिडी प्रदान करने हेतु 2006-07 में किए गए सर्वेक्षण में पहचाने गए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की वास्तविक संख्या के संदर्भ में की जानी चाहिए।	1. विभाग को स्पष्ट करना चाहिए कि 2.32 लाख अतिरिक्त/ अधिक गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न क्यों प्रदान किए गए। 2. गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की वास्तविक संख्या का पता लगाने के लिए ग्रामीण/ शहरी विकास विभागों के साथ गरीबी रेखा के आंकड़ों का मिलान करने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाने चाहिए।	1. लोक लेखा समिति को 2.32 लाख अतिरिक्त/ अधिक गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न के वितरण का कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। 2. गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की वास्तविक संख्या का पता लगाने के लिए कोई मिलान नहीं किया गया।	• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 द्वारा लाभार्थियों और अधिकारों के लिए संशोधित योजना लाई गई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार ने यह निर्धारित किया कि राज्य सरकार को प्राथमिकता वाले परिवारों[24] एवं *अंत्योदय अन्न* योजना परिवारों के दो स्तरीय वर्गीकरण का उपयोग करके 36.82 लाख व्यक्तियों को शामिल करना चाहिए। यह पाया गया कि इन लक्ष्यों के प्रति, राज्य सरकार ने तीन स्तरीय वर्गीकरण का उपयोग करके (गरीबी रेखा के नीचे के परिवार 13.10 लाख व्यक्ति, प्राथमिकता वाले परिवार: 9.33 लाख व्यक्ति और *अंत्योदय अन्न* योजना: 1.93 लाख परिवार या 9.18 लाख व्यक्ति) 31.61 लाख व्यक्तियों को शामिल किया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के खण्ड 32 में यह प्रावधान है कि अधिनियम राज्य सरकार को अन्य खाद्य आधारित कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने या तैयार करने से नहीं रोकता। इस प्रकार, राज्य सरकार गरीबी रेखा से ऊपर के 45.64 लाख व्यक्तियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ प्रदान कर रही थी। राज्य सरकार ने बताया (जनवरी 2019) कि भारत सरकार ने टाईड ओवर श्रेणी के तहत

23 मार्च 2015 से खाली पड़े थे और 09.10.2017, 10.10.2017, 11.10.2017, 13.10.2017. 16.10.2017 तथा 26.02.2018 को भरे गए।

24 प्राथमिकता वाले घरों में शामिल हैं: *एकल नारी, आश्रम* में रहने वाले अनाथ बच्चे, विधवा के नेतृत्व वाले घर, अंत्य रोग से ग्रसित व्यक्ति के नेतृत्व वाले घर, तिब्बती बंदोवस्त अधिकारी द्वारा सत्यापित तिब्बती घर, किसी भी प्रकार की विकलांगता वाले व्यक्ति, आदि। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अब तक कवर नहीं की गई 10 *प्रतिशत* आवादी तक कवर न किए गए व्यक्तियों में से सबसे गरीब लोगों को चुना जा सकता है, बशर्ते कि वे पांच हेक्टेयर गैर सिंचित या दो हेक्टेयर सिंचित भूमि से अधिक के मालिक न हों, और उनकी औसत मासिक घरेलू आय ₹12,000 से कम होनी चाहिए, का चयन किया जा सकता है।

प्रतिशत) के स्थान पर 1.96 लाख परिवारों (5.14 लाख का 38 *प्रतिशत*) को शामिल किया था, जिसके परिणामस्वरूप 0.89 लाख परिवारों को अधिक शामिल किया गया। राज्य सरकार ने बताया कि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान ग्रामीण विकास एवं शहरी विकास विभागों द्वारा की गई थी तथा इस सम्बंध में खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलें विभाग की कोई भूमिका नहीं थी।				आवंटन किया था, जो कि गरीबी रेखा से ऊपर के उपभोक्ताओं को भारत सरकार में मानकों के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा पर खाद्यान्न की उपलब्धता के अनुसार प्रदान किया जा रहा था। • लाभार्थियों की पहचान के सम्बंध में भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित दिशा-निदेशों के अनुसार 2006-07 में राज्य सरकार द्वारा किए गए गरीबी रेखा से नीचे के सर्वेक्षण के बाद, ग्रामीण विकास विभाग ने *ग्राम सभा* बैठकों के माध्यम से 2008, 2011, 2013 और 2018 में निर्धारित समावेश/ बहिष्करण मानदण्डों के अनुसार आवधिक समीक्षा करवाई। 2015-18 के अभिलेखों से पता चला है कि विभाग ने शिकायतों/ अनुरोधों के आधार पर 38,143 अयोग्य परिवारों को बाहर किया और 32,176 पात्र परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे की सूची में शामिल किया। गरीबी रेखा से नीचे की सूची से बाहर किये गए परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर वाली सूची में शामिल करने का विचार किया गया। तथापि, छः चयनित खण्डों[25] की 24 नमूना जांचित *ग्राम पंचायतों* में 1,833 गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा छानबीन से पाया गया कि 133 अपात्र परिवारों[26] (सात *प्रतिशत*) को गरीबी रेखा से नीचे की सूची में शामिल किया गया था। नमूना-जांच के दौरान पाई गई समावेश त्रुटियों ने संकेत दिया कि ग्राम सभा द्वारा लाभार्थियों की पहचान के लिए दिशा-निदेशों में निर्धारित मानदण्डों का ठीक प्रकार से पालन नहीं किया जा रहा था तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ अयोग्य परिवारों को दिया जा रहा था। यद्यपि, पात्र परिवारों को बाहर किए जाने के मामलों की लेखापरीक्षा द्वारा जांच नहीं की जा सकी फिर भी ऐसी बहिष्करण त्रुटियों की सम्भावना बनी रही। ***यह सिफारिश की जाती है कि विभाग गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की आवधिक समीक्षा जारी रखे ताकि समावेश एवं बहिष्करण त्रुटियों की संभावना कम हो सके।***

25 चौपाल (461 में से 11), नारकण्डा (226 में से 14), ठियोग (389 में से 31), फतेहपुर (184 में से 15), नूरपुर (356 में से 22) और परागपुर (217 में से 40)।

26 48 परिवारों के पास चार पहिया वाहन थे, 71 परिवारों की आय ₹ 2,500 से अधिक थी, दस परिवारों के पास सरकारी नौकरी में कम से कम एक सदस्य था और चार परिवारों के पास दो हेक्टेयर से अधिक जमीन थी।

				राज्य सरकार ने उत्तर दिया कि गरीबी रेखा से नीचे की सूची में 133 अपात्र लाभार्थियों को शामिल करने के मामले को ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभागों के साथ उठाया गया था (सितम्बर 2018)।
3. खाद्यान्नों के अधिक वितरण के कारण अतिरिक्त सब्सिडी का भार (परिच्छेद 1.1.11.1) लेखापरीक्षा ने इंगित किया कि राज्य सरकार ने अप्रैल 2002 (गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को 35 किलो खाद्यान्न प्रति परिवार प्रतिमाह) में तय किए गए पैमाने को नजर अंदाज कर दिया तथा अप्रैल 2005 से जून 2009 तक गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को 60 किलो ग्राम प्रति परिवार प्रतिमाह की दर से खाद्यान्न वितरित किया था। इसके परिणामस्वरूप 45,775.09 मीट्रिक टन अधिक खाद्यान्न गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को मिला, जिससे भारत सरकार को ₹ 10.98 करोड़ की अतिरिक्त सब्सिडी का भार वहन करना पड़ा।	राज्य सरकार को निर्धारित पैमाने के अनुसार खाद्यान्नों का वितरण सुनिश्चित करना चाहिए।	1. भारत सरकार द्वारा निर्धारित पैमाने के अनुसार खाद्यान्न वितरित किया जाना चाहिए। 2. विभाग को खाद्यान्न के अधिक वितरण को नियमित करने के लिए भारत सरकार से अनुमति लेनी चाहिए।	राज्य सरकार ने 2005-09 के दौरान 45,775.09 मीट्रिक टन अतिरिक्त खाद्यान्नों की आपूर्ति के नियमितिकरण के लिए भारत सरकार को लिखा (मई 2016) था।	• लेखापरीक्षा में पाया गया कि भारत सरकार ने 2005-09 के दौरान आपूर्ति किए गए 45,775.09 मीट्रिक टन अतिरिक्त खाद्यान्नों के वितरण को नियमित करने से इंकार (जून 2016)कर दिया था । • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत, प्राथमिकता वाले परिवार का प्रत्येक सदस्य रियायती दरों पर पांच किलोग्राम खाद्यान्न (गेहूं: ₹ 2 प्रति किलो तथा चावल: ₹ 3 प्रति किलो) प्रतिमाह का हकदार था। तथापि, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए लाभों से अधिक लाभ प्रदान करने वाली खाद्य आधारित योजनाओं को जारी रखने/ तैयार करने के लिए लचीलापन था। अभिलेखों से उद्घाटित हुआ कि राज्य सरकार अप्रैल 2002 में निर्धारित पैमाने अर्थात् 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह के हिसाब से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध करवा रही थी। प्रत्येक गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम प्रति माह की (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार) निर्धारित दर से ऊपर खाद्यान्न की मात्रा, गेहूं के लिए ₹ 5.25 प्रति किलोग्राम व चावल के लिए ₹ 6.85 प्रति किलोग्राम की सब्सिडी दरों पर जारी की जा रही थी। राज्य सरकार ने उपर्युक्त के आधार पर 2014-18 के दौरान ₹ 42.75 करोड़ की सब्सिडी वहन की। राज्य सरकार ने बताया (जनवरी 2019) कि राज्य सरकार टाईड ओवर आबंटन से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के मामले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम द्वारा आवंटन से अधिक खाद्यान्न उपलब्ध करवा रही थी। गरीबी रेखा की दरों से ऊपर का व्यय राज्य सब्सिडी योजना से वहन किया जा रहा था।
4. गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को उच्च दरों पर खाद्यान्न जारी करना (परिच्छेद 1.1.11.2) यह देखा गया कि राज्य सरकार ने 2006-11 के दौरान गेहूं एवं चावल को अधिकतम अंतिम खुदरा मूल्य से ₹ 0.60 प्रति किलो गेहूं और	राज्य सरकार को पहाड़ी क्षेत्रों में उच्च परिवहन प्रभार का मामला उपचारात्मक उपायों के लिए भारत सरकार	पहाड़ी क्षेत्रों में उच्च दर पर खाद्यान्नों के वितरण के मामले को भारत सरकार से परिवहन प्रभार की उच्च दर की प्रतिपूर्ति के लिए उठाना चाहिए।	राज्य सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन प्रभार की उच्च दर की प्रतिपूर्ति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को लिखा (मई 2016) था।	• लेखापरीक्षा में पाया गया कि भारत सरकार ने राज्य सरकार के पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन प्रभार की उच्च दर की प्रतिपूर्ति प्रदान करने के अनुरोध को स्वीकार करने से इंकार (जून 2016) कर दिया था। • 2015-18 के दौरान निर्धारित दरों पर लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरित किया गया था।

₹ 0.70 प्रति किलो चावल की दर से अधिक पर वितरित किया जिससे गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को ₹ 35.11 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा। राज्य सरकार ने बताया कि यह पहाड़ी इलाकों में उच्च परिवहन प्रभार के कारण हुआ जो कि भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य नहीं था।	से उठाना चाहिए था।			
5. *अन्नपूर्णा स्कीम* (परिच्छेद 1.1.13.1) लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2005-11 के दौरान *अन्नपूर्णा स्कीम* के लाभार्थियों की संख्या 5,310 से घटकर 3,447 हो गई तथा 2006-11 के दौरान 3,683.10 मीट्रिक टन खाद्यान्न आवंटन के प्रति केवल 1,457.86 मीट्रिक टन ही उठाया गया। लेखापरीक्षा में यह भी इंगित किया गया कि उठाए गए 1457.86 मीट्रिक टन की मात्रा के प्रति 1,755.30 मीट्रिक टन (अर्थात् 297.44 मीट्रिक टन अधिक) को वितरित किया हुआ दर्शाया गया, तथा इस बेमेल का विभाग द्वारा मिलान नहीं किया गया।	कोई सिफारिश नहीं	विभाग को आंकड़ों का मिलान सुनिश्चित करना चाहिए तथा इस सम्बंध में स्थिति को प्रस्तुत करें।	विभाग ने 2006 एवं 2011 के बीच *अन्नपूर्णा स्कीम* के अंतर्गत उठाए गए एवं वितरित किए गए खाद्यान्नों के बीच बेमेल आंकड़ों के बारे में स्थिति स्पष्ट करने के लिए कोई मिलान नहीं किया।	• 2015-18 के दौरान *अन्नपूर्णा स्कीम* के अंतर्गत आवंटित, उठाये और वितरित किए गए खाद्यान्न के लिए कोई बेमेल आंकड़ों को नहीं देखा गया था। • तथापि, इस सम्बंध में यह प्रकाश डाला गया कि *अन्नपूर्णा स्कीम* के तहत लाभार्थियों की संख्या मार्च 2018 तक घटकर 1,014 हो गई थी, तथा राज्य सरकार को भारत सरकार से *अन्नपूर्णा स्कीम* के अंतर्गत अक्तूबर 2015 से कोई भी खाद्यान्न का आवंटन प्राप्त नहीं हुआ था। *अन्नपूर्णा स्कीम* के लाभार्थियों के लिए खाद्यान्न पात्रता गरीबी रेखा से ऊपर वाले खाद्यान्न के कोटे से पूरी की जा रही थी।
6. सतर्कता समितियों का गठन एवं कार्य न करना (परिच्छेद 1.1.15.1 तथा 1.1.15.2) लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि मार्च 2011 तक राज्य के सभी 12 जिलों में जिला स्तरीय सतर्कता समितियां गठित कर ली गई थीं, 77 में से 17 खण्डों तथा 4,567 में से 225 उचित मूल्य की दुकानों में सतर्कता समितियों का गठन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने जिला स्तर पर 58 एवं 81 *प्रतिशत* के बीच, खण्ड स्तर पर 67 एवं 99 *प्रतिशत* के बीच तथा उचित मूल्य की दुकानों के स्तर पर 95 एवं 99 *प्रतिशत* के बीच सतर्कता समिति की बैठकों में कमी को भी इंगित किया।	सभी खण्डों और उचित मूल्यों की दुकानों में सतर्कता समितियों का गठन किया जाना चाहिए तथा घटिया वस्तुओं की आपूर्ति को रोकने के लिए नियमित निरीक्षण किए जाने चाहिए।	विभाग द्वारा लोक लेखा समिति को सतर्कता समितियों के गठन एवं कार्य के लिए की गई कार्रवाई के बारे में सूचित करना चाहिए ताकि घटिया खाद्यान्न की आपूर्ति को रोका जा सके।	विभाग ने खण्ड स्तरीय सतर्कता समितियों के गठन की अधिसूचना जारी (फरवरी 2016) की तथा इस सम्बंध में लोक लेखा समिति को सूचित किया।	• यद्यपि, राज्य के सभी 12 जिलों में मार्च 2018 तक जिला स्तरीय सतर्कता समितियों का गठन किया गया था, राज्य के 77 में से 20 खण्डों तथा 4,930 में से 677 उचित मूल्यों की दुकानों में सतर्कता समितियों का गठन नहीं किया गया था। • जिला स्तर पर 42 एवं 52 *प्रतिशत,* खण्ड स्तर पर 93 एवं 97 *प्रतिशत,* तथा उचित मूल्यों की दुकान के स्तर पर 77 एवं 98 *प्रतिशत* के बीच सतर्कता समिति की बैठकें कम आयोजित की गईं थी। • विभिन्न स्तरों पर सतर्कता समिति का गठन न करना एवं सतर्कता समिति की बैठकों के आयोजन में कमी की दृष्टि से, यह स्पष्ट होता है कि निगरानी, पर्यवेक्षण तथा शिकायत निवारण के लिए सामुदायिक आधार पर नियंत्रण तंत्र कार्य नहीं कर रहा था जैसा कि परिकल्पित था। राज्य सरकार ने बताया (जनवरी 2019) कि खण्डों और उचित मूल्यों की दुकानों के स्तर पर सतर्कता समिति के गठन के सम्बंध में मामला विचाराधीन था।

7. उचित मूल्यों की दुकानों का निरीक्षण (परिच्छेद 1.1.15.4) लेखापरीक्षा ने 2006-11 के दौरान 24 से 66 *प्रतिशत* के बीच जिला नियंत्रकों, जिला निरीक्षकों तथा निरीक्षकों के निरीक्षण में कमी को इंगित किया था। राज्य सरकार ने निरीक्षणों में कमी के लिए कर्मचारियों की कमी को जिम्मेदार ठहराया।	कोई सिफारिश नहीं।	रिक्त पदों को भरने के मामले को आगे बढ़ाया जाना चाहिए और स्थिति से लोक लेखा समिति को सूचित किया जाना चाहिए।	निरीक्षक के 35 खाली पदों में से विभाग ने अगस्त 2016 में 25 पदों को भर दिया था।	• लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2015-18 के दौरान जिला नियंत्रकों, खाद्य आपूर्ति अधिकारियों और निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण में कमी 12 एवं 42 *प्रतिशत* के बीच[27] रही। यह देखा गया कि 2015-18 के दौरान किए गए निरीक्षणों की संख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति थी। यह रिक्त पदों को भरने के कारण हो सकता था: निरीक्षकों के संवर्ग की 83 कुल संस्वीकृत पदों में से दिसम्बर 2018 तक 11 पद खाली थे। राज्य सरकार ने बताया (जनवरी 2019) कि निरीक्षण में कमी विभागीय कर्मचारियों की राशन कार्डों के डिजिटाइजेशन के कार्य में व्यस्त होने के कारण हुई।

ग. पूर्ण/ पर्याप्त प्रगति

विगत प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा परिणाम	लेखापरीक्षा सिफारिशें	लोक लेखा समिति की सिफारिशें	विभाग द्वारा लोक लेखा समिति को सूचित की गई स्थिति	वर्तमान लेखापरीक्षा परिणाम/ टिप्पणियां
1. राशन कार्ड जारी करना (परिच्छेद 1.1.9) लेखापरीक्षा ने अयोग्य लाभार्थियों को नकली/ फर्जी राशन कार्ड जारी करने की संभावना को प्रकाशित किया था, यह देखते हुए कि 2006-10 के दौरान जिस जनसंख्या के लिए राशन कार्ड जारी किए गए थे वह अनुमानित जनसंख्या[28] से 2.93 लाख और 3.42 लाख के बीच की सीमा से अधिक थी। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने 2009-11 के दौरान चार नमूना-जांचित जिलों की 246 (1,399 में से) ग्राम पंचायतों में राशन कार्डों की वार्षिक समीक्षा के बाद 643 फर्जी/ अपात्र राशन कार्ड रद्द कर दिए। लेखापरीक्षा ने फर्जी राशन कार्डों की पहचान करने के लिए जिला नियंत्रक, जिला निरीक्षकों और निरीक्षकों द्वारा उचित मूल्यों की दुकानों के निरीक्षण में कमी को भी इंगित किया था।	राज्य सरकार को अपात्र और फर्जी राशन कार्डों को हटाने के लिए राशन कार्डों की समय-समय पर जांच करनी चाहिए तथा विभाग के प्रत्येक निरीक्षक को प्रत्येक महीने कम से कम एक *ग्राम पंचायत* को कवर करना चाहिए और फर्जी राशन कार्डों की पहचान करने के लिए उचित मूल्य की दुकानों का 100 *प्रतिशत* निरीक्षण करना चाहिए।	कोई सिफारिश नहीं	--	• फर्जी राशन कार्डों की संभावना को कम करने/ समाप्त करने के लिए राज्य सरकार ने डिजिटाइजेशन (स्मार्ट कार्ड जारी करना) तथा राशन कार्डों को आधार से जोड़ना (2016-17 से) शुरू किया। सितम्बर 2018 तक, सभी 18.34 लाख पुराने कागज के राशन कार्ड (गरीबी रेखा से ऊपर वाले परिवार: 11.29 लाख, गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार: 2.87 लाख, *अंत्योदय अन्न योजना* परिवार: 1.90 लाख, तथा प्राथमिकता वाले परिवार: 2.28 लाख) राज्य में डिजिटाइजड़ हो चुके थे। इन राशन कार्डों में पंजीकृत 71.87 लाख लाभार्थियों में से 70 लाख (97 *प्रतिशत*) को आधार से जोड़ दिया गया था। निदेशक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले ने बताया (अक्तूबर 2018) कि राशन कार्डों को आधार से जोड़ने का कार्य प्रगति पर था।

27 2015-16: 7,944 के प्रति 4,585 निरीक्षण किए गए (कमी: 3,359 या 42 *प्रतिशत*); 2016-17: 11,040 के प्रति 7,835 निरीक्षण किए गए (कमी: 3,205 या 29 *प्रतिशत*) तथा 2017-18: 7,866 के प्रति 6,952 निरीक्षण किए गए (कमी: 914 या 12 *प्रतिशत*)।

28 राज्य सरकार के अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा प्रकाशित अनुमानित जनसंख्या आंकड़े।

2. उचित मूल्य की दुकानों का कम्प्यूटरीकरण **(परिच्छेद 1.1.15.3)** लेखापरीक्षा में पाया गया था कि राज्य में उचित मूल्यों की दुकानें कम्प्यूटराइजड नहीं की गई थीं।	कोई सिफारिश नहीं।	विभाग को उचित मूल्यों की दुकानों के कम्प्यूटराइजेशन की स्थिति के बारे के लोक लेखा समिति को सूचित करना चाहिए।	विभाग ने उचित मूल्यों की दुकानों के कम्प्यूटराइजेशन की स्थिति के बारे में लोक लेखा समिति को सूचित कर दिया था।	• अभिलेखों की छानबीन से पता चला कि राज्य में सभी 4,930 उचित मूल्यों की दुकानों को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया था। • यह देखा गया कि बिक्री केन्द्र (पॉइंट-ऑफ-सेल) मशीनों को प्रत्येक 38 नमूना जांचित उचित मूल्यों की दुकानों में स्थापित किया गया था। बिक्री केन्द्र मशीनें हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के गोदामों एवं हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा अनुरक्षित प्रबंधन सूचना प्रणाली डाटाबेस के कम्प्यूटर सिस्टम से जुड़ी थीं। उचित मूल्य की दुकानों को आपूर्ति किए गए खाद्यान्न के भण्डार को उचित मूल्य की दुकान द्वारा गोदाम से उठाते समय गोदाम के कम्प्यूटर सिस्टम में दर्ज किया जाता है। किसी लाभार्थी को उचित मूल्य के दुकान द्वारा खाद्यान्न के वितरण के समय उचित मूल्य की दुकान में बिक्री केन्द्र मशीन लाभार्थी के स्मार्ट कार्ड को पढ़ेगी एवं लाभार्थी के स्मार्ट कार्ड से और बिक्री केन्द्र मशीन के भण्डार से लाभार्थी को प्रदान किए गए खाद्यान्न की मात्रा को स्वचालित रूप से डेबिट कर देगी। प्रत्येक बिक्री/ लेन-देन के लिए एक पेपर बिल भी तैयार किया जा रहा था। बिक्री केन्द्र मशीनों में बैटरी बैकअप की सुविधा थी और बिक्री केन्द्र मशीनों पर डाटा को नियमित अंतराल पर प्रबंधन सूचना प्रणाली डाटाबेस के साथ मिलाया जा रहा था।
3. लाभार्थी सर्वेक्षण **(परिच्छेद 1.1.14.1)** लेखापरीक्षा ने 1,564 गरीबी रेखा से नीचे और *अंत्योदय अन्न* योजना के लाभार्थियों का सर्वेक्षण किया। 1,564 सर्वेक्षण किए गए लाभार्थियों में 34 *प्रतिशत* अपात्र पाए गए, 13 *प्रतिशत* ने खाद्यान्न की गुणवत्ता घटिया बताई, 22 *प्रतिशत* ने रिपोर्ट दी कि आपूर्ति अनियमित थी तथा 38 *प्रतिशत* ने लेवी चीनी की कम आपूर्ति की सूचना दी।	कोई सिफारिश नहीं	कोई सिफारिश नहीं	--	• लेखापरीक्षा ने मानकीकृत प्रश्नावली के माध्यम से उचित मूल्यों की दुकानों के 186 लाभार्थियों का सर्वेक्षण किया। विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में जिन मामलों पर प्रकाश डाला था उन मामलों को किसी भी सर्वेक्षित लाभार्थी ने सूचित नहीं किया। इसके अतिरिक्त, उचित मूल्यों की दुकानों के क्रियाकलाप के अन्य पहलुओं के बारे में कोई शिकायत नहीं थी।

तथापि, नवीनतम स्थिति मांगे जाने पर भी प्रतीक्षित थी (सितम्बर 2019)।

निष्कर्ष

'सार्वजनिक वितरण प्रणाली' की निष्पादन लेखापरीक्षा में 21 स्वीकृत टिप्पणियां एवं चार सामान्य सिफारिशें शामिल थीं। लेखापरीक्षा ने सरकार द्वारा स्वीकृत लेखापरीक्षा/ लोक लेखा समिति की टिप्पणियों के कार्यान्वयन की सीमा की जांच की और पाया कि इनमें से 33 *प्रतिशत* को लागू नहीं किया गया, 50 *प्रतिशत* को आंशिक रूप से लागू किया गया तथा केवल 17 *प्रतिशत* टिप्पणियों को पूरी तरह से लागू किया गया था।

- विभाग ने गुणवत्ता के संदर्भ में लोक लेखा समिति की सिफारिशों का अनुपालन नहीं किया था। जांच प्रयोगशालाओं में जन-शक्ति की कमी थी और विश्लेषण रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना वस्तुओं के वितरण की प्रथा के कारण गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया अप्रभावी थी जिससे घटिया वस्तुओं का वितरण हुआ।
- *ग्राम सभा* स्तर पर लाभार्थियों की पहचान प्रणाली मजबूत नहीं थी; विभाग ने गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की वास्तविक संख्या का पता लगाने हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए लोक लेखा समिति की सिफारिश का अनुपालन नहीं किया।
- निरीक्षणों में कमी, सतर्कता समितियों का गठन न करना तथा सतर्कता समितियों की बैठकों के आयोजन में कमी दर्शाती है कि नियंत्रण और अनुश्रवण तंत्र कार्य नहीं कर रहे थे जैसा कि परिकल्पित था।
- राशन कार्डों के डिजिटाइजेशन तथा उचित मूल्य की दुकानों के कम्प्यूटराइजेशन के सम्बंध में लेखापरीक्षा सिफारिशों को पूरी तरह से लागू किया गया था। लाभार्थी सर्वेक्षण के सकारात्मक परिणाम यह दर्शाते हैं कि लाभार्थी उचित मूल्य की दुकानों द्वारा दी गई सेवाओं से संतुष्ट थे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

3.6 निदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएं के अधीन स्वास्थ्य संस्थानों में औषधियों एवं उपभोज्यों तथा मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद, आपूर्ति तथा प्रयुक्ति

औषधियों एवं उपभोज्यों के खरीद हेतु मांग निर्धारण एवं इनका वितरण न तो वैज्ञानिक था और न ही व्यवस्थित था जिससे खरीद न करने, खरीद में विलम्ब तथा औषधियां उपलब्ध न होने के दृष्टान्त स्वास्थ्य संस्थानों में देखे गए तथा स्वास्थ्य संस्थानों को औषधियां जारी नहीं की गई, कम जारी की गईं, अधिक जारी की गई। औषधियों की अनियमित एवं बिना आवश्यकता खरीद के परिणामस्वरूप इनकी उपयोग की तिथि समाप्त हो गईं। अप्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण के परिणामस्वरूप रोगियों को घटिया औषधियां वितरित की गईं। सूची प्रबंधन प्रणाली के अभाव में मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद व्यवस्थित नहीं थी जिससे खरीद न करने तथा बिना आवश्यकता के खरीद के मामले देखे गए जिसके परिणामस्वरूप मदें अप्रयुक्त/ बेकार तथा अक्रियाशील रहीं। मदें तकनीकी स्टाफ की तैनाती न होने के कारण भी अप्रयुक्त पड़ी रहीं।

3.6.1 परिचय

कुशल जन-स्वास्थ्य सेवाओं के लिए औषधियों एवं उपभोज्यों तथा मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद तथा आपूर्ति के लिए एक वैज्ञानिक प्रणाली आवश्यक है।

मार्च 2017 तक, राज्य सरकार की नीति के अनुसार जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम तथा हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रोनिक्स विकास निगम द्वारा प्राधिकृत आपूर्तिकर्त्ताओं से तय की गई दरों पर औषधियों एवं उपभोज्यों तथा मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद की जाती थी। मार्च 2017 की नई क्रय नीति में निर्धारित है कि नवम्बर 2016 में गठित राज्य खरीद प्रकोष्ठ मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से प्राप्त मांग के अनुसार राज्य सरकार द्वारा तय की गई दर संविदा पर अनुमोदित आपूर्तिकर्त्ताओं को आपूर्ति आदेश देगा। तथापि, राज्य खरीद प्रकोष्ठ के क्रियाशील न होने के कारण मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को प्राधिकृत करते हुए अनुदेश जारी किए (अक्तूबर 2017) कि सीधे केन्द्रीय लोक क्षेत्र उद्यमों, जन औषधि भण्डारों, अन्य अनुमोदित स्रोतों/

आपूर्तिकर्त्ताओं[29] तथा यदि इन स्रोतों पर उपलब्ध नहीं हैं तो अपने स्तर पर स्थानीय विक्रेताओं से प्रत्यक्ष खरीद करें। राज्य सरकार की अधिसूचना (जनवरी 2016) के अनुसार, 66 आवश्यक औषधियां सभी स्वास्थ्य संस्थानों में नि:शुल्क उपलब्ध करवानी थीं; इस अधिसूचना को राज्य सरकार द्वारा संशोधित (सितम्बर 2017) किया गया जिसमें नियत था कि विभिन्न स्तरों[30] पर सभी स्वास्थ्य संस्थानों में 43 तथा 330 के मध्य नि:शुल्क औषधियां उपलब्ध करवानी थीं।

3.6.2 लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं पद्धति

2015-18 की अवधि हेतु निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं के नियंत्रणाधीन स्वास्थ्य संस्थानों में औषधियों एवं उपभोज्यों तथा मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद, आपूर्ति एवं प्रयुक्ति की लेखापरीक्षा में निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं तथा जनसंख्या एवं बजट के मापदण्ड का प्रयोग करते हुए स्तरीकृत नमूना के माध्यम से चार जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (चम्बा, कांगड़ा, कुल्लू एवं मण्डी) का चयन कर उनके अभिलेखों की जांच शामिल थी। 2015-18 के दौरान राज्य में औषधियों एवं उपभोज्यों पर ₹ 146.75 करोड़[31] तथा मशीनरी एवं उपकरणों पर ₹ 67.87 करोड़[32] का कुल व्यय था। इसमें से, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा क्रमश: ₹ 130.48 करोड़ तथा ₹ 29.76 करोड़ व्यय किया गया। 2015-18 के दौरान निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं के नियंत्रणाधीन चयनित चार जिलों के स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा क्रमश: ₹ 58.80 करोड़[33] तथा ₹ 11.27 करोड़[34] का व्यय किया गया। चयनित चार मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के नियंत्रणाधीन कुल 70 क्षेत्रीय इकाइयों[35] (अंचल/ क्षेत्रीय चिकित्सालय, सिविल चिकित्सालय/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा स्वास्थ्य उप केन्द्र) की नमूना जांच (व्यय एवं भौगोलिक विविधता के आधार पर चयनित) की गई। 35 में से आठ खण्ड चिकित्सा अधिकारियों[36] जो प्रशासनिक अध्यक्ष के रूप में उनके नियंत्रण के अधीन स्वास्थ्य संस्थानों से मांग के एकत्रीकरण के लिए जिम्मेदार थे, के अभिलेखों की नमूना-जांच भी की गई। लेखापरीक्षा ने मांग निर्धारण, आपूर्ति, औषधियों एवं उपभोज्यों तथा मशीनरी एवं उपकरणों का उपयोग; आवश्यक औषधियों तथा मशीनरी एवं उपकरणों की उपलब्धता तथा गुणवत्ता नियंत्रण से सम्बद्ध मामलों की जांच की।

3.6.3 लेखापरीक्षा परिणाम

औषधियां एवं उपभोज्य

औषधियों एवं उपभोज्यों हेतु मांग का निर्धारण विगत उपभोग के पैटर्न, रोग प्रचलन, क्षेत्रीय-विशिष्ट आवश्यकताओं, इत्यादि के आधार पर बनाया जाना चाहिए। बजट प्रावधान, मांग निर्धारण के आधार पर बनाने चाहिए ताकि वांछित लाभ अभिप्रेत लाभार्थियों तक पहुंचे। औषधियों की अनुपलब्धता/ अप्रयुक्ति/ उपयोग तिथि की समाप्ति से बचने के लिए खरीद आवधिक/ लगातार एवं समयबद्ध तरीके से करनी चाहिए। औषधियों की प्राप्ति के समय गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली प्रतिस्थापित होनी चाहिए ताकि रोगियों को गुणवत्ता पूर्ण औषधियों का वितरण सुनिश्चित किया जा सके।

29 आपूर्तिकर्त्ता जिनके साथ कर्मचारी राज्य बीमा निगम अथवा इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय तथा चिकित्सालय, शिमला द्वारा दर संविदा को हस्ताक्षरित किया गया हो।

30 अंचल/ क्षेत्रीय चिकित्सालयों, सिविल चिकित्सालयों/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा स्वास्थ्य उप केन्द्रों के स्तर पर क्रमश: 330, 216, 106 तथा 43 औषधियों एवं उपभोज्यों को नि:शुल्क में प्रदान किया जाना था।

31 निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं: ₹ 130.48 करोड़ तथा निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान: ₹ 16.27 करोड़।

32 निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं: ₹ 29.76 करोड़ तथा निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान: ₹ 38.11 करोड़।

33 चम्बा: ₹ 7.83 करोड़; कांगड़ा: ₹ 23.36 करोड़; कुल्लू: ₹ 8.78 करोड़; तथा मण्डी: ₹ 18.83 करोड़।

34 चम्बा: ₹ 1.45 करोड़; कांगड़ा: ₹ 3.51 करोड़; कुल्लू: ₹ 1.63 करोड़; तथा मण्डी: ₹ 4.68 करोड़।

35 चिकित्सा अधीक्षक के प्रशासनिक नियंत्रण में चार में से चार अंचल चिकित्सालय/ क्षेत्रीय चिकित्सालय, 74 में से आठ सिविल चिकित्सालय/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 242 में से 15 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 1,067 में से 43 स्वास्थ्य उप केन्द्र व्यय एवं भौगोलिक विवधता के आधार पर चयनित।

36 भवारना, गंगथ, जरी, किहार, कोटली, नग्गर, रोहाण्डा तथा समोट।

3.6.3.1 औषधियों एवं उपभोज्यों का अवैज्ञानिक मांग निर्धारण

निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने अनुदेश जारी (मई 2015) किए थे कि मांग विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा की जाएगी जिसको खण्ड स्तर पर खण्ड चिकित्सा अधिकारियों द्वारा एकत्रित करके तथा तत्पश्चात जिला स्तर पर समेकित किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सभी क्षेत्रीय इकाइयों के लिए आकलित मांग के लिए आपूर्ति आदेश करेगा। इस प्रणाली का कुशलता से कार्य करने के लिए, यह आवश्यक था कि क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा मांग निर्धारण उपयुक्त हो तथा मांग का प्रस्तुतीकरण समयबद्ध तरीके से किया जाये ताकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी मांग को समेकित करके तद्नुसार आपूर्ति आदेश कर सकें। इससे स्थानीय स्तर पर आवश्यकतानुसार औषधियों की उपलब्धता तथा उपयोगिता को सुनिश्चित किया जा सकता था। चार चयनित जिलों के अभिलेखों की छानबीन से निम्नवत् उद्घाटित हुआ:

- क्षेत्रीय इकाई स्तर पर मांग का निर्धारण बिना किसी वैज्ञानिक आधार के किया जा रहा था, क्योंकि अभिलेख ऐसा कुछ नहीं दर्शाते थे कि मांग करते हुए कारक जैसे विगत उपभोग का पैटर्न, रोग प्रचलन, तथा क्षेत्रीय विशिष्ट आवश्यकताओं, इत्यादि को ध्यान में रखा गया था।

  2015-18 के दौरान चयनित औषधियों[37] के सम्बंध में आठ नमूना-जांचित खण्ड चिकित्सा अधिकारियों द्वारा की गई मांग से सम्बंधित अभिलेखों की छानबीन में पाया गया कि वर्ष विशेष हेतु की गई मांग, औसत उपभोग (विगत दो वर्षों के लिए) से कम या अधिक थी तथा इसमें भारी अंतर[38] था। अत: क्षेत्रीय इकाई स्तर पर मांग का निर्धारण उपयुक्त नहीं था तथा वास्तविक आवश्यकता को प्रतिबिम्बित नहीं करता था।

- सूची प्रबंधन अथवा भण्डार की आवधिक रिपोर्टिंग हेतु कोई प्रणाली नहीं थी, जिसके अभाव में क्षेत्रीय इकाइयों में भण्डार स्थिति को खण्ड/ जिला स्तर पर सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

  इसके दृष्टिगत, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों एवं खण्ड चिकित्सा अधिकारियों को क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा मांग प्रस्तुतीकरण हेतु अनुसूची निर्धारित करनी चाहिए थी। तथापि, किसी भी नमूना जांचित मुख्य चिकित्सा अधिकारियों/ खण्ड चिकित्सा अधिकारियों द्वारा ऐसी कोई अनुसूची निर्धारित नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप मांग विभिन्न समय पर प्राप्त हुई अथवा मांग प्राप्त नहीं हुई। औषधियों एवं उपभोज्यों की समेकित/ आवधिक मांग चम्बा एवं मण्डी जिलों में 2015-17 के दौरान तथा कुल्लू जिला में 2015-16 तथा 2017-18 के दौरान प्राप्त नहीं हुई थी। मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने क्षेत्रीय इकाइयों के लिए जहां से मांग प्राप्त नहीं हुई थी, औसतन आधार पर मांग का आकलन कर रहे थे। अत: मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर पर मांग का निर्धारण/ समेकन न तो उपयुक्त था और न ही समयबद्ध।

मांग निर्धारण में यथार्थता एवं सामयकिता का अभाव खरीद न करने, विलम्ब से खरीद तथा अधिक या कम जारी करने के परिणामस्वरूप गैर उपयोग तथा औषधियों एवं उपभोज्यों की तिथि समाप्ति के दृष्टान्तों में प्रतिबिम्बित है (परिच्छेद 3.6.3.2 से 3.6.3.8)।

निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया (अगस्त 2019) कि औषधि एवं टीका वितरण प्रबंधन प्रणाली को क्रियान्वित किया जा रहा था तथा भविष्य में कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएंगे।

---

37 आठ चयनित खण्डों में नौ एवं 29 के मध्य विभिन्न औषधियों को नमूना-जांच हेतु उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर चयनित किया गया।

38 97 एवं 798 *प्रतिशत* के मध्य उदाहरण के लिए: (1) सिटरीजीन (खण्ड चिकित्सा अधिकारी रोहाण्डा, मण्डी): 2015-17 के दौरान औसत उपभोग: 75,755; 2017-18 के लिए की गई मांग: 6,80,000 (भिन्नता: 798%); (2) इंजेक्शन जैंटामाईसिन (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र किहार, चम्बा): 2015-17 के दौरान औसत उपभोग: 405; 2017-18 के दौरान की गई मांग: 1,750 (भिन्नता: 332%); तथा गोली डोमपेरीडोन (खण्ड चिकित्सा अधिकारी कोटली, मण्डी): 2015-17 के दौरान औसत उपभोग: 2,000; 2017-18 के लिए की गई मांग: 15,000 (भिन्नता: 650%)।

सिफारिश: *राज्य सरकार कम्प्यूटरीकृत रिपोर्टिंग अथवा सूची प्रबंधन को प्रयोग करते हुए, वैज्ञानिक मांग की निर्धारण प्रणाली को विकसित करने पर विचार कर सकती है, जिससे भण्डार स्थिति का नियमित अथवा वास्तविक समय पर अनुश्रवण हो सकेगा।*

3.6.3.2 औषधियों एवं उपभोज्यों की आपूर्ति में विलम्ब

मांग के निर्धारण के उपरांत मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा आपूर्ति आदेश जारी किए जाएंगे, जिसके अनुसरण में जिला स्टोरों से आपूर्ति को प्राप्त किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को फर्मों से प्राप्त आपूर्ति की गुणवत्ता एवं सामयकिता को सुनिश्चित करना तथा चूक के मामले में फर्म के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई शुरू करना अपेक्षित था। निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं के अनुदेशों (मई 2015) में नियत है कि आपूर्तिकर्त्ता को आपूर्ति आदेश जारी करने की तिथि से 60 दिनों के भीतर पूर्ण आपूर्ति करनी चाहिए तथा विलम्ब से आपूर्ति हेतु शास्ति/ परिसमापन हर्जाना लगाने का प्रावधान है।

चार चयनित जिलों में 2015-18 के दौरान ₹ 34.06 करोड़ की कुल आपूर्ति में से, 257 नमूना-जांचित आपूर्ति आदेशों में से 97 के सम्बंध में ₹ 1.46 करोड़ की आपूर्ति एक से 32 सप्ताह के विलम्ब से प्राप्त हुई। आगे यह पाया गया कि सम्बद्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारियों/ चिकित्सा अधीक्षकों ने सम्बंधित फर्मों को ₹ 16.39 लाख की शास्ति/ परिसमापन हर्जाना नहीं लगाया। बफर स्टॉक के भण्डारण का रख-रखाव न करने सहित आपूर्ति में विलम्ब के परिणामस्वरूप औषधियों एवं उपभोज्यों की कमी/ अनुपलब्धता हुई।

निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया (अगस्त 2019) कि केन्द्रीय लोक क्षेत्र उपक्रम दर संविदा में शास्ति खण्ड नहीं था तथा सम्बंधित फर्मों के साथ पत्राचार किया जा रहा था। तथापि, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के दर संविदा में शास्ति खण्ड था।

3.6.3.3 आवश्यक औषधियों की खरीद न करना

राज्य सरकार ने अधिसूचित किया (मार्च 2017) कि नवम्बर 2016 में गठित राज्य खरीद प्रकोष्ठ जो कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित तय की गई दर संविदाओं के आधार पर अनुमोदित आपूर्तिकर्त्ताओं को आपूर्ति आदेश जारी करेगा। सितम्बर 2017 में, राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा मौजूदा दर संविदा को अंतिम रूप दिया गया था, को समाप्त करने का निर्णय लिया।

राज्य खरीद प्रकोष्ठ कार्यपालकों जैसे कि अधीक्षक, परामर्शदाता (खरीद), वरिष्ठ सहायक/ सहायक, फार्मासिस्ट, डाटा एंटरी ऑपरेटर, इत्यादि की तैनाती न होने के कारण क्रियाशील नहीं बनाया जा सका। विभाग 66 अधिसूचित आवश्यक औषधियों एवं उपभोज्यों हेतु दर संविदा को अंतिम रूप नहीं दे सका तथा इसके बजाय विभिन्न स्तरों के स्वास्थ्य संस्थानों में 43 तथा 330 के मध्य सूची का विस्तार (सितम्बर 2017) कर दिया। तत्पश्चात, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को केन्द्रीय लोक क्षेत्र उद्यमों, *जन औषधि* भण्डारों, फर्मों जिनकी दर संविदा संस्थानों जैसे इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं अस्पताल/ केन्द्रीय राज्य बीमा निगम के साथ अंतिम की गई हो अथवा ऐसे मामले जिनमें ये मदें इन स्रोतों में उपलब्ध नहीं हैं, खुली निविदा के माध्यम से निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा जारी किए गए (अक्तूबर 2017) अनुदेशानुसार आवश्यक औषधियों एवं उपभोज्यों की खरीद करना था।

खण्ड चिकित्सा अधिकारियों/ सिविल चिकित्सालयों/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के स्तर पर अपेक्षित 216 आवश्यक औषधियों एवं उपभोज्यों में से 68 (चम्बा), 145 (कांगड़ा), 112 (कुल्लू) तथा 137 (मण्डी) सम्बंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा औषधियों एवं उपभोज्यों की खरीद नहीं की जा सकी। अंचल चिकित्सालय/ क्षेत्रीय चिकित्सालय के स्तर पर अपेक्षित 330 आवश्यक औषधियों एवं उपभोज्यों में से 48 (चम्बा), 196 (कांगड़ा), 131 (कुल्लू) तथा 140 (मण्डी) औषधियों एवं उपभोज्यों की खरीद नहीं की जा सकी।

अतः, दर संविदा को अंतिम रूप न देने तथा अनुमोदित स्रोतों से औषधियों एवं उपभोज्यों की अनुपलब्धता के कारण आवश्यक औषधियों एवं उपभोज्यों को विलम्ब/ खरीद न करने के परिणामस्वरूप विभिन्न नमूना-जांचित क्षेत्रीय इकाइयों में आवश्यक औषधियों एवं उपभोज्यों की अनुपलब्धता रही (परिच्छेद 3.6.3.6)।

निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया (अगस्त 2019) कि अनुमोदित स्रोतों में इन औषधियों की अनुपलब्धता तथा कोडल औपचारिकताओं को पूर्ण करने में समय लगने के कारण आवश्यक औषधियों की खरीद नहीं की जा सकी।

सिफारिश: *राज्य सरकार दर संविदा को अंतिम रूप देने के मामले का समाधान कर सकती हैं ताकि आवश्यक औषधियों की खरीद में विलम्ब न हो/ बाधित न हो।*

3.6.3.4 मांग एवं इन्डेंट के अनुसार औषधियों एवं उपभोज्यों को जारी न करना

निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं के अनुदेशानुसार (मई 2015), क्षेत्रीय इकाइयों से प्राप्त मांग को जिला स्तर पर विचार एवं समेकित करके आपूर्ति आदेश जिला स्तर पर दिए जाएंगे। जिला स्टोर से आपूर्ति की प्राप्ति के पश्चात औषधियों एवं उपभोज्यों को क्षेत्रीय इकाइयों को उनकी इन्डेंट के अनुसार जारी किया जाना था।

चौबीस नमूना-जांचित क्षेत्रीय इकाइयों (**परिशिष्ट-3.2**) को जिला स्टोर से जारी औषधियों (कांगड़ा: 35, चम्बा: 20, मण्डी: 20 तथा कुल्लू: 54) के सम्बंध में 2016-18 की अवधि के अभिलेखों की छानबीन से मांग के प्रति औषधियों को कम जारी करने, अधिक जारी करने तथा न जारी करने के मामलों के दृष्टांत उद्घाटित हुए, जैसा कि निम्न विवरणित है:

- एक से 16 औषधियों के सम्बंध में, 21 क्षेत्रीय इकाइयों को 37,12,894 की मांग की गई मात्रा के प्रति 14,16,819 की मात्रा जारी करने के परिणामस्वरूप 22,96,075 की मात्रा (62 *प्रतिशत*) कम जारी की गई। क्षेत्रीय इकाई वार कम जारी की गई मात्रा 22 से 98 *प्रतिशत* के मध्य थी।
- एक से छः औषधियों के सम्बंध में, यह पाया गया कि नौ क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा 6,42,080 मात्रा की मांग के प्रति इन इकाइयों को कोई मात्रा जारी नहीं की गई।
- एक से नौ औषधियों के सम्बंध में, 8,10,175 मात्रा की मांग के प्रति 15 क्षेत्रीय इकाइयों को 13,33,034 मात्रा जारी करने के परिणामस्वरूप 5,22,859 (65 *प्रतिशत*) मात्रा अधिक जारी की गई। क्षेत्रीय इकाई वार अधिक जारी की गई मात्रा 10 से 669 *प्रतिशत* के मध्य[39] थी।
- एक से तीन औषधियों के सम्बंध में, चार क्षेत्रीय इकाइयों को बिना मांग के 96,430 मात्रा जारी की गई।

जिला स्टोर से क्षेत्रीय इकाइयों को औषधियां जारी करने में कमियां मुख्य चिकित्सा अधिकारियों तथा क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा अवैज्ञानिक मांग के निर्धारण तथा दर संविदा को अंतिम रूप न देने (परिच्छेद 3.6.3.1 तथा 3.6.3.3) के कारण थीं।

[39] मांग मात्रा के 10 *प्रतिशत* जारी मात्रा के विचलन पर कोई टिप्पणी नहीं की गई।

इसके अतिरिक्त, नमूना जांचित चार जिलों में 33 इन्डेंटस (**परिशिष्ट-3.3**) की जांच की गई जिसमें कुल 910 औषधियों की मांग की गई थी। यह पाया गया, कि 910 मांगी गई औषधियों में से, 346 औषधियां क्षेत्रीय इकाइयों को आपूरित नहीं की गई। 62 औषधियों के सम्बंध में, 2,77,283 मात्रा की औषधियों की अल्प आपूर्ति की गई (4,60,220 मात्रा की मांग के प्रति 1,82,937 मात्रा की आपूर्ति की गई)। 21 औषधियों के सम्बंध में, औषधियों की 40,755 मात्रा की अधिक आपूर्ति की गई (73,540 मात्रा की मांग के प्रति 1,14,295 मात्रा की आपूर्ति की गई)।

मांग के प्रति औषधियों को कम जारी करने तथा जारी न करने के प्रचलन के कारण औषधियां अल्प अथवा अनुपलब्ध रहीं जबकि औषधियों के अधिक जारी करने तथा बिना मांग के जारी करने के प्रचलन से औषधियों की प्रयुक्ति नहीं हुई एवं उपयोग की तिथि समाप्त हुई (परिच्छेद 3.6.3.6 से 3.6.3.8)।

निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया (अगस्त 2019) कि क्षेत्रीय इकाइयों को औषधियों एवं उपभोज्यों को मांग तथा जिला स्टोर में मदों की उपलब्धता के अनुसार जारी किया गया था। आगे यह बताया कि औषधियां जो उपयोग होने की तिथि की समाप्ति पर थी, की खपत प्राथमिकता के आधार पर की जा रही थी।

3.6.3.5 जारी और प्राप्त मात्रा के बीच विसंगतियां

जिला/ खण्ड स्टोरों द्वारा विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों को जारी की जाने वाली औषधियों एवं उपभोज्यों को सम्बंधित स्टॉक रजिस्टरों में विधिवत दर्ज तथा अभिलिखित किया जाना चाहिए, साथ ही सम्बंधित स्टोरों के प्रभारी अधिकारी प्रमाणित करते हैं कि मदों को विधिवत जारी/ प्राप्त किया गया है।

29 नमूना-जांचित क्षेत्रीय इकाइयों[40] के स्टॉक रजिस्टरों का कांगड़ा एवं कुल्लू जिला के जिला/ खण्ड स्टोरों के स्टॉक रजिस्टरों के प्रति-सत्यापन से निम्नवत् उद्घाटित हुआ:

- 57 औषधियों एवं उपभोज्यों हेतु 0.51 लाख की मात्रा (लागत ₹ 0.34 लाख) को जारी करने वाली इकाइयों के अभिलेखों में जारी किया गया दर्शाया गया, जबकि 16 नमूना-जांचित प्राप्त करने वाली इकाइयों के अभिलेखों में कोई भी मात्रा प्राप्त, नहीं दर्शाई गई थी। दो औषधियों (कैप्स्यूल डॉक्सीसाइक्लिन: 14,400 मात्रा लागत ₹ 0.10 लाख, तथा असाइक्लेयिर गोली 800 मिली ग्राम: 5,000 मात्रा लागत ₹ 0.15 लाख) के मामले में यह विसंगति विशेषतया उच्च थी।
- 70 औषधियों एवं उपभोज्यों हेतु, 25 नमूना-जांचित प्राप्त करने वाली इकाइयों के अभिलेखों में प्राप्त मात्रा, जारी करने वाली इकाइयों के अभिलेखों में जारी मात्रा से 1.08 लाख (लागत ₹ 0.42 लाख) तक कम दर्शायी गयी थी।
- 33 औषधियों एवं उपभोज्यों हेतु, 16 नमूना जांचित प्राप्त करने वाली इकाइयों के अभिलेखों में प्राप्त मात्रा जारी करने वाली इकाइयों के अभिलेखों में जारी मात्रा से 0.31 लाख (लागत ₹ 0.14 लाख) अधिक दर्शायी गयी थी।

अत: जिला/ खण्ड स्तर से जारी औषधियों एवं उपभोज्यों की मात्रा तथा क्षेत्रीय इकाई स्तर पर प्राप्त मात्रा में विसंगतियां थीं जो कि त्रुटिपूर्ण भण्डारण/ स्टॉक प्रबंधन का परिचायक था।

निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया (अगस्त 2019) कि मामले की जांच की जा रही है तथा तद्नुसार आवश्यक उपाय किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, भविष्य में वस्तुसूची प्रबंधन के माध्यम से विसंगतियों के मिलान हेतु निर्देश जारी कर दिए थे।

---

40 क्षेत्रीय चिकित्सालय: 01; सिविल चिकित्सालय: 01; सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र: 02; खण्ड चिकित्सा अधिकारी: 01; प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र: 05 तथा स्वास्थ्य उप केन्द्र: 19।

3.6.3.6 आवश्यक औषधियों की अनुपलब्धता

राज्य सरकार की अधिसूचनानुसार (जनवरी 2016) सभी स्वास्थ्य संस्थानों में 66 आवश्यक औषधियां नि:शुल्क उपलब्ध करवानी थीं; इसे राज्य सरकार की अधिसूचना (सितम्बर 2017) के द्वारा संशोधित किया गया जिसमें नियत है कि विभिन्न स्तरों[41] पर स्थित स्वास्थ्य संस्थानों में 43 तथा 330 के बीच औषधियां मुफ्त उपलब्ध करवानी थीं। निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने अनुदेश दिए (फरवरी 2016) कि सभी स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा आवश्यक औषधियों का बफर स्टॉक बनाए रखा जाना चाहिए।

तथापि, विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों में आवश्यक औषधियों एवं उपभोज्यों की अनुपलब्धता ध्यान में आई जैसाकि निम्न **तालिका- 3.6.1** में विवरणित है:

तालिका-3.6.1: नमूना-जांचित इकाइयों में आवश्यक औषधियों की अनुपलब्धता का विवरण (2015-18)

संस्थान की श्रेणी		अपेक्षित (2016 की अधिसूचनानुसार)	उपलब्ध नहीं	अपेक्षित (2017 की अधिसूचनानुसार)	उपलब्ध नहीं
प्रशासनिक मुखिया	कार्यकारी मुखिया				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	66	7-40 (11-61)	216	50-169 (23-78)
	चिकित्सा अधीक्षक, आंचलिक चिकित्सालय/ क्षेत्रीय चिकित्सालय	66	3-4 (5-6)	330	122-196 (37-59)
खण्ड चिकित्सा अधिकारी	खण्ड चिकित्सा अधिकारी	66	5-53 (8-80)	216	109-195 (50-90)
	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (सिविल चिकित्सालय)	66	6-8 (9-12)	216	85-183 (39-85)
	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र)	66	9-47 (14-71)	216	78-139 (36-64)
	चिकित्सा अधिकारी (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र)	66	8-47 (12-71)	106	14-95 (13-90)
	स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (स्वास्थ्य उप-केन्द्र)	66	9-58 (14-88)	43	9-36 (21-84)

कोष्ठक के आंकड़े प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

यह पाया गया कि विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में तीन से 58 औषधियां एवं उपभोज्य एक से 27 महीने के मध्य (2016 की अधिसूचना के संदर्भ में) की अवधि में उपलब्ध नहीं थे; तथा नौ से 196 औषधियों एवं उपभोज्य एक से छ: महीने (2017 की अधिसूचना के संदर्भ में) तक उपलब्ध नहीं थे।

आगे यह देखा गया कि नमूना-जांचित चार जिला भण्डारों में से किसी में भी बफर स्टॉक का भण्डारण नहीं किया गया था, जिससे समाप्त हो चुकी औषधियों एवं उपभोज्यों की मांग उठने की स्थिति में जिला भण्डार क्षेत्रीय इकाई में स्टॉक को पुन: पूर्ति करने में स्पष्टत: असमर्थ रहा।

41 अंचल/ क्षेत्रीय चिकित्सालय, सिविल चिकित्सालय/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा स्वास्थ्य उप केन्द्र स्तर पर क्रमश: 330, 216, 106 तथा 43 औषधियों एवं उपभोज्यों को नि:शुल्क में प्रदान किया जाना था।

रोगियों पर आवश्यक औषधियों की अनुपलब्धता का प्रभाव जानने के लिए लेखापरीक्षा द्वारा चयनित चार जिलों की 11 क्षेत्रीय इकाइयों में सर्वेक्षण (अप्रैल-मई 2018) किया गया। जिला स्तर इकाइयों में अर्थात् अंचल चिकित्सालयों, कांगड़ा एवं मण्डी, तथा क्षेत्रीय चिकित्सालयों कुल्लू एवं चम्बा में 1,415 सर्वेक्षण किए गए रोगियों में से 486 रोगियों (34 प्रतिशत) को आवश्यक औषधियां प्रदान नहीं की गई थीं। खण्ड एवं निम्न स्तर इकाइयों में अर्थात् सिविल चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा स्वास्थ्य उप-केन्द्रों में सर्वेक्षण किए गए, 742 रोगियों में से 274 रोगियों (37 प्रतिशत) को आवश्यक औषधियां प्रदान नहीं की गई थीं।

निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया (अगस्त 2019) कि हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के साथ सितम्बर 2017 में दर संविदा को निरस्त कर दिया था एवं तत्पश्चात नई दर संविदा में कोडल औपचारिकताएं पूरा करने में प्रक्रियात्मक विलम्ब था।

3.6.3.7 औषधियों एवं उपभोज्यों का उपयोग न करना

मांग निर्धारण प्रणाली में त्रुटियां तथा इंडेंट/ मांग के अनुसार औषधियों एवं उपभोज्यों को जारी न करने के प्रचलन के परिणामस्वरूप औषधियां एवं उपभोज्य बड़ी मात्रा में अप्रयुक्त पड़े रहे।

- 2016-18 के दौरान अंचल चिकित्सालय, मण्डी में पांच औषधियों (कफ सिरप एक्सपेक्टोरेण्ट, इंजेक्शन सेपोफ-टी 1.125 मिली ग्राम, संस्पेशन एल्वेन्डाजोल, डुओलिन रेसपियूलज तथा फेटल डॉपलर) जिनकी पर्याप्त मात्रा (48,806) भण्डार में उपलब्ध थी, के बाबजूद बिना आवश्यकता के स्थानीय स्तर पर 40,765 मात्रा की खरीद की गई थी (अक्तूबर 2016-नवम्बर 2017)। इन औषधियों में से 62,365 की मात्रा को वितरित किया गया जबकि 27,206 की मात्रा अप्रैल 2018 तक अप्रयुक्त रही। इसके अतिरिक्त, छः इंजेक्शन (मात्रा: 5,000) इनकी प्राप्ति (फरवरी 2017-नवम्बर 2017) से अप्रयुक्त पड़े रहे, जो दर्शाता है कि ये औषधियां बिना आवश्यकता से खरीदी गईं। इन अप्रयुक्त औषधियों एवं उपभोज्यों की कुल लागत ₹ 30.14 लाख थी।
- 2016-18 के दौरान तीन[42] क्षेत्रीय इकाइयों ने, आठ औषधियों (गोली कोट्रीमजोल, गोली सफट्राईएक्सजोन, इंजेक्शन जाईलोकेन ईडरालीन, इंजेक्शन मैक्स पी0टी0 4.5 मिली ग्राम, इंजेक्शन विटमिन के, इन्जेक्शन डेक्सट्रोज 5%, इन्जेक्शन ऐविल एवं आई0/ वी0एन0एस0) की जिला स्टोर से मांग एवं प्राप्त की गई (मात्रा: 8,657) जबकि इन औषधियों का स्टोर में पर्याप्त स्टॉक (मात्रा: 3,587) उपलब्ध था। इन औषधियों की 3,675 मात्रा को वितरित कर दिया गया था जबकि मई 2018 तक चार से 21 महीने तक ₹ 1.61 लाख की 8,569 मात्रा अप्रयुक्त रही। सितम्बर 2018 तथा नवम्बर 2018 के मध्य इन औषधियों के उपयोग की तिथि समाप्त होनी थी। सम्बंधित क्षेत्रीय इकाइयों ने बताया (अप्रैल-मई 2018) कि अधिक स्टॉक होने के कारण जिला स्टोर ने औषधियों को जारी कर दिया था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चम्बा ने बताया (अगस्त 2018) कि सम्बद्ध स्वास्थ्य संस्थानों की स्टॉक स्थिति उपलब्ध नहीं थी एवं उन्होंने जिला स्टोर को स्टॉक स्थिति की सूचना नहीं दी।
- दो जिलों (चम्बा एवं मण्डी), में यह पाया गया कि 34,600 मात्रा की औषधियां (पेंटोप्राजोल इन्जेक्शन, मिजाप्रोस्टोल गोली एवं सिफोटेक्सईम इन्जेक्शन) जिला स्टोरों द्वारा पांच क्षेत्रीय इकाइयों[43] को बिना आवश्यकता/ इन्डेंटस के जारी (मार्च 2016-जुलाई 2017) की गई थी। परिणामत: क्षेत्रीय इकाइयों में ₹ 1.10 लाख की 22,400 औषधियां (65 *प्रतिशत*) आठ एवं 24 महीने के मध्य की अवधि के लिए अप्रयुक्त रही।

---

42 सिविल चिकित्सालय, डलहौजी; सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, किहाड़ तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोटला (जिला चम्बा)।

43 क्षयरोग चिकित्सालय चम्बा; सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सलूणी; सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चूरी; सिविल चिकित्सालय सुन्दरनगर तथा खण्ड चिकित्सा अधिकारी कोटली।

निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया (अगस्त 2019) कि आपूर्ति पिछले अनुभव एवं मौसमी बीमारियों के प्रकोप के अनुसार जारी की गई थी तथा दवाओं को वापस/ उपभोग किया गया था। इसके अतिरिक्त, अब मांग को औषधि और टीका वितरण प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है तथा बफर स्टॉक का रख-रखाव किया जा रहा है।

3.6.3.8 औषधियों एवं उपभोज्यों की उपयोग होने की तिथि समाप्ति

यद्यपि, औषधियों/ उपभोज्यों के उपभोग की समाप्ति की तिथि के बाद उपयोग करना असुरक्षित है, का कोई निर्णायक साक्ष्य नहीं है परंतु उनकी क्षमता घटने का जोखिम हो सकता है। अत: प्राप्ति इस तरीके से होनी चाहिए कि क्रय की गई मात्रा को उपयोग की तिथि की समाप्ति से पहले उपभोग किया जा सके।

तीन जिलों (चम्बा, कुल्लू एवं मण्डी) में यह देखा गया कि ₹ 13.43 लाख[44] की 66 औषधियां एवं उपभोज्य (मात्रा: 20,79,877 ग्लूकोस्ट्रिप सहित) 18 क्षेत्रीय इकाइयों में दो से 36 महीने तक अप्रयुक्त रहने के परिणामस्वरूप उनके उपयोग की तिथि समाप्त हो गई थी। यह इस तथ्य का परिचायक था कि इन मदों को बिना आवश्यकता के खरीद/ प्राप्त किया गया था। आगे यह देखा गया कि ₹ 0.58 लाख की 17 औषधियों एवं उपभोज्यों (मात्रा: 13,071) का चार[45] क्षेत्रीय इकाइयों ने उपयोग की समाप्ति की तिथि के उपरांत उपभोग किया। जिला कुल्लू में 1,891 ग्लूकोस्ट्रिप का तिथि समाप्त[46] होने के उपरांत भी 20 महीने की अवधि तक लगातार उपयोग किया गया। अत: 18 नमूना-जांचित इकाइयों में ₹ 13.43 लाख मूल्य की औषधियां एवं उपभोज्य दो से 36 महीनों के लिए अप्रयुक्त रहे जिसकी वजह से उनके उपयोग की तिथि समाप्त हो गई।

निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया (अगस्त 2019) कि भविष्य में आवश्यक सावधानियां बरती जाएंगी।

3.6.3.9 खरीद में अनियमितताएं

(i) नॉन-जैनेरिक औषधियों की खरीद

राज्य औषधि नीति (1999) तथा निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं के अनुदेश (अक्तूबर 2016) केवल जैनेरिक औषधियों की खरीद को नियत करते हैं।

यह पाया गया कि 2016-18 के दौरान अंचल चिकित्सालय, मण्डी ने स्थानीय आपूर्तिकर्त्ताओं से ₹ 1.75 करोड़ की गैर-जैनेरिक औषधियां, जैनेरिक औषधियों की पर्याप्त मात्रा तथा अनुमोदित स्त्रोतों पर औषधियां होने के बावजूद क्रय की। ₹ 30.14 लाख मूल्य की औषधियां मार्च 2018 तक अप्रयुक्त रही जिसमें से ₹ 1.33 लाख मूल्य की औषधियों की उपयोग की तिथि समाप्त हो गई थी। जैनरिक औषधियों की कीमत पर नॉन जैनेरिक औषधियों को खरीदने के परिणामस्वरूप ₹ 12.78 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ, जिसका उपयोग अन्य आवश्यक वस्तुओं पर किया जा सकता था।

---

44 क्षेत्रीय चिकित्सालय, कुल्लू: ₹ 2.32 लाख (6,279); अंचल चिकित्सालय, मण्डी: ₹ 1.33 लाख (10,783); लेपरोसी चिकित्सालय, चम्बा: ₹ 0.03 लाख (2,150); सिविल चिकित्सालय, डलहौजी: ₹ 0.20 लाख (1,672); खण्ड चिकित्सा अधिकारी, किहाड़: ₹ 3.69 लाख (3,08,397); खण्ड चिकित्सा अधिकारी, नग्गर: ₹ 4.97 लाख (17,24,500); सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जरी: ₹ 0.01 लाख (9,455); सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, किहार: ₹ 0.01 लाख (1,800); प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भुंतर: ₹ 0.01 लाख (221); प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गड़सा: ₹ 0.01 लाख (2,719); प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डियूर: ₹ 0.17 लाख (1,076); प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हुनेरा: ₹ 0.03 लाख (230) तथा ग्लूकोस्ट्रिपस खण्ड चिकित्सा अधिकारी, जरी: ₹ 0.35 लाख (6,100); स्वास्थ्य उप केन्द्र, धारा: ₹ 0.09 लाख (1,502); स्वास्थ्य उप केन्द्र, बराधा: ₹ 0.08 लाख (555); स्वास्थ्य उप केन्द्र, बरशैणी: ₹ 0.05 लाख (958); स्वास्थ्य उप केन्द्र, महीश: ₹ 0.05 लाख (900) तथा स्वास्थ्य उप केन्द्र, पीरड़ी: ₹ 0.03 लाख (580)।

45 क्षेत्रीय चिकित्सालय, कुल्लू: ₹ 0.57 लाख (5,613); सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जरी: ₹ 0.01 लाख (7,420); प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भुंतर: ₹ शून्य (29) तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गड़सा: ₹ शून्य (09) जिला कुल्लू।

46 स्वास्थ्य उप केन्द्र, धारा: 292; स्वास्थ्य उप केन्द्र, बराधा: 79; स्वास्थ्य उप केन्द्र, बरशैणी: 40; स्वास्थ्य उप केन्द्र, महीश: 900 तथा स्वास्थ्य उप केन्द्र, पीरड़ी: 580

चिकित्सा अधीक्षक, अंचल चिकित्सालय, मण्डी ने बताया (मई 2018) कि अनुमोदित आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा विलम्ब से आपूर्ति करने, विशेषज्ञ चिकित्सों द्वारा नॉन-जैनरिक औषिधियां लिखने तथा विभिन्न वार्डों की मांग के अनुसार औषधियों की खरीद स्थानीय आपूर्तिकर्त्ताओं से किया गया था।

(ii) निविदा/ कोटेशन के बिना अनियमित खरीद

राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों में नियत है कि रोगी कल्याण समिति द्वारा ₹ 2000/- से अधिक कीमत की वस्तुओं की खरीद निविदा आमंत्रित किए बिना नहीं की जा सकती, तथा ऐसी कुल खरीद एक वर्ष में ₹ 50,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।

क्षेत्रीय चिकित्सालय चम्बा, क्षेत्रीय चिकित्सालय कुल्लू तथा अंचल चिकित्सालय धर्मशाला की रोगी कल्याण समिति के अभिलेखों की छानबीन में देखा गया कि इन चिकित्सालयों ने 2015-18 के दौरान निविदा आमंत्रित किए बिना अथवा कोडल औपचारिकताओं का अवलोकन किए बिना स्थानीय हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम की दुकानों से ₹ 5.27 करोड़ लागत की नॉन-जैनरिक औषधियों एवं उपभोज्यों की खरीद की। इस संदर्भ में, यह पाया गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम की दुकानों द्वारा अधिकतम खुदरा मूल्य पर केवल 10 *प्रतिशत* तक छूट दी गई जबकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी मण्डी ने इसी अवधि के दौरान स्थानीय आपूर्तिकर्त्ताओं से निविदा आंमत्रित करने के उपरांत 40 तथा 83 *प्रतिशत* के मध्य छूट प्राप्त की थी।

अत: हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम की दुकानों से निविदा आमंत्रित किए बिना औषधियों की प्रत्यक्ष खरीद न केवल अनुदेशों का उल्लंघन था अपितु स्वास्थ्य संस्थान अधिक प्रतिस्पर्धात्मक दरों के लाभ से भी वंचित हुए।

निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया (अगस्त 2019) कि डॉक्टरों की पर्ची के अनुसार औषधियां खरीदी गईं तथा भविष्य में विभिन्न योजनाओं के तहत औषधियों की दैनिक आधार पर खरीद की रीति को स्थगित किया जाएगा।

(iii) दर संविदा से अधिक भुगतान

हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा अंतिम रूप दी गई दर संविदा (मई 2015) की शर्तों के अनुसार अंतिम दरें औषधियों को तय स्थान तक पहुंचाने के लिए है जिसमें सभी कर शामिल है, तथा कोई कर अथवा अन्य प्रभार इन दरों के ऊपर भुगतान नहीं किए जाएंगे।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कुल्लू ने फरवरी-मार्च 2016 में नौ औषधियों की खरीद के लिए पांच आपूर्ति आदेश दिए, जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा अंतिम रूप दी गई दरों से अधिक थे, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 12.46 लाख का अधिक भुगतान हुआ।

निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया (अगस्त 2019) कि इस मुद्दे को हल करने के लिए मामला सम्बंधित फर्मों के साथ उठाया जाएगा।

3.6.3.10 गुणवत्ता नियंत्रण

रोगियों को प्रदान करने के लिए औषधियों की मानक गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली महत्त्वपूर्ण है। राज्य औषधि नीति (1999) गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने एवं श्रेष्ठ औषधियों के वितरण की परिकल्पना करती है। तथापि, नमूना-जांच में निम्नवत् कमियां उद्घाटित हुई:

(i) अनुवर्ती जांच हेतु आपूर्ति के समय औषधियों के नमूनों का चयन न करना

निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं के अनुदेशों (मई 2015) में निर्धारित है कि प्रत्येक बैच की आपूर्ति से नमूनों की आपूर्ति/ वितरण/ भण्डारण के समय चयन करना था तथा जांच हेतु सरकार द्वारा सूचीबद्ध प्रयोगशालाओं में भेजना था।

चार नमूना-जांचित मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के अभिलेखों की छानबीन से उद्घाटित हुआ कि नमूनों की जांच/ गुणवत्ता नियंत्रण की निर्धारित प्रणाली पूर्णतः अक्रियाशील थी क्योंकि सम्बंधित जिला स्टोरों के स्टोर प्रभारियों ने आपूर्ति के समय अनुवर्ती जांच हेतु नमूने नहीं लिए थे।

विभाग गुणवत्ता मानकों के अनुरूप रोगियों को वितरित की जा रही औषधियों की नियत जांच को सुनिश्चित नहीं कर रहा था।

निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया (अगस्त 2019) कि ड्रग्स निरीक्षकों द्वारा यादृच्छिक नमूना लिया जा रहा था तथा आपूर्तिकर्त्ता के विश्लेषण परीक्षण रिपोर्ट के साथ औषधियां प्राप्त की गई थीं। इसके अतिरिक्त, प्रयोगशालाओं के सूचीबद्ध की प्रक्रिया चल रही थी।

(ii) जांच रिपोर्ट का विलम्ब से प्राप्त करना/प्राप्त न करना तथा घटिया औषधियों का उपभोग

ड्रग निरीक्षक शिकायत प्राप्त होने अथवा आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण रिपोर्टों की जांच के उपरांत यादृच्छिक आधार पर नमूने ले रहे थे। नमूनों को संयुक्त जांच प्रयोगशाला, कण्डाघाट तथा एक सूचीबद्ध प्रयोगशाला चण्डीगढ़ में भेजा जा रहा था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि प्रयोगशाला से जांच रिपोर्टों की प्राप्ति हेतु कोई समय अवधि नियत नहीं की गई थी तथा जांच रिपोर्टों की प्राप्ति होने तक औषधियों को जारी करने/ वितरण को रोकने हेतु कोई अनुदेश जारी नहीं किए गए थे।

2013-18 के दौरान, ड्रग निरीक्षकों द्वारा जांच हेतु 417 नमूने लिए गए थे, जिसमें से 15 नमूनों को (चार *प्रतिशत*) "मानक गुणवत्ता अनुसार नहीं" घोषित किया गया। इन नमूनों की जांच रिपोर्टें एक से 39 महीने के उपरांत प्राप्त हुई। 116 नमूनों की जांच रिपोर्टें (एक वर्ष से अधिक से संग्रहित) मार्च 2018 तक प्राप्त नहीं हुई थीं। उपर्युक्त मामलों में औषधियों को पहले ही जारी/ वितरित किया जा चुका था।

इसी प्रकार, अंचल चिकित्सालय, मण्डी तथा क्षेत्रीय चिकित्सालय, चम्बा द्वारा शिकायत के उपरांत, मार्च 2016 तथा मार्च 2017 के मध्य खरीदी गई चार औषधियों के नमूने लिए गए थे तथा जांच (अगस्त 2016 तथा जनवरी 2018) हेतु भेजे गए थे। तथापि, आपूरित औषधियों की जांच रिपोर्टें जिन्हें घटिया घोषित किया गया था, दो से चार महीने के विलम्ब के साथ 2017-18 में प्राप्त हुई, तथा इसी बीच इन घटिया औषधियों की 0.84 लाख मात्रा रोगियों को जारी की जा चुकी थी।

प्रयोगशालाओं द्वारा नमूनों की जांच तथा रिपोर्ट भेजने में विलम्ब के साथ-साथ जांच रिपोर्ट का इंतजार किए बिना औषधियों को जारी करने के प्रचलन का अर्थ है कि रोगियों को घटिया औषधियां वितरित की जा रही थी।

निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने तथ्यों को स्वीकार किया (अगस्त 2019) तथा बताया कि निर्देशों के अनुसार नमूनों का परीक्षण अभी तक प्रयोगशालाओं को सूचीबद्ध न होने के कारण नहीं अपनाया गया था जिसके लिए निविदा प्रक्रिया चल रही थी।

सिफारिशः *विभाग वर्तमान में प्रयोग की जा रही प्रयोगशालाओं में क्षमता की कमी को देखते हुए समर्पित औषधि जांच प्रयोगशाला की स्थापना अथवा प्रमाणित निजी औषधि जांच प्रयोगशालाओं को सूचीबद्ध करने पर विचार कर सकती है।*

(iii) स्टॉक का सामान्य तापमान (रूम टेम्परेचर) पर अनुरक्षण न करना

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा "आवश्यक औषधियों एवं अन्य स्वास्थ्य पदार्थों के भण्डारण" हेतु जारी दिशा-निर्देशों में बताया गया है कि औषधियों के लिए अलग-अलग तापमान की आवश्यकता है तथा अधिकतर औषधियों को सामान्य तापमान (15-25 डिग्री सेल्सियस) पर स्टोर किए जाने की आवश्यकता है। अत: गुणवत्ता बनाए रखने की दृष्टि से औषधियों के लिए उपयुक्त भण्डारण सुनिश्चित करना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा द्वारा स्टोर के भौतिक निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि चार नमूना-जांचित जिला स्टोरों में से तीन (अर्थात् कांगड़ा के अतिरिक्त) में आपूर्ति को सामान्य कमरों में इक्कठ्ा करके तापमान की किसी प्रणाली अथवा आर्द्रता नियंत्रण/ अनुरक्षण के बिना रखा गया था, जिसके अभाव में, विभिन्न औषधियों एवं उपभोज्यों का भण्डारण दिशा-निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित नहीं किया जा सका। अत: अनुपयुक्त तापमान/ आर्द्रता के संभावित हानिकारक प्रभावों के कारण औषधियों एवं उपभोज्यों की क्षमता खो देने अथवा क्षतिग्रस्त होने का जोखिम था।

निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया (अगस्त 2019) कि निर्देशों के अनुसार अधिकांश औषधियों एवं उपभोज्यों को 25 डिग्री से नीचे के परिवेश के तापमान में रखा गया था, जबकि इन्जेंकशन तथा टीके डी-फ्रिजर में रखे गए थे। तथापि, लेखापरीक्षा ने ऐसे दृष्टान्तों को देखा जिनमें औषधियों को बिना किसी तापमान या आर्द्रता नियंत्रण के सामान्य कमरों में इक्कठ्ा कर दिया गया था।

3.6.3.11 आंतरिक नियंत्रण

(i) स्टॉक रजिस्टर में विस्तृत सूचना का अनुरक्षण न करना

अंचल चिकित्सालय/ क्षेत्रीय चिकित्सालय, सिविल चिकित्सालय/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में फार्मासिस्ट, तथा स्वास्थ्य उप-केन्द्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता, स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक रखने एवं अनुरक्षण हेतु जिम्मेदार हैं। 78 क्षेत्रीय इकाइयों के स्टॉक रजिस्टरों की नमूना-जांच में देखा गया कि 28 क्षेत्रीय इकाइयों[47] में, औषधियों एवं उपभोज्यों का विस्तृत विवरण (बैच नम्बर, विनिर्माण की तिथि, समाप्ति की तिथि, दर आदि) को दर्ज/ अनुरक्षित नहीं किया गया था, जिसके अभाव में मदों के विभिन्न बैचों की समाप्ति की तिथियों को सुनिश्चित करना कठिन था जिससे उनकी समाप्ति का जोखिम था। यह पाया गया कि 2015-18 के दौरान खण्ड चिकित्सा अधिकारी, समोट (चम्बा जिला) में स्टॉक रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया था। इस संदर्भ में, यह देखा गया कि इन 28 क्षेत्रीय इकाइयों में से तीन (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौक, हुनेरा एवं नग्गर) में फार्मासिस्ट का पद खाली रहने के परिणामस्वरूप स्टॉक रखने में कमियां थीं।

निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया (अगस्त 2019) कि सम्बंधित संस्थानों को स्टॉक रजिस्टर को ठीक से बनाने हेतु आवश्यक निर्देश जारी कर दिए थे।

(ii) स्टॉक का भौतिक सत्यापन न करना

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009 के नियम 140 (2) में निर्धारित है कि सभी भण्डारों का भौतिक सत्यापन प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार करना चाहिए। अभिलेखों की नमूना जांच में देखा गया कि स्टोरों/ स्टॉक का भौतिक सत्यापन क्षेत्रीय चिकित्सालय, कुल्लू (2017-18); खण्ड चिकित्सा अधिकारी, नग्गर (2015-18); सिविल चिकित्सालय, मनाली (2015-18); तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गड़सा (2015-18) में नहीं किया गया था। अत: इन इकाइयों में स्टॉक रजिस्टरों के अनुसार मात्रा सुनिश्चित करने हेतु आवधिक जांच प्रणाली क्रियाशील नहीं थी।

---

47 खण्ड चिकित्सा अधिकारी, जरी; खण्ड चिकित्सा अधिकारी, नग्गर; सिविल चिकित्सालय, मनाली; प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नग्गर; प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भुंतर; प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गड़सा; स्वास्थ्य उप केन्द्र, महीस; स्वास्थ्य उप केन्द्र, सिओबाग; स्वास्थ्य उप केन्द्र, थेला; स्वास्थ्य उप केन्द्र, हुरला; स्वास्थ्य उप केन्द्र, शिया; स्वास्थ्य उप केन्द्र, नाजन; स्वास्थ्य उप केन्द्र, साचानी; खण्ड चिकित्सा अधिकारी, भवारना; सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भवारना; प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुलह; प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डरोह; स्वास्थ्य उप केन्द्र, परोर; स्वास्थ्य उप केन्द्र, कुरल; सिविल चिकित्सालय, डलहौजी; सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, किहार; प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हुनेरा; स्वास्थ्य उप केन्द्र, गुलेल; स्वास्थ्य उप केन्द्र, भींग; स्वास्थ्य उप केन्द्र, काहरी; स्वास्थ्य उप केन्द्र, होबर; प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धारांडा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौक।

निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया (अगस्त 2019) कि कुल्लू जिला में अपेक्षित भौतिक सत्यापन कर लिया गया था तथा भविष्य में सावधानियां बरती जाएगी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई टिप्पणियां नमूना-जांच पर आधारित है। विभाग/ सरकार ऐसे सभी मामलों की जांच तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई कर सकती है।

मशीनरी एवं उपकरण

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी भारतीय जन-स्वास्थ्य मानक स्वास्थ्य संस्थानों के विभिन्न स्तरों में उपलब्ध कराई जाने वाली आवश्यक मशीनरी एवं उपकरण की मदों को निर्धारित करते हैं। मशीनरी एवं उपकरणों की उपलब्धता, उपयोग और कार्यपद्धति की निगरानी के लिए क्षेत्रीय इकाइयों से रिपोर्टिंग की एक प्रणाली होनी चाहिए। मशीनरी एवं उपकरण के गैर-उपयोग या कम-उपयोग से बचने के लिए पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।

3.6.3.12 मांग निर्धारण की प्रणाली में कमियां

राज्य सरकार के अनुदेशों (नवम्बर 2010) के अनुसार, जिले की सभी क्षेत्रीय इकाइयों के लिए मशीनरी एवं उपकरण मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा प्रस्तुत मांग के आधार पर खरीदे जाने थे, जबकि छोटे उपकरण रोगी कल्याण समिति निधियों से चिकित्सा अधिकारियों द्वारा खरीदे जा सकते थे। उपर्युक्त के अतिरिक्त, निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं से जिला स्टोरों और क्षेत्रीय इकाइयों में उपकरण सीधे भी प्राप्त किए जा रहे थे।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि बहुत सी इकाइयों में निर्धारित प्रणाली कार्यात्मक नहीं थी; 78 नमूना-जांचित इकाइयों में से केवल 25 ने 2015-18 के दौरान समेकित मांग भेजी/ प्रस्तुत की थी।

मांग प्रस्तुत न करने की दृष्टि से, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को मांग निर्धारण हेतु एक वैकल्पिक प्रणाली को तैयार करना चाहिए था। उपलब्ध मशीनरी एवं उपकरणों के आवधिक रिपोर्टिंग की एक प्रणाली हो सकती थी, तथा मांग का निर्धारण भारतीय जन-स्वास्थ्य मानकों की आवश्यकता के अनुसार अपेक्षित मांग अंतर विश्लेषण प्रयोग के आधार पर किया जा सकता था।

यह पाया गया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने या तो स्वयं अपने स्तर पर अथवा मासिक बैठक के दौरान खण्ड चिकित्सा अधिकारियों के साथ चर्चा के आधार पर आपूर्ति आदेश जारी किए थे। तथापि, इस प्रचलन के परिणामस्वरूप मांग निर्धारण गलत किया जा रहा था, तथा लेखापरीक्षा ने आवश्कता के बिना खरीद, गैर-खरीद तथा क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा अनुपयोगी/ बेकार मदों की रिपोर्टिंग के दृष्टांत देखे जैसा कि आगामी परिच्छेदों में वर्णित है।

अत: 2015-18 के दौरान मशीनरी एवं उपकरणों के मांग निर्धारण की प्रणाली अक्रियाशील थी। इसके अतिरिक्त, स्टॉक के सामयिक रिपोर्टिंग की कोई प्रणाली नहीं थी जिससे मांग निर्धारण गलत हुआ।

निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया (अगस्त 2019) कि मांग निर्धारण हेतु उपयुक्त तंत्र स्थापित किया जाएगा तथा उपकरण वास्तविक मांग/ आवश्यकता के अनुसार प्रदान किए जाएंगे।

3.6.3.13 क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा मांग की गई मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद न करना

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मण्डी ने चार[48] क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा 42 मदों की मांग (जनवरी-फरवरी 2018) के बावजूद खरीद प्रक्रिया को प्रारम्भ करने की बजाय मार्च 2018 में ₹ 56.16 लाख (आवंटित कुल निधि ₹ एक करोड़ में से) बजट का अभ्यर्पण किया। इसी तरह, 2016-17 के दौरान 96 मदों की मांग हेतु, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कांगड़ा ने खरीद प्रक्रिया को प्रारम्भ नहीं किया तथा इसके बजाय मार्च 2017 में ₹ 30.10 लाख (आवंटित कुल निधि ₹ एक करोड़ में से) बजट का अभ्यर्पण कर दिया।

अत: मण्डी एवं कांगड़ा में क्षेत्रीय इकाइयों से मांग के बावजूद मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद पर बजट खर्च करने के बजाय बजट से ₹ 86.26 लाख का अभ्यर्पण किया गया।

---

48 खण्ड चिकित्सा अधिकारी कटौला तथा सिविल चिकित्सालय सुन्दरनगर, कोटली तथा गोहर।

वित्तीय वर्ष के अंत में बजट के अभ्यर्पण के लिए अनुमोदित स्रोतों की अनुपलब्धता तथा मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद के लिए उच्च अधिकारियों से दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं करने के कारण था क्योंकि राज्य उपार्जन प्रकोष्ठ कार्यशील नहीं हो पाया।

निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया (अगस्त 2019) कि कुछेक उपकरणों की खरीद हेतु निविदा प्रक्रिया को हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा शुरू किया गया था तथापि, नई क्रय नीति की शुरूआत (मार्च 2017) के कारण राज्य सरकार द्वारा इसे रद्द कर दिया गया था।

3.6.3.14 आवश्यक मशीनरी एवं उपकरणों की अनुपलब्धता

क्षेत्रीय इकाइयों में उपलब्ध मशीनरी एवं उपकरणों की स्थिति के सम्बंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आवधिक रिपोर्टिंग की किसी प्रणाली के अभाव के कारण आवश्यक मशीनरी एवं उपकरणों की अनुपलब्धता के दृष्टांत ध्यान में आए।

78 नमूना-जांचित क्षेत्रीय इकाइयों के अभिलेखों की छानबीन में पाया गया कि मार्च 2018 तक 22 क्षेत्रीय इकाइयों में आवश्यक मशीनरी एवं उपकरण (भारतीय जन-स्वास्थ्य मानक के संदर्भ में) उपलब्ध नहीं थे, जैसा कि निम्न **तालिका-3.6.2** में वर्णित है, परिणामस्वरूप रोगियों को सम्बद्ध सेवाओं/ सुविधाओं की कमी हुई।

तालिका-3.6.2: नमूना-जांचित इकाइयों में भारतीय जन-स्वास्थ्य मानकानुसार आवश्यक मशीनरी एवं उपकरण की अनुपलब्धता का विवरण

क्रमांक	मशीनरी/ उपकरण	संस्था का स्तर	संस्थाओं की संख्या	संस्थाओं के नाम
1.	अल्ट्रासोनोग्राफी	सिविल चिकित्सालय	2	डलहौजी तथा किहाड़
2.	हिस्टीरियोस्कोप	क्षेत्रीय चिकित्सालय	1	कुल्लू
3.	कोल्पोस्कोप	क्षेत्रीय चिकित्सालय	1	कुल्लू
4.	सक्शन उपकरण	सिविल चिकित्सालय	1	मनाली
5.	ऑपरेशन थिएटर टेबल	सिविल चिकित्सालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	5	मनाली (सिविल चिकित्सालय); डियूर, सुण्डला, हुनेरा तथा मोतला (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द)
6.	लेबर टेवल	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	4	डियूर, हुनेरा, मोतला तथा डरोह
7.	बाइनोक्यूलर माइक्रोस्कोप	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	4	ननॉवां, गोखडा, चौक तथा धारांडा
8.	ग्लूकोमीटर	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य उप-केन्द्र	6	गोखडा, चौक तथा धारंडा (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द); सैन-अलाथू, साइगलू तथा घुमानु (स्वास्थ्य उप-केन्द्र)
9.	ऑटोक्लेव	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	2	चौक तथा धारांडा
10.	म्यूकस सकर	स्वास्थ्य उप-केन्द्र	3	परोर, घनेटा तथा सलोह
11.	स्टेथोस्कोप	स्वास्थ्य उप-केन्द्र	1	शमशी
12.	भार-तोलन मशीन	स्वास्थ्य उप-केन्द्र	4	परोर, घनेटा, साइगलू तथा घुमानु
13.	रक्तचाप उपकरण	स्वास्थ्य उप-केन्द्र	2	साइगलू तथा घुमानु
14.	हिमोग्लोबिन जांच किट	स्वास्थ्य उप-केन्द्र	5	तांदी, सैन-अलाथू, साइगलू, घुमानु तथा कपाही

निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया (अगस्त 2019) कि उपकरण वास्तविक आवश्यकता तथा जनशक्ति की उपलब्धता के आधार पर प्रदान किए थे। तथापि, उपकरण भारतीय जन-स्वास्थ्य मानकों के अनुसार प्रदान किए जाने चाहिए थे।

3.6.3.15 बेकार मशीनरी एवं उपकरण

नमूना-जांचित क्षेत्रीय इकाइयों (**परिशिष्ट-3.4**) में बेकार/ निष्क्रिय/ अनुपयोगी मशीनरी एवं उपकरण के निम्नवत् दृष्टांत लेखापरीक्षा में पाए गए:

(i) नमूना-जांचित जिलों में ₹ 2.61 करोड़ की लागत के 24 मशीनरी एवं उपकरण जन-शक्ति के अभाव के कारण बेकार पड़े थे। इसमें ₹ 78.35 लाख मूल्य की नौ अल्ट्रासोनोग्राफी मशीनें (चार जिलों में 30 में से) एक से तीन वर्षों तक रेडियोलजिस्ट की तैनाती न करने के कारण बेकार पड़ी थी; ₹ 27.03 लाख मूल्य की 12 एक्स-रे मशीनें (चार जिलों में 70 में से) रेडियोग्राफर की तैनाती न होने के कारण एक से आठ वर्षों तक बेकार थी; सिविल चिकित्सालय, जयसिंहपुर में हाईकेयर इन्क्यूबेटर (₹ 1.41 करोड़) एवं वाटरबाथ (₹ 14.09 लाख); तथा सिविल चिकित्सालय, थुरल में फोटोथेरेपी उपकरण (₹ 0.53 लाख) तकनीकी स्टाफ की तैनाती न होने के कारण दो से तीन वर्षों तक बेकार पड़े थे।

(ii) नमूना-जांचित जिलों में ₹ 1.12 करोड़ मूल्य के 11 मशीनरी एवं उपकरण मई 2018 तक चार से 48 महीने की अवधि के मध्य खराब होने के कारण निष्क्रिय पड़े थे। इसमें अंचल चिकित्सालय धर्मशाला तथा क्षेत्रीय चिकित्सालय, चम्बा की दो सी0टी0 स्कैन मशीनें शामिल थीं जिसके संदर्भ में यह पाया गया कि रख-रखाव अनुबंध का नवीकरण नहीं किया गया था तथा सी0टी0 स्कैन सेवाओं को आऊटसोर्स किया गया था। सिविल चिकित्सालय, संधोल स्थित ऑटोमेटिड हीमोटोलॉजी एनालाईजर के मामले में यह देखा गया कि आपूर्ति दोषपूर्ण थी परंतु मद को बदला नहीं गया था। आगे यह भी पाया गया कि सम्बंधित स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा इन 11 खराब मदों की मरम्मत अथवा बदलने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। इन मदों के कार्य न करने के फलस्वरूप रोगी अभिप्रेत सुविधाओं से वंचित रहे।

(iii) अभिलेखों की छानबीन से देखा गया कि ₹ 19.01 लाख लागत की मशीनरी एवं उपकरणों की सात मदें[49] (कुल मात्रा: 53) मार्च 2018 तक इनके खरीदे जाने के आठ महीने तथा तीन वर्षों के मध्य की अवधि से नमूना जांचित तीन जिलों की विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों के स्टोर/ वार्ड में अप्रयुक्त पड़ी थीं जोकि इन मदों की आवश्यकता न होने का परिचायक था। इन मदों के अप्रचलन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता था, जिससे ₹ 19.01 लाख का व्यय निरर्थक रहा।

(iv) लेखापरीक्षा में पाया गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गंगथ (कांगड़ा जिला) में स्थापित (अगस्त-दिसम्बर 2014) न्यू बॉर्न सिक केयर तथा न्यू बॉर्न स्टेबलाईजेशन यूनिट, स्टाफ की तैनाती न करने के कारण अक्रियाशील थे जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2018 तक स्थापन की तिथि से तीन वर्षों से अधिक तक ₹ 4.82 लाख के मशीनरी एवं उपकरण अप्रयुक्त/ बेकार रहे।

(v) नमूना जांचित चार जिलों के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में मार्च 2018 तक तकनीशियनों की तैनाती न होने के कारण, 181 प्रयोगशालाओं में से 86[50] प्रयोगशालाएं (48 *प्रतिशत*) अक्रियाशील थीं। राज्य में संस्वीकृत संख्या 884 के प्रति केवल 263 (30 *प्रतिशत*) प्रयोगशाला तकनीशियन कार्यरत थे। प्रयोगशाला तकनीशियन का पद 46 प्रयोगशालाओं में तीन वर्षों से अधिक, चार प्रयोगशालाओं में दो वर्षों से अधिक तथा 36 प्रयोगशालाओं में एक वर्ष से अधिक समय से रिक्त था। राज्य सरकार दैनिक आधार पर नजदीक के स्वास्थ्य संस्थानों से प्रयोगशाला तकनीशियन की तैनाती पर विचार कर सकती है।

---

49 एक्स-रे: एक, चलायमान एक्स-रे: एक, एक्स-रे यूनिट दंत: एक, ऑक्सीजन कनस्नटरेटर: पांच, लेवर टेवल: एक, ड्रैसिंग ट्रॉली: 28 तथा स्ट्रेचर ट्रॉली: 16

50 चम्बा: 25; कांगड़ा: 24; कुल्लू: चार तथा मण्डी: 33

(vi) हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009, में निर्धारित है कि अनुपयोगी मदों का निपटारा शीघ्रातिशीघ्र करना चाहिए। नमूना जांच के दौरान यह देखा गया कि चम्बा, कुल्लू तथा मण्डी जिला में 1965-2016 के दौरान खरीदी गई ₹ 2.88 करोड़ की अनुपयोगी मशीनरी एवं उपकरण निपटान किए बिना तीन महीने से 13 वर्षों तक पड़े थे। सम्बधित प्राधिकारियों ने तथ्यों की पुष्टि की तथा बताया (अप्रैल-मई 2018) कि इन मदों के निपटान हेतु प्रयास किए जाएंगे।

अत: ₹ 3.97 करोड़ लागत के मशीनरी एवं उपकरण आवश्यकता न होने तथा/ अथवा तकनीकी स्टाफ की तैनाती न करने के कारण खराब अथवा अप्रयुक्त पड़े थे। प्रयोगशालाओं में तकनीकी स्टाफ की कमी के परिणामस्वरूप 48 *प्रतिशत* प्रयोगशालाएं अक्रियाशील रहीं।

क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों ने बताया कि ये उपकरण या तो बिना मांग के प्राप्त हुए या जनशक्ति की अनुपलब्धता/ संस्वीकृत पदों/ प्रशिक्षित कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण उपकरण प्रतिस्थापन से बेकार पड़े थे।

निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया (अगस्त 2019) कि प्रयोगशाला तकनीशियनों की भर्ती प्रक्रियाधीन थी तथा नि:शुल्क निदान पहल योजना के अंतर्गत आउटसोर्सिंग के लिए निविदा प्रक्रिया चल रही थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए मामले नमूना-जांच पर आधारित हैं। विभाग/ सरकार ऐसे सभी मामलों की जांच तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने पर विचार कर सकती है।

निष्कर्ष

नमूना जांच के दौरान औषधियों एवं उपभोज्यों तथा मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद की प्रणाली में निम्नवत् कमियां देखी गईं:

- मुख्य चिकित्सा अधिकारियों तथा विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा मांग निर्धारण तथा समेकन की प्रणाली न तो सही थी और न ही समयबद्ध; तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय इकाइयों को औषधियों एवं उपभोज्यों को जारी होने की प्रणाली मांग/ इन्डेंट के अनुसार नहीं थी; जिसमें औषधियों एवं उपभोज्यों के उपार्जन न करने, उपलब्ध न होने, कम जारी करने, जारी न करने, अधिक जारी करने, उपयोग न करने तथा औषधियों एवं उपभोज्यों के उपयोग की समाप्ति की ओर अग्रेषित करती है।
- आवश्यक औषधियों एवं उपभोज्यों की आपूर्ति हेतु दर संविदा को अंतिम रूप न देने के परिणामस्वरूप मदों की खरीद में विलम्ब तथा खरीद नहीं हुई
- विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा प्राप्त औषधियों की मात्रा तथा जारी की गई मात्रा में बहुत विसंगतियां थी जो या तो चोरी या घटिया स्टॉक प्रबंधन को दर्शाती है।
- गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली व्यावहारिक रूप से विद्यमान नहीं थी क्योंकि आपूर्ति के समय औषधियों के नमूने नहीं लिए जा रहे थे, तथा औषधियां बिना जांच अथवा जांच रिपोर्टों का इंतजार किए बिना जारी की जा रही थीं जिसके परिणामस्वरूप घटिया स्तर की औषधियों का वितरण हुआ।
- मशीनरी एवं उपकरणों के सम्बंध में मांग निर्धारण प्रणाली में कमी के परिणामस्वरूप आवश्यक मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद नहीं की गई तथा उपलब्ध नहीं करवाई गईं।
- क्षेत्रीय इकाइयों में मशीनरी एवं उपकरणों के सम्बंध में कोई रिपोर्टिंग तंत्र नहीं था जिसके परिणामस्वरूप बिना आवश्यकता के खरीद करने, खराब रहने तथा तकनीकी जनशक्ति में कमी के कारण अधिकतर संख्या में मदें निष्क्रिय/ अप्रयुक्त पड़ी रहीं।

सिफारिश: *विभाग औषधियों एवं उपभोज्यों की अनुपलब्धता, अप्रयुक्ति तथा उपयोग तिथि की समाप्ति से बचने के लिए मांग का सुव्यवस्थित निर्धारण सुनिश्चित करे तथा गुणवत्तापूर्ण औषधियों का वितरण सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण तंत्र को मजबूत करे। इसी प्रकार, मदों की अनुपलब्धता या अप्रयुक्ति के दृष्टांतों से बचने के लिए मशीनरी एवं उपकरणों के संदर्भ में एक रिपोर्टिंग तंत्र तैयार किया जाये तथा उनकी सर्वोतम उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त तकनीकी जनशक्ति प्रदान की जा सकती है।*

राज्य सरकार ने बताया (जुलाई 2019) कि निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं का उत्तर संतोषजनक था तथा सम्बंधित संस्थानों और प्राधिकारियों से आगामी समेकन हेतु सूचना मांगी गई थी।

उद्योग विभाग

3.7 निक्षेप कार्यों पर एजेंसी शुल्क का अधिक भुगतान

एजेंसी शुल्क के भुगतान को स्वीकृत दरों पर प्रतिबंधित न करने में विभाग की विफलता के कारण 2015-18 के दौरान ₹ 89.37 करोड़ के कुल निक्षेप कार्यों पर निगम को ₹ 2.13 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

उद्योग विभाग हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के माध्यम से जमा के आधार पर विभिन्न निर्माण कार्यों को निष्पादित करता है। निगम निक्षेप कार्यों पर किए गए कुल व्यय के *प्रतिशत* के आधार पर एजेंसी शुल्क का उदग्रहण करता है। विभिन्न विभागों द्वारा सौपें गए निक्षेप कार्यों के सम्बंध में निगम प्राक्कलन[51] तैयार करता है तथा निधियों के आवंटन तथा आवश्यक प्रशासनिक एवं व्यय संस्वीकृति हेतु सम्बंद्धित विभाग को भेजता है। एजेंसी शुल्क सहित धन राशि विभागों द्वारा किश्तों में जारी की जाती है तथा आगामी किश्तें पिछली किश्तों के उपयोगिता प्रमाणपत्र की प्राप्ति के बाद जारी की जाती हैं।

राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के सम्बंध में निक्षेप कार्यों के निष्पादन के लिए विभागीय शुल्क की दर में कमी (जनवरी 2012) कर नौ *प्रतिशत* करने के परिणामस्वरूप, निगम के निदेशक मण्डल (निदेशक, उद्योग विभाग सहित) ने (29 मार्च 2013 को 239वीं बैठक) विद्यमान एजेंसी शुल्कों की दर को 12.5 *प्रतिशत* से घटाकर नौ *प्रतिशत* करने का निर्णय लिया।

लेखापरीक्षा में देखा गया (अप्रैल 2018) कि 2015-18 के दौरान (दिसम्बर 2017 तक) की अवधि में निगम द्वारा उद्योग विभाग के लिए ₹ 99.54 करोड़ के विभिन्न निर्माण कार्य किए गए जिसमें एजेंसी शुल्क के ₹ 10.17 करोड़ शामिल थे। निगम ने नौ *प्रतिशत* की लागू दर के प्रति 10.24 और 12.50 *प्रतिशत* के मध्य विभिन्न दरों पर कुल ₹ 10.17 करोड़ का एजेंसी शुल्क वसूल किया। यह देखा गया कि उद्योग विभाग के उप-निदेशक प्राक्कलनों, जिनमें 10.24 और 12.50 *प्रतिशत* के मध्य एजेंसी शुल्क शामिल था की संस्वीकृति देते समय इसका ध्यान रखने में विफल रहे, तथा साथ ही उपयोगिता प्रमाणपत्रों को स्वीकार करते समय व्यय के विवरण के लिए भी आग्रह नहीं किया। कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात् विभाग ने निगम द्वारा प्रस्तुत व्यय का कोई भी शीर्षवार विवरण प्राप्त किए बिना कुल व्यय को उपयोगिता प्रमाणपत्र के आधार पर स्वीकार किया।

2015-18 के दौरान विभाग द्वारा ₹ 89.37 करोड़ की लागत के कुल कार्यों का निष्पादन करने पर नौ *प्रतिशत* की अनुमोदित दर पर देय एजेंसी शुल्क ₹ 8.04 करोड़ बनता है जबकि वास्तव में भुगतान ₹ 10.17 करोड़ का किया गया। इसके परिणामस्वरूप निगम को एजेंसी शुल्क के ₹ 2.13 करोड़ का अधिक भुगतान कमजोर नियंत्रण तंत्र को दर्शाता है।

---

[51] प्राक्कलनों में निगम द्वारा लगाए गए एजेंसी शुल्क शामिल हैं।

सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2019) कि निगम के साथ अधिक भुगतानों की वापसी के सम्बंध में मामला उठाया गया था। निदेशक, उद्योग ने बताया (सितम्बर 2019) कि अधिक अदायगी की वसूली निगम को जारी की जाने वाली देय अदायगी में से की जाएगी। तथापि, सितम्बर 2019 तक इस सम्बंध में कोई प्रगति नहीं हुई थी।

अत: विभाग की अनुमोदित दरों से एजेंसी शुल्कों के भुगतान को प्रतिबंधित करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 2.13 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

राज्य सरकार ग्राहक विभागों के साथ-साथ निष्पादन अभिकरणों को अतिरिक्त एजेंसी शुल्क की वसूली हेतु तथा इसी तरह के मामलों की समीक्षा करने के अनुदेश जारी कर सकती है।

3.8 बैंक गारंटी का नवीनीकरण न होने के कारण हानि

बैंक गारंटी का नवीनीकरण न होने के कारण समझौता ज्ञापन के उल्लंघन के लिए कम्पनी के खिलाफ समय पर कार्रवाई शुरू करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 2.00 करोड़ की अवसूली के अतिरिक्त ₹ 0.42 करोड़ ब्याज की हानि हुई।

राज्य सरकार तथा मैसर्ज इंडिया सीमेंट लिमिटेड (कम्पनी) के मध्य चौपाल (जिला शिमला) में सीमेंट प्लांट स्थापित करने हेतु एक समझौता ज्ञापन (मई 2006) सम्पादित किया गया था। समझौता ज्ञापन के नियमों और शर्तों के अनुसार, कम्पनी को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की तारीख से पांच साल के भीतर संयंत्र को चालू करने के लिए निर्धारित विभिन्न माईल स्टोन[52] प्राप्त करने थे। कम्पनी को राज्य सरकार के पक्ष में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से 45 दिनों के भीतर सावधि जमा रसीद/ अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी के रूप में ₹ 2.00 करोड़ जमा करने अपेक्षित थे। समझौता ज्ञापन के परिचालन के दौरान कम्पनी द्वारा प्रत्याभूति को वैध रखा जाना था और समझौता ज्ञापन अथवा उसके किसी भाग के उल्लंघन के मामले में यह प्रत्याभूति राशि ब्याज सहित जब्त की जानी थी। विफलता के मामले में राज्य सरकार के हितों की रक्षा के लिए बैंक गारंटी को इसकी वैद्यता के अंतिम दिन भुनाया जाना था।

राज्य भू-विज्ञानी, उद्योग विभाग के अभिलेखों की छानबीन (मई 2018) से पता चला है कि कम्पनी ने (जून 2006) राज्य सरकार के पक्ष में 30 मई 2006 को जारी बैंक गारंटी के रूप में ₹ 2.00 करोड़ की प्रत्याभूति जारी की थी। बैंक गारंटी को बाद में समय-समय पर बढ़ाया गया तथा 09 मार्च 2009 को जारी बैंक गारंटी 31 मार्च 2012 तक वैद्य थी। तथापि समझौता ज्ञापन की शर्तों के उल्लंघन में अनुश्रवण/ अंतर अनुशासनात्मक समिति[53] ने निर्णय लिया (24 फरवरी 2012) कि कम्पनी बैंक गारंटी के बदले निदेशक उद्योग के पक्ष में ₹ 2.00 करोड़ का डिमांड ड्राफ्ट प्रदान करेगी। यह निर्णय निदेशक, उद्योग द्वारा बैंक गारंटी की समाप्ति के बाद कम्पनी को 07 अप्रैल 2012 को सूचित किया गया था।

कम्पनी ने विभाग को सूचित (19 अप्रैल 2012) किया कि समझौता ज्ञापन के अनुसार प्रत्याभूति राशि केवल सावधि जमा रसीद/ अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी के रूप में अपेक्षित थी। तथापि कम्पनी ने 31 मार्च 2012 के बाद बैंक गारंटी को पुनर्वैध नहीं किया। विभाग वैधता अवधि के अंतिम दिन बैंक गारंटी को भुनाने में विफल रहा तथा उसने कम्पनी के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। आगे छानबीन में देखा गया कि विभाग ने राज्य सरकार को लिखा

[52] **एक वर्ष के भीतर:** स्थल का चयन, संयंत्र तथा खनन स्थल के राजस्व पत्रों की खरीद, राज्य स्तर की स्थल मूल्यांकन समिति से स्थल की मंजूरी, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन/पर्यावरण प्रबंधन योजना तथा खनन योजना तैयार करना। **तीन साल के भीतर:** राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा भारत सरकार से मंजूरी, वन मंजूरी, निजी भूमि का अधिग्रहण तथा भारत सरकार से खनन योजना की मंजूरी। **पांच साल के भीतर:** परियोजना का भौतिक कार्यान्वयन।

[53] मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक विभिन्न अनुमोदन तथा मंजूरी की स्थिति की समीक्षा करने और मंजूरी तथा कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए कार्यवाही करने के लिए सुझाव देने हेतु गठित समिति।

(26 दिसम्बर 2012) कि समझौता ज्ञापन की वैधता को बढ़ाने के सम्बंध में निर्णय कम्पनी द्वारा ₹ 2.00 करोड़ की प्रत्याभूति राशि जमा करने के बाद ही लिया जाना चाहिए। तथापि, राज्य सरकार ने बैंक गारंटी को कम्पनी से पुनर्वैध किए बिना समझौता ज्ञापन के संचालन को 31 मई 2014 तक बढ़ा दिया (मार्च 2014)। इसी बीच, कम्पनी द्वारा स्थान का चयन, राजस्व पत्रों की खरीद, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, विद्युत लाइनों और सड़क का सर्वेक्षण, पर्यावरण अध्ययन और खनिज पूर्वेक्षण से सम्बंधित कार्य मई 2015 तक किए गए थे। तथापि, कम्पनी अन्य माईल स्टोन अर्थात् राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा भारत सरकार से मंजूरी, वन अनुमति, निजी भूमि का अधिग्रहण और भारत सरकार से खनन योजना की अनुमति हासिल करने में असफल रही। परिणामत:, समझौता ज्ञापन की तिथि से पांच साल के भीतर संयंत्र को स्थापित नहीं किया जा सका जैसा कि परिकल्पित था।

तथापि, प्रत्याभूति की अनुपलब्धता के कारण राज्य सरकार मार्च 2012 के बाद समझौता ज्ञापन की सेवा-शर्तों के उल्लंघन के लिए दोषी कम्पनी से ₹ 2.00 करोड़ तथा ब्याज के ₹ 42.00 लाख[54] (अप्रैल 2012 से मार्च 2018) जब्त करने में विफल रही। अंतत: अंतर अनुशासनात्मक समिति की सिफारिशों (अगस्त 2015) पर, राज्य सरकार ने सीमेंट प्लांट की स्थापना के लिए मई 2006 में किए गए समझौता ज्ञापन को रद्द (मई 2017) कर दिया तथा कम्पनी द्वारा सड़क को चौड़ा एवं मजबूत करने के लिए हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के पास जमा ₹ 1.67 करोड़ की राशि को जब्त करने का निर्णय लिया। आगे, लेखापरीक्षा में पाया गया कि हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने दिसम्बर 2018 तक अभिप्रेत उद्देश्य के लिए राशि का पहले ही उपयोग कर लिया था।

सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2019) कि जमा राशि को जब्त करने के मामले को हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के साथ उठाया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग बैंक गारंटी की समाप्ति से पूर्व नवीनीकरण के लिए समय पर कार्रवाई करने अथवा वैधता के अंतिम दिन इसका नकदीकरण करने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त, विभाग ने ₹ 1.67 करोड़ जब्त करने का अवसर भी खो दिया क्योंकि हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने पहले ही इस राशि का उपयोग कर लिया था। तथापि, इस सम्बंध में सितम्बर 2019 तक कार्रवाई नहीं की गई थी।

इस प्रकार, बैंक गारंटी का नवीनीकरण न होने के कारण समझौता ज्ञापन के उल्लंघन के लिये पर कम्पनी के खिलाफ समय पर कार्रवाई शुरू करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 2.00 करोड़ की अवसूली के अतिरिक्त ₹ 0.42 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

सरकार विभाग के परस्पर विरोधी निर्णय के लिए जिम्मेदारी तय कर सकती है तथा राज्य सरकार के वित्तीय हितों की रक्षा की दृष्टि से समय पर नवीनीकरण या प्रत्याभूति जमा के नकदीकरण के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है।

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग

3.9 वर्षा जल संग्रहण संरचनाओं के माध्यम से सिंचाई परियोजना पर व्यर्थ निवेश

ठेकेदारों को कार्य आवंटित करने से पहले पूर्व वन मंजूरी प्राप्त करने में विभाग की विफलता के कारण आठ साल से अधिक समय तक परियोजना पूर्ण नहीं होने से लाभार्थियों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने का उद्देश्य विफल हुआ तथा परिणामस्वरूप ₹ 17.48 करोड़ का निवेश व्यर्थ हुआ।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत, वन भूमि को गैर-वानिकी उपयोगों के लिए परिवर्तन हेतु विभाग को वन मंजूरी पूर्व में सुनिश्चित करना अपेक्षित था।

54 बचत बैंक दर 3.5 *प्रतिशत* पर गणना की गई।

ऊना जिले के आठ[55] गांवों की 570 हेक्टेयर कृषि योग्य कमांड क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु ₹ 19.33 करोड़ में नाबार्ड के अंतर्गत स्वीकृत (जून 2010), परियोजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने ₹ 19.10 करोड़ की प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय की संस्वीकृति प्रदान (नवम्बर 2010) की। तथापि, विभाग ने इस परियोजना को नाबार्ड से वापिस ले लिया तथा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत इसके लिए ₹ 15.61 करोड़ अनुमोदित (फरवरी 2011) किए। परियोजना के अंतर्गत टकोली *खड्ड* (वर्षा जल संचयन संरचना-I एवं II) तथा समूर *खड्ड* (वर्षा जल संचयन संरचना-III) में तीन वर्षा जल संचयन संरचनाओं/बांधों का निर्माण किया जाना था जहां से उठाऊ सिंचाई योजनाओं[56] के माध्यम से पानी प्राप्त करना था।

ऊना मण्डल-II के अभिलेखों (मार्च 2018) की छानबीन से उद्घाटित हुआ कि वर्षा जल से संचयन संरचना-I, II एवं III निर्माण का कार्य एक ठेकेदार यानि नेशनल इंडिया कंस्ट्रक्शन कम्पनी, पठानकोट को ₹ 9.56 करोड़ की निविदा लागत में मई 2013 तक पूर्ण करने हेतु सौंपा (अक्तूबर 2011) गया था। पम्प हाऊसों का निर्माण, उपलब्ध करवाना, बिछाना, जोड़ना तथा राइजिंग मेन की जांच करना, पम्पिंग मशीनरी की आपूर्ति एवं स्थापना, इत्यादि से सम्बंधित कार्य दो ठेकेदारों को सितम्बर एवं अक्तूबर 2013 तक पूर्ण करने हेतु ₹ 6.35 करोड़[57] में सौंपा (सितम्बर एवं अक्तूबर 2012) गया था। तथापि, कार्यों को उपर्युक्त वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन करके पूर्व वन मंजूरी के बिना ठेकेदारों को सौंपा गया था। राइजिंग मेन एवं वितरण प्रणाली का कार्य वन भूमि में होने के कारण बंद (मार्च 2014) कर दिया गया था। विभाग ने गैर-वानिकी उपयोग के लिए वन भूमि (5.2879 हेक्टेयर) के परिवर्तन हेतु भारत सरकार से स्वीकृति (दिसम्बर 2014) मांगी थी जो जनवरी 2019 तक प्राप्त नहीं हुई। वर्षा जल संचयन संरचना-I, II एवं III का निर्माण कम्पनी द्वारा जुलाई 2015 में पूर्ण कर लिया गया था तथा ठेकेदारों द्वारा मार्च 2014 तक लगभग 9,802 रनिंग मीटर (11,020 रनिंग मीटर में से) राइजिंग मेन को उपलब्ध करने एवं बिछाने का कार्य कर लिया गया था। वन मंजूरी न होने के कारण कार्य[58] की शेष मदें मार्च 2014 से बाधित पड़ी रही।

इसके अतिरिक्त, पम्प घरों के निर्माण, राइजिंग मेन को उपलब्ध कराने एवं बिछाने, आदि की संविदा में, ठेकेदारों को स्थल पर लाई गई सामग्री के लिए जारी (अक्तूबर 2012 और जुलाई 2013 के बीच) किए गए ₹ 2.65 करोड़ के सुरक्षित अग्रिम के प्रति, मार्च 2014 तक ₹ 1.49 करोड़ की सामग्री की खपत की थी। जनवरी 2019 तक ₹ 1.16 करोड़ मूल्य की सामग्री अप्रयुक्त पड़ी रही। जैसा कि निर्माण कार्य मार्च 2014 से अवरूद्ध था, ठेकेदार द्वारा स्थल पर लायी गयी सामग्री का लम्बे समय से उपयोग नहीं होने से चोरी/दुरूपयोग/क्षति के जोखिम की संभावना थी।

इस बीच, जून 2018 तक मण्डल ने परियोजना पर ₹ 17.48 करोड़ (एआईबीपी: ₹ 15.61 करोड़ एवं नाबार्ड: ₹ 1.87 करोड़) का व्यय किया। परियोजना के भावी क्रियान्वयन के लिए विभाग ने परियोजना को नाबार्ड (ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि-XXI) के अंतर्गत संस्वीकृत (दिसम्बर 2015) करवाया तथा राज्य सरकार ने ₹ 36.23 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृति (दिसम्बर 2015) प्रदान की।

55 बरोटा, बेसेनर, भलौन, भरमाड, चौकी मनियार चतेहर, नंदग्राम, रामनगर एवं टकौली।

56 टकोली *खड्ड* से उठाऊ सिंचाई योजना (₹ 9.46 करोड़) तथा समूर *खड्ड* से उठाऊ सिंचाई योजना (₹ 6.15 करोड़) जिसके अंतर्गत खुले कुओं एवं तीन पम्प हाऊस का निर्माण, 11,020 रनिंग मीटर राइजिंग मेन बिछाना, छः डिलीवरी टैंकों का निर्माण, वितरण प्रणाली का बिछाना, पम्पिंग मशीनरी एवं डिस्ट्रीब्यूशन संरचना लगाना था।

57 वर्षा जल संचालन संरचना-I एवं II के अंतर्गत संविदा: ₹ 3.65 करोड़ (अक्तूबर 2012) तथा वर्षा जल संचालन संरचना-III के अंतर्गत संविदा: ₹ 2.70 करोड़ (सितम्बर 2012)।

58 राइजिंग मेन (1,218 रनिंग मीटर) तथा वितरण प्रणाली को उपलब्ध कराना एवं बिछाना, खुले कुओं एवं पम्प घरों का निर्माण (तीन) डिलीवरी टैंक (छः), वितरण संरचना एवं निकासी, पम्पिंग मशीनरी की स्थापना एवं विद्युत की आपूर्ति, इत्यादि।

अत:, ठेकेदारों को कार्य आवंटित करने से पहले पूर्व वन मंजूरी को प्राप्त करने तथा तकनीकी एवं वित्तीय व्यवहार्यता का पता लगाने में विभाग की विफलता के कारण आठ साल से अधिक समय में परियोजना पूर्ण नहीं हो पायी। परिणामस्वरूप, सम्बंधित लाभार्थियों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का उद्देश्य विफल हुआ और ₹ 17.48 करोड़ का निवेश निरर्थक रहा।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2019) कि वन मंजूरी से सम्बंधित सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई है तथा वन मंजूरी प्राप्त होने की प्रत्याशा में कार्य को पुन: आरम्भ (जनवरी 2019) कर दिया गया है। तथापि, विभाग ने पूर्व वन मंजूरी प्राप्त किए बिना ही परियोजना का क्रियान्वयन कर दिया। इसके अतिरिक्त, मण्डल से प्राप्त (अक्तूबर 2019) सूचना के अनुसार कार्य अभी तक रूका पड़ा था।

विभाग को सिंचाई स्कीमों के कार्य निष्पादन हेतु पूर्व वन मंजूरी सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि लाभार्थियों को समय पर अभिप्रेत सिंचाई सुविधा का लाभ मिल सके।

3.10 जलापूर्ति स्कीमों के आवर्धन पर निष्फल व्यय

अनुपयुक्त योजना तथा पूर्व वन मंजूरी प्राप्त करने एवं निष्पादन में निर्धारित अनुक्रम का अनुसरण करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप सात से नौ वर्षों से अधिक समय में दो जलापूर्ति योजनाएं पूर्ण नहीं हुई जिससे सम्बंधित लाभार्थियों को पर्याप्त एवं स्वच्छ पेय जल उपलब्ध करवाने का उद्देश्य विफल हुआ एवं ₹ 15.42 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

केन्द्रीय जन-स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन के नियम पुस्तिका के परिच्छेद 3.1.1 के अनुसार जलापूर्ति परियोजना के लिए पूर्व निवेश योजना एवं उसकी आवश्यकता के साथ-साथ तकनीकी, वित्तीय और सामाजिक रूप से व्यवहार्य होने का प्रावधान होना चाहिए। विभाग के प्रमुख अभियंता के अनुदेशों (मार्च 1995) के अनुसार, जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन करने के लिए निर्धारित अनुक्रम का पालन करना चाहिए (अर्थात् सर्वप्रथम पानी का स्रोत विकसित किया जाना चाहिए, निर्भर रहने योग्य पानी का पता लगाया जाना चाहिए तथा उसके बाद वितरण लाइनों को बिछाने सहित अन्य कार्यों को करने के लिए लिया जाना चाहिए)। इसके अतिरिक्त, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अनुसार, वन भूमि के गैर-वानिकी उपयोग के लिए परिवर्तन हेतु विभाग को पूर्व वन मंजूरी सुनिश्चित करना अपेक्षित था।

आनी (दिसम्बर 2017) एवं सुन्दरनगर (नवम्बर 2017) मण्डलों के अभिलेखों की छानबीन से निम्नवत् उद्घाटित हुआ:

(क) सतलुज जल विद्युत निगम[59] के रामपुर जल विद्युत शक्ति परियोजना से प्रभावित सात ग्राम पंचायतों[60] के लगभग 10,789 व्यक्तियों को पर्याप्त एवं स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए, उपायुक्त, कुल्लू ने स्थानीय क्षेत्र विकास समिति के अध्यक्ष के तौर पर जलापूर्ति योजना के निर्माण के लिए ₹ 7.48 करोड़ के प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय की संस्वीकृति प्रदान की (सितम्बर 2010)। नगेढ़ एवं मोचका *खड्डों* से पानी का दोहन करके योजना का निर्माण आनी मण्डल द्वारा किया जाना था। मुख्य अभियंता, मण्डी क्षेत्र ने योजना के लिए ₹ 7.94 करोड़ का तकनीकी अनुमोदन प्रदान किया (जून 2009)। विभाग ने ₹ 5.53 करोड़ परियोजना प्राधिकारी (जुलाई 2009: ₹ 3.00 करोड़ एवं मई 2010: ₹ 1.00 करोड़) तथा उपायुक्त, कुल्लू से स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (फरवरी 2015 में ₹ 1.53 करोड़) से इस उद्देश्य के लिए प्राप्त किए।

---

59 भावा, बारी, गडेज, खुशवा, खारगा, पोषणा और तुनान।

60 सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड भारत सरकार तथा हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम है।

कार्य[61] को फरवरी 2014 तक पूर्ण करने हेतु ₹ 5.76 करोड़ में एक ठेकेदार को प्रदान (फरवरी 2012) किया। ठेकेदार ने फरवरी 2012 में कार्य प्रारंभ किया। तथापि, ठेकेदार ने नियत समयावधि के भीतर कार्य की प्रगति को प्राप्त नहीं किया तथा जून 2014 तक ₹ 4.55 करोड़ की लागत के कार्य[62] का निष्पादन किया। शेष कार्य विभाग द्वारा कार्य स्थल को न सौंपने तथा कुछ स्थानों पर पाईप बिछाने के कार्य में स्थानीय निवासियों द्वारा बाधाएं उत्पन्न करने के कारण निष्पादित नहीं किया जा सका। योजना की अवधारणा एवं इसके क्रियान्वयन में निम्नलिखित मुख्य कमियां उजागर हुई:

(i) उपर्युक्त विभागीय अनुदेशों (मार्च 1995) के उल्लंघन में, मण्डल ने योजना के निष्पादन के लिए निर्धारित अनुक्रम का पालन नहीं किया (अर्थात् स्रोत विकसित करना, निर्भर रहने योग्य पानी को सुनिश्चित करना, राइजिंग/ग्रेविटी मेन को बिछाना, वितरण प्रणाली, पम्पिंग मशीनरी की खरीद, इत्यादि)। मण्डल ने राइजिंग/ग्रेविटी मेन को बिछाना, वितरण प्रणाली, पम्पिंग मशीनरी की खरीद, इत्यादि के कार्य का संपादन किया जबकि जल शोधन संयंत्र, पम्प हाऊस तथा अन्य सम्बंधित संरचनाओं का निर्माण सितम्बर 2019 तक नहीं किया।

(ii) जैसा कि उपर्युक्त केन्द्रीय जन-स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन नियमावली के प्रावधान में अपेक्षित है, विभाग ने जल शोधन संयंत्र के निर्माण एवं सम्बंधित संरचनाओं की व्यावहार्यता की जांच नहीं की थी। प्रस्तावित जल शोधन संयंत्र स्थल लोक निर्माण विभाग की सड़क से लगभग 200 मीटर की दूरी पर था तथा इसके रास्ते निजी भूमि से होकर जाते थे। विभाग ने न तो वहां पहुंचने के मार्ग के निर्माण को प्रस्ताव/ अनुमान में शामिल किया और न ही योजना के निष्पादन से पहले विवाद रहित भूमि सुनिश्चित की।

(iii) जहां पर जल शोधन संयंत्र एवं अन्य संरचनाओं का निर्माण किया जाना था, वह वन भूमि थी। उपर्युक्त वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधान के उल्लंघन में, अधिशाषी अभियंता ने एक ठेकेदार को जल शोधन संयंत्र, पम्प हाऊस एवं अन्य सम्बंधित संरचना के निर्माण कार्य को बाधारहित भूमि सुनिश्चित किये बिना प्रदान (फरवरी 2012) किया। विभाग ने अक्तूबर 2014 में वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत गैर-वानिकी उपयोग के लिए वन भूमि के परिवर्तन के लिए कार्रवाई शुरू की थी, जिसका अनुमोदन अगस्त 2018 में प्राप्त हुआ।

(ख) मण्डी जिले की 72 बस्तियों के 17,095 व्यक्तियों को पर्याप्त एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार ने 1983-99 के दौरान सुन्दरनगर मण्डल के अंतर्गत निर्मित 16 मौजूदा जलापूर्ति स्कीमों में जल वृद्धि करने के लिए एक जलापूर्ति योजना[63] हेतु ₹ 10.98 करोड़ के प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृति प्रदान की (जून 2009)। योजना के लिए पानी, स्रोत (सौल खड्ड) से 16.5 किलोमीटर दूर बरोटा में एक जगह

61 इंटेक चैम्बर (10), जल शोधन संयंत्र (0.84 मिलियन लीटर प्रतिदिन), डिलीवरी टैंक एवं-मेन स्टोरेज टैंक (एक), सेडिमेंटेशन टैंक (एक), फिल्टर बेड (एक), पम्प घर एवं कार्यालय भवन (एक), उप-भण्डारण टैंक (15), राइजिंग मेन को उपलब्ध कराना एवं बिछाना (200 मि०मी० व्यास: 825 रनिंग मीटर), ग्रेविटी मेन और वितरण प्रणाली को बिछाना और जोड़ना (15 मि०मी० से 150 मि०मी० व्यास: 89,160 रनिंग मीटर), पम्पिंग मशीनरी (480 अश्व शक्ति: एक), हेड वेयर (दो), एम०एस० क्लैम्पस (100), एंकर ब्लॉक/थ्रस्ट ब्लॉक पेडस्टल्स (128), पत्तरा कटिंग (3,403 घनमीटर), विद्युत आपूर्ति, निरीक्षण वाहन (एक), उपसाधन एवं विद्युत आपूर्ति के लिए आवश्यक वर्टिकल का निर्माण तथा पूर्ण होने के पश्चात् 60 महीनों के लिए संचालन एवं रख-रखाव।

62 डिलीवरी टैंक-एवं-मेन स्टोरेज टैंक (एक), उप-भण्डारण टैंक (11), राइजिंग मेन को उपलब्ध कराना एवं बिछाना (200 मि०मी० व्यास: 600 रनिंग मीटर), ग्रेविटी मेन एवं वितरण प्रणाली को बिछाना एवं जोड़ना (15 मि०मी० से 150 मि०मी० व्यास: 79,580 रनिंग मीटर), पम्पिंग मशीनरी (480 अश्व शक्ति: एक), एंकर ब्लॉक/थ्रस्ट ब्लॉक पेडस्टल्स (55), पत्तरा कटिंग (607 घनमीटर), विद्युत आपूर्ति एवं निरीक्षण वाहन (एक)।

63 कार्य का क्षेत्र: भूमि अर्जन, इंटेक चैम्बर, ग्रेविटी मेन (16,500 रनिंग मीटर), जल शोधन संयंत्र (1.57 मिलियन लीटर प्रतिदिन), मेन स्टोरेज टैंक-एवं सम्पवेल, राइजिंग मेन (प्रथम स्तर: 2,900 रनिंग मीटर एवं द्वितीय स्तर: 3,500 रनिंग मीटर), पम्प हाऊस (प्रथम एवं द्वितीय स्तर के लिए दो), पम्पिंग मशीनरी (स्तर-I: दो एवं स्तर-II: दो), उप भण्डारण टैंक (20), वितरण प्रणाली पाईप (96,342 रनिंग मीटर) तथा विद्युत आपूर्ति।

संग्रहित किया जाना था। स्कीम को चार वर्ष के नियत समय में पूर्ण करना था। कार्य अनुमानों के तकनीकी अनुमोदन (सितम्बर 2009 और नवम्बर 2011) में मुख्य अभियंता, मण्डी ने निर्धारित किया कि कार्य प्रारंभ होने से पहले सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग के नाम पर भूमि का स्पष्ट हक सुनिश्चित होना चाहिए।

यह देखा गया कि स्कीम का निष्पादन मण्डल द्वारा दिसम्बर 2009 में शुरू किया तथा इंटेक चैम्बर, ग्रेविटी मेन, राइजिंग मेन (प्रथम स्तर: 2,030 रनिंग मीटर एवं द्वितीय स्तर: 3,325 रनिंग मीटर), पम्प हाऊस (द्वितीय स्तर के लिए एक), पम्पिंग मशीनरी (प्रथम स्तर: प्रत्येक 150 अश्व शक्ति के दो तथा द्वितीय स्तर: प्रत्येक 20 अश्व शक्ति के दो), उप-भण्डारण टैंक (20 टैंक) एवं वितरण प्रणाली पाईप (96,342 रनिंग मीटर) के कार्य का निष्पादन फरवरी 2018 तक किया।

तथापि, वन मंजूरी के अभाव में राइजिंग मेन (प्रथम स्तर: 870 रनिंग मीटर एवं द्वितीय स्तर: 175 रनिंग मीटर), जल शोधन संयंत्र, मेन स्टोरेज टैंक-कम-सम्पवेल तथा प्रथम स्तर के राइजिंग मेन के लिए पम्प हाऊस का निष्पादन नहीं हो सका। उपर्युक्त वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधान के उल्लंघन में अधिशाषी अभियंता ने पूर्व वन मंजूरी के बिना कार्य शुरू कर दिया था। विभाग द्वारा नवम्बर 2010 में गैर-वानिकी उपयोग के लिए वन भूमि के परिवर्तन हेतु अनुमोदन भारत सरकार से मांगा गया था तथा दिसम्बर 2013 में सैद्धान्तिक अनुमोदन प्राप्त हुआ परंतु अंतिम अनुमोदन जनवरी 2019 तक प्रतीक्षित था। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त विभागीय अनुदेशों (मार्च 1995) के विपरीत, मण्डल योजना के निष्पादन में निर्धारित अनुक्रम का पालन करने में विफल रहा क्योंकि राइजिंग मेन, वितरण प्रणाली, इत्यादि का निष्पादन जल शोधन संयंत्र, मेन स्टोरेज टैंक-कम-सम्पवेल एवं पम्प हाऊस के निर्माण से पहले किया गया। परिणामत: ₹ 10.76 करोड़ का व्यय करने के पश्चात, स्कीम अपनी पूर्णता की निर्धारित तिथि से पांच वर्ष से भी अधिक समय जनवरी 2019 तक अपूर्ण रही।

प्रथम स्तर के राइजिंग मेन के लिए जल शोधन संयंत्र एवं पम्प हाऊस का निर्माण कार्य एक ठेकेदार को ₹ 1.69 करोड़ में प्रदान किया (सितम्बर 2011) गया जो एक वर्ष में पूर्ण किया जाना था। ठेकेदार ने विभाग द्वारा कार्य स्थल को देरी से सौंपने के कारण कार्य पूर्ण नहीं किया। ठेकेदार ने कार्य स्थल सौंपने (अप्रैल 2014) के बाद भी कार्य की गति नहीं लाई। मार्च 2015 तक लगभग ₹ 25.00 लाख की लागत का कार्य निष्पादन करने के पश्चात, ठेकेदार द्वारा कठोर चट्टान युक्त मृदा के वर्गीकरण की समीक्षा कर खुदाई की लागत का पुन: मूल्यांकन करने तथा श्रम एवं सामग्री की लागत में वृद्धि होने के कारण मूल्य वृद्धि की दलील के साथ शेष कार्य करने से इंकार (अप्रैल 2015) कर दिया। विभाग इस तर्क से सहमत नहीं हुआ क्योंकि बोली प्रस्तुत करते समय इन मदों पर पहले ही विचार किया जा चुका था। इसके बजाय, संविदा के खण्ड 64 के अंतर्गत ठेकेदार पर कार्य में विलम्ब के लिए ₹ 16.92 लाख (संविदा मूल्य का 10 *प्रतिशत*) की क्षतिपूर्ति लगाई गई (मार्च 2017)। ठेकेदार ने कार्य को पुन: प्रारंभ नहीं किया और अंतत:, विभाग ने संविदा के खण्ड 68.3 (i) ग के अंतर्गत संविदा को रद्द कर दिया (अप्रैल 2017)। सम्पवेल-कम-मेन स्टोरेज टैंक सहित कार्य को ₹ 1.48 करोड़ में अन्य ठेकेदार को पुन: सौंपा गया (जून 2018) जो सितम्बर 2019 तक पूर्ण नहीं हुआ था।

इसके अतिरिक्त, ₹ 50.13 लाख की लागत पर मण्डल द्वारा उपार्जित मशीनरी (आनी: जुलाई 2012 में ₹ 36.48 लाख तथा सुन्दरनगर: मार्च 2011 तथा मार्च 2012 में ₹ 13.65 लाख) फालतू पड़ी रही क्योंकि इस मशीनरी को सितम्बर 2019 तक जल शोधन संयंत्र तथा पम्प हाऊस का निर्माण न करने के कारण स्थापित नहीं किया जा सका।

राज्य सरकार ने बताया (जनवरी 2019) कि वन भूमि होने तथा लोगों द्वारा उत्पन्न की गई बाधाओं के कारण कार्य समय पर पूर्ण नहीं किया जा सका। तथापि, विभाग पूर्व वन मंजूरी प्राप्त करने एवं निर्धारित अनुक्रम का पालन करने में विफल रहा। सात से नौ वर्ष से भी अधिक समय में योजना पूर्ण नहीं होने के कारण लोगों को पर्याप्त एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाने का उद्देश्य विफल रहा तथा ₹ 15.42 करोड़ (आनी: ₹ 4.66 करोड़ तथा सुन्दरनगर: ₹ 10.76 करोड़) का निष्फल व्यय हुआ क्योंकि सितम्बर 2019 तक स्कीमों को चालू नहीं किया गया था।

विभाग को व्यवहार्यता एवं बाधारहित भूमि की सभी जांच सूचियों का अनुपालन करना चाहिए तथा स्रोत से वितरण के लिए जलापूर्ति योजनाओं के निष्पादन के लिए निर्धारित अनुक्रम का पालन करना चाहिए ताकि समय पर उनकी पूर्णता सुनिश्चित की जा सके।

3.11 उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम के आवर्धन पर निष्फल व्यय एवं हानि

दोषपूर्ण आयोजना एवं उठाऊ जलापूर्ति स्कीम के सुरक्षित संरेखण अभिकल्प करने में विभाग की विफलता के कारण अचानक आई बाढ़ में बूस्टर और प्रथम स्तर की राइजिंग मेन के क्षतिग्रस्त होने के कारण ₹ 0.60 करोड़ की हानि के अतिरिक्त ₹ 1.45 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन की नियमावली के परिच्छेद 3.1.1 में पूर्व निवेश आयोजना तथा जलापूर्ति परियोजना की तकनीकी, वित्तीय, सामाजिक, आदि व्यवहार्यता को व्यवस्थित करने का प्रावधान है। मण्डी जिले के 15,142 व्यक्तियों को पर्याप्त पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए, राज्य सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत बिड पट्टा समोह उठाऊ जलापूर्ति स्कीम के आवर्धन हेतु ₹ 14.26 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृति प्रदान (मार्च 2011) की। इस उद्देश्य के लिए राइजिंग मेन के विभिन्न स्तरों[64] द्वारा कांडापत्तन स्थित व्यास नदी से पानी का दोहन किया जाना था। मुख्य अभियंता (हमीरपुर क्षेत्र) ने योजना के लिए ₹ 10.93 करोड़ के तकनीकी अनुमोदन की स्वीकृति (सितम्बर 2011) दी।

सरकाघाट मण्डल के अभिलेखों की छानबीन (दिसम्बर 2017) से उद्घाटित हुआ कि कार्य[65] एक ठेकेदार को ₹ 9.59 करोड़ में प्रदान किया (मार्च 2012) गया जिसे अप्रैल 2014 तक पूर्ण किया जाना था। ठेकेदार ने मार्च 2012 में कार्य प्रारंभ कर दिया एवं द्वितीय एवं तृतीय स्तर के राइजिंग मेन को उपलब्ध करवाने एवं बिछाने सहित ₹ 9.61 करोड़ मूल्य के कार्य[66] को पूर्ण किया (मार्च 2017)। द्वितीय एवं तृतीय स्तर के राइजिंग मेन को मार्च 2017 में कमीशन कर दिया गया। हालांकि सितम्बर 2019 तक बूस्टर व प्रथम स्तर का राइजिंग मेन निम्न कमियों के कारण पूर्ण तथा शुरू नहीं किया जा सका।

---

64 बूस्टर स्तर, प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर एवं तृतीय स्तर।

65 स्थल विकास, परकोलेशन वेल का निर्माण (दो), पम्प हाऊस (तीन), सम्पवेल (दो), सम्पवेल-एवं-मेन स्टोरेज टैंक (दो), सोन खड्ड से पानी के अतिरिक्त स्रोत के रूप में द्वितीय एवं तृतीय स्तर के राइजिंग मेन के लिए एक वर्ष में सात से आठ माह के लिए इनफिल्ट्रेशन गैलरी, राइजिंग मेन को उपलब्ध कराना तथा बिछाना (बूस्टर स्तर: 50 रनिंग मीटर, प्रथम स्तर: 10,620 रनिंग मीटर, द्वितीय स्तर: 7,535 रिनंग मीटर एवं तृतीय स्तर: 4,515 रनिंग मीटर), वितरण प्रणाली/ग्रेविटी मेन (218 किलोमीटर) तथा पम्पिंग मशीनरी की खरीद एवं संस्थापन (बूस्टर स्तर, प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर तथा तृतीय स्तर)।

66 परकोलेशन वेल का निर्माण (एक), पम्प हाऊस, सम्पवेल-एवं-मेन स्टोरेज टैंक, इनफिल्ट्रेशन गैलरी, राइजिंग मेन को उपलब्ध कराना एवं बिछाना (बूस्टर स्तर: 48.15 रनिंग मीटर, प्रथम स्तर: 11,373.28 रनिंग मीटर, द्वितीय स्तर: 7,535 रनिंग मीटर और तृतीय स्तर: 4,515 रनिंग मीटर), वितरण प्रणाली/ग्रेविटी मेन (218 किलोमीटर) तथा पम्पिंग मशीनरी की खरीद एवं संस्थापन।

इस तथ्य के बावजूद कि सोन *खड्ड*[67] बरसात के मौसम में जलमगन रहती है जिससे दोनों तटों के खेती योग्य भूमि में कटाव होता है। विभाग ने *खड्ड* के साथ-साथ बूस्टर एवं प्रथम स्तर के राइजिंग मेन को बिछाने की योजना बनाई तथा आरेखण तैयार किया। इसके अतिरिक्त, भारी बारिश, तीव्र धारा के साथ अचानक पानी आने के कारण *खड्ड*/ छोटी नदी के बीच स्थापित/ निर्मित कोई संरचना क्षतिग्रस्त हो सकती है। योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते हुए मुख्य अभियंता (हमीरपुर जोन) द्वारा इस पहलू पर ध्यान नहीं दिया गया। परिणामतः, *खड्ड* के साथ निर्मित ₹ 2.05 करोड़ लागत के बूस्टर एवं प्रथम स्तर के राइजिंग मेन के 11,421.43 रनिंग मीटर में से ₹ 0.60 करोड़ लागत के 3,180 रनिंग मीटर राइजिंग मेन अगस्त 2015 में अचानक आई बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गई। स्पष्टतया, उपर्युक्त केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन के प्रावधान के उल्लंघन में, योजना की अवधारणा करते समय *खड्ड* के साथ राइजिंग मेन को बिछाने की तकनीकी व्यवहार्यता को जांचने में विभाग विफल रहा। विभाग ने सड़कों के साथ या *खड्ड* से दूर जहां बाढ़ की संभावना न हो, सुरक्षित एवं स्थाई संरेखण सुनिश्चित नहीं किया।

सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2019) कि योजना के शेष कार्य को पूर्ण करने के प्रयास किये जा रहे थे। यद्यपि, क्षतिग्रस्त कार्य को पुनः बहाल नहीं किया गया था तथा सितम्बर 2019 तक राइजिंग मेन को पूर्ण/ कमीशन नहीं किया गया था जो सम्बंधित लाभार्थियों को समयबद्ध तरीके से पर्याप्त पेयलज उपलब्ध कराने के उद्देश्य को विफल कर रहा।

अतः, योजना के बूस्टर एवं प्रथम स्तर के राइजिंग मेन के सुरक्षित एवं स्थाई संरेखण के लिए दोषपूर्ण योजना एवं विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 0.60 करोड़ की हानि के अतिरिक्त ₹ 1.45 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

सरकार को प्राक्कलनों की तैयारी एवं तकनीकी स्वीकृति से पहले जलापूर्ति स्कीमों के राइजिंग मेन को बिछाने की व्यवहार्यता की जांच के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

3.12 अक्रियाशील उठाऊ सिंचाई स्कीम पर अनुत्पादक व्यय

एक उठाऊ सिंचाई स्कीम को तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए बिना तथा जल स्त्रोत की स्थिरता के सर्वेक्षण के साक्ष्य या स्कीम की व्यवहार्यता के बिना निष्पादित किया गया। अल्प कृषि योग्य क्षेत्र का उपयोग किया गया तथा स्त्रोत पर जल की अनुपलब्धता के कारण स्कीम प्रारंभ होने के दो वर्ष के भीतर अक्रियाशील हो गई। विभाग स्कीम के पुनरूद्धार के लिए तत्काल कार्रवाई करने में विफल रहा जिससे पिछले छः वर्षों से स्कीम पर ₹ 1.80 करोड़ का व्यय अनुत्पादक रहा तथा लाभार्थियों को अभिप्रेत सिंचाई सुविधा से वंचित रहना पड़ा। स्कीम को क्रियाशील बनाने के लिए ₹ 2.78 करोड़ की अतिरिक्त निधि की आवश्यकता थी जिसके कारण राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा।

विभाग द्वारा अपनाए गये पंजाब लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के अनुसार, सिंचाई परियोजना/स्कीम की अवधारणा व्यापक सर्वेक्षण एवं अन्वेषण के साथ करनी चाहिए तथा कोई स्कीम निष्पादन के लिए तब तक हाथ में नहीं लेनी चाहिए जब तक कि विस्तृत अनुमान तकनीकी रूप से स्वीकृत न हो जाये ताकि स्कीम की सटीकता एवं व्यवहार्यता सुनिश्चित हो सके।

67 नीची जगह/ खाई जो मिट्टी के बार-बार कटने से बनती है।

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मण्डल, देहरा, कांगड़ा जिला के अभिलेखों की छानबीन (दिसम्बर 2016) से उद्घाटित हुआ कि कुठार और त्रिपाल गांवों (त्रिपाल पंचायत के अंतर्गत) में एक उठाऊ सिंचाई स्कीम मई 2012 से अक्रियाशील पड़ी हुई थी। अभिलेखों में उपलब्ध सूचना से पता चला कि स्कीम, जून 1999 में 140.08 हेक्टेयर कृषि योग्य कमांड क्षेत्र के निर्माण के उद्देश्य से ₹ 1.10 करोड़ में प्रशासनिक रूप से अनुमोदित हुई थी। स्कीम के लिए वित्त की व्यवस्था[68] नवम्बर 2002 में की गई तथा स्कीम को नवम्बर 2006 तक पूर्ण किया जाना नियत था, जो ₹ 1.42 करोड़ की लागत में अप्रैल 2010 में पूर्ण[69] एवं कमीशन हुई। यह पाया गया कि 140.08 हेक्टेयर सृजित कृषि योग्य कमांड क्षेत्र के प्रति, अल्प कृष्य नहरी क्षेत्र का उपयोग[70] हुआ (2010-11 के दौरान मात्र छः से 11 *प्रतिशत* और 2011-12 के दौरान एक *प्रतिशत* से कम) तथा स्कीम मई 2012 के बाद निष्क्रिय हो गई। मण्डल/विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार, यह कि बनेर *खड्ड*[71] के साथ *खड्ड* के प्रवाह/ धारा में परिवर्तन से स्रोत पर पानी की अनुपलब्धता के कारण थी। इस स्कीम को पुनर्जीवित करने के लिए 2016-17 में प्रस्ताव नाबार्ड के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए विधायकों की प्राथमिकता में शामिल किया गया । जनवरी 2019 में ₹ 2.78 करोड़ की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अनुमोदन तथा वित्तपोषण के लिए प्रस्तुत किया गया था।

अभिलेखों के विश्लेषण तथा मण्डल/विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना से निम्नवत् देखा गया:

i. मूल स्कीम के मामले में, विभाग ने निधियां प्राप्त करने में तीन वर्ष (1999 से नवम्बर 2002 तक) से अधिक समय लिया, तथा स्कीम को 40 महीने के विलम्ब (दिसम्बर 2006 से मार्च 2010 तक) के बाद पूर्ण किया तथा ₹ 0.32 करोड़ की लागत वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, मण्डल ने सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त किए बिना स्कीम को निष्पादित किया। बनेर खड्ड के साथ जल स्रोत की स्थिरता एवं स्कीम की व्यवहार्यता से सम्बंधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अथवा सर्वेक्षण एवं अन्वेषण प्रतिवेदन अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे तथा प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृति (जून 1999) में किसी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का संदर्भ नहीं था।

   तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त न करना, मण्डल के पास कोई सर्वेक्षण एवं अन्वेषण प्रतिवेदन उपलब्ध न होना तथा नहरी कृष्य क्षेत्र की बहुत कम प्रतिशतता का उपयोग होना, जबकि स्कीम क्रियाशील थी, इस संभावना को बढ़ाता है कि मण्डल/विभाग ने स्कीम की व्यवहार्यता या जल स्रोत की स्थिरता का निर्धारण स्कीम निष्पादन से पहले नहीं किया।

ii. स्कीम को पुनर्जीवित करने के लिए विभाग ने तत्काल कार्रवाई नहीं की क्योंकि इस सम्बंध में प्रस्ताव स्कीम के अक्रियाशील होने के चार वर्ष (मई 2012 से 2016-17) के बाद लाया गया। इसके अतिरिक्त, विभाग ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में दो वर्ष (2016-17 से जनवरी 2019) लगाए जिसे जनवरी 2019 अर्थात्, स्कीम के अक्रियाशील होने के छः वर्ष से अधिक समय तक अनुमोदित नहीं किया गया। इस संदर्भ में, सरकार ने बताया (जनवरी 2019) कि योजना के स्रोत को अन्य जगह शिफ्ट कर दिया गया है तथा जनवरी 2019 के प्रथम सप्ताह में स्कीम क्रियाशील हो गई। अधिशाषी अभियंता ने भी बताया (फरवरी 2019) कि स्कीम क्रियाशील हो चुकी है। तथापि, लेखापरीक्षा ने भौतिक/स्थल सत्यापन किया (फरवरी 2019) तथा पाया कि स्कीम अभी भी अक्रियाशील है। इसकी पुष्टि ग्राम *पंचायत*, त्रिपाल के प्रधान द्वारा की गई (फरवरी 2019) तथा उन्होंने बताया कि यद्यपि योजना जनवरी 2019 में बहुत कम समय के लिए क्रियाशील हुई थी, अब यह पूर्ण रूप से अक्रियाशील पड़ी है। इसके अतिरिक्त, चूंकि स्कीम को पुनर्जीवित करने के लिए विस्तृत

---

68 ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि –VIII के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक से।

69 निष्पादित कार्य: पम्प हाऊस एवं चौकीदार क्वार्टर का निर्माण (एक), मेन डिलीवरी टैंक (एक), मशीनरी आउटलेट्स (तीन), डीसिलटिंग टैंक (एक), सम्पवेल (एक), पक्का फिल्ड चैनल (3,685 रनिंग मीटर), राइजिंग मेन प्रथम स्तर (एम0एस0ई0आर0डब्ल्यू0 पाईप 350 मि0 मी0 व्यास: 195 रनिंग मीटर), राइजिंग मेन द्वितीय स्तर (एम0एस0ई0आर0डब्ल्यू0 पाईप 350 मि0 मी0 व्यास: 720 रनिंग मीटर), वितरण प्रणाली (10,130 रनिंग मीटर), पम्पिंग मशीनरी (75 अश्व शक्ति: दो एवं 55 अश्व शक्ति: दो) तथा विद्युत आपूर्ति।

70 2010-11: *खरीफ* (14.89 हेक्टेयर: 11 *प्रतिशत*) तथा *रबी* (7.72 हेक्टेयर: छः *प्रतिशत*) तथा 2011-12: *खरीफ* (0.65 हेक्टेयर: एक *प्रतिशत* से कम) तथा *रबी* (0.65 हेक्टेयर: एक *प्रतिशत* से कम)।

71 फ्लूवियल (धारा सम्बंधी प्रक्रिया) अपरदन के द्वारा निर्मित निम्न क्षेत्र/अवसाद।

परियोजना रिपोर्ट, नाबार्ड के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए जनवरी 2019 में योजना विभाग को भेजी गई थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि स्कीम जनवरी 2019 तक क्रियाशील नहीं हो पायी थी, जैसा कि विभाग द्वारा बताया गया था।

स्कीम को पुनर्जीवित करने की कार्रवाई में विलम्ब यह दिखाता है कि विभाग अपेक्षित लाभार्थियों को लाभ प्रदान करने के लिए स्कीम को क्रियाशील बनाने के लिए वचनबद्ध नहीं था। इसके अतिरिक्त, स्कीम की स्थिति की गलत रिपोर्टिंग यह दिखाता है कि विभाग ने वास्तविक जमीनी परिस्थिति का कोई आकलन नहीं किया तथा मामले की गंभीरता के प्रति गंभीर नहीं थे।

उपर्युक्त कमियों का अर्थ है कि मूल स्कीम के निष्पादन पर खर्च किया गया ₹ 1.42 करोड़ पिछले छः वर्ष से अनुत्पादक रहा तथा अभिप्रेत लाभार्थियों को परिकल्पित लाभों से वंचित होना पड़ा। विभाग ने 2012-18 के दौरान निष्क्रिय स्कीम पर ₹ 0.38 करोड़ का अनुत्पादक व्यय भी किया जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को विद्युत शुल्क के लिए: ₹ 0.29 करोड़ का भुगतान एवं पम्पिंग मशीनरी एवं पम्प हाऊसों की देखभाल हेतु कर्मचारियों के वेतन के लिए ₹ 0.09 करोड़ के रूप में था। इसके अतिरिक्त, मूल स्कीम के विफल होने के कारण राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा क्योंकि स्कीम को क्रियाशील बनाने के लिए ₹ 2.78 करोड़ (मूल लागत का 196 *प्रतिशत*) की अतिरिक्त निधि की आवश्यकता थी। सितम्बर 2019 तक स्थिति वैसी ही बनी रही।

सरकार को निष्पादन से पहले स्रोत की स्थिरता का उचित निर्धारण तथा स्कीम की व्यवहार्यता सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि लाभार्थियों को समय से इच्छित सिंचाई सुविधा प्रदान की जा सके। सरकार को स्कीम के तीव्र निष्पादन के लिए आंतरिक नियंत्रण को सुदृढ़ करने पर भी विचार करना चाहिए तथा रिपोर्टिंग प्रणाली में कमियों को ठीक किया जाए ताकि स्कीम की स्थिति की सही सूचना उपलब्ध हो सके।

योजना विभाग

3.13 क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत योजना निधियों का दुरूपयोग

क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत योजना के अंतर्गत ₹ 2.93 करोड़ लागत की राशि पूर्ण आवंटित होने का अर्थ है विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के बजाय योजना के विनिर्देशों का उल्लंघन करते हुए राशि का दुरूपयोग सरकारी आवासों व कार्यालयीन भवनों तथा धार्मिक स्थलों के निर्माण एवं मरम्मत कार्यों में किया गया।

क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत योजना राज्य सरकार का एक कार्यक्रम है जिसमें निर्दिष्ट विकास शीर्षों[72] पर अनुमोदित योजना परिव्यय के पांच *प्रतिशत* को जमा कर जिलों के पास रखने की व्यवस्था की गई है। क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत योजना के अंतर्गत आवंटित निधियों का उपयोग जिला प्राधिकारियों द्वारा कार्यक्रम दिशा-निर्देशों में दिये गए विकास शीर्ष से सम्बंधित विकास कार्यों/ योजनाओं जिससे सामुदायिक लाभ प्राप्त हो, पर किया जाना था। क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत योजना दिशा-निर्देश (2004) निर्धारित करते हैं कि मंदिर परिसर के भीतर कार्यों पर व्यय की अनुमति नहीं है। विकास कार्यों/ योजनाओं की स्वीकृति के लिए 'जिला योजना, विकास एवं बीस-सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति' का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है।

पांच जिलों में क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत योजना आवंटन से संस्वीकृत (2014-18) कार्यों की छानबीन से देखा गया कि सरकारी आवासीय एवं कार्यालय भवनों के निर्माण/ मरम्मत/ जीर्णोद्वार के 81 कार्यों के निष्पादन के लिए सम्बंधित

72 सामाजिक एवं जल संरक्षण; एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम; सामुदायिक विकास; लघु सिंचाई; बाढ़ नियंत्रण; कुटीर एवं लघु उद्योग; सड़कें एवं पुल; प्रारंभिक शिक्षा; सामान्य शिक्षा; एलोपैथी; आयुर्वेद; ग्रामीण जलापूर्ति; अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा सामाजिक कल्याण।

उपायुक्तों द्वारा ₹ 2.07 करोड़[73] संस्वीकृत एवं जारी किए गये थे। जैसा कि कार्यक्रम दिशा-निर्देशों में परिकल्पित था, इन कार्यों का सामुदायिक हितों तथा विकास की उपलब्धि से कोई सम्बंध नहीं था। उपर्युक्त के अतिरिक्त यह पाया गया कि तीन जिलों (कांगड़ा, कुल्लू और शिमला) में ₹ 85.93 लाख[74] की निधियां, कार्यक्रम दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में मंदिर परिसर के भीतर 78 कार्यों को निष्पादित किये जाने हेतु संस्वीकृत तथा जारी की गईं इस प्रकार, विकास आवश्यकताओं को सम्बोधित करने हेतु ₹ 2.93 करोड़ की कुल राशि का, सरकारी आवासीय एवं कार्यालय भवनों तथा धार्मिक स्थलों से सम्बंधित 159 कार्यों हेतु दुरूपयोग किया गया। यह भी देखा गया कि तीन जिलों (बिलासपुर, कांगड़ा एवं शिमला) में आवश्यक प्रक्रिया अपनाए बिना इन कार्यों को स्वीकृत किया गया क्योंकि जिला योजना, विकास एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था।

राज्य सरकार ने बताया (जनवरी 2019) कि इन भवनों को ज्यादा क्षति से बचाने के लिए रख-रखाव की आवश्यकता थी तथा आंगुतकों के उपयोगार्थ इन भवनों में अतिरिक्त सुविधा का निर्माण किया गया था। इसके अतिरिक्त, सलाहकार (योजना) ने बताया (सितम्बर 2019) कि जिलों को बजट आवंटित करते समय क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निधियों को संस्वीकृत करने के अनुदेश जारी किए गए थे तथा जन प्रतिनिधियों की सिफारिशों पर कार्य स्वीकृत किए गए थे। तथापि, दिशा-निदेश स्पष्ट रूप से इस तरह के कार्यों के खर्च पर प्रतिबंध लगाते हैं।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए मामले नमूना-जांच पर आधारित है। विभाग/सरकार ऐसे मामलों की जांच तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई कर सकती है।

सरकार क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत योजना निधियों को स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार केवल विकासात्मक प्रकृति के कार्यों के लिए जारी करना सुनिश्चित कर सकती है।

3.14 सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना तथा विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अंतर्गत अस्वीकार्य कार्यों के लिए निधियों की संस्वीकृति

लेखापरीक्षा द्वारा पूर्व में उल्लंघन के मामले को उजागर करने के बावजूद, पांच जिलों के उपायुक्तों द्वारा ₹ 1.93 करोड़ की राशि की निधियां योजना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए धार्मिक पूजा स्थलों के 170 कार्यों के निष्पादन हेतु जारी की गई।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना तथा विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर महसूस की गई आवश्यकताओं के आधार पर सांसदों तथा विधायकों को विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की सिफारिश के लिए सक्षम बनाना है। इन कार्यों को सम्बंधित जिला प्राधिकारियों द्वारा संस्वीकृत एवं निष्पादित किया जाता है। इन योजनाओं के दिशा-निर्देशों के अनुसार धार्मिक पूजा स्थलों के भीतर तथा धार्मिक समूहों की स्वामित्व वाली भूमि से सम्बंधित कार्यों के लिए अनुमोदन को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करते हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों[75] में इन दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर प्रकाश डाला गया था। तथापि, पांच जिलों में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना तथा विधायक क्षेत्र विकास निधि

---

73 बिलासपुर: ₹ 10.32 लाख (07 कार्य); चम्बा: ₹ 36.22 लाख (14 कार्य); कांगड़ा: ₹ 135.80 लाख (43 कार्य); शिमला: ₹ 16.75 लाख (12 कार्य) तथा ऊना: ₹ 8.06 लाख (05 कार्य)।

74 कांगड़ा: ₹ 15.88 लाख (11 कार्य); कुल्लू: ₹ 16.00 लाख (08 कार्य) तथा शिमला: ₹ 54.05 लाख (59 कार्य)।

75 वर्ष 2010-11 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) का परिच्छेद 2.16; 2012-13 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों -गैर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) का परिच्छेद 3.6.2.3 तथा 2014-15 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों -गैर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) का परिच्छेद 3.17.3.1.

योजना के अंतर्गत संस्वीकृत (दिसम्बर 2016-मार्च 2018) कार्यों की छानबीन में देखा गया कि ₹ 1.93 करोड़[76] की राशि सम्बंधित उपायुक्तों द्वारा धार्मिक पूजा स्थलों के भीतर या धार्मिक समूहों की स्वामित्व वाली भूमि पर 170 कार्यों के निष्पादन के लिए संस्वीकृत एवं जारी की गई। 61 कार्यों के संस्वीकृति आदेश अपने आप दिखाते थे कि ये कार्य धार्मिक पूजा स्थलों के भीतर के लिए संस्वीकृत किए गए थे जो दिशा-निर्देश की स्पष्ट अवहेलना को दर्शाते हैं। शेष 109 कार्यों[77] में, यह पाया गया कि धार्मिक पूजा स्थलों के नाम से पहले "निकट" शब्द स्थलों की झुठी पहचान दिखाने के लिए लगाया गया था: यह उपयोगकर्ता समूहों के प्रस्ताव तथा भू-अभिलेखों की परस्पर जांच से साबित हुआ कि ये 109 कार्य वास्तव में उन्हीं धार्मिक पूजा स्थलों वाली भूमि/ स्वामित्त्व वाली भूमि से सम्बंधित थे जिनका उल्लेख स्वीकृत आदेशों में सीमा चिन्ह के रूप में दिखाया गया था। इन मामलों में जिला प्राधिकारियों द्वारा सम्बद्ध भू-अभिलेखों का सत्यापन न करना या तो लापरवाही का संकेत था या अस्वीकार्य कार्यों की संस्वीकृति को उचित प्रमाणित करने के लिए तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास था।

राज्य सरकार ने बताया (जनवरी 2019) कि इन कार्यों को आम जनता के उपयोग के लिए सम्बंधित सांसदों तथा विधायकों की सिफारिश पर संस्वीकृत किया गया था। उत्तर को इस तथ्य के रूप में देखा जाना चाहिए कि धार्मिक पूजा स्थलों से सम्बंधित कार्यों की संस्वीकृति सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना तथा विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना की दिशा-निर्देशों के अंतर्गत स्पष्टतया निषेध है।

अत:, लेखापरीक्षा द्वारा पूर्व में उल्लंघन पर प्रकाश डालने के बावजूद, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना तथा विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अंतर्गत गैर-अनुमत्य धार्मिक पूजा स्थलों के भीतर 170 कार्यों के निष्पादन के लिए पांच जिलों के उपायुक्तों द्वारा ₹ 1.93 करोड़ की राशि जारी की गई थी।

राज्य सरकार शेष जिलों में ऐसे मामलों की समीक्षा कर सकती है तथा इस तरह के मामलों की पुनरावृत्ति न होना सुनिश्चित कर सकती है।

लोक निर्माण विभाग

3.15 ऑप्टिकल फाईबर केबल को बिछाने के लिए देय राशि की कम वसूली

सड़कों के साथ ऑप्टिकल फाईबर केबल को बिछाने के लिए सही दरों को लागू करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप टेलीकॉम कम्पनियों से ₹ 1.66 करोड़ की कम वसूली हुई।

प्रक्रिया के अनुसार, राज्य में सड़कों के साथ ऑप्टिकल फाईबर केबल को बिछाने के पश्चात खाइयों को पुन: भरने का कार्य टेलीकॉम कम्पनियों द्वारा किया जाता है। विभागीय अनुदेशों (जनवरी 2001) के अनुसार सड़क को पहुंचाई गई क्षति की प्रतिपूर्ति लोक निर्माण विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के आधार पर सम्बंधित मण्डल के अधिशाषी अभियंता द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलनों के अनुसार टेलीकॉम कम्पनियों से प्राप्त निक्षेप निधियों द्वारा की जाती है।

बिलासपुर-I, मण्डी-II एवं सुन्दरनगर मण्डलों के अभिलेखों की छानबीन (दिसम्बर 2017 एवं जनवरी 2018) से उद्घाटित हुआ कि विभाग द्वारा निर्धारित दरों (अक्तूबर 2014 और जनवरी 2016) के अनुसार 2014-15 के लिए

---

76 कुल्लू: ₹ 34.50 लाख (वीकेवीएनवाई के अंतर्गत 20 कार्य); मण्डी: ₹ 58.25 लाख (वीकेवीएनवाई के अंतर्गत 57 कार्य) एवं ₹ 24.50 लाख (एमपीएलएडीएस के अंतर्गत 22 कार्य); शिमला: ₹ 39.75 लाख (वीकेवीएनवाई के अंतर्गत 46 कार्य) एवं ₹ 2.00 लाख (एमपीएलएडीएस के अंतर्गत एक कार्य); सोलन: ₹ 24.49 लाख (वीकेवीएनवाई के अंतर्गत 18 कार्य); एवं ऊना: ₹ 7.51 लाख (वीकेवीएनवाई के अंतर्गत पांच कार्य) एवं ₹ 2.00 लाख (एमपीएलएडीएस के अंतर्गत एक कार्य)।

77 कुल्लू: ₹ 33.50 लाख (वीकेवीएनवाई के अंतर्गत 19 कार्य); मण्डी: ₹ 3.58 लाख (वीकेवीएनवाई के अंतर्गत तीन कार्य) एवं ₹ 24.50 लाख (एमपीएलएडीएस के अंतर्गत 22 कार्य); शिमला: ₹ 36.75 लाख (वीकेवीएनवाई के अंतर्गत 42 कार्य) एवं ₹ 2.00 लाख (एमपीएलएडीएस के अंतर्गत एक कार्य); सोलन: ₹ 23.99 लाख (वीकेवीएनवाई के अंतर्गत 17 कार्य); एवं ऊना: ₹ 6.50 लाख (वीकेवीएनवाई के अंतर्गत चार कार्य) एवं ₹ 2.00 लाख (एमपीएलएडीएस के अंतर्गत एक कार्य)।

(*कच्ची* सड़क ₹ 695 प्रति रनिंग मीटर की दर से, पक्की एवं तारकोल सहित सड़क ₹ 981 प्रति रनिंग मीटर तथा तारकोल मेकेडम सहित पक्की सड़क ₹ 1,470 प्रति रनिंग मीटर की दर से) तथा 2015-16 (राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य राजमार्ग/मुख्य जिला सड़क ₹ 1,323 प्रति रनिंग मीटर की दर से एवं ग्रामीण सड़क ₹ 905 प्रति रनिंग मीटर की दर से) के लिए निर्धारित दरों के अनुसार, उपर्युक्त अवधि के लिए ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने के लिए 72.300 किलोमीटर लम्बी सड़क की खुदाई के कारण हुई क्षतियों की प्रतिपूर्ति हेतु अधिशाषी अभियंताओं द्वारा तीन दूरसंचार कम्पनियों[78] से ₹ 7.21 करोड़ वसूल करना अपेक्षित था। तथापि, उन्हीं कार्यों के लिए प्राक्कलनों को तैयार करते समय (नवम्बर 2014 एवं नवम्बर 2015 के बीच), अधिशाषी अभियंताओं ने गलत दरों[79] को लागू किया तथा केवल ₹ 5.55 करोड़ (**परिशिष्ट-3.5**) की मांग (फरवरी 2015 एवं अक्तूबर 2015 के मध्य) की जिसके परिणामस्वरूप, मैसर्ज जियो इन्फोकॉम लिमिटेड (₹ 0.32 करोड़), आइडिया सेलुलर लिमिटेड (₹ 0.67 करोड़) तथा भारती एयरटेल लिमिटेड (₹ 0.67 करोड़) से ₹ 1.66 करोड़ की कम वसूली हुई।

राज्य सरकार ने बताया (जनवरी 2019) कि संशोधित प्राक्कलन टेलीकॉम कम्पनियों को भेज दिए गये हैं तथा शेष राशि की वसूली के लिए प्रयास किये जा रहे थे। तथापि, सितम्बर 2019 तक वसूली नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए मामले नमूना-जांच पर आधारित है। विभाग/ सरकार ऐसे मामलों की जांच करे तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई कर सकती है।

सरकार टेलीकॉम कम्पनियों से देय राशि की वसूली के लिए तत्काल प्रभाव से संशोधित दरों से लागू करने को सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त तंत्र तैयार कर सकती है।

3.16 सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण निष्फल व्यय

अनुपयुक्त योजना एवं भौगोलिक/स्थल परिस्थितियों के अनुसार प्राक्कलनों को तैयार करने में विभाग की बार-बार विफलता के कारण 14 वर्षों से अधिक समय के लिए सड़क पूर्ण नहीं हो सकी जिससे सम्बंधित लाभार्थियों को अभिप्रेत सड़क कनेक्टिविटी से वंचित होना पड़ा तथा ₹ 17.98 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की परिचालन नियमावली, में टोही सर्वेक्षण[80], प्रारंभिक सर्वेक्षण (टोही सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप विकल्पों की बड़े पैमाने पर जांच एवं आधाररेखा की स्थापना) तथा स्थिति सर्वेक्षण[81] के साथ भौगोलिक एवं जमीनी सर्वेक्षण का प्रावधान है। केन्द्रीय लोक निर्माण नियमावली में मूल प्रशासनिक अनुमोदन से 10 *प्रतिशत* से अधिक व्यय की स्थिति में संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करना, कार्य के निष्पादन के लिए विस्तृत प्राक्कलन एवं आरेखण तैयार करना तथा विचलन के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त करने का प्रावधान है।

---

78 **रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड:** ₹ 2.54 करोड़ (2014-15: ₹ 1.44 करोड़ तथा 2015-16: ₹ 1.10 करोड़); **आइडिया सेलुलर लिमिटेड:** ₹ 3.30 करोड़ (2015-16) तथा **भारती एयरटेल लिमिटेड:** ₹ 1.37 करोड़ (2014-15)।

79 सुन्दरनगर मण्डल 2014-15 के लिए: *कच्ची* सड़क के लिए ₹ 392.95 प्रति रनिंग मीटर (4.5 किलोमीटर) तथा पक्की एवं तारकोल लगी सड़क के लिए ₹ 898.16 प्रति रनिंग मीटर (11.5 किलोमीटर) तथा 2015-16: ग्रामीण सड़क के लिए ₹ 898.16 प्रति रनिंग मीटर (आठ किलोमीटर) तथा राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/मुख्य जिला सड़कों के लिए ₹ 827.87 प्रति रनिंग मीटर (0.800 किलोमीटर), ₹1,059.48 प्रति रनिंग मीटर (0.300 किलोमीटर) तथा ₹ 1,189.50 प्रति रनिंग मीटर (3.670 किलोमीटर); बिलासपुर-I मण्डल में 2014-15 के लिए: पक्की एवं तारकोल लगी सड़क के लिए ₹ 505.23 प्रति रनिंग मीटर (14 किलोमीटर) तथा मण्डी-II मण्डल में 2015-16 के लिए: ग्रामीण सड़क के लिए ₹ 750.60 प्रति रनिंग मीटर (24.124 किलोमीटर) तथा राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/मुख्य जिला सड़कों के लिए ₹ 1,059.48 प्रति रनिंग मीटर (5.406 किलोमीटर)।

80 पैदल, खच्चरों पर सवार होकर (पहाड़ों में) या जीप में सवार होकर क्षेत्र निरीक्षण।

81 क्षेत्र में चयनित संरेखण का केन्द्र बिन्दु नियत करके अंतिम संरेखण का निर्धारण तथा आरेखण तैयार करने के लिए अतिरिक्त आंकड़ों का संग्रहण।

शिमला जिले के दूरवर्ती गांवों (काशापाट *ग्राम पंचायत*) को सड़क कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने हेतु, 8.475 किलोमीटर लम्बी धनडोल से काशापाट सड़क को राज्य तकनीकी अभिकरण द्वारा तकनीकी स्वीकृति[82] प्रदान की गई (जनवरी 2004 में) तथा भारत सरकार द्वारा ₹ 4.66 करोड़ के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अनुमोदित (मार्च 2004) की गई। संरेखण के लिए सामान्य पथ का चयन करते हुए टोही सर्वेक्षण के आधार पर परियोजना अनुमोदित की गई तथा दृश्य आधार पर प्राक्कलन तैयार किया गया। तथापि बाद में, वास्तविक स्थल सर्वेक्षणों एवं 2011-14 के दौरान कार्य के निष्पादन के अनुसार, सड़क की लम्बाई 8.475 किलोमीटर से बढ़कर 11.180 किलोमीटर (2.705 किलोमीटर की वृद्धि) हो गई। इसके अतिरिक्त विभाग ने विस्तृत प्राक्कलनों की तकनीकी स्वीकृति सुनिश्चित करने के बजाय उपर्युक्त अवधि के दौरान अतिरिक्त कार्यों के लिए ₹ 6.73 करोड़[83] का कार्य प्राक्कलन तैयार किया। परियोजना के लिए अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने भी अनुसूचित जाति उप-योजना के अंतर्गत ₹ 2.82 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया (जून 2015)।

रामपुर मण्डल के अभिलेखों की छानबीन (दिसम्बर 2017) से उद्घाटित हुआ कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना परिचालन नियमावली के उल्लंघन में, कार्य वास्तविक स्थल सर्वेक्षण/ बड़े पैमाने पर जांच के बिना निष्पादन के लिए लिया गया (अप्रैल 2005) था जोकि टोही सर्वेक्षण के पश्चात किया जाना अपेक्षित था। विभाग ने क्षेत्र के भौगोलिक/स्थल परिस्थितियों के अनुसार सड़क का विस्तृत प्राक्कलन भी तैयार नहीं किया था। निम्नांकित कमियां पाई गई:

(i) प्रारंभ में, कार्य[84] जुलाई 2006 तक पूर्ण किये जाने हेतु एक ठेकेदार को ₹ 5.03 करोड़ में प्रदान (अप्रैल 2005) किया गया। तथापि, 19 जनवरी 2008 को ठेकेदार की मृत्यु के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो सका। दिसम्बर 2010 में ठेकेदार के वैधानिक उत्तराधिकारी द्वारा कार्य छोड़ने के पश्चात जुलाई 2011 में विभाग द्वारा कार्य रद्द कर दिया गया। कार्य बंद होने तक, ₹ 3.96 करोड़ की लागत में 5.015 किलोमीटर (59 *प्रतिशत*) की फॉर्मेशन कटिंग पूर्ण हो चुकी थी।

(ii) बाद में, अगस्त 2011 में किए गए वास्तविक स्थल सर्वेक्षण, के परिणामस्वरूप सड़क की लम्बाई 1.280 किलोमीटर बढ़ गई। विभाग ने शेष कार्य के लिए ₹ 4.34 करोड़ (₹ 0.70 करोड़ के प्रारंभिक/प्रथम प्राक्कलन के विरूद्ध) का कार्य प्राक्कलन तैयार किया। तत्पश्चात, कार्य को मई 2014 तक पूर्ण किये जाने हेतु ₹ 4.19 करोड़ में एक अन्य ठेकेदार को प्रदान (दिसम्बर 2012) किया गया। ठेकेदार ने सितम्बर 2015 तक ₹ 1.76 करोड़ (₹ 4.19 करोड़ को ₹ 5.95 करोड़ से घटाकर) का विचलन करते हुए ₹ 5.95 करोड़ (अनुमानित लागत का 137 *प्रतिशत*) में 1.990 किलोमीटर (42 *प्रतिशत*) की फॉर्मेशन कटिंग की। सड़क के संरेखण में दुर्गम उर्ध्वाधर चट्टान के कारण ठेकेदार ने उद्धृत/कम दर पर आगे कार्य करने से इंकार कर दिया (सितम्बर 2015) तथा ₹ 266 प्रति घनमीटर की संविदा दर के स्थान पर ₹ 824.80 प्रति घनमीटर की दर की मांग की। विभाग ने अप्रैल 2016 में संविदा को बन्द कर दिया तथा ठेकेदार को केन्द्रीय लोक निर्माण नियमावली के प्रावधान के उल्लंघन में विचलन को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित करवाये बिना ₹ 5.95 करोड़ का भुगतान जारी कर दिया।

(iii) लेखापरीक्षा ने इस बीच पाया कि 2014-15 के दौरान, विभाग ने 4.080 किलोमीटर के लिए अन्य सर्वेक्षण (सड़क की लम्बाई पुनः 1.425 किलोमीटर बढ़ गई) किया तथा ₹ 2.39 करोड़ का कार्य प्राक्कलन जिसमें फॉर्मेशन कटिंग शामिल थी, को तैयार किया। कार्य को सितम्बर 2017 तक पूर्णता हेतु ₹ 5.35 करोड़ में उसी

---

82 कार्य क्षेत्र: फॉर्मेशन कटिंग (5/7 मीटर चौड़ी), 6.200 तथा 14.675 किलोमीटर के बीच हयुम पाईप का निर्माण तथा 7.430 किलोमीटर पर आर0सी0सी0 स्लैब क्लवर्ट का निर्माण।

83 अगस्त 2014: ₹ 4.34 करोड़ (फॉर्मेशन कटिंग: 4.740 किलोमीटर: क्रॉस ड्रेनेज: 8.475 किलोमीटर और सोलिंग: 2.500 किलोमीटर) तथा 2014-15: ₹ 2.39 करोड़ (4.080 किलोमीटर की फॉर्मेशन कटिंग)।

84 फॉर्मेशन कटिंग: 8.475 किलोमीटर, क्रॉस ड्रेनेज: 8.475 किलोमीटर एवं सोलिंग: 2.500 किलोमीटर।

ठेकेदार को सौंपा गया (सितम्बर 2015)। जिसने सितम्बर 2015 में कार्य का निष्पादन करने से इंकार किया था। ठेकेदार ने फरवरी 2018 तक ₹ 8.79 करोड़ (अनुमानित लागत का 368 *प्रतिशत*) में 1.270 किलोमीटर (31 *प्रतिशत)* सड़क की फॉर्मेशन कटिंग का कार्य किया। संपूर्ण वित्तीय निहितार्थ सहित ₹ 10.31 करोड़ (93 *प्रतिशत*) का विचलन फरवरी 2018 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया। तथापि, लेखापरीक्षा का विचार है कि इस विचलन से निविदा प्रक्रिया का दुरूपयोग हुआ क्योंकि कार्य आवंटन से पहले स्थल परिस्थितियों के अनुसार बढ़े हुए लागत पर विस्तृत प्राक्कलन तैयार किया होता तो अधिक बोलीकर्ता आकर्षित होते।

(iv) उपर्युक्त के अतिरिक्त, सड़क के 1.815 किलोमीटर खण्ड में फॉर्मेशन कटिंग का कार्य तीन संविदाओं[85] में ₹ 0.75 करोड़ के लिए अन्य ठेकेदार को सौंपा गया (दिसम्बर 2016 से जून 2017 तक)। ठेकेदार ने जनवरी 2019 तक ₹ 0.71 करोड़ के व्यय के साथ 1.725 किलोमीटर में फॉर्मेशन कटिंग का कार्य किया तथा 0.090 किलोमीटर में फॉर्मेशन कटिंग निष्पादित नहीं की गई।

विभाग ने 2005-18 के दौरान परियोजना पर कुल ₹ 17.98 करोड़[86] का व्यय किया। तथापि, जनवरी 2019 तक मात्र 8.275 किलोमीटर (11.180 किलोमीटर का 74 *प्रतिशत*) में फॉर्मेशन कटिंग निष्पादित होने से सड़क पूर्ण नहीं हुई जैसा कि अपूर्ण सड़क का एक खण्ड फोटोग्राफ में भी दर्शाया गया है।

धनडोल से काशापाट सड़क के 11.300 किलोमीटर से 11.375 किलोमीटर तक का खण्ड

घटनाओं का क्रम दर्शाता है कि लागत प्राक्कलनों एवं निष्पादन को अत्यंत कम आंका गया था। सड़क की लम्बाई 2.705 किलोमीटर[87] (32 *प्रतिशत*) से बढ़ गई जबकि व्यय अनुमोदित परियोजना लागत (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना: ₹ 4.66 करोड़ और राज्य शीर्ष: ₹ 2.82 करोड़) ₹ 10.50 करोड़ (140 *प्रतिशत*) तक बढ़ गई। उपर्युक्त केन्द्रीय लोक निर्माण नियमावली के प्रावधान के उल्लंघन में सक्षम प्राधिकारी से संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किए बिना किया गया ₹ 10.50 करोड़ का अधिक व्यय अनियमित था। जैसा कि उपर्युक्त प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दिशा-निदेश के प्रावधान के अंतर्गत अपेक्षित है, विभाग ने निष्पादन के लिए कार्य लेने से पूर्व व्यापक स्थल सर्वेक्षण नहीं किया था। केन्द्रीय लोक निर्माण नियमावली के प्रावधान के अंतर्गत आवश्यक स्थल परिस्थितियों के अनुसार विस्तृत प्राक्कलनों के बजाय विभाग ने केवल कार्य प्राक्कलन तैयार किया जिसके कारण निविदा प्रक्रिया प्रभावित होने से विचलन हेतु अधिक भुगतान हुआ क्योंकि स्थल परिस्थितियों के अनुसार बढ़े हुए दर पर विस्तृत प्राक्कलन होने से अधिक बोलीकर्ता आकर्षित होते।

85 0.605 किलोमीटर की फॉर्मेशन कटिंग: ₹ 0.24 करोड़ (दिसम्बर 2016); 0.700 किलोमीटर की फॉर्मेशन कटिंग: ₹ 0.25 करोड़ (दिसम्बर 2016) तथा 0.510 किलोमीटर की फॉर्मेशन कटिंग: ₹ 0.26 करोड़ (जून 2017)।

86 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना: ₹ 8.74 करोड़ (भारत सरकार: ₹ 5.75 करोड़ तथा राज्य सरकार: ₹ 2.99 करोड़) तथा राज्य शीर्ष: ₹ 9.24 करोड़।

87 8.475 किलोमीटर से 11.180 किलोमीटर तक।

अत:, विभाग की अनुपयुक्त योजना के परिणामस्वरूप पिछले 14 वर्षों से अधिक समय में सड़क पूर्ण नहीं हो सकी तथा ₹ 17.98 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

राज्य सरकार ने बताया (जनवरी 2019) कि प्रथम ठेकेदार का अकस्मात निधन, उर्ध्वाधर खड़ी तथा कठोर चट्टान के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो सका। छितराई हुई कठोर परत के कारण संरेखण पर प्रस्तावित अर्ध सुरंग संभव नहीं थी तथा पूर्ण ऊंचाई कटिंग करने के परिणामस्वरूप ऊंचाई में वृद्धि हुई तथा आवंटित कार्य में विचलन हुआ। तथापि, व्यापक सर्वेक्षण करने तथा स्थल परिस्थितियों के अनुसार विस्तृत प्राक्कलन तैयार करने में विभाग की विफलता के कारण बड़े पैमाने पर विचलन हुआ जिससे निविदा प्रक्रिया को भी नुकसान हुआ। सितम्बर 2019 तक स्थिति वैसी ही बनी रही।

विभाग को व्यापक स्थल सर्वेक्षण करना तथा स्थल परिस्थितियों के अनुसार कार्य का विस्तृत प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित करना चाहिए ताकि समय पर उनकी पूर्णता तथा लागत वृद्धि से बचना सुनिश्चित हो सके।

राजस्व विभाग

3.17 अस्वीकार्य कार्यों के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से धन का परावर्तन तथा दुरूपयोग

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से आहरित धन का उचित रूप से उपयोग सुनिश्चित करने में राज्य कार्यकारी समिति अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रही थी जिसके परिणामस्वरूप उपायुक्तों द्वारा आपदा/ संकट से क्षतिग्रस्त नहीं हुए सरकारी कार्यालय एवं आवासीय इमारतों की मरम्मत एवं जीर्णोद्वार के लिए ₹ 2.19 करोड़ का राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से परावर्तन तथा दुरूपयोग किया गया जबकि प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए ₹ 3.19 करोड़ के दावे लम्बित थे, जिससे राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का उद्देश्य विफल हुआ।

भारत सरकार के राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के प्रबंधन पर सितम्बर 2010 के दिशा-निदेश (जुलाई 2015 में संशोधित) में नियत है कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को केवल निर्दिष्ट आपदाओं/ संकटों के पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए प्रयोग किया जाना है। दिशा-निदेश पुन: नियत करते हैं कि राज्य सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारी समिति को सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से आहरित धन का उपयोग वास्तविक रूप में उसी उद्देश्य के लिए हो रहा है जिसके लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि स्थापित की गई है, मानकों के अनुसार केवल निर्दिष्ट मदों पर ही व्यय किया जा रहा है तथा निधियों का अस्वीकार्य व्ययों पर परावर्तन नहीं किया जा रहा है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से निधियां राज्य सरकार द्वारा विभिन्न उपायुक्तों तथा विभागों को व्यय की मदों एवं सहायता के मानकों के संदर्भ में भारत सरकार के दिशा-निदेशों के अनुसार उपयोग के लिए आवंटित की जाती है। इन दिशा-निदेशों में प्रावधान है कि राज्य सरकारी इमारतों अर्थात कार्यालय भवन, रिहायशी आवासों, इत्यादि की मरम्मत हेतु सहायता राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के अंतर्गत नहीं आती है।

तथापि, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से स्वीकृत कार्यों की छानबीन में पाया गया कि पांच जिलों[88] में उपर्युक्त दिशा-निदेशों/ अनुदेशों के उल्लंघन में, सरकारी कार्यालयों एवं रिहायशी भवनों की मरम्मत एवं जीर्णोद्वार के 180 कार्यों के लिए सम्बंधित उपायुक्तों द्वारा ₹ 2.19 करोड़ की निधियां संस्वीकृत एवं जारी की गईं (जनवरी 2015 और अगस्त 2017 के बीच)। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से दुरूपयोग के ये मामले न्यायसंगत नहीं थे क्योंकि संस्वीकृत कार्यों की क्षतियां आपदा/ संकट के कारण नहीं हुई थी। कुल अस्वीकार्य राशि ₹ 2.19 करोड़ में से,

88 बिलासपुर: ₹ 52.73 लाख 2014-17 के दौरान 37 कार्यों के लिए; कांगड़ा: ₹ 44.42 लाख 2016-18 के दौरान 30 कार्यों के लिए; किन्नौर: ₹ 47.44 लाख 2015-17 के दौरान 20 कार्यों के लिए; शिमला: ₹ 29.19 लाख 2016-17 के दौरान 26 कार्यों के लिए तथा सोलन: ₹ 45.51 लाख 2016-18 के दौरान 67 कार्यों के लिए।

राज्य सरकार से पुनर्विनियोजन/ अधिकृत करवाए बिना 2016-18 के दौरान 139 कार्यों के लिए ₹ 1.62 करोड़[89] संस्वीकृत एवं जारी किए गए; जिसमें से 67 कार्यों के लिए ₹ 88.19 लाख लघु शीर्ष 'स्थानीय निकायों एवं अन्य गैर-सरकारी निकायों/ संस्थानों की सहायता' (मुख्य शीर्ष प्राकृतिक संकट के कारण राहत-02 बाढ़, चक्रवात, इत्यादि) के अंतर्गत दर्ज किए गए जिससे स्थानीय निकायों/ गैर-सरकारी निकायों की सहायता के लिए नियत चिन्हित बजट का दुरूपयोग हुआ।

इन जिलों के तीन उपमण्डलों में 2015-18 की अवधि के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के अंतर्गत राहत दावों की नमूना जांच से पाया गया कि चूंकि ₹ 2.19 करोड़ का दुरूपयोग हुआ जबकि उसी अवधि में संकट के पीड़ितों के ₹ 3.19 करोड़[90] के अनुदान राहत/अनुग्रह भुगतान के 152 दावे निधियों की अनुपलब्धता के कारण लम्बित थे, जिससे राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का उद्देश्य विफल हुआ।

राज्य सरकार केवल निधियों को जारी करने के आधार पर भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेज रही थी। राज्य कार्यकारी समिति, जिसे राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का उचित उपयोग सुनिश्चित करना था, ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से संस्वीकृत राहत कार्यों के सम्बंध में कोई नियंत्रण/ रिपोर्टिंग प्रणाली निर्धारित नहीं की थी जिसके परिणामस्वरूप जिला प्राधिकारियों द्वारा राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का दुरूपयोग हुआ।

राज्य सरकार ने बताया (जुलाई तथा सितम्बर 2019) कि जिला प्राधिकारियों एवं विभागों को समय-समय पर दिशा-निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिये गये थे तथा राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के अन्तर्गत व्यय का अनुश्रवण/ विनियमन करने के लिए संस्वीकृत निधियों का अनुश्रवण सॉफ्टवेयर के माध्यम से वास्तविक समय के आधार पर अनुश्रवण करने का निर्णय लिया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए मामले नमूना-जांच पर आधारित है। विभाग/सरकार ऐसे मामलों की जांच तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई कर सकती है।

सरकार राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के अंतर्गत व्यय को संस्वीकृत व अनुमोदित करते समय दिशा-निर्देशों के प्रावधानों को लागू कर सकती है।

3.18 स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के प्रति अंशदान की अल्प वसूली तथा स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का दुरूपयोग

जल विद्युत शक्ति परियोजनाओं के विकासकर्ताओं से ₹ 6.14 करोड़ की स्थानीय क्षेत्र विकास निधि तथा उस पर ₹ 2.72 करोड़ के ब्याज की कम वसूली की गई थी जबकि अंतिम किश्त की देय तिथि से चार माह तथा दस वर्षों के बीच की अवधि बीत चुकी थी। स्थानीय क्षेत्र विकास से गैर-सम्बंधित मदों पर ₹ 2.05 करोड़ की निधि का दुरूपयोग हुआ।

राज्य जल विद्युत नीति (2006) के अनुसार जल विद्युत शक्ति परियोजनाओं से प्रभावित क्षेत्रों में सुविधाओं के पुनरूद्धार तथा स्थानीय क्षेत्र विकास हेतु कार्य (ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, लोक निर्माण, इत्यादि से सम्बंधित) जिला स्तरीय स्थानीय क्षेत्र विकास समिति द्वारा स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से किया जाना अपेक्षित है। जल विद्युत शक्ति परियोजना विकासकर्ता को स्थानीय क्षेत्र विकास निधि में परियोजना के प्रारंभ होने से पहले की अवधि के दौरान अंतिम परियोजना लागत के 1.5 *प्रतिशत*[91] के बराबर की राशि का उतनी किश्तों में योगदान करना है जैसा कि क्रियान्वयन अनुबंध में निर्धारित है। स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के प्रबंधन के लिए राज्य सरकार के दिशा-

89 बिलासपुर: ₹ 20.66 लाख 2016-17 के दौरान 09 कार्यों के लिए; कांगड़ा: ₹ 44.42 लाख 2016-18 के दौरान 30 कार्यों के लिए; किन्नौर: ₹ 22.44 लाख 2016-17 के दौरान 07 कार्यों के लिए; शिमला: ₹ 29.19 लाख 2016-17 के दौरान 26 कार्यों के लिए तथा सोलन: ₹ 45.51 लाख 2016-18 के दौरान 67 कार्यों के लिए।

90 बिलासपुर सदर (बिलासपुर जिला): ₹ 1.40 करोड़ के 74 दावे; शिमला ग्रामीण (शिमला जिला): ₹ 0.71 करोड़ के 26 दावे तथा सोलन (सोलन जिला): ₹ 1.08 करोड़ के 52 दावे।

91 पांच मेगावाट से अधिक की जल विद्युत शक्ति परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत का 1.5 *प्रतिशत* तथा पांच मेगावाट तक की जल विद्युत शक्ति परियोजनाओं के लिए एक *प्रतिशत* ।

निदेशों में नियत है (अक्तूबर 2011) कि किसी जिला के अंदर पांच मेगावाट से ऊपर की जल विद्युत शक्ति परियोजनाओं के लिए सभी स्थानीय क्षेत्र विकास समितियां उपायुक्त के समग्र नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करेंगी। निर्धारित अनुसूची के अनुसार उपायुक्त को अंशदान जारी करने के लिए सम्बंधित विकासकर्ताओं के साथ मामला उठाया जाना अपेक्षित है। अंशदान जारी करने की विफलता के मामले में, परियोजना विकासकर्ता स्थानीय क्षेत्र विकास निधि की देय राशि पर 12 *प्रतिशत* वार्षिक दर से ब्याज भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा। दिशा-निदेशों में यह भी निर्धारित है कि स्थानीय क्षेत्र विकास निधि में जमा राशि पर अर्जित ब्याज स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का भाग होगा तथा राज्य सरकार पर बिना किसी बाध्यता के स्थानीय क्षेत्र विकास समिति की बैठकों का आयोजन करने, निगरानी, कार्यालय व्यय, गुणवत्ता निर्धारण हेतु विशेषज्ञों की सेवा लेने, विवादों का निपटारा करने, इत्यादि की लागत को आवृत करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।

(क) तीन उपायुक्तों (कांगड़ा, कुल्लू एवं शिमला) के अभिलेखों की छानबीन में पाया गया कि इन जिलों में 12 जल विद्युत शक्ति परियोजनाएं आरम्भ की गई थीं (मई 2008 और जनवरी 2018 के बीच) जिनके लिए राज्य सरकार और सम्बंधित परियोजना विकासकर्ताओं के बीच क्रियान्वयन अनुबंध राज्य जल विद्युत नीति प्रभावी (दिसम्बर 2006) होने के बाद हस्ताक्षरित किया गया था। क्रियान्वयन अनुबंधों की शर्तों के अनुसार, विकासकर्ताओं को इन परियोजनाओं से सम्बंधित स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के प्रति ₹ 10.76 करोड़ की राशि का अंशदान करना अपेक्षित था। इसके प्रति, मई 2018 तक परियोजना विकासकर्ताओं ने केवल ₹ 4.62 करोड़ जमा करवाए थे। शेष ₹ 6.14 करोड़ की राशि, जिसे परियोजना आरम्भ करने से पहले निर्माण अवधि के दौरान जमा करवाया जाना था, अंतिम किश्त की देय तिथि के चार माह तथा दस वर्षों की अवधि के बीच बीत जाने के बाद भी प्राप्त नहीं हुई। स्थानीय क्षेत्र विकास निधि की बकाया राशि पर आरंभ होने की सम्बंधित तिथि से ₹ 2.72 करोड़ का ब्याज भी वसूली योग्य हो गया था (**परिशिष्ट-3.6**)।

स्थानीय क्षेत्र विकास निधि अंशदान की कम वसूली (57 *प्रतिशत)* दर्शाती है कि क्रियान्वयन अनुबंधों में दण्डस्वरूप ब्याज का प्रावधान परियोजना विकासकर्ताओं द्वारा देय स्थानीय क्षेत्र विकास निधि अंशदान को समय पर प्रेषित करना सुनिश्चित करने में पर्याप्त रूप से प्रभावी नहीं था।

यह भी देखा गया कि ₹ 4.62 करोड़ की जमा राशि में से, ₹ 3.69 करोड़ (80 *प्रतिशत*) प्रभावित क्षेत्रों में प्रस्तावित विकासात्मक कार्यों के लिए पहले ही संस्वीकृत[92] किया जा चुका था जो इस बात का साक्ष्य था कि प्रभावित क्षेत्रों में अधिक कार्यों को वित्तपोषित करने के लिए कुल देय राशि की वसूली आवश्यक थी।

(ख) उपायुक्त, कुल्लू के अभिलेखों की छानबीन से देखा गया कि स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के ₹ 2.05 करोड़ में से विभिन्न कार्य मदों[93] के लिए ₹ 0.31 करोड़ दिशा-निदेशों में परिकल्पित सुविधाओं के पुनरूद्धार अथवा स्थानीय क्षेत्र विकास से सम्बंधित नहीं थे। 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के परिच्छेद 3.23 के संदर्भ में चम्बा जिले से सम्बंधित स्थानीय क्षेत्र विकास से गैर-सम्बंधित मदों पर स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के उपयोग पर समरूप टिप्पणी को उजागर किया गया था। स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के दुरूपयोग के दोहराए गये ऐसे मामलों से स्थानीय क्षेत्र विकास समितियों द्वारा

92 कांगड़ा: ₹ 0.32 करोड़; कुल्लू: ₹ 0.40 करोड़ तथा शिमला: ₹ 2.97 करोड़।

93 कार्यालयों तथा उपायुक्त, मण्डलीय उपायुक्त, तहसील कार्यालय, उप-मण्डलीय कार्यालय, सर्किट हाउस, इत्यादि में फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव की मरम्मत एवं खरीद; बैठक कक्ष का जीर्णोद्वार तथा उप-मण्डलीय दण्डाधिकारी के कार्यालय में इंटरकॉम की स्थापना।

स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के दुरूपयोग के प्रति जांच के रूप में सेवा देने में प्रभावी नियंत्रण प्रणाली का अभाव प्रदर्शित होता था।

उत्तर में सम्बंधित जिला स्तरीय प्राधिकारियों[94] एवं मुख्य अभियंता, ऊर्जा निदेशालय ने उत्तर दिया (अप्रैल-मई 2018) कि स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के कम जमा होने सम्बंधी पत्राचार परियोजना विकासकर्ताओं के साथ बार-बार किया गया था। उपायुक्त-एवं-अध्यक्ष, स्थानीय क्षेत्र विकास समिति, कुल्लू ने बताया कि निधियों का उपयोग सही एवं पारदर्शितापूर्वक किया गया क्योंकि दिशा-निदेशों में प्रावधान था कि स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का 10 *प्रतिशत* तथा 15 *प्रतिशत* का उपयोग परियोजना प्रभावित खण्डों एवं परियोजना प्रभावित जिलों में किया जा सकता था। उत्तर लेखापरीक्षा टिप्पणी की पुष्टि करता है कि राज्य सरकार के पास स्थानीय क्षेत्र विकास निधि अंशदान की वसूली के लिए प्रावधान को लागू करने हेतु कोई प्रभावी तंत्र नहीं था। इसके अतिरिक्त, उपायुक्त-एवं-अध्यक्ष, स्थानीय क्षेत्र विकास समिति, कुल्लू का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि जिन मदों पर व्यय किया गया वे अस्वीकार्य थीं एवं स्थानीय क्षेत्र विकास से सम्बंधित नहीं थीं। सितम्बर 2019 तक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए मामले नमूना-जांच पर आधारित है। विभाग/ सरकार ऐसे मामलों की जांच तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई कर सकती है।

राज्य सरकार परियोजना विकासकर्ताओं से स्थानीय क्षेत्र विकास निधि की राशि की वसूली के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित कर सकती है ताकि परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में विकास गतिविधियों को करने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध हो।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष सरकार को जुलाई 2018 में संदर्भित किए गये थे। उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2019)।

पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग

3.19 ब्याज का परिहार्य भुगतान

सात भूमि मालिकों को ₹ 2.02 करोड़ का मुआवजा जारी करने में आठ वर्षों से विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.76 करोड़ ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।

राज्य सरकार ने कुल्लू जिला में भुंतर हवाई अड्डा के विस्तार के लिए 65.01.16 बीघा जमीन अधिग्रहण करने हेतु भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना जारी की (जून 1998)। भू-अर्जन समाहर्ता, कुल्लू ने उपर्युक्त अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत घोषित (19 जुलाई 2000) मुआवजे के अनुसार भूमि का मूल्य ₹ 25,000 प्रति *बिस्वा* निर्धारित किया।

जिला न्यायालय कुल्लू ने सात भूमि मालिकों की याचिका पर निर्णय (जनवरी 2003) में मुआवजा राशि को, भूमि-अर्जन की तिथि से राशि जारी करने की तिथि तक संपूर्ण राशि पर ब्याज[95] सहित ₹ 25,000 से ₹ 50,000 प्रति *बिस्वा* तक बढ़ा दिया। विभाग ने निर्णय के विरूद्ध उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की (अप्रैल 2003) तथा जिला न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय के अनुसार मार्च 2006 तक देय ₹ 5.12 करोड़ के प्रति भूमि मालिकों के पक्ष में ₹ 3.10 करोड़ जमा करवाये (**परिशिष्ट-3.7**)। याचिका को 10 नवम्बर 2008 को खारिज कर दिया गया तथा वृद्धि के लिए जिला न्यायालय के निर्णय को सही ठहराया गया। विभाग को या तो निर्णय के विरूद्ध आगे याचिका दायर करनी थी या आदेशों के अनुसार भुगतान जारी करना था।

94 अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (कानून व्यवस्था), शिमला; क्रेडिट योजना अधिकारी, कांगड़ा तथा उपायुक्त-एवं-अध्यक्ष, स्थानीय क्षेत्र विकास समिति, कुल्लू।

95 प्रथम वर्ष के लिए नौ *प्रतिशत* वार्षिक दर पर तथा शेष अवधि के लिए 15 *प्रतिशत* वार्षिक दर पर।

विभाग ने निर्णय लिया (दिसम्बर 2008) कि समान मामले पर विधि विभाग के मतानुसार उच्च न्यायालय का निर्णय आगामी बहस के योग्य नहीं था। तथापि, विभाग ने उच्च न्यायालय के निर्णय का अनुपालन भी नहीं किया तथा ₹ 2.02 करोड़ का बकाया भुगतान लाभार्थियों को जारी नहीं किया। आगे यह भी देखा गया कि न तो भू-अर्जन समाहर्त्ता, कुल्लू ने उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद आगे वितरण के लिए निधियों की मांग की और न ही निदेशक, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन ने भू-अर्जन समाहर्ता, कुल्लू से पत्राचार किया। जिला न्यायालय, कुल्लू में भूमि मालिकों द्वारा एक निष्पादन याचिका दायर (मई 2015) करने के बाद ही भू-अर्जन समाहर्ता, कुल्लू ने निधियों को आगे जारी करने के लिए विभाग से मांग की। विभाग ने राज्य सरकार से अतिरिक्त निधियों की मांग की (नवम्बर 2015) जो कि नवम्बर 2016 में प्रदान की गई तथा 11 नवम्बर 2008 से 03 नवम्बर 2016 तक की अवधि से सम्बंधित ₹ 1.76 करोड़ के ब्याज भुगतान सहित ₹ 3.78 करोड़ भूमि मालिकों को 03 नवम्बर 2016 को जारी किए गए।

स्पष्टतया, सात भूमि मालिकों को ₹ 2.02 करोड़ का शेष मुआवजे का भुगतान समय पर जारी करने में विभाग की विफलता के कारण विभाग को ब्याज के भुगतान के लिए ₹ 1.76 करोड़ का परिहार्य व्यय करना पड़ा।

सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2019) कि उच्च न्यायालय में दायर याचिका को खारिज करने के बाद, विभाग आगे प्रतिवाद के लिए इच्छुक नहीं था तथा साथ ही सम्बंधित भूमि मालिकों ने भुगतान के लिए जोर नहीं दिया था। विभाग को उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार समय पर भुगतान जारी करना चाहिए था। चूक करने के मामले में कार्रवाई की जानी चाहिए परन्तु सितम्बर 2019 तक चूककर्ताओं के विरूद्ध कार्रवाई नहीं की गई थी।

सरकार समय पर मुआवजे का भुगतान न करने हेतु जवाबदेही तय करने तथा भविष्य में अतिरिक्त भुगतान से बचने के लिए मुआवजे को समय पर जारी करना सुनिश्चित कर सकती है।

परिवहन विभाग (हिमाचल प्रदेश नगर परिवहन तथा बस अड्डा प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण)

3.20 असुरक्षित स्थल पर बस स्टैंड के निर्माण पर परिहार्य हानि

बाढ़ संभावित क्षेत्र में बस अड्डे के निर्माण के लिए प्राधिकरण के अनुचित निर्णय तथा बाढ़ के प्रभावों को समाप्त/ कम करने के लिए बाढ़ सुरक्षा उपायों को अपनाने में प्राधिकरण की विफलता के कारण ₹ 5.25 करोड़ की परिहार्य हानि हुई तथा क्षतियों की बहाली पर ₹ 1.01 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अनुमोदित भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के डिजाईन से पहले स्थल निर्धारण पर परिच्छेद 5.2.1, में भवन निर्माण की अवधारणा से पूर्व स्थल सर्वेक्षण तथा मृदा जांच का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, नई संरचना का स्थल तय करते समय राज्य जल नीति, 2013 के अनुसार यह निश्चित किया जाएगा कि ये अधिमानतः बाढ़ क्षेत्र से दूर स्थित है। तथापि, यदि ऐसा करना संभव न हो तो इन संरचनाओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त बाढ़ सुरक्षा के उपाय उपलब्ध कराए जाएंगे।

हिमाचल प्रदेश नगर परिवहन तथा बस अड्डा प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण (प्राधिकरण) ने धर्मपुर (मण्डी जिला) में एक नये बस स्टैंड के निर्माण हेतु विस्तृत प्राक्कलन तैयार करने के लिए हिमाचल प्रदेश शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) से अनुरोध किया (मई 2009)। हिमुडा से प्राप्त (सितम्बर 2009) प्राक्कलनों के आधार पर बस अड्डे के निर्माण हेतु ₹ 1.79 करोड़ (अप्रैल 2012 में ₹ 2.98 करोड़ तक संशोधित) का प्रशासनिक अनुमोदन स्वीकार किया (अक्तूबर 2009) गया। हिमुडा ने बस अड्डे का निर्माण जनवरी 2010 में प्रारंभ किया तथा ₹ 2.69 करोड़ का व्यय करने के पश्चात सितम्बर 2012 में इसे पूर्ण किया।

प्राधिकरण के अभिलेखों की छानबीन (नवम्बर 2017) में पाया गया कि बस अड्डे का निर्माण राजस्व अभिलेखों में *गैर-मुमकिन खड्ड* (बाढ़ संभावित क्षेत्र) के रूप में वर्गीकृत भूमि पर किया गया तथा प्राधिकरण ने *खड्ड*[96] में निर्माण किये जाने वाले भवन की सुरक्षा का पता लगाए बिना स्थल का चयन किया। इसके अतिरिक्त, चूंकि बाढ़ प्राकृतिक घटना है, प्राधिकरण ने बस अड्डे के निर्माण से पूर्व बाढ़ के कारण उत्पन्न आपदा से निपटने/ कम करने हेतु *खड्ड* के चैनलाईजेशन सहित किसी बाढ़ सुरक्षा उपायों को भी नहीं अपनाया था तथा निष्पादन प्रारंभ करने से पहले आवश्यक पर्यावरण मंजूरी भी प्राप्त नहीं की गई थी। परिणामत:, 07-08 अगस्त 2015 की मध्य रात्रि को क्षेत्र में अचानक आई बाढ़ में, बस अड्डे भवन से *खड्ड* में पानी के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा उत्पन्न हुई तथा बाढ़ का पानी बस अड्डा परिसर में प्रवेश कर गया जिससे बस अड्डा संरचना को नुकसान हुआ एवं परिसर में खड़ी 10 बसें क्षतिग्रस्त हो गईं। *खड्ड* के चैनलाईजेशन की लागत सहित क्षतिग्रस्त संरचना की पुर्नस्थापना लागत ₹ 3.25 करोड़ आंकी गई। इसके अतिरिक्त, 10 बसों के क्षतिग्रस्त होने के कारण हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन निगम को भी ₹ 2.00 करोड़ की हानि हुई। प्राधिकरण ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से ₹ 1.01 करोड़ के व्यय के साथ क्षतिग्रस्त बस अड्डे को तत्काल पुर्नस्थापित किया। दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई एवं जवाबदेही तय करने हेतु राज्य सरकार के निर्देश (फरवरी 2016) के बावजूद सितम्बर 2019 तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे बाढ़ सुरक्षा उपायों के प्रति प्राधिकरण के साथ-साथ सरकार की लापरवाही उजागर हुई।

बाढ़ सुरक्षा उपायों के बिना *खड्ड* के साथ बस अड्डे का निर्माण करने के परिणामस्वरूप 07-08 अगस्त 2015 की मध्य रात्रि में अचानक आई बाढ़ के कारण धर्मपुर बस अड्डे एवं बसों की क्षति को दर्शाता छायाचित्र

अतिरिक्त आयुक्त, परिवहन ने बताया (जनवरी 2019) कि इस उद्देश्य हेतु गठित समिति[97] द्वारा स्थल का चयन आम जनता की मांग पर किया गया। इसके अतिरिक्त, पिछले 20 वर्षों में किसी बड़ी बाढ़ का कोई अभिलेख नहीं था। सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2019) कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई संभव नहीं थी क्योंकि यह ऊपर से नीचे तक सामूहिक विफलता थी।

अत:, बाढ़ संभावित क्षेत्र में बस अड्डे के निर्माण के लिए प्राधिकरण के अनुचित निर्णय तथा बाढ़ के प्रभावों को समाप्त/ कम करने के लिए बाढ़ सुरक्षा उपायों को अपनाने में प्राधिकरण की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 5.25 करोड़ की परिहार्य हानि हुई तथा क्षतियों की बहाली पर ₹ 1.01 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

राज्य सरकार सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान से बचने के लिए सार्वजनिक अवसंरचना के निर्माण हेतु उपयुक्त स्थल का चयन तथा सुरक्षा उपायों को अपनाना सुनिश्चित कर सकती है।

96 फ्लूवियल अपरदन द्वारा निर्मित निम्न स्तर क्षेत्र/ गिराव।

97 उपमण्डलीय दण्डाधिकारी, सरकाघाट; जिला वन अधिकारी, जोगिन्द्रनगर तथा क्षेत्रीय प्रबंधक, हिमाचल पथ परिवहन निगम, सरकाघाट।

3.21 बस अड्डे हेतु अनुपयुक्त स्थल के चयन के कारण निरर्थक व्यय

प्रस्तावित बस अड्डे की आवश्यकता का आकलन तथा अभिकल्प को अंतिम रूप देने के साथ उपयुक्त स्थल के चयन में हिमाचल प्रदेश नगर परिवहन तथा बस अड्डा प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण की आयोजना में कमी के कारण प्रारंभिक कार्यों पर किया गया ₹ 93.61 लाख का व्यय निरर्थक रहा।

हिमाचल प्रदेश नगर परिवहन तथा बस अड्डा प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण (प्राधिकरण) ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन (मई 2009) से हमीरपुर में टैक्सी स्टैंड, पार्किंग क्षेत्र, दुकानें, *यात्री निवास*, कार्यशाला एवं अन्य सार्वजनिक आवागमन सुविधाओं से युक्त नये बस अड्डा (क्षमता: 700 बसें) परिसर के निर्माण की दृष्टि से 1.2223 हेक्टेयर वन भूमि को परिवर्तित किया तथा प्रतिपूरक पौधरोपण एवं निवल वर्तमान मूल्य के प्रति ₹ 12.35 लाख का भुगतान (मई 2009) किया।

प्राधिकरण के अभिलेखों की छानबीन में पाया गया (अक्तूबर 2017) कि उपायुक्त, हमीरपुर की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा गठित (जुलाई 2009) समिति ने स्थल का दौरा किया (जुलाई 2009) तथा भविष्य में विस्तार/ आवश्यकता के लिए सम्पर्क सड़क की संकीर्णता तथा सीमित स्थल होने के कारण स्थल को अनुपयुक्त पाया। इसलिए, समिति ने हमीरपुर बाईपास सड़क के निकट एक अन्य स्थल (2.8303 हेक्टेयर माप की वन भूमि) की पहचान की (अप्रैल 2010) जिसमें श्मशान संरचना का विघटन, सीवर लाईन की शिफ्टिंग एवं वन भूमि को परिवर्तित करने के लिए भारत सरकार का अनुमोदन शामिल था।

प्राधिकरण ने वन विभाग के पास प्रतिपूरक पौधरोपण एवं निवल वर्तमान मूल्य के लिए ₹ 54.40 लाख जनवरी 2010 एवं फरवरी 2012 के मध्य पुन: जमा करवाए तथा सीवर लाईन की शिफ्टिंग के लिए सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग को ₹ 26.86 लाख का भुगतान (फरवरी 2012) किया। इसी बीच, राज्य सरकार ने चिन्हित स्थल पर कार्य प्रदान करने की तिथि से 18 माह के भीतर सार्वजनिक निजी सहभागिता मोड पर बस अड्डे के निर्माण का निर्णय लिया (जुलाई 2011)। तदनुसार, प्राधिकरण ने बस अड्डे परिसर के निर्माण हेतु खुली निविदा द्वारा एक फर्म[98] का चयन किया तथा फर्म को कार्य करने हेतु नोटिस जारी किया (अक्तूबर 2011)। तथापि, दोनों तरफ (हमीरपुर नगर की तरफ तथा राष्ट्रीय राजमार्ग बाईपास की तरफ) से प्रवेश तथा निकास का प्रावधान प्रारंभिक परियोजना लागत में शामिल नहीं था। फर्म ने प्राधिकरण के पास ₹ 67.00 लाख परियोजना विकास शुल्क एवं ₹ 3.35 करोड़ निष्पादन गारंटी जमा किये (अक्तूबर 2011) तथा 30 वर्षों की रियायत अवधि के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए (दिसम्बर 2011)। फर्म को प्रत्येक दो वर्ष में 10 *प्रतिशत* की वृद्धि के साथ ₹ 72.00 लाख वार्षिक रियायत शुल्क का भुगतान करना था।

तथापि, यह पाया गया कि श्मशान घाट को विघटित न करने के कारण सभी-बाधाओं से रहित चयनित स्थल को नहीं सौंपने के साथ प्राधिकरण की आरेखण अनुमोदन समिति द्वारा आरेखण एवं डिजाईन को अनुमोदन/ अंतिम रूप न देने के कारण बस अड्डे का निर्माण कार्य जून 2014 तक प्रारंभ नहीं हुआ था। आरेखण अनुमोदन समिति की सिफारिश पर प्राधिकरण ने दोनों तरफ से बस अड्डे में प्रवेश तथा निकास के निर्माण सहित संशोधित डिजाईन मापदण्डों को जारी किया (सितम्बर 2013) यद्यपि परियोजना लागत में यह वास्तविक रूप से शामिल नहीं था। परिणामत:, फर्म ने संशोधित डिजाईन मापदण्डों पर इस तर्क के साथ आपत्ति की (जून 2014) कि स्थल का घाटी में स्थित होने के कारण संरचना की नींव की लागत में भारी वृद्धि हो सकती है। उपर्युक्त दृष्टि में, फर्म ने प्राधिकरण से अनुबंध रद्द करने एवं निष्पादन गारंटी तथा परियोजना विकास शुल्क वापिस करने का अनुरोध किया। सितम्बर 2014 में, प्राधिकरण ने रियायत अनुबंध को समाप्त कर दिया तथा निष्पादन गारंटी एवं परियोजना

98 मैसर्ज एमईपी टोल रोड्स प्राइवेट लिमिटेड।

विकास शुल्क वापिस कर दिया। स्पष्टतया, प्राधिकरण प्रस्तावित बस अड्डे में सृजित की जाने वाली सुविधाओं की आवश्यकता तथा उपयुक्त स्थल का चयन करने में विफल रहा जिसके कारण रियायत अनुबंध की समाप्ति तथा प्रत्याभूतियों की वापसी हुई।

सितम्बर 2017 में प्राधिकरण के निदेशक मण्डल ने निर्णय लिया कि अत्यधिक विकासात्मक लागत के कारण हमीरपुर में चिन्हित भूमि पर बस अड्डे का निर्माण संभव नहीं था तथा प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अन्य उपयुक्त जगह चयनित करने के लिए कार्रवाई करने के अतिरिक्त हमीरपुर में मौजूदा बस अड्डे के विस्तार की संभावना तलाशने के लिए अधिकृत किया। तथापि मुख्य कार्यकारी अधिकारी की ओर से अन्य स्थल के चयन हेतु कार्रवाई सितम्बर 2019 तक प्रतीक्षित थी।

सरकार ने बताया (जनवरी 2019) कि फर्म को सभी बाधाओं से रहित स्थल उपलब्ध नहीं करवाया जा सका, जिससे निदेशक मण्डल के अनुमोदनोपरांत अनुबंध को समाप्त कर दिया गया।

अतः, उपयुक्त स्थल के चयन में प्राधिकरण द्वारा यथोचित परिश्रम एवं आयोजना के अभाव के साथ प्रस्तावित बस अड्डे की आवश्यकता का आकलन एवं अभिकल्प को अंतिम रूप देने में विफलता के कारण प्रारम्भिक कार्यों पर किया गया ₹ 93.61 लाख का व्यय निरर्थक रहा। इसके अतिरिक्त, बस अड्डा चालू होने पर रियायतकर्त्ता से प्राप्त होने वाले ₹ 72.00 लाख के वार्षिक राजस्व के साथ जनता भी अभिप्रेत लाभों से वंचित रही।

(आई.डी.एस. धारीवाल)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश

शिमला
दिनांक: 06 दिसम्बर 2019

प्रतिहस्ताक्षरित

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक: 11 दिसम्बर 2019

परिशिष्ट

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1.1

(संदर्भ परिच्छेद: 1.8; पृष्ठ 4)

31 मार्च 2018 तक चयनित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों / परिच्छेदों का वर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

अवधि	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग		
	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	राशि
मार्च 2008 तक	48	82	1.55
2008-09	1	2	0.21
2010-11	6	7	9.57
2011-12	9	15	4.06
2012-13	22	55	44.56
2013-14	16	25	2.15
2014-15	7	14	0.74
2015-16	20	54	121.90
2016-17	9	31	45.31
योग	**138**	**285**	**230.05**

परिशिष्ट-1.2

(संदर्भ परिच्छेद: 1.8; पृष्ठ 4)

31 मार्च 2018 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं परिच्छेदों पर टिप्पणित अनियमितताएं दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनियमितताओं का प्रकार	समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	
		परिच्छेद	राशि
1.	आवश्यकता से पूर्व निधियों का आहरण/निधियों का अवरोधन	74	79.23
2.	अग्रिमों को समायोजित न करना	06	69.29
3.	संस्वीकृतियों के अभाव में अधिक/अप्राधिकृत/अनियमित व्यय	45	19.02
4.	व्यर्थ/निरर्थक/निष्फल व्यय	24	18.22
5.	निधियों का अपवर्तन	02	0.14
6.	अधिक भुगतान, किराया/ अग्रिम की वसूली न होना/ विविध वसूलियां	35	0.12
7.	वास्तविक प्राप्तकर्त्ताओं की रसीदों को प्रस्तुत न करना	02	0.00
8.	बकाया ऋण	01	0.01
9.	वाहनों सहित बेकार मशीनरी/उपकरण	01	0.36
10.	भंडारों का गैर लेखांकन/कमी	12	0.08
11.	भंडारों/ नकदी/ निधियों का दुर्विनियोजन	08	0.21
12.	अपूर्ण छोड़े गए कार्य	12	11.87
13.	हानि/चोरी/गबन/धोखाधड़ी, परिहार्य व्यय, आदि	10	3.21
14.	उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत न करना	04	15.17
15.	भंडारों की अनुपयोगी वस्तुओं का निपटान न करना	05	0.17
16.	कोषागारों/बैंकों के साथ मिलान न करना	01	0.01
17.	सहायता अनुदान का उपयोग न करना	05	1.37
18.	गैर निक्षेप/ब्याज की वापसी/कोषागारों/संस्वीकृति प्राधिकारियों के पास अव्ययित राशि	11	1.48
19.	विविध अनियमितताएं	27	10.09
योग		**285**	**230.05**

परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ परिच्छेद: 2.2.1; पृष्ठ 33)

सीवेज प्रबंधन प्रक्रिया तथा उत्तरदायित्व संरचना को प्रदर्शित करता फ्लो चार्ट

सीवेज प्रबंधन प्रक्रिया

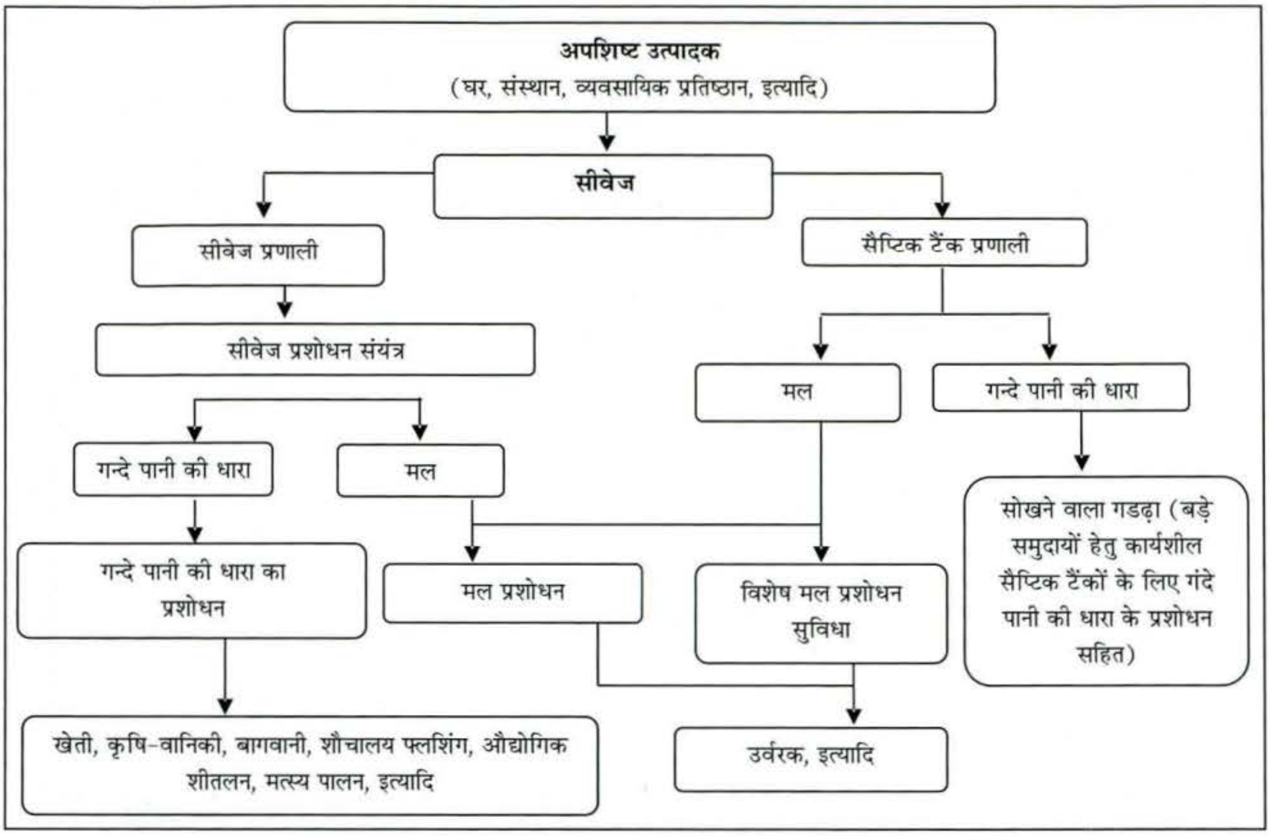

उत्तरदायित्व संरचना

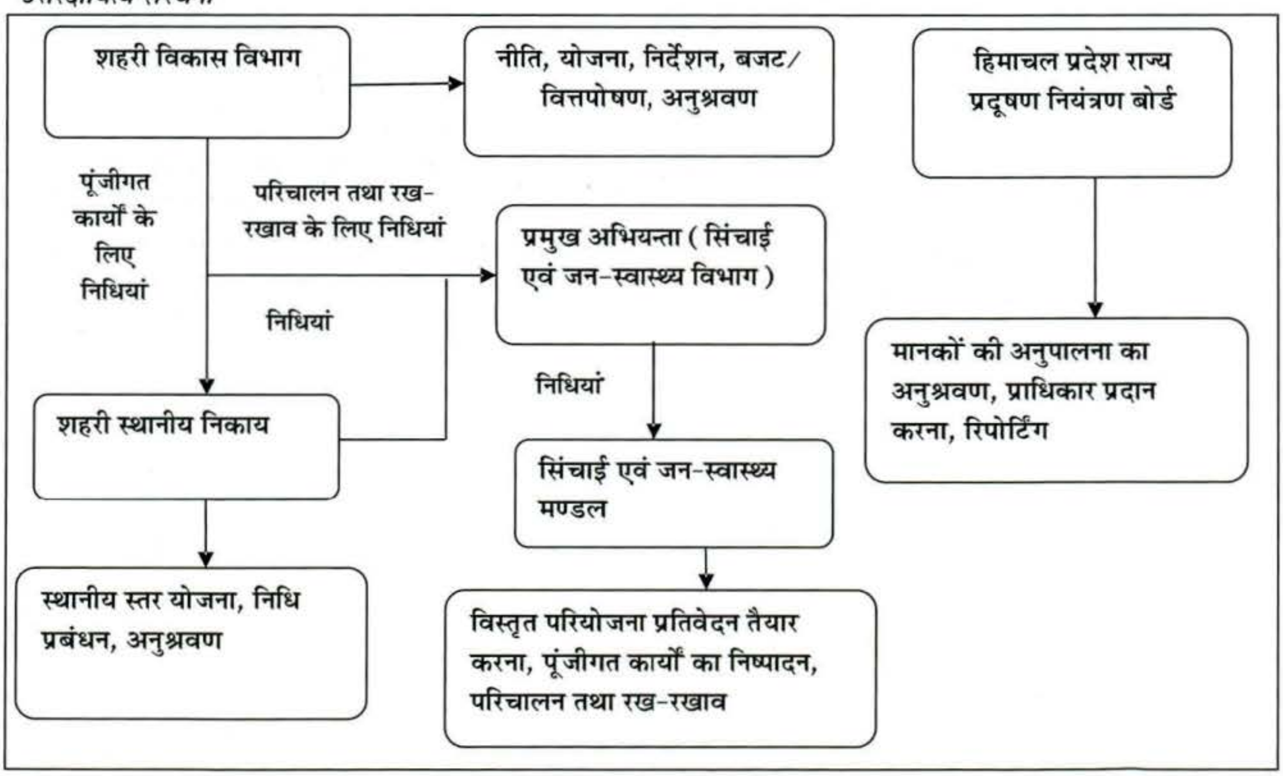

परिशिष्ट -2.2

(संदर्भ परिच्छेद: 2.2.9; पृष्ठ 46)

सीवेज प्रशोधन संयंत्र में सीवेज प्रशोधन एवं निपटान की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता फ्लो-चार्ट

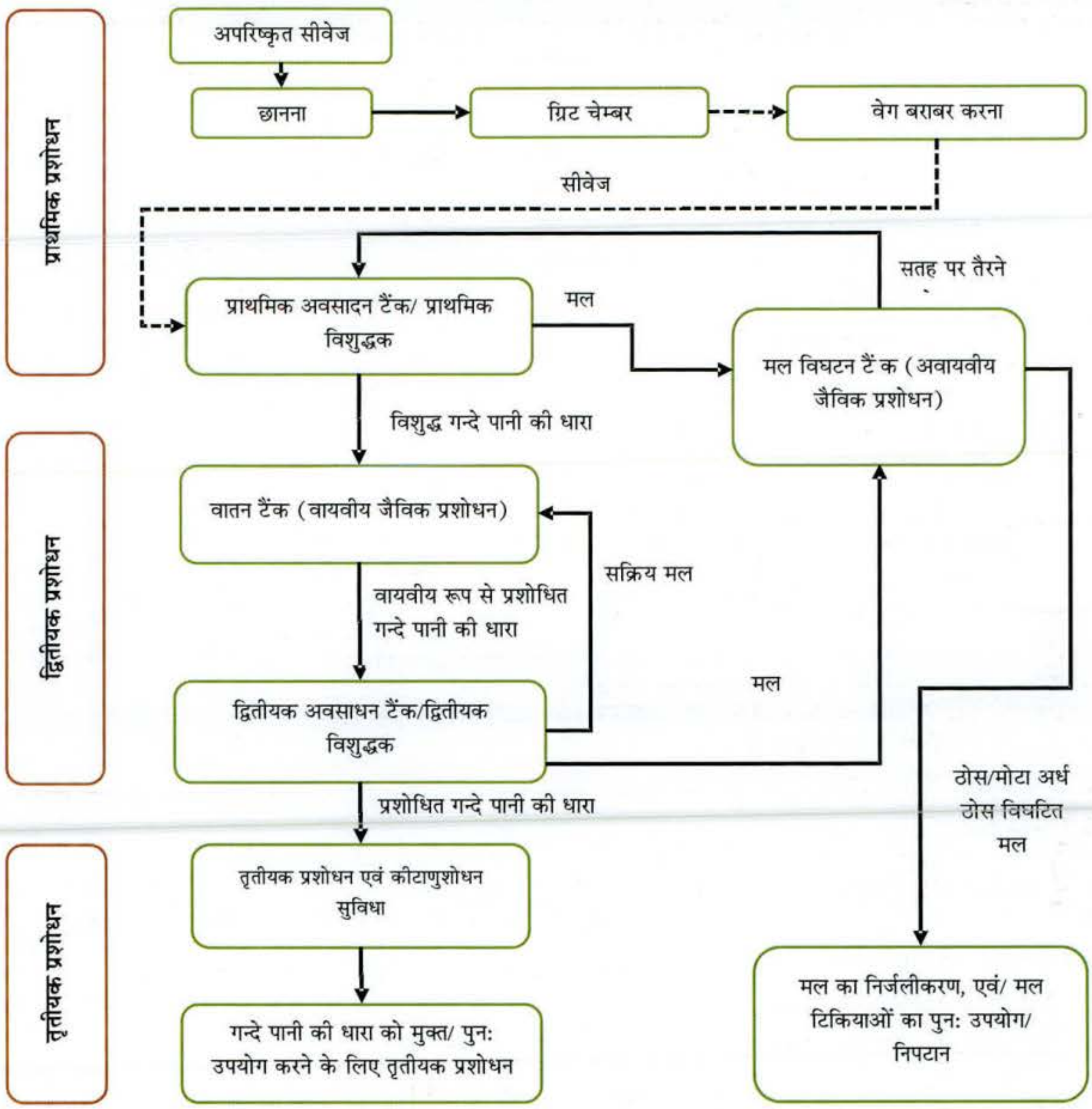

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ परिच्छेद: 3.2; पृष्ठ 61)

"समुदाय आधारित मूल्यांकन, जागरूकता, पक्षपोषण एवं कार्रवाई कार्यक्रम" के प्रदेयों में कमी

क्रमांक	समझौता ज्ञापन में अभिलिखित प्रदेय	स्थिति/ कमी
1.	कार्यक्रम के लिए डिजाईन सृजन तथा कार्य योजनाओं को अंतिम रूप देना।	यह नहीं किया गया।
2.	समन्वय अभिकरणों की चयनित क्षेत्रीय कार्यान्वयन अभिकरणों को हाथ में लेने/उन्नयन हेतु प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण।	प्रशिक्षण के लिए इको-कल्बों, *महिला* मण्डलों की स्क्रीनिंग नहीं की गई।
3.	चयनित क्षेत्रीय कार्यान्वयन अभिकरणों को विकसित एवं लागू करने हेतु समन्वय अभिकरणों को प्रशिक्षण टूल/किट।	कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए चयनित क्षेत्रीय कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रशिक्षण दिया गया। यद्यपि जैसा की समझौता ज्ञापन में निर्धारित किया गया था, 500 कार्बन केल्कुलेटर (36,000 के प्रति) वितरित किए गए थे और कोलीफार्म वायल (7,200 के प्रति) वितरित नहीं किये गये।
4.	ईको-कल्बों, महिला मण्डलों, एन0जी0ओ0, आदि के नेटवर्क के माध्यम से सभी पंचायतों, शहरी स्थानीय निकायों, खण्डों एवं जिलों के विद्यमान पर्यावरण गुणवत्ता तथा कार्बन फुटप्रिंट का मूल्यांकन एवं प्रलेखन।	राज्य की 3,243 पंचायतों में से विद्यमान पर्यावरण गुणवत्ता का आकलन 562 (17 *प्रतिशत*) पंचायतों में किया गया तथा प्रलेखीकरण 374 (12 *प्रतिशत*) पंचायतों में पूरा किया गया तथा किसी भी शहरी स्थानीय निकायों का मूल्यांकन तथा प्रलेखन नहीं किया गया था। यद्यपि कार्यक्रम प्रबंधन एजेंसी द्वारा किए गए कार्यों का सत्यापित प्रमाण विभाग के अभिलेखों में नहीं था।
5.	पर्यावरण तथा कार्बन फुटप्रिंट पर विषयक डाटा बेस की तैयारी के दस्तावेज व प्रलेखन।	पर्यावरण तथा कार्बन फुटप्रिंट के विषयकत डाटा बेस को तैयार नहीं किया गया था क्योंकि सभी पंचायतों एवं शहरी स्थानीय निकायों के पूर्ण डाटा के बिना यह संभव नहीं था।
6.	सामयिक तथा वार्षिक पर्यावरण की स्थिति नक्शा तथा रिपोर्ट तैयार करना।	
7.	सम्बधित हितधारकों (पंचायतों तथा शहरी स्थानीय निकायों) की कम से कम 30 *प्रतिशत* को जागरूक करना।	973 (3,243 का 30 *प्रतिशत*) पंचायतों में से 274 (28 *प्रतिशत*) पंचायतों को जागरूक किया गया था तथा कोई भी शहरी स्थानीय निकायों को सम्मिलित नहीं किया गया था।
8.	पर्यावरण की गुणवत्ता में यथार्थ सुधार तथा पंचायतों, शहरी स्थानीय निकायों, खण्डों तथा जिलों के फुटप्रिंट में कमी।	शुरू नहीं किया गया। यह परियोजना के कार्य घटक की पर्याप्त उन्नति के बाद ही किया जा सकता है।
9.	परियोजना/ कार्यक्रम के पूरा होने के बाद भी प्रयास को बनाए रखने के लिए स्थायी प्रणाली तथा क्रियाविधि की स्थापना।	
10.	कार्यक्रम की निरंतरता के लिए चल रही क्षमता स्थापित की गई है।	
11.	अपेक्षित ऑडियो विजुअल प्रचार सामग्री विकसित/उत्पन्न तथा प्रसारित करना।	सम्मिलित की गई पंचायतों में कार्यक्रम प्रबंधन अभिकरण ने कार्यक्रम के बारे में क्षेत्रीय कार्यान्वयन अभिकरण को तीन वीडियो प्रचारित किए। किसी भी शहरी स्थानीय निकाय को सम्मिलित नहीं किया गया।
12.	राज्य तथा जिला स्तर की वकालत गतिविधियों का आरंभ ।	वकालत गतिविधियों को अधिकारिक बैठकों के संगठन तक सीमित रखा गया। राज्य स्तरीय मीट-कम-वकालत कार्यशाला अक्तूबर 2009 में आयोजित की गई थी। दो राज्य संचालन समिति बैठकों तथा प्रत्येक जिले में एक जिला संचालन समिति बैठक आयोजित की गई।
13.	कार्यक्रम के सभी तीन चरणों के लिए अनुश्रवण तथा मूल्यांकन रणनीति का विकास ।	कार्यक्रम के प्रत्येक चरण के लिए अनुश्रवण तथा मूल्यांकन रणनीति का विकास और विभाग के साथ सांझा नहीं किया गया था।
14.	अनुभव तथा सीखने का प्रलेखन तथा हितधारकों के साथ इसका सांझाकरण।	शुरू नहीं किया गया क्योंकि यह परियोजना के महत्त्वपूर्ण हिस्से के पूरा होने के बाद शुरू किया जाना चाहिए।

परिशिष्ट-3.2

(संदर्भ परिच्छेद: 3.6.3.4; पृष्ठ 82)

2016-18 के दौरान जांच किए गए स्वास्थ्य संस्थानों में कम/ गैर-आपूर्ति/ अधिक आपूर्ति/ मांग के बिना दवाइयों की आपूर्ति से सम्बन्धित विवरण

2016-18 के दौरान मांग के प्रति दवाइयों की कम आपूर्ति से सम्बन्धित विवरण

क्रमांक	स्वास्थ्य संस्थान का नाम	वर्ष	क्रमांक	दवाई का नाम	मांगी गई मात्रा	प्राप्त मात्रा	अंतर
1.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी कोटली, मण्डी	2017-18	1.	इंजेक्शन जेंटामाइसन	300	200	100
			2.	इंजेक्शन सैफ्ट्रायएक्सोन	2000	1860	140
			3.	इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन	250	235	15
			4.	इंजेक्शन पेंटोप्राजोल	3000	155	2845
			5.	गोली डोमिपरिडोन	15000	4000	11000
			6.	गोली एजिथ्रोमाइसिन	50000	10000	40000
			7.	गोली बी0-कॉम्पलेकस	80000	42000	38000
			8.	गोली अल्वेंडाजोल	40000	12400	27600
			9.	गोली मेट्रोनिडाजोल	70000	30000	40000
			10.	गोली रेंटीडाईन	80000	58000	22000
			11.	कफ सिरप	15000	2000	13000
					355550	**160850**	**194700 (55%)**
2.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी रोहाण्डा, मण्डी	2017-18	1.	इंजेक्शन जेंटामाइसन	907	452	455
			2.	इंजेक्शन सिंफट्रायएक्सोन	870	400	470
			3.	इंजेक्शन पेंटोप्राजोल	19400	6330	13070
			4.	गोली फोलिक एसिड	118700	30000	88700
			5.	गोली डायक्लोमाईन	58900	29100	29800
			6.	गोली डोयपरिडोन	21350	4500	16850
			7.	गोली एजिथ्रोमाइसिन	73000	11300	61700
			8.	गोली बी0-कॉम्पलेकस	154500	13000	141500
			9.	गोली पेरासिटामोल	111000	104000	7000
			10.	गोली अल्वेंडाजोल	36570	3900	32670
			11.	गोली सिट्राजीन	680000	12245	667755
			12.	गोली कलोट्रीमाजोल	16320	10000	6320
			13.	गोली मेट्रोनिडाजोल	32400	18600	13800
			14.	गोली रेंटीडाईन	64340	18200	46140
			15.	कफ सिरप	10290	2800	7490
			16.	विटामीन-ए	557	300	257
					1399104	**265127**	**1133977 (81%)**
3.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी किहार, चम्बा	2017-18	1.	इंजेक्शन जेंटामाइसन	1750	1660	90
			2.	इंजेक्शन डायजेपाम	380	350	30
			3.	गोली बी0-कॉम्पलेकस	200000	144800	55200
			4.	गोली पेरासिटामोल	25000	11690	13310
			5.	गोली अल्वेंडाजोल	40000	26000	14000
			6.	गोली सिट्राजीन	60000	57000	3000
			7.	गोली कलोट्रीमाजोल	20000	14000	6000
			8.	गोली मेट्रोनिडाजोल	50000	45000	5000
			9.	गोली रेंटीडाईन	50000	48300	1700
			10.	कफ सिरप	5000	2540	2460
					452130	**351340**	**100790 (22%)**

4.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी समोट, चम्बा	2017-18	1.	इंजेक्शन जेंटामाइसन	10000	500	9500
			2.	गोली डायक्लोमाईन	50000	20000	30000
			3.	गोली डोयपरिडोन	40000	20000	20000
			4.	गोली एटेनोलोल	80000	52920	27080
			5.	गोली मेट्रोनिडाजोल	60000	33600	26400
			6.	कफ सिरप	8000	4000	4000
					248000	**131020**	**116980 (47%)**
5.	उप-मण्डलीय चिकित्सालय बैजनाथ, कांगड़ा	2016-17	1.	गोली एटेनोलोल 50 मिलीग्राम	10000	5000	5000
			2.	गोली जिंक सल्फेट 20 मिलीग्राम	5000	3000	2000
			3.	इंजेक्शन एड्रेनालाईन	200	150	50
		2017-18	4.	इंजेक्शन ए0आर0वी0 (एंटी रेबीज वेकसीन)	1200	600	600
			5.	पोवीडोन आयोडीन सोलूशन 5%	500	20	480
					16900	**8770**	**8130 (48%)**
6.	उप-मण्डलीय चिकित्सालय नूरपुर, कांगड़ा	2016-17	1.	इंजेक्शन रिंगर लैकटेट	10000	1400	8600
			2.	गोली एटेनोलोल 50 मिलीग्राम	10000	7800	2200
					20000	**9200**	**10800 (54%)**
7.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शाहपुर, कांगड़ा	2017-18	1.	गोली विटामीन बी0-कॉम्पलेकस	222000	80000	142000
			2.	आई0वी0 सेट एडल्ट	5000	1250	3750
			3.	सर्जिकल सुटूर 1/0	425	10	415
					227425	**81260**	**146165 (64%)**
8.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इंदौरा, कांगड़ा	2017-18	1.	गोली डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम	210000	15000	195000
			2.	इंजेक्शन एंटीस्नेक वीनोम	315	230	85
					210315	**15230**	**195085 (93%)**
9.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गंगथ, कांगड़ा	2017-18	1.	गामा वेनेडीन हेकसाक्लोराइड	2000	720	1280
			2.	सिरप पेरासीटामोल 60 मिली लीटर	30000	13000	17000
					32000	**13720**	**18280 (57%)**
10.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवारना, कांगड़ा	2017-18	1.	गोली एटेनोलोल 50 मिलीग्राम	**150000**	**105840**	**44160 (29%)**
11.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महाकाल, कांगड़ा	2016-17	1.	सिप्रोफलोक्सासिन आई ड्रोप	9000	3000	6000
			2.	आई0वी0 सेट	3000	500	2500
		2017-18	3.	गोली मेट्रोनिडाजोल 400 मिलीग्राम	54000	1000	53000
			4.	एडीसीव प्लास्टर 5X5	400	150	250
			5.	इंजेक्शन मेट्रोनिडाजोल आई0वी0	1200	50	1150
					67600	**4700**	**62900 (93%)**
12.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तियारा, कांगड़ा	2017-18	1.	क्रीम सिल्वर सल्फाडायाजीन	800	40	760
			2.	सिरप एलबैंडाजोल 10 मिली लीटर	5000	1800	3200
					5800	**1840**	**3960 (68%)**
13.	सिविल चिकित्सालय थुरल, कांगड़ा	2016-17	1.	गोली पैंटाप्राजोल 40 मिलीग्राम	**200000**	**155000**	**45000 (23%)**

14.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जरी, कुल्लू	2017-18	1.	एटेनोलोल 50 मिलीग्राम	5000	4200	800
			2.	इंजेक्शन फिनारमाईन मेलेट	400	100	300
			3.	सिरप डोयपरिडोन	500	400	100
			4.	इंजेक्शन मेटाकलोपरामाइड	1000	600	400
			5.	इंजेक्शन एटोफिलाईन	100	70	30
			6.	सल्यूशन प्रोवीडोन आयोडिन	50	20	30
					7050	**5390**	**1660 (24%)**
15.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी नग्गर, कुल्लू	2016-17	1.	मेटफॉर्मिन गोली 500 मिलीग्राम	20000	1000	19000
			2.	इंजेक्शन विटामिन-के0	200	100	100
			3.	गोली डायक्लोफेनेक सोडीयम	30000	20000	10000
			4.	केप्सूल डॉक्सीसाइक्लिन	25000	15000	10000
			5.	गोली एजीथ्रोमाइसीन 500 मिलीग्राम	15000	12000	3000
			6.	गोली मेट्रोनिडाजोल 400 मिलीग्राम	25000	20000	5000
			7.	सीफाइम	10000	2000	8000
			8.	गोली एलबैंडाजोल 400 मिलीग्राम	5000	4800	200
			9.	इंजेक्शन डाइजोपाम	3000	230	2770
					133200	**75130**	**58070 (44%)**
16.	सिविल चिकित्सालय मनाली, कुल्लू	2017-18	1.	इंजेक्शन पैंटोप्राजोल	200	100	100
			2.	इंजेक्शन एड्रेनालाईन	50	02	48
			3.	इंजेक्शन हाइड्रोकार्टिसोन	200	80	120
			4.	इंजेक्शन डीकलोफेनक सोडियम	500	100	400
			5.	इंजेक्शन एटोफिलाईन + थियोफिलाईन	100	10	90
					1050	**292**	**758 (72%)**
17.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी आनी, कुल्लू	2016-17	1.	गोली एटेनोलोल 50 मिलीग्राम	**75000**	**7000**	**68000 (91%)**
18.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी बंजार, कुल्लू	2016-17	1.	गोली एटेनोलोल 50 मिलीग्राम	**14000**	**340**	**13660 (98%)**
19.	सिविल चिकित्सालय बंजार, कुल्लू	2016-17	1.	गोली ग्लीमिप्राइड 1 मिलीग्राम	15500	3000	12500
			2.	गोली एलबैंडाजोल 400 मिलीग्राम	8000	4100	3900
					23500	**7100**	**16400 (70%)**
20.	सिविल चिकित्सालय निरमण्ड, कुल्लू	2016-17	1.	गोली एलबैंडाजोल 50 मिलीग्राम	40000	2100	37900
			2.	गोली एलबैंडाजोल 400 मिलीग्राम	10000	2000	8000
					50000	**4100**	**45900 (92%)**
21.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गड़सा, कुल्लू	2016-17	1.	इंजेक्शन एड्रीनालाईन	20	10	10
			2.	सिरप पी0सी0एम0	2000	100	1900
			3.	गोली एटेनोलोल 500 मिलीग्राम	2000	1400	600
			4.	इंजेक्शन फोर्टविन	50	10	40
			5.	इंजेक्शन डीकलोफेनक सोडियम	5000	1000	4000
			6.	सिरप एलबेंडाजोल	200	50	150

			7.	गोली एजीथ्रोमाइसीन 500 मिलीग्राम	5000	3000	2000
		2017-18	8.	गोली सीट्रीजाइन 10 मिलीग्राम	10000	8000	2000
					24270	**13570**	**10700 (44%)**
		सकल योग			**3712894**	**1416819**	**2296075 (62%)**

2016-18 के दौरान मांग के प्रति दवाईयों की आपूर्ति न करने से सम्बन्धित विवरण

क्रमांक	स्वास्थ्य संस्थान का नाम	वर्ष	क्रमांक	दवाई का नाम	मांगी गई मात्रा	प्राप्त मात्रा	अंतर
1.	**खण्ड चिकित्सा अधिकारी कोटली, मण्डी**	2017-18	1.	इंजेक्शन एम्पीसिलीन	500	0	500
			2.	इंजेक्शन डायजेपाम	100	0	100
			3.	गोली डायक्लोमाईन	40000	0	40000
			4.	गोली एटेनोलोल	10000	0	10000
			5.	गोली सिट्राजाईन	70000	0	70000
			6.	विटामिन-ए	500	0	500
					121100	**0**	**121100 (100%)**
2.	**खण्ड चिकित्सा अधिकारी किहार, चम्बा**	2017-18	1.	इंजेक्शन एम्पीसिलीन	**200**	**0**	**200 (100%)**
3.	**खण्ड चिकित्सा अधिकारी समोट, चम्बा**	2017-18	1.	इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन	1000	0	1000
			2.	गोली फोलिक ऐसिड	50000	0	50000
			3.	गोली बी0-कॉम्पलेक्स	200000	0	200000
			4.	गोली पेरासिटामोल	150000	0	150000
			5.	गोली रेंटीडाईन	50000	0	50000
					451000	**0**	**451000 (100%)**
4.	**उप-मण्डलीय चिकित्सालय नूरपुर, कांगड़ा**	2017-18	1.	इंजेक्शन एट्रोपाईन	1000	0	1000
			2.	इंजेक्शन डायजेपाम	1500	0	1500
					2500	**0**	**2500 (100%)**
5.	**सिविल चिकित्सालय फतेहपुर, कांगड़ा**	2017-18	1.	विटामिन-ए सल्यूशन 50 मिली लीटर	**500**	**0**	**500 (100%)**
6.	**सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जरी, कुल्लू**	2017-18	1.	गोली रेंटीडाईन 150 मिली लीटर	20000	0	20000
			2.	लोशन गामा बैन्नजीन	500	0	500
			3.	इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन 1 मिली लीटर	200	0	200
			4.	इंजेक्शन डायजेपाम	100	0	100
			5.	इंजेक्शन विटामिन-के0	100	0	100
			6.	इंजेक्शन मेट्रोनिडाईजोल 100 मिली लीटर	600	0	600
					21500	**0**	**21500 (100%)**
7.	**खण्ड चिकित्सा अधिकारी नग्गर, कुल्लू**	2016-17	1.	लोशन गामा बेनजाईन	3000	0	3000
			2.	इंजेक्शन फुरोसेमाइड	500	0	500
			3.	गोली फिनाइटोइन सोडियम	2000	0	2000
			4.	इंजेक्शन एड्रेनालाईन	100	0	100
			5.	गोली डोमिपरिडोन	4000	0	4000
			6.	गोली विटामिन बी-कॉम्पलेक्स	30000	0	30000
					39600	**0**	**39600 (100%)**

8.	सिविल चिकित्सालय मनाली, कुल्लू	2016-17	1.	इंजेक्शन डोपामाईन	10	0	10
			2.	इंजेक्शन इथेमासिलेट	10	0	10
			3.	आईसोलेट-पी (IV फल्यूड)	50	0	50
			4.	इंजेक्शन पेरासिटामोल	200	0	200
					270	**0**	**270 (100%)**
9.	प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र गड़सा, कुल्लू	2016-17 2017-18	1.	इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन	10	0	10
			2.	इंजेक्शन डेक्सट्रोस 5%	150	0	150
			3.	रिंगर लेक्टेट IV	150	0	150
			4.	गोली सोडियम वालपोरेट	100	0	100
			5.	गोली फोलिक ऐसिड	5000	0	5000
					5410		**5410 (100%)**
				सकल योग	**642080**	**0**	**642080 (100%)**

2016-18 के दौरान मांग के प्रति दवाईयों की अधिक आपूर्ति से सम्बन्धित विवरण

क्रमांक	स्वास्थ्य संस्थान का नाम	वर्ष	क्रमांक	दवाई का नाम	मांगी गई मात्रा	प्राप्त मात्रा	अंतर
1.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी कोटली, मण्डी	2017-18	1.	गोली फोलिक ऐसिड	50000	102000	52000
			2.	गोली पेरासिटामोल	200000	228000	28000
			3.	गोली कलोट्रीमाईजोल	1000	3000	2000
					251000	**333000**	**82000 (33%)**
2.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी रोहाण्डा, मण्डी	2017-18	1.	इंजेक्शन एम्पीसिलीन	70	400	330
			2.	गोली एटेनोलोल	8100	18800	10700
					8170	**19200**	**11030 (135%)**
3.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी समोट, चम्बा	2017-18	1.	गोली एजीथ्रोमाईसिन	10000	11200	1200
			2.	गोली अल्वेंडाजोल	20000	25200	5200
					30000	**36400**	**6400 (21%)**
4.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जरी, कुल्लू	2017-18	1.	इंजेक्शन फुरोसेमाइड	**100**	**120**	**20 (20%)**
5.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी नग्गर, कुल्लू	2016-17	1.	इंजेक्शन एट्रोपाईन	500	1500	1000
			2.	इंजेक्शन जेंटामाईसिन	1000	2000	1000
					1500	**3500**	**2000 (133%)**
6.	सिविल चिकित्सालय मनाली, कुल्लू	2016-17	1.	रिंगर लेक्टेट IV	400	825	425
			2.	इंजेक्शन पेंट्रोपराजोल	200	240	40
			3.	गोली मेट्रोनिडाजोल 400 मिलीग्राम	2000	14000	12000
					2600	**15065**	**12465 (479%)**
7.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी आनी, कुल्लू	2016-17	1.	गोली एमलोडीवाईन 5 मिलीग्राम	**30000**	**45000**	**15000 (50%)**
8.	क्षेत्रीय चिकित्सालय कुल्लू	2016-17	1.	गोली एमलोडीवाईन 5 मिलीग्राम	**1300**	**10000**	**8700 (669%)**
9.	सिविल चिकित्सालय निरमण्ड, कुल्लू	2016-17	1.	गोली ग्लीमिप्राइड 1 मिलीग्राम	5000	6500	1500
			2.	इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन 1 मिली लीटर	400	500	100
					5400	**7000**	**1600 (30%)**

10.	प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र गड़सा, कुल्लू	2016-17	1.	ए0आर0वी0 सोल्यूशन	50	60	10
			2.	गोली ओफलॉक्सासिन 200 मिलीग्राम	3000	5000	2000
			3.	इंजेक्शन डायजेपाम	10	50	40
			4.	इंजेक्शन फेनोटॉईन सोडियम	10	50	40
			5.	गोली सिट्राजीन	5000	20000	15000
			6.	इंजेक्शन सिफराट्राइक्सजोन	100	400	300
		2017-18	7.	इंजेक्शन जाईलोकलीन 2%	10	29	19
			8.	गोली एम्लोडीपाईन 5 मिलीग्राम	5000	8000	3000
			9.	गोली डोमपरीडोन	5000	7000	2000
					18180	**40589**	**22409 (123%)**
11.	उप-मण्डलीय चिकित्सालय कांगड़ा	2016-17	1.	गोली विटामिन बी-कॉम्पलेक्स	**30000**	**80000**	**50000 (167%)**
12.	उप-मण्डलीय चिकित्सालय नूरपुर, कांगड़ा	2016-17	1.	इंजेक्शन सोडियम डीकलोफनेक	**10000**	**24000**	**14000 (140%)**
13.	सिविल चिकित्सालय फतेहपुर, कांगड़ा	2016-17	1.	ड्रॉपस सीपरोफलोक्सीन आई	**1800**	**4200**	**2400 (133%)**
14.	प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र महाकाल, कांगड़ा	2016-17	1.	गोली डीकलोफनेक सोडियम	178000	290000	112000
			2.	इंजेक्शन सिफट्राईएक्सजोन 250 मिलीग्राम	125	500	375
			3.	गोली पेरासिटामोल 500 मिलीग्राम	227000	405500	178500
					405125	**696000**	**290875 (72%)**
15.	प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र तियारा, कांगड़ा	2017-18	1.	ओ0आर0 एस0 (डब्ल्यू एच0ओ0 फार्मूला)	**15000**	**18960**	**3960 (26%)**
				सकल योग	**810175**	**1333034**	**522859 (65%)**

2016-17 के दौरान बिना मांग के दवाईयों की आपूर्ति से सम्बन्धित विवरण

क्रमांक	स्वास्थ्य संस्थान का नाम	वर्ष	क्रमांक	दवाई का नाम	मांगी गई मात्रा	प्राप्त मात्रा	अंतर
1.	उप-मण्डलीय चिकित्सालय कांगड़ा	2016-17	1.	गोली पेंट्रापाजोल 40 मिलीग्राम	0	45000	45000
			2.	सेट IV	0	7400	7400
			3.	डिसपोजएवल सिरिंज	0	17000	17000
					0	**69400**	**69400 (100%)**
2.	सिविल चिकित्सालय फतेहपुर, कांगड़ा	2016-17	1.	गोली एमोक्ससिलिन 250 मिलीग्राम	**0**	**20000**	**20000 (100%)**
3.	प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र तियारा, कांगड़ा	2016-17	1.	इंजेक्शन एंटी सनेक वेनोम	**0**	**20**	**20 (100%)**
4.	सिविल चिकित्सालय मनाली, कुल्लू	2016-17	1.	इंजेक्शन एंटी सनेक वेनोम	0	10	10
			2.	गोली जिंक सल्फेट	0	7000	7000
					0	**7010**	**7010 (100%)**
			सकल योग		**0**	**96430**	**96430 (100%)**

परिशिष्ट-3.3

(संदर्भ परिच्छेद; 3.6.3.4; पृष्ठ: 83)

नमूना जांचित क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा इंडेंटस के प्रति जिला स्टोर से दवाइयों की कम/ गैर आपूर्ति से सम्बन्धित विवरण

क्रमांक	संस्थान का नाम	इंडेंट की तिथि	इंडेंटेंड दवाईयों की संख्या	आपूर्ति नहीं की गई दवाइयों की संख्या	आपूर्ति नहीं की गई दवाइयों की प्रतिशतता	कम आपूर्ति की गई दवाईयां की सख्या	इंडेंटेड मात्रा	प्राप्त की गई मात्रा	कम आपूर्ति	अधिक आपूर्ति की गई दवाइयों की संख्या	इंडेंटेड मात्रा	प्राप्त मात्रा	अधिक आपूर्ति
1.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी किहार	26.03.18	37	15	41	0	0	0	0	2	4600	15260	10660
2.	प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र हुनेरा	03.10.17	49	15	31	15	114900	34620	80280	2	20010	21620	1610
		04.07.16	80	44	55	12	52420	9735	42685	2	2030	5075	3045
3.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र किहार	03.08.17	10	8	80	0	0	0	0	0	0	0	0
		22.08.17	13	5	38	0	0	0	0	0	0	0	0
		08.09.17, 22.04.16, 02.02.18	79	15	19	12	74000	49210	24790	3	4500	5440	940
		30.06.17	22	0	0	4	20000	11000	9000	0	0	0	0
4.	सिविल चिकित्सालय डलहोजी	05.01.18	218	172	79	3	2200	1082	1118	4	18100	25880	7780
5.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुन्डला	23.11.17	55	19	35	7	99000	41600	57400	0	0	0	0
जिला चम्बा		**11**	**563**	**293**	**52**	**53**	**362520**	**147247**	**215273**	**13**	**49240**	**73275**	**24035**
6.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गंगथ	22.11.16	15	2	13	0	0	0	0	0	0	0	0
		24.01.08	6	1	17	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खेरियां	09.12.16	21	1	05	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र जसूर	17.06.16	14	2	14	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	सिविल चिकित्सालय ज्वाली	10.02.16	19	2	11	1	20	15	5	0	0	0	0
जिला कांगड़ा		**5**	**75**	**8**	**11**	**1**	**20**	**15**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**

10.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जरी	26/29.09.17	14	6	43	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	क्षेत्रीय चिकित्सालय कुल्लू	02.06.18, 07.03.18, 26.10.17, 06.09.17, 17.10.17, 23.02.18	14	10	71	0	0	0	0	0	0	0	0
जिला कुल्लू		**8**	**28**	**16**	**57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोटली	02.02.16	28	0	0	0	0	0	0	1	7000	8000	1000
		08.11.16	31	0	0	4	57500	9600	47900	0	0	0	0
		05.01.17	29	0	0	2	20080	10025	10055	1	11200	22400	11200
13.	प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र ननांवा	12.09.16	84	6	7	1	100	50	50	5	3100	7420	4320
14.	प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र गोखरा	14.12.16	19	15	79	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	स्वास्थ्य उप केन्द्र कलौड़	15.06.17	28	3	11	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी रोहाण्डा	01.07.16	14	3	21	1	20000	16000	4000	1	3000	3200	200
17.	स्वास्थ्य उप केन्द्र अप्पर बेहली	25.05.16, 23.03.18	11	2	18	0	0	0	0	0	0	0	0
जिला मण्डी		**9**	**244**	**29**	**12**	**8**	**97680**	**35675**	**62005**	**8**	**24300**	**41020**	**16720**
सकल योग		**33**	**910**	**346**	**38**	**62**	**460220**	**182937**	**277283**	**21**	**73540**	**114295**	**40755**

परिशिष्ट-3.4

(संदर्भ परिच्छेद: 3.6.3.15; पृष्ठ 92)

नमूना जांचित चार जिलों में बेकार मशीनरी एवं उपकरणों से सम्बन्धित विवरण

जन-शक्ति की कमी के कारण बेकार मशीनरी एवं उपकरणों से सम्बन्धित विवरण

जिला	मशीनरी उपकरण, औजार एवं संयंत्र का नाम	स्वास्थ्य संस्थानों का नाम	राशि (₹ लाख में)	तिथि जबसे बेकार पड़ा है
चम्बा	यूएसजी	सिविल चिकित्सालय भरमौर	4.07	अप्रैल 2016
	यूएसजी	सिविल चिकित्सालय चुआड़ी	6.41	अप्रैल 2016
	यूएसजी	सिविल चिकित्सालय किलाड़	0	अप्रैल 2016
मण्डी	यूएसजी	सिविल चिकित्सालय सुन्दरनगर	24.65	नवम्बर 2015
	यूएसजी	सिविल चिकित्सालय जोगिन्द्रनगर	5.13	मार्च 2017
	यूएसजी	सिविल चिकित्सालय करसोग	24.48	मार्च 2016
कांगड़ा	यूएसजी	सिविल चिकित्सालय फतेहपुर	5.29	जनवरी 2017
	यूएसजी	सिविल चिकित्सालय जैसिंहपुर	2.36	जून 2015
	यूएसजी	सिविल चिकित्सालय कांगड़ा	5.96	सितम्बर 2017
	09		**78.35**	
चम्बा	एक्स-रे	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डियूर	2.00	जनवरी 2014
मण्डी	एक्स-रे	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निहरी	8.10	जुलाई 2017
	एक्स-रे	सिविल चिकित्सालय संधोल	8.10	नवम्बर 2015
	एक्स-रे	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोटली	1.47	नवम्बर 2015
	एक्स-रे	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रोहाण्डा	4.12	छः साल से
कांगड़ा	एक्स-रे	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तियारा	0	मार्च 2013
	एक्स-रे	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लपियाना	0	सितम्बर 2014
	एक्स-रे	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इंदौरा	0	2009
	एक्स-रे	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रेहन	0	2013
	एक्स-रे	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डाडा - सीबा	3.24	अक्तूबर 2014
	एक्स-रे	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बीड़	0	2015
कुल्लू	एक्स-रे	सिविल चिकित्सालय निरमण्ड	0	अक्तूबर 2014
	12		**27.03**	
कांगड़ा	हाई-केयर इन्क्यूवेटर	सिविल चिकित्सालय जैसिंहपुर	140.55	सितम्बर 2014
	वाटर बाथ एचडब्ल्यूबी-20	-तदैव-	14.09	सितम्बर 2014
	फोटोथेरेपी	सिविल चिकित्सालय थुरल	0.53	जून 2016
	03		**155.17**	
योग	**24**		**260.55**	

खराब होने के कारण बेकार मशीनरी एवं उपकरणों से सम्बन्धित विवरण

संस्थान का नाम	क्रमांक	मशीनरी का नाम/मात्रा	अवधि जबसे मशीनरी बेकार पड़ी है	बेकार रहने की अवधि	राशि (राशि ₹ में)	अभ्युक्तियां
अंचल चिकित्सालय धर्मशाला, कांगड़ा	1.	इलेक्ट्रोलाईट एनालाईजर	सितम्बर 2016	20 महीने	84,000	--
	2.	सीटी स्कैन	2014	04 वर्ष	उपलब्ध नहीं	सीटी स्कैन की सेवाओं को आउटसोर्स किया गया था। वार्षिक रख-रखाव अनुबंध का नवीनीकरण नहीं किया गया था।
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवारना, कांगड़ा	3.	डैंटल चेयर	जनवरी 2017	16 महीने	1,36,000	--

सिविल चिकित्सालय फतेहपुर, कांगड़ा	4.	ईसीजी मशीन	पिछले दो वर्षों से	02 वर्ष	41,731	--
	5.	एक्स-रे फिल्म प्रोसेसर	पिछले दो वर्षों से	02 वर्ष	2,07,007	--
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महाकाल, कांगड़ा	6.	ओटोक्लेव	25 दिसम्बर 2016	17 महीने	22,500	--
अंचल चिकित्सालय मण्डी	7.	डैंटल चेयर विद ऐसेसरी	पिछले तीन वर्षों से	03 वर्ष	1,50,536	--
	8.	माईनर ओटी टेवल	9 मार्च 2018	04 महीने	2,60,049	--
	9.	होरीजोंटल स्टेरलाईजर	24 मार्च 2018	14 महीने	3,59,100	--
सिविल चिकित्सालय संधोल, मण्ड़ी	10.	ओटोमेटेड हेमटोलाजी एनालाईजर	अप्रैल 2017	13 महीने	2,64,831	खराब आपूर्ति बदली नहीं गयी।
क्षेत्रीय चिकित्सालय चम्बा	11.	सीटी स्कैन	26 दिसम्बर 2015	29 महीने	97,00,000	सीटी स्कैन की सेवाओं को आउटसोर्स किया गया था।
योग					**1,12,25,754**	

गैर-आवश्यकता के कारण अप्रयुक्त मशीनरी एवं उपकरण से सम्बन्धित विवरण

क्रमांक	उपकरण का नाम	मात्रा	स्वास्थ्य संस्थान का नाम	प्राप्त करने/खरीदने की तिथि	राशि (₹ लाख में)
1.	एक्स-रे यूनिट	1	सिविल चिकित्सालय किहार, चम्बा	20 अगस्त 2015	8.71
2.	सचल एक्स-रे यूनिट	1	अंचल चिकित्सालय, मण्डी (ओरथो वार्ड)	मई 2015	2.41
3.	एक्स-रे यूनिट (डेंटल)	1	डेंटल सेक्शन, क्षेत्रीय चिकित्सालय चम्बा	17 जनवरी 2017	0.32
4.	नयुवो लाईट ऑक्सीजन कनसेनट्रेटर	5	क्षय रोग चिकित्सालय, चम्बा	22 फरवरी 2015	3.90
5.	लेबर टेबल	1	प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र समोट, चम्बा	19 सितम्बर 2017	0.29
6.	ट्रेसिंग ट्रोली	28	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कुल्लू	9 अगस्त 2017	2.80
7.	स्ट्रेचर ट्रोली	16	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कुल्लू	9 अगस्त 2017	0.58
योग		**53**			**19.01**

परिशिष्ट-3.5

(संदर्भ परिच्छेद: 3.15; पृष्ठ 107)

ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने के लिए दूर-संचार कम्पनियों से देय राशि की कम प्राप्ति का विवरण

(₹ लाख में)

क्रमांक	दूर-संचार कम्पनी	सड़क का नाम	निर्धारित दरों के अनुसार कम्पनी से देय राशि	कम्पनी को भेजा गया अनुमान		वास्तव में प्राप्त की राशि		कम प्राप्ति
				माह	राशि	माह	राशि	
				सुन्दरनगर मण्डल				
1.	रिलायंस जियो इनफोकॉम लिमिटेड	सरोनीताली सम्पर्क मार्ग से हरिपुर नज़दीक महामाया मंदिर: 16 किलोमीटर (*कच्ची सड़क* 4.5 किलोमीटर तथा *पक्की सड़क* 11.5 किलोमीटर)	144.09 (4500X695= 3127500 तथा 11500X981= 11281500)	फरवरी 2015	120.97 (4500X 392.95= 1768275 तथा 11500X898.16= 10328840)	मार्च 2015	120.97	23.12
2.	रिलायंस जियो इनफोकॉम लिमिटेड	हमसफर चौक से महामाया मंदिर वाया बाड़ी सड़क: 8 किलोमीटर (ग्रामीण सड़क)	72.40 (8000X905)	अप्रैल 2015	71.85 (8000X898.16)	मई 2015	71.85	0.55
3.	रिलायंस जियो इनफोकॉम लिमिटेड	राष्ट्रीय राजमार्ग-21: 0.800 किलोमीटर	10.58 (800X1323)	सितम्बर 2015	6.62 (800X827.87)	सितम्बर 2015	6.62	3.96
4.	रिलायंस जियो इनफोकॉम लिमिटेड	राष्ट्रीय राजमार्ग-21: 0.300 किलोमीटर	3.97 (300X1323)	अक्तूबर 2015	3.18 (300X1059.48)	अक्तूबर 2015	3.18	0.79
5.	आइडिया सैलुलर लिमिटड	राष्ट्रीय राजमार्ग-21: 2.600 किलोमीटर	34.40 (2600X1323)	अक्तूबर 2015	30.93 (2600X1189.50)	नवम्बर 2015	30.93	3.47
6.	आइडिया सैलुलर लिमिटेड	राष्ट्रीय राजमार्ग-21 तथा सुन्दरनगर सरकुलर सड़क: 1.070 किलोमीटर	14.16 (1070X1323)	अक्तूबर 2015	12.73 (1070X1189.50)	नवम्बर 2015	12.73	1.43
		योग	**279.60**		**246.28**		**246.28**	**33.32**
				बिलासपुर मण्डल नम्बर- I				
1.	भारती एयरटेल लिमिटेड़	बरमाणा से कन्दरौर तथा कन्दरौर से डैहर: 14 किलोमीटर (*पक्की सड़क*)	137.34 (14000X981)	नवम्बर 2014	70.73 (14000X505.23)	नवम्बर 2014	70.73	66.61
		योग	**137.34**		**70.73**		**70.73**	**66.61**
				मण्डी मण्डल नम्बर-II				
1.	आइडिया सैलुलर लिमिटेड	नैर चौक से सिधयानी: 10 किलोमीटर (ग्रामीण सड़क)	90.50 (10000X905)	अक्तूबर 2015	81.24 (2000X1059.48= 2118960 तथा 8000X750.60= 6004800)	नवम्बर 2015	81.24	9.26
2.	आइडिया सैलुलर लिमिटेड	रिवालसर से कलखर तथा कलखर से सिधायानी: 8.830 किलोमीटर (एनएच/एसएच/ एमडीआर)	116.82 (8830X1323)	अक्तूबर 2015	71.73 (1766X1059.48=187 1042 तथा 7064X750.60= 5302238)	नवम्बर 2015	71.73	45.09
3.	आइडिया सैलुलर लिमिटेड	दुर्गापुर से रिवालसर सड़क: 8.200 किलोमीटर (ग्रामीण सड़क)	74.21 (8200X905)	अक्तूबर 2015	66.61 (1640X1059.48=173 7547 तथा 6560X750.60= 4923936)	नवम्बर 2015	66.61	7.60
4.	रिलायंस जियो इनफोकॉम लिमिटेड	चक्कर चलाह सड़क 2.5 किलोमीटर (ग्रामीण सड़क)	22.63 (2500X905)	नवम्बर 2015	18.77 (2500X750.60= 187650)	दिसम्बर 2015	18.77	3.86
		योग	**304.16**		**238.35**		**238.35**	**65.81**
		सकल योग	**721.10**		**555.36**		**555.36**	**165.74**

परिशिष्ट-3.6

(संदर्भ परिच्छेद: 3.18; पृष्ठ 112)

12 जल विद्युत शक्ति परियोजना विकासकर्ताओं से देय वसूली की राशि से सम्बन्धित विवरण

क्रमांक	जल विद्युत शक्ति परियोजना का नाम	क्षमता	चालू करने की तिथि	परियोजना की लागत (₹ करोड़ में)	स्थानीय क्षेत्र विकास निधि में योगदान (₹ करोड़ में)			स्थानीय क्षेत्र विकास निधि में कम जमा की गई राशि पर ब्याज (₹ करोड़ में)	कुल वसूली योग्य राशि (₹ करोड़ में)
					देय	जमा	कम जमा		
जिला शिमला (छः जल विद्युत शक्ति परियोजनाएं)									
1.	सुमेज	14 मेगावाट	19.09.12	92.03	1.36	1.05	0.31	0.52	0.83
2.	जोगणी	16 मेगावाट	28.03.14	88.13	1.30	0.30	1.00	0.52	1.52
3.	नेन्टी	14 मेगावाट	13.05.14	88.36	1.31	0.40	0.91	0.46	1.37
4.	घानवी-II	10 मेगावाट	30.04.14	99.08	1.50	1.37	0.13	0.11	0.24
5.	कुरमी	8 मेगावाट	25.03.14	68.49	1.01	0.30	0.71	0.37	1.08
6.	अप्पर नेन्टी	12 मेगावाट	26.10.17	114.50	1.69	0.25	1.44	0.10	1.54
जिला कांगड़ा (पांच जल विद्युत शक्ति परियोजनाएं)									
7.	मांझी-II	5 मेगावाट	06.11.10	27.68	0.28	0	0.28	0.25	0.53
8.	विनवा प्राई	5 मेगावाट	09.05.11	28.32	0.28	0.18	0.10	0.08	0.18
9.	आवा	4.50 मेगावाट	01.05.14	28.73	0.29	0.03	0.26	0.13	0.39
10.	अप्पर आवा	5 मेगावाट	23.05.08	29.13	0.29	0.25	0.04	0.06	0.10
11.	न्यूगल-II	4.50 मेगावाट	01.08.14	28.53	0.28	0.09	0.19	0.09	0.28
जिला कुल्लू (एक जल विद्युत शक्ति परियोजना)									
12.	बालारगा	9 मेगावाट	22.01.18	77.68	1.17	0.40	0.77	0.03	0.80
	योग				10.76	4.62	6.14	2.72	8.86

स्रोत: विभागीय आंकड़े।

परिशिष्ट-3.7

(संदर्भ परिच्छेद: 3.19; पृष्ठ 113)

भूमि स्वामियों को दिए गए ब्याज के परिहार्य भुगतान को दर्शाने वाली विवरणी

(राशि ₹ में)

क्रमांक	भूमि स्वामियों का नाम/ सर्व श्री	क्षेत्र अधिग्रहण (बीघा में)	27 मार्च 2006 को कुल देय राशि	29 मार्च 2006 से 10 नवम्बर 2008 (957 दिन) तक देय 15 *प्रतिशत* ब्याज	कुल	28 मार्च 2006 को उच्च न्यायालय में जमा राशि	कम जमा राशि	03.11.2016 को भुगतान की गई कुल राशि	परिहार्य ब्याज भुगतान
1	2	3	4	5	6 = (4 + 5)	7	8 = (6 - 7)	9	10
1.	दावा गेलोंग	00.05.00	3,24,684	40,727	3,65,411	2,21,130	1,44,281	2,69,652	1,25,371
2.	पृथवी सिंह/रविन्द्र सिंह	09.16.00	1,27,27,587	15,96,469	1,43,24,056	86,68,296	56,55,760	1,05,70,283	49,14,523
3.	टामडिंग एंगमों	01.12.00	20,77,974	2,60,648	23,38,622	14,15,232	9,23,390	17,25,762	8,02,372
4.	कुंती बोध	21.02.06	2,76,82,504	34,72,321	3,11,54,825	1,88,53,544	1,23,01,281	2,29,90,370	1,06,89,089
5.	प्रेम सिंह/वीर सिंह	01.11.00	20,13,037	2,52,503	22,65,540	13,71,006	8,94,534	16,71,831	7,77,297
6.	बाबू राम	00.05.00	3,24,684	40,727	3,65,411	2,21,130	1,44,281	2,69,652	1,25,371
7.	सुमन कुमारी	00.05.00	3,24,684	40,727	3,65,411	2,21,130	1,44,281	2,69,652	1,25,371
	योग		**4,54,75,154**	**57,04,122**	**5,11,79,276**	**3,09,71,468**	**2,02,07,808**	**3,77,67,202**	**1,75,59,394**